SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF TRIBAL COMMUNITIES OF ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(अण्डमान एवं निकोबार द्वीपों के जनजातीय समुदायों की सामाजिक–आर्थिक दशाएँ।)

A

THESIS

Submitted to the University of Allahabad

For the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

IN

GEOGRAPHY

By

PANKAJ KUMAR SINGH

Under the Supervision of

Dr. B. N. Mishra

Department of Geography

University of Allahabad, Allahabad

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
ALLAHABAD
2002

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

डॉ0 बी0एन0मिश्र

भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविघालय
इलाहाबाद–211002
उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध " Socio-Economic Conditions of Tribal Communities of Andaman and Nicobar Islands" मेरे निर्देशन में कार्यरत शोध छात्र श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा तैयार किया गया है। शोधकर्ता इस शोध प्रबन्ध को इलाहाबाद विश्वविघालय के भूगोल विषय में "डॉक्टर ऑव फिलासॉफी" (डी0 फिल0) की उपाधि हेतु प्रस्तुत कर रहा है। यह शोध प्रबन्ध शोधकर्ता का मौलिक कार्य है।

दिनांक : 15.12.2002

(डॉ0 बी0एन0मिश्र)

आभार

स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त करते समय से ही मुझमें शोध करने की अभिरुचि पैदा हुई। परम आदरणीय गुरुवर डॉ0 बी0एन0मिश्र जी की सानिध्यता ने मेरी जिज्ञासा को और बल प्रदान किया। अण्डमान–निकोबार द्वीप में मेरे परिवार एवं प्रियजनों के रहनें तथा वहाँ पर मेरी उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा समपन्न होनें के कारण इस क्षेत्र की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर शोध करनें की अभिरुचि जागृत हुई।

किसी भी विशिष्ट अध्ययन कार्य में जिन व्यक्तियों का सहयोग रहता है उनके ऋण से कभी भी उऋण नही हुआ जा सकता है। ऐसे सहृदय व्यक्तियों के प्रति आभार ज्ञापन के निमित्त कुछ शब्दों का प्रयोग करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। सर्वप्रथम मै अपने गुरु एवं निर्देशक डॉ0 बी0एन0मिश्र भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविधालय, इलाहाबाद, के चरणों में अपनी श्रद्वा के सभी संचित भाव सुमन अर्पित करता हूँ। जिनके सानिध्य में यह शोध प्रबन्ध सम्पन्न हो सका। मै अपनी पूज्यनीय गुरुमाता श्रीमती पद्मजा मिश्रा के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके पुत्रवत स्नेह एवम् आर्शीवाद से शोध कार्य के दौरान कर्तव्य पक्ष पर टिके रहने का सम्बल प्रदान किया।

मै भूगोल विभागाध्यक्ष प्रो0 सविन्द्र सिंह के प्रति भी ऋणी हूँ, जिन्होने अपने आर्शीवाद एवं प्रोत्साहन से इस शोध कार्य को पूर्ण करनें में अमूल्य सहयोग दिया। मै भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी गुरुजनों के प्रति अपनी आस्था एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होने समय–समय पर अपने बहुमूल्य विचारों द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया। मै भूगोल विभाग के सभी तृतीय

एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने अनेक रुपों में मुझे सहयोग प्रदान किया है।

मैं पोर्टब्लेयर स्थित चिन्मय मिशन के आचार्य पूज्य पुनीत चैतन्य जी के चरणों में अपनी श्रद्वा के सभी संचित भाव सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने आशीर्वाद एवं प्रोत्साहन से इस शोध कार्य को पूर्ण करनें में अमूल्य सहयोग दिया। इसके साथ ही मैं अण्डमान–निकोबार द्वीप प्रशासन के विविध विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारीयों का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इस शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु विविध प्रकार की सूचनाए, आँकड़े एवं मानचित्र प्रदान कर मुझे अमूल्य सहयोग दिया है।

मै अपने मित्रों श्री संतोष पांण्डेय, श्री ए0डी0रामाकृष्णाराव, श्री के0इरुदयाराज, डॉ0राजावेलू, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री मनोज शर्मा, श्री अजय एवं श्री पंकज जी के प्रति भी अन्तरमन से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने शोध प्रबन्ध हेतु वांच्छित सूचनाओं एवं सामग्री के संकलन एवं संगठन में अपना अमूल्य सहयोग देकर मुझे अनुग्रहीत किया।
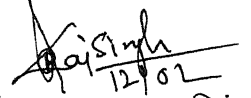
मै अपने बाबा श्री जे0 बी0 सिंह एवं श्री एस0 बी0 सिंह, पिता श्री मारकण्डेय सिंह एवं माता श्रीमती कमला सिंह का आजीवन ऋणी रहूँगा, क्योंकि मौलिक रुप से उन्हीं की प्रेरणा आशीर्वाद एवं प्रोत्साहन से आज मै इस स्तर तक पहुँच सका हूँ। मेरे जीवन को दिशा देने में उन्होने कोई कसर नही छोड़ी, अतः मै हृदय से उनके प्रति अपने भाव सुमन अर्पित करता हूँ। मै अपने चाचा श्री राजेन्द्र सिंह एवं पूज्य चाची श्रीमती पूनम सिंह के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपनी स्नेहिल प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से शोध कार्य के दौरान मेरे अन्दर नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार करते थे। मै अपने चाचा श्री चित्रसेन सिंह, डॉ0राजेश सिंह, एवं श्री

धर्मवीर सिंह के प्रति भी अपनी हार्दिक श्रद्धा ज्ञापित करता हूँ जिन्होने अपने आशीर्वाद एवं सहयोग से क्रियाशील एवं कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी। मै अपनी पूज्य बुआ श्रीमती सुषमा सिंह एवं पूज्य भाई श्री अरविन्द सिंह के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होने अपने ज्ञान, सुझाव एवं प्रेरणा से मुझे सदैव उत्साहित करते रहते थे।

अन्ततः मै श्री अवधेश एवं श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव जी का भी सदैव आभारी रहूँगा, जिन्होने अपना अमूल्य समय देकर प्रस्तुत शोधप्रबन्ध को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया।

दिनांक : 16|12|02

शोधकर्ता

Pankaj Singh 12/02

पंकज कुमार सिंह

अध्याय संख्या	अनुक्रमणिका	पृष्ठ संख्या
अध्याय–1	**संकल्पनात्मक पृष्ठ भूमि :**	1–54
	प्रस्तावना, जनजातिः अभिप्राय एवं परिभाषा, भारतीय जनजातियों की मानवीय रूपरेखा एवं प्रजातीय वर्ग, भारतीय संविधान एवं अनुसूचित जनजातियाँ, सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान, अनुच्छेद–16(4), पदों एवं सेवाओं में आरक्षण, अनुच्छेद 14 व 16(4), अनुच्छेद 15(4) व 16(4), अनुच्छेद 19(5): सम्पत्ति में आदिवासियों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 320(4), अनुच्छेद 330, 332 तथा 334, अनुच्छेद 335: आरक्षण की सीमाएँ, अनुच्छेद 338:विशेष अधिकारी, अनुच्छेद 339(1) : आयोग की नियुक्ति, विकास संबंधी प्रावधान, जनजाति विशिष्ट विकास वर्ग, जनजातीय विकास : नीतिगत विषय, जनजातीय विकास योजनाएँ, विशिष्ट बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्ड, जनजातीय विकास खण्ड योजना, जनजातीय उप–योजना एवं समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, वृहद बहुउद्देश्यीय समितियाँ, साहित्य समीक्षा, समस्या कथन, उद्देश्य, विधितंत्र, संदर्भ सूची ।	
अध्याय–2	**जनजातीय विकास के स्थानिक घटक : अध्ययन क्षेत्र**	55–94
	प्रस्तावना, भौतिक कारक, स्थिति एवं विस्तार, संरचना, उच्चावच, पश्चिमी तटीय श्रेणी, पूर्व की पर्वत श्रेणियाँ, जलराशियाँ, जलवायु, तापमान, वर्षा, वनस्पति, प्रमुख वृक्षों के प्रकार, मिट्टी, सांस्कृतिक कारक – जनसंख्या, अधिवास तंत्र, कृषि, मुख्य फसलें, उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, परिवहन, संदर्भ सूची ।	

अध्याय–7	जनजातीय विकास हेतु नियोजन :	
	प्रस्तावना, विकास नीति, विकास योजना, अध्ययन क्षेत्र के जनजातियों की विकास योजना नीति, अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों हेतु विकास नियोजन, वांछित विकास नियोजन प्रतिदर्श : (1)संसाधन एवं पर्यावरण संबंधी नियोजन (2)सामाजिक पुनरूद्धार संबंधी नियोजन (3)आर्थिक पुनरूद्धार संबंधी नियोजन, संदर्भ सूची ।	

सारणी सूची

4.7	क्षेत्रवार शिक्षण संस्थाओं, नामांकन एवं अध्यापकों की संख्या
4.8	जनजातीय विद्यार्थियों का नामांकन
5.1	एक माह हेतु भेजन एकत्रण – ओंगी जनजाति (पौंड में)
5.2	जनजातीय उप–नियोजनान्तर्गत जनजातीय लोगों को दिये गए पशु (2001–2002)
6.1	वित्तीय व्यय : नवीं पंचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (1997–2002) हेतु प्रस्ताव
6.2	अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा जनजातियों के विकास हेतु धन आवंटन का विवरण
6.3 (अ)	नवीं पंचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (97–2002)
6.3 (ब)	सहायता हेतु प्रस्तावित परिवारों की संख्या
6.4 (अ)	शोम्पेनों के सामाजिक – आर्थिक विकास हेतु निर्धारित व्यय विवरण
6.4 (ब)	शोम्पेनों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण
6.5 (अ)	सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु निर्धारित ओंगियों के व्यय विवरण
6.5 (ब)	ओंगियों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण
6.6 (अ)	ग्रेट अण्डमानियों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु निर्धारित व्यय विवरण
6.6 (ब)	ग्रेट अण्डमानियों के विकास हेतु अन्य व्यय विकरण
6.7 (अ)	जारवा एवं सेंटिनलियों के विकास का व्यय विवरण
6.7 (ब)	जारवा एवं सेंटिनलियों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण
6.8 (अ)	जनजातीय विकास के अन्तर्गत विधि कार्यक्रमों हेतु व्यय विवरण
6.8 (ब)	जनजातीय विकास हेतु अन्य व्यय विवरण
6.9	भौतिक लक्ष्य : नवीं जनजातीय उप–योजना (1997–2002) एवं वार्षिक योजना (2001–2002) हेतु प्रस्ताव तथा उपलब्धियाँ ।

चित्र सूची

प्लेट सूची

21.	एक ओंगी परिवार
22.	नारियल की ढुलाई हेतु गाड़ी
23.	सरकार द्वारा ओंगियों को दिया गया आवास
24.	जारवाओं द्वारा निर्मित की जा रही झोपड़ी
25.	ओंगियों हेतु डिगांगक्रीक में निर्मित स्वास्थ्य केन्द्र
26.	डिगांगक्रीक का प्राइमरी विद्यालय एवं वहाँ नियुक्त अध्यापक
27.	ओंगी बालक एवं प्रशासन द्वारा नियुक्त अध्यापक
28.	जारवा महिलाओं एवं बच्चों द्वारा खाद्य संग्रहण
29.	जारवा महिलाओं द्वारा एकत्रण हेतु बेंत की टोकरी का निर्माण
30.	निकोबारी एवं उसका प्रिय पालतू पशु

अध्याय–1

संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

प्रस्तावना :

विश्व के वर्तमान सामाजिक–आर्थिक विकास परिदृश्य को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आधुनिक मानव समाज प्रजातीय सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार पर समरूपता की ओर अग्रसर हो रहा है। तीव्र निदर्शन, परिवर्तन, वैज्ञानिक–तकनीकी विकास, विकासोन्मुख औधौगीकरण एवं उदारीकरण–वैश्वीकरण के प्रभाव से अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर लगभग मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में मुक्त अन्तरमिश्रण हो रहा है। जिससे विश्व के अनेक संस्कृतियों का भी तीव्रता के साथ परिवर्तन, संशोधन, क्षरण एवं विनाश हो रहा है। हसनैन[1] के अनुसार वर्तमान सभ्यता के तीव्रगति के कारण प्राचीनतम मानव संस्कृतियाँ या तो मरती जा रही हैं, अथवा उनका पूर्ण विनाश होता जा रहा हैं। इस प्रकार मानव संस्कृति एवं सभ्यता की विविधता एवं विलक्षणता, जो धरातल पर मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि एवं वैभव है, भी नष्ट होती जा रही हैं। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान, तकनीकी एवं उघोग आधारित विकास के कारण धरातलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी नकारात्मक ढ़ंग से प्रभावित हो रहा है। जिससे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण आपदा, पर्यावरण अवनयन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसी समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं तथा सम्पूर्ण सांस्कृतिक विविधता एवं मानव अस्तित्व भयानक खतरे में पड़ गया हैं।[2]

सभी प्रकार की मानव समस्याओं के समाधान हेतु विज्ञान एवं तकनीकी को रामबाँण मानने वाले विद्वान भी तेजी से बढ़ते हुए विकास समस्याओं जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बिमारी आदि, पारिस्थितिक असंतुलन, जातीय एवं राजनैतिक तनाव एवं झगड़ों के कारण समाजिक आर्थिक विकास के वर्तमान शैली से

असंतुष्ट होने लगें हैं। लब्धात्मक जीवनशैली पर आधारित पाश्चात्य विकसित देशों द्वारा अपनायें गए वर्तमान विकास प्रतिदर्श को विश्व के लगभग सभी अर्धविकसित एवं विकासशील देशों ने अपनाया। परिणामस्वरूप इन देशों की संस्कृतियां एवं स्वदेशी जीवनशैली धीरे–धीरे उदारीकरण और वैश्वीकरण की तीव्रधारा में विलुप्त होने लगी।[3] आज ऐसे देशों की सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अस्तित्व को बचाये रखना एक बहुत बडी समस्या हो गयी है। उदारीकरण और वैश्वीकरण का लाभ बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों के माध्यम से विकसित देशों को ही प्राप्त हो रहा है। अर्धविकसित एवं विकासशील देशों को आर्थिक लाभ का अल्पांश ही प्राप्त हो पा रहा है। जबकि उनके संसाधन, आधारभूत सुविधाओं सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना, आर्थिक संरचना आदि का आर्थिक शोषण एवं दोहन होता जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान विकास के दौर में गरीब एवं विकासशील देशों का विश्व की विचारधारा में जोड़ने के नाम पर उन्हें अपने स्वदेशी विकास प्रतिदर्श को विकसित करने एवं अपने मूल सांस्कृतिक स्वरूप एवं पहचान को संरक्षित रखने से वंचित किया जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति एवं विकासशैली को अपनाने का खमियाजा आज विश्व के अविकसित एवं विकासशील देश भुगत रहें हैं। तथा यहाँ पर अपने सांस्कृतिक स्वरूप को परिरक्षित करने एवं अपनी संस्कृति के अनुरूप विकास प्रतिदर्श विकसित करने हेतु अनेक संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा आन्दोलन भी चलाये जा रहे हैं,[4] तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विरोध भी धीरे–धीरे मुखर होता जा रहा है।

भारतवर्ष सदियों से अपनी भौगौलिक, सास्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विविधता एवं समृद्दि के लिए विश्व प्रसिद्व रहा है। एवरेस्ट जैसे उच्च शिखरों से युक्त हिममंड़ित हिमालय पर्वत श्रृखला से लेकर सिंध–गंगा के निचले मैदान तक घरातल के विविध स्वरूप, हिमालय के अति शीत प्रदेश से लेकर दक्षिण के अति

गर्म वृष्टि छाया प्रदेश, अति आर्द्र चेरापूँजी से लेकर अति शुष्क पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आदि सभी भौतिक विविधताए भारत की संमृद्धि हैं। इसी प्रकार सिंध–गंगा मैदान एवं महानगरों के अत्यन्त विकसित मानव समुदाय से लेकर विविध जंगलों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों, महानगरों की तकनीकी आधारित औधौगिक अर्थव्यवस्था से लेकर मुद्राविहीन जनजातीय अर्थव्यवस्था, नगरों के अत्याधुनिक आवासों से लेकर झुग्गी–झोपडियों अथवा गुफाओं के जनजातीय आवास तथा नगरों की विकसित सभ्यता एवं जीवन शैली से लेकर पूर्ण प्राकृतिक एवं आदिम जनजातीय संस्कृति तक सभी सांस्कृतिक विविधताएं भी भारतवर्ष की विरासत एवं विलक्षणता रहीं हैं। विज्ञान तकनीकी एवं औधौगिक विकास के तीव्रधारा में इन विविधताओं एवं अनेकताओं को प्रवाहित कर एकरूपता प्रदान करने का प्रयास आत्मप्रवंचना एवं आत्मघाती होगा, क्योंकि इससे मात्र भारत में अनेकता में एकता की स्थिति ही नष्ट नहीं होगी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता एवं पहचान भी नष्ट हो जायेगी। भारतवर्ष में ये विविधताए, अनेकताए, एवं विरोधाभास हजारों वर्ष प्राचीन हैं, और यही भारत का सौन्दर्य, शक्ति एवं समृद्धि रहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारतीय संस्कृति की इस अनेकता पर आक्रमण हुए हैं, तब–तब आक्रमणकारियों से इसी अनेकता ने संयुक्त शक्ति के रूप में लोहा लिया और उन्हें पराजित किया। भारत में मुगल साम्राज्य एवं ब्रिटिश साम्राज्य की पराजय इसका ज्वलंत उदाहरण है। मुगलों एवं अंग्रेजों ने भारत की विविधतामयी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अन्ततोगत्वा वे स्वयं ही नष्ट हुए। हमारी सांस्कृतिक विरासत में जनजातियों एवं उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारों वर्षों से ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। ये संस्कृतियाँ भारत की आधुनिक विकासधारा के साथ–साथ अपने अस्तित्व को अक्षुण बनाये रखा। अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक स्थिति

को सुदृढ़ करने एवं सम्पूर्ण भारत पर अपना राज्य स्थापित करने हेतु जनजातियों वाले जंगली एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी विविध संसाधनों के शोषण हेतु अपना जाल फैलाया तथा उन्हें मुख्य धारा में ले आने एवं परिवर्तित करने का प्रयास किया। उनके अधिकारी वर्ग प्रायः उनके संस्कृति एवं जीवन ढग को प्रशासनिक ढ़ंग से प्रभावित करने का प्रयास करते थे, जिससे कि उनका कार्य पूर्ण हो सके। लेकिन एस0सी0दूबे[5] का मानना है कि जनजातियों के प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत संरक्षात्मक एवं सुरक्षात्मक ही था। वे जनजातीय क्षेत्रों में बिना किसी व्यवधान के मात्र अपना आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्य ही संपादित करना चाहते थे। इसाई धर्म प्रचारको ने भी भारत के जनजातीय क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन द्वारा उनके जीवनशैली, अर्थव्यवस्था एवं समाज को परिवर्तित करने का प्रयास करते रहें हैं– विशेष रूप से देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में। लेकिन उसका प्रभाव बृहत न होकर छिट–पुट ही रहा हैं, और ये जनजातियाँ आज भी अपने मूल रूप एवं संस्कृति को बनाये हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मॉ गाँधी एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू जनजातियों की मूल संस्कृति को बनाये रखने पर काफी बल एवं प्रोत्साहन दिया। स्वतंत्र भारत में तो जनजातियों के विकास एवं उनके मौलिक संस्कृति को बचाये रखने हेतु अनेक संवैधानिक सुरक्षायें प्रदान की गयी हैं तथा विविध प्रकार के नीति आधारित कार्यक्रम एवं विकास योजनाए संचालित की जा रही हैं। इधर विविध जनजातियों की मूल संस्कृति, जीवन शैली, खानपान, कला, पहनावा आदि की नकल अब सभ्य समाज भी करने लगा है। यहाँ तक की पंचसितारा होटलों में भी जनजातीय नृत्य, एवं खान–पान के आयोजन होने लगे हैं तथा बाजारों में जनजातीय पहनावों की नकल पर फैशन डिजाइनिंग होने लगी है। इससे हमारी संस्कृति और भी समृद्धि हो रही है, तथा इसके कारण विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होने लगा है। इस प्रकार देश की जनजातीय

संस्कृति ने हमारी प्रगतिशील विकासधारा में एक नया आयाम जोड़ा है। अतः हमें अपनी जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को हर कीमत पर बचाये रखना है। जनजातियों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास तो किया जाय, लेकिन साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान भी बनाये रखा जाय।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जनजातीय संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसका भौगौलिक, आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन एवं शोध एक महती आवश्यकता है। विविध जनजातियाँ बिखरे हुए रूप में भारत के अनेक पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में पायी जाती हैं, जिनके धरातल स्वरूप, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति संसाधन आधार एवं पर्यावरण अलग–अलग हैं। अलग–अलग पर्यावरण दशाओं से समानुकूलन एवं सामान्जस्य द्वारा जनजातियों ने अपनी अलग संस्कृति एवं समाज का निमार्ण किया है। अतः इस धरातलीय विविधता के संदर्भ में जनजातियों की सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्ययन शैक्षिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का एक पिछडा केन्द्रशासित प्रदेश है, तथा द्वीप मालाओं से युक्त होने एवं समुद्र से धिरे होने के कारण यह भौगौलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासन काल में कालापानी कहे जाने वाले इस क्षेत्र के कई द्वीपों में विविध प्रकार की जनजातीयाँ निवास करती हैं, जो यहाँ की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। अतः भौगौलिक दृष्टिकोण से इनका अध्ययन एवं शोध शैक्षिक एवं व्यवहारिक महत्व का है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय समुदायों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का भौगौलिक अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

जनजाति– अभिप्राय एवं परिभाषा

जनजाति की संकल्पना काफी प्रचीन एवं विवादास्पद है। मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासक, नियोजक आदि सभी जो जनजातीय जीवन एवं विकास के अध्ययन से सम्बन्धित रहें हैं, आज तक न तो सैद्वान्तिक आधार पर और न ही व्यवहारिक आधार पर, जनजातीय संकल्पना एवं परिभाषा के सम्बन्ध में एक मत हो सके हैं।[6] विल्के[7] आदि के अनुसार जनजातीय लोगों की सार्वभौमिक परिभाषा आज तक विवादास्पद ही रही है। मजूमदार[8] के अनुसार यदि विविध मानव शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत की गयी परिभाषाओं पर ध्यान दिया जाये तो उनमें नातेदारी सम्बन्ध, सामान्य क्षेत्र, सामान्य भाषा, संयुक्त स्वामित्व, एक राजनैतिक संगठन, अर्न्तकलह के आभाव आदि के आधार पर अनेक विषमतायें मिलती हैं। कुछ मानव शास्त्रियों ने उपरोक्त विशेषताओं में किसी एक या दो को अपनी परिभाषा का आधार बनाया है, तो दूसरों ने अन्य तत्वों को, लेकिन जनजातियों की उपरोक्त विशेषताओं में किसी पर भी विद्वान एक मत नहीं हैं।

जनजाति को परिभाषित करने में दूसरी कठिनाई जनजाति को कृषक वर्ग से अलग करने से भी संबन्धित है। कुछ लोगों ने जनजातियों को आदिम कृषक भी कहा है। इस प्रकार विद्वानों द्वारा जनजाति के किसी ऐसे वर्ग से तुलना करना, जिसकी परिभाषा स्वयं में ही अस्पष्ट हो तर्कसंगत नही है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में रहने वाले विविध आदिम मानव समुदायों की आपसी तुलना के आधार पर भी जनजाति को परिभाषित करना समीचीन नहीं प्रतीत होता। जनजातीय शब्द से मानव समाज के एक वर्ग का संकेत होने के साथ–साथ एक क्षेत्र विशेष का भी संकेत मिलता है। अतः जनजातीय संकल्पना में क्षेत्र भी एक अभिन्न आयाम है। सामान्य क्षेत्र एवं पर्यावरण

में रहने से ही उनमें समान प्रकार की जीवन शैली विकसित होती है। लेकिन रिवर्स क्षेत्र के आधार पर जनजाति को परिभाषित करना उपयुक्त नहीं मानते। इसी प्रकार सामान्य भाषा, सामान्य नाम, संस्कृति, परम्परा, निषेध आदि के आधार पर भी जनजाति को परिभाषित करना न तो समीचीन प्रतीत होता हैं, और न ही विद्वान इस पर एक मत हैं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जनजातियों की प्रजाति, क्षेत्र, नाम, संस्कृति, भाषा, परम्परा, संगठन आदि के संदर्भ में विश्व के अनेक जनजातियों में काफी विषमता है। उन सभी को एक सार्वभौमिक एवं सार्वजनी परिभाषा नहीं दी जा सकती। अतः किसी देश या प्रदेश विशेष के संदर्भ में ही जनजातीय संकल्पना एवं उसके अभिप्राय को सही संदर्भों में समझा और विवेचित किया जा सकता है। अतः यहाँ पर भारतीय संदर्भ में ही जनजातियों की परिभाषा करना उचित प्रतीत होता है।

जनजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द Tribe का समानार्थी है। Tribe शब्द का मूल अर्थ लैटिन भाषा के Tribuz में है, जिसका तात्पर्य उन तीन राजनैतिक भागों से है, जिनमें रोमवासी विभाजित थे। इस प्रकार रोमवासियों हेतु यह एक राजनैतिक विभाग था, जबकि यूनानी लोग इसे भ्रातृसंघ के रूप में अथवा एक भौगौलिक विभाग के रूप में देखते थे। आयरलैण्ड के लोग इसे समान नाम वाला मानव समुदाय मानते थे। लेकिन भारत में इसे स्वदेशी एवं स्वस्थानिक मानव समुदाय माना जाता था। भारत में ये मानव समुदाय आर्यों के आने से पूर्व भाषाई एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर मैदानी क्षेत्रों एवं नदी घाटियों में रहने वाला समुदाय माना जाता था, जिसे सामान्यतया **"जन"** कहा जाता था। ये विविध भाषाओं का प्रयोग करते थे तथा पुरातात्विकों के अनुसार आदिम धर्म के अनुयायी थे। लेकिन आर्यों के आने के पश्चात उनके विकास के साथ ये धीरे–धीरे दक्षिण की ओर दुर्गम पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों की ओर विस्थापित होते गए।

इनका विस्थापन उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिणी एवं पश्चिम की ओर होता रहा। इन क्षेत्रों को "अताविक राज्य" या "महांकान्त्र", जिसका तात्पर्य जंगली प्रदेश से है कहा जाता था, इन्हें "प्रत्यांत देश" भी कहते थे, जिसका तात्पर्य सीमांत प्रदेश से है। ऐसा शायद इसलिए था कि ये मुख्य आवासीय एवं कृषि क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र में निवास करते थे।[9] अधिकारिक रूप से सर्वप्रथम 1931 में इन्हें "Primitive tribe" (आदिम जनजाति) के नाम से संबोधित किया गया था जबकि 1935 में "Back word tribe" (पिछडी जनजाति), 1948 में "आदिवासी" तथा स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में इन्हें "Scheduled tribes" (अनुसूचित जनजातियाँ) के नाम से परिभाषित किया गया।

भारत के संदर्भ में सम्पूर्ण जनजातीय संकल्पना को स्पष्ट करने एवं जनजाति को परिभाषित करने हेतु नाइक[10] ने निम्नलिखित मानदण्ड प्रस्तुत किये हैं।

1. जनजातियों में न्यूनतम कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध होने चाहिए।
2. ये आर्थिक रूप से पिछडा हुआ वर्ग होना चाहिए।
3. अन्य लोगों से इसका भौगोलिक पृथकत्व होना चाहिए।
4. सांस्कृतिक रूप से एक समुदाय की समान भाषा होनी चाहिए, जो प्रादेशिक आधार पर परिवर्तित हो सकती हैं।
5. यह राजनैतिक आधार पर संगठित होनी चाहिए तथा इसकी पंचायत एक प्रभावशाली संस्था होनी चाहिए।
6. इनमें मनोवैज्ञानिक रूढ़िवादिता, तथा परिवर्तन के प्रति उदासीनता होनी चाहिए।
7. इसके नियम परम्पराओं पर आधारित होने चाहिए।

एरेनफेल्स[11] ने उपरोक्त कई बिन्दुओं पर नाइक के विचारों से असहमति व्यक्त की है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने भी जनजातियों को विशुद्व मानवशास्त्री आधार पर

परिभाषित करनें के प्रयास की आलोचना की है। विल्के ने भी जनजातियों को परिभाषित करने के संदर्भ में मानवशास्त्री दृष्टिकोण के आधिक्य पर कठिनाई व्यक्त की है। उपरोक्त विवेचन के संदर्भ में मजूमदार[12] ने जनजातियों के संदर्भ में विद्वानों में मतवैभिन्य का समाधान करते हुए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये हैं।

1. भारत में जनजाति निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय वर्ग हैं, इसी पारम्परिक क्षेत्र को ही लोग उनकी मातृभूमि कहते हैं।
2. किसी जनजाति के सभी सदस्य नातेदारी से आपस में नहीं जुडे होते, फिर भी भारतीय जनजातियों में नातेदारी एक मजबूत, नियंत्रणकारी एवं समन्यवयात्मक सिद्वान्त है, इनमें अन्तर्विवाह एवं बहिर्विवाह दोनों ही प्रचलित हो सकता है।
3. भारतीय जनजाति के सदस्य एक सामान्य भाषा या तो अपनी या अपने पड़ोसी की बोलते हैं, इनमें अन्तर्जातीय झगड़े नहीं होते तथा सम्पत्ति का संयुक्त स्वामित्व भी हो सकता है। राजनैतिक आधार पर भारतीय जनजाति राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं, लेकिन इनमें प्रजातीय एवं सांस्कृतिक विविधता के आधार पर पंचायतें भी हुआ करती हैं।
4. इसके अलावा भारतीय जनजातियों में अन्य विशिष्टताए भी होती हैं, जैसे शयनीय संस्थाए, बालक बालिकाओं हेतु पाठशालाएं, जन्म, विवाह एवं मृत्यु सम्बन्धी विशिष्ट कर्मकाण्ड, हिन्दुओं और मुस्लिमों की अलग नैतिक आचार संहिता, धार्मिक विश्वास एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धी विशेषताएं आदि।

परिभाषा :

उपरोक्त विवचना में विश्लेषित जनजातियों की विविध विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, विविध संस्थाओं और विद्वानों ने जनजाति की अपने अनुसार परिभाषा की है। जनजातीय

संकल्पना को और अधिक स्पष्ट करने हेतु ये परिभाषायें निम्नलिखित हैं–

1. आक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार जनजाति, विकास की आदिम अथवा बर्बर अवस्था वाला ऐसा मानव वर्ग है, जो एक मुखिया के अधिकार को स्वीकारता है तथा एक सामान्य पूर्वजों को मान्यता देता है।
2. इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया के अनुसार एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है, जिसका एक नाम होता है, जो एक भाषा बोलती है, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखती है या अधिकार जताती है और जो प्रायः अन्तर्विवाह नहीं करती रही हैं।
3. गिलिन एवं गिलिन[13] के अनुसार स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को, जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, को एक जनजाति कहते हैं।
4. लूसी मेयर[14] के अनुसार एक जनजाति किसी जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनैतिक भाग होती है, जिसकी सामान्य संस्कृति होती है।
5. जनजाति को परिभाषित करते हुए हंटिग फोर्ड[15] कहते है कि जनजाति सामान्य नाम से जुडा हुआ एक वर्ग है, जिसमें उसके सदस्य सामान्य भाषा एवं सामान्य क्षेत्र पर गर्व करते हैं तथा जो इस नाम के अर्न्तगत नहीं आते उन्हें बाहरी या शत्रु मानते हैं।
6. रीवर्स[16] के कथनानुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्व आदि सामान्य उद्वेश्य के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं।
7. चर्ल्स विनिक[17] के अनुसार एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बाँधने वाला सामाजिक संगठन आता है,

यह सामाजिक उपसमूहों जैसे गोत्रों या गावों को सम्मिलित कर सकता है।

8. राल्फ लिंटन[18] के अनुसार सरलतम रूप में जनजाति समूहों का एक ऐसा वर्ग है, जो एक क्षेत्र या क्षेत्रों पर अधिपत्य रखता है, तथा जिसमें संस्कृति की अनेक समानताओं, बारम्बार सम्पर्क एवं सामान्य स्वार्थ पर आधारित एकता की भावना होती है।
9. जनजाति के सम्बन्ध में होवेल[19] ने लिखा है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है, जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से अलग करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनैतिक संगठन नहीं है।
10. लेविस[20] के अनुसार आदर्श रूप में जनजातीय समाज लघुस्तरीय होते हैं, अपने सामाजिक, वैधानिक, एवं राजनैतिक संम्बन्धों में स्थानिक एवं कालिक आधार पर सीमित होते हैं तथा उनके नैतिकता, धर्म एवं संगठन आकार में समानता होती है। विशेषतया जनजातीय भाषायें अलिखित होती हैं। अतः संप्रेषणक्रिया स्थान एवं समय दोनों के संदर्भ में अति संकीर्ण होती हैं। साथ ही जनजातीय समाज योजनाओं की अत्यल्पता प्रदर्शित करते हैं तथा उनमें संगठन एवं आत्म निर्भरता होती है जो आधुनिक समाज में नहीं होती है।
11. रमामनी[21] के अनुसार जनजाति परिवारों का एक एसा समूह है, जो एक या अनेक मुखियाओं के अधिपत्य में एक समुदाय के रूप में रहता है तथा यह भाषा एवं रीति रिवाजों के द्वारा जुड़ा होता है।
12. जनजातियों की विशेषता बताते हुए डा0 मिश्र[22] कहते हैं कि जनजातीय अधिवास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, कि वे बिल्कुल सुदूर एवं पृथक पहाडी एवं जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनका स्थानिक एवं कार्यात्मक आदान–प्रदान देश के अन्य भागों से अत्यल्प होता है। युगों के अलगाव एवं पर्यावरण की कठोरता के कारण ये सामाजिक आर्थिक दरिद्रता के शिकार हैं तथा

गैर जनजातीय लोग इन पर आधिपत्य स्थापित कर शोषण करते हैं।

13. राल्फ पेडिंगटन[23] ने जनजाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हों तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पायी जाती हो।

14. मजुमदार[24] जनजाति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जनजाति एक ऐसा सामाजिक वर्ग है, जिसमें क्षेत्रीय सम्बन्ध होता है, जो अन्तर्विवाही होता है, जिसके कार्यों में विशेषीकरण नहीं होता, जो अनुवांशिक या अन्य अधिकारियों द्वारा शासित होते हैं। भाषाई आधार पर जुडे होते हैं, अन्य जनजातियों या जातियों से समाजिक दूरी रखते हैं एवं उनकी सामाजिक निंदा नही करते, जैसा कि सामान्य जातीय संरचना में होता है। ये जनजातीय परम्पराओं विश्वासों एवं रिवाजों को मानते हैं। ये वाह्य स्रोतों के विचारों को आत्मसात करनें में उदासीन होते हैं तथा इन सबके अतिरिक्त अपनी जातीय समरूपता एवं क्षेत्रीय समन्वय के प्रति सचेष्ट होते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं परिभाषाओं के अवलोकन से निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जनजातियों की विशेषताओं को चार प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है। ये हैं– 1. जनजातीय उत्पत्ति 2. आदिम जीवन ढ़ग 3. सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में निवास एवं 4. लगभग सभी क्षेत्रों में सामान्य पिछडापन।

भारतीय जनजातियों की मानवजातीय रूपरेखा एवं प्रजातीय वर्ग :

भारत की जनसंख्या में प्रजातीय तत्वों की अलग–अलग पहचान व उनका सही–सही वर्णन प्रस्तुत करना बडा

जटिल काम है। अनेक कारणवश भारत सदा से बाहर के आने वालों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है। आने वालों में कम ही वापस गये। इस प्रकार समय–समय पर विभिन्न प्रजातीय तत्वों के लोगों का आगमन होता रहा और यहॉ के स्थानीय प्रजतीय तत्व व संस्कृतियाँ प्रभावित होती गयीं और एक दिलचस्प तथा सुन्दर मिश्रण होता गया। दुर्भाग्यवश पुरातात्विक साक्ष्यों के नाम पर हमें अधिकतर पाषाण उपकरण ही मिलते रहें हैं और इस उपमहाद्वीप से जीवास्मों के अवशेष (फोसिल रिमेंन्ज) नहीं के बराबर मिलें हैं, जिनसे यहाँ का प्रजातीय इतिहास काफी हद तक मालूम हो सकता है। यह प्रागैतिहासिक काल की बात थी। एतिहासिक युग के कंकाल अवशेष भी इतने कम हैं, कि उनके आधार पर कोई विश्वसनीय परिणाम नहीं निकाले जा सकते। फिर भी पिछले सौ वर्षों में समय–समय पर उत्सुक व जिज्ञासु विद्वान इस दिशा में कुछ करते ही रहें हैं।[25]

रिज्ले वह विद्वान थे जिन्होनें सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर भारत का प्रजातीय वर्गीकरण करने का प्रयास किया। भारतीय सिविल सर्विस के अधिकारी रिज्ले ने 1980 में शरीर मापन प्रणाली के आधार पर यह अध्ययन किया। तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें 1901 में होंने वाली जनगणना का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस जनगणना की रिपोर्ट तथा 1915 में प्रकाशित उनकी मार्गदर्शक पुस्तक "दी पीपुल्स आफ इण्डिया" में उन्होंने अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय जनसंख्या को सात प्रजातीय वर्गों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है :–

1. तुर्क–इरानी टाइप :– इसमें उन्होंने बलूचिस्तान और सीमांन्त प्रान्त के लोगों को रखा।
2. भारत आर्य टाइपः– इसमें उन्होने पंजाबियों, राजपूतों, जाटों व कश्मीरी खत्रियों को शामिल किया।

3. सीथो–द्रविड़ टाइपः– इस वर्ग के मुख्य उदाहरण मराठा ब्राह्मण व कुर्मी लोग हैं।
4. आर्य द्रविड़ टाइप :– इसके मुख्य उदाहरण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, व विहार के लोग हैं।
5. मंगोल द्रविड़ टाइपः– बंगाली ब्राम्हण व कायस्थ को इस वर्ग का प्रतिनिधि माना गया।
6. मंगोल टाइपः– हिमालय क्षेत्र में असम, नेपाल व वर्मा के लोग इस वर्ग में सम्मिलित किए गये हैं।
7. द्रविड़ टाइपः– इस वर्ग के लोगों में वर्तमान तमिलनाडु, आन्द्रप्रदेश, मध्यप्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र व छोटानागपुर के रहने वाले शमिल किए गए हैं।

रिज्ले के वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनकी बहुत सी बातें पूर्वानुमानों और मनमाने निष्कर्षों पर आधारित हैं, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

रिज्ले के बाद इस दिशा में किया गया दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हैडन का माना जा सकता है। इन्होंने समूचे भारत वर्ष को तीन मुख्य भौगालिक क्षेत्रों में बॉटा जिनमें, उनके अनुसार भारतीय जनसंख्या के सभी प्रजातीय समूह शामिल हैं। ये तीन भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार है–

1.हिमालय।

2.हिन्दुस्तान का उत्तरी मैदान।

3.दक्षिण (दकन) भाग।

हैडन का प्रजातीय वर्गीकरण शारीरिक लक्षणों, रीतिरिवाजों, भाषा और प्रचलित लोक कथाओं पर आधारित है। इन साक्ष्यों की सहायता से उन्होने प्रजातीय तत्वो का विश्लेषण किया है। हैडन के वर्गीकरण का अब केवल ऐतिहाशिक महत्व ही रह गया है।

बी0 एस0 गुहा[26] ने इन सबसे अलग वैज्ञानिक आधारों का उपयोग करते हुए भारत का प्रजातीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण 1931 की जनगणना में किए गये मानवमितीय सर्वेक्षण पर आधारित है। यह पहला अवसर था जबकि विकशित मानवमितीय प्रविधियो के आधार पर प्रजातीय अध्ययन का कार्य किया गया । इस सर्वेक्षण के वैज्ञानिक पद्वति पर आधारित होने के कारण अब तक का यह सबसे प्रमाणित व मान्य वर्गीकरण माना जाता है और भारतीय जनसंख्या के अध्ययन में इसी का उपयोग किया जाता है। उनका प्रजातीय वर्गीकरण इस प्रकार है–

1. नेग्रिटो।
2. प्रोटो आस्ट्रलायड।
3. मंगोलायड।
    - (अ) पैलियोमंगोलायड।
        - (क) लम्बे सिर वाले।
        - (ख) चौडे सिर वाले।
    - (ब) तिब्बती मंगोलायड।
4. मेडीटिरेनियन।
    - (अ) पौलियो मेडिटिरेनियन।
    - (ब) मेंडिटिरेनियन।
    - (स) ओरिएण्टल प्रकार।
5. पश्चिमी ब्रैकिसिफाल।
    - (अ) अल्पीनायड।
    - (ब) डिनारिक।
    - (स) आर्मीनायड।
6. नार्डिक।

गुहा[27] के सर्वेक्षण के परिणामों में उनका सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि भारत में चौडे सिर वाला (पृथुक पाल) प्रजातीय तत्व अधिक अंशों में पाया जाता है। गुहा से पहले सामान्य धारणा ऐसी नहीं थी, लगभग सभी विद्वानों ने गुहा के निष्कर्षों को अधिकांशतः सहमति प्रदान किया है। उनके इस अध्ययन के बाद कोई अन्य ऐसा अध्ययन इतने वैज्ञानिक आधार पर सम्पूर्ण भारत के स्तर पर नहीं हुआ । इसलिए यह निष्कर्ष आमतौर पर अभी भी मान्य है। जिन दो निष्कर्षों पर गुहा के सबसे अधिक आलोचना हुई है वे हैं: निग्रिटो तत्व का महत्व और उनकी धारणा, कि भारत के सभी प्रजातीय समूहों की उत्पत्ति विदेशी है।

भारतीय जनसंख्या में विघमान प्रजातीय तत्वों का गहन विश्लेषण करने पर तीन सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख प्रजातीय वर्गों की चर्चा की जा सकती है।ये हैं: निग्रिटो, प्रोटोआस्ट्रेलायड तथा मंगोलायड। आमतौर पर यह विचार है कि मंगोलायड तत्व के लोग सबसे बाद में आये।

वस्तुतः मतभेद प्रोटो आस्ट्रेलायड व निग्रिटो के बीच में है। गुहा व उनसे पहले डी क्वाटरफेगस ने 1977 में यह मत व्यक्त किया था कि निग्रिटो प्रजाति तत्व के लोग भारत के प्राचीनतम निवासी हैं। उन्होंने कहा कि एक निमग्न प्रजाति सबसे पहले शायद मलेशिया की ओर से भारत में आयी थी। श्रीलंका के वेद्वा तथा दक्षिण भारत के कदार, इरुला, कुरुम्बा, आदि में निग्रिटों प्रजातीय तत्व की प्रधानता नजर आती है।

मोहनजोदडों से मिले कंकालों में प्रोटो आस्ट्रेलायड जैसी विशेषतायें पाई गई हैं। बहुत से विद्वानों का यह मत है कि भारत में आस्ट्रेलायड या प्रोटोअस्ट्रेलायड के लक्षण विघमान हैं। यदि भारतीय जनसंख्या में कभी भी निग्रिटों जनजाति का सम्पूर्ण

समावेश हुआ होता तो उत्तरी भारत के लोगों में पर्याप्त मात्रा में निग्रिटों विशेषताएं नजर आनी चाहिए थी। सीरमीय अध्ययनों (सीरो लाजिकल, रक्त सम्बन्धी) से पता चलता है कि जहाँ तक उनके रक्त समूहों का प्रश्न है, भारत की आदिम जातियों में नीग्रो विशेषताए न के बराबर पायी जाती हैं। भारत की आदिम जनजातियों में बी रक्त समूह की प्रधानता बिल्कुल नहीं है, जैसा की निग्रों में देखने को मिलता है। आस्ट्रेलायड में ए–रक्त समूह की प्रधानता पायी जाती है। भारत की आदिम जनजातियों में ए रक्त समूह बहुत पाया जाता है।[28] एक दिलचस्प बात यह है कि भील तथा मुण्डा जनजातियों में निग्रिटों की तरह बी रक्त तो बहुत नजर आता है, लेकिन दूसरे शारीरिक लक्षणों में ये निग्रिटों से कोई मेल नहीं खाते। अभी हाल में मध्य एवं दक्षिण अण्डमान में पायी जाने वाली जारवा जनजाति में रक्त परीक्षण से ये ज्ञात हुआ है कि इनमें भी बी–रक्त वर्ग पाया जाता है, जो इन्हें निग्रिटों मूल के होने का प्रमाण देता है। केवल सीरमीय तथ्यों के आधार पर कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, वह भी ऐसी परिस्थिति में जबकि सीरमीय अध्ययन भी बहुत नहीं हुए हैं। इस दिशा में अभी काफी शोध की आवश्यकता है। वर्तमान ज्ञान के आधार पर केवल यही कहा जा सकता है कि शायद भारत के प्राचीनतम निवासी प्रोटोआस्ट्रेलायड ही थे, जिनमें बीच में कभी अफ्रीकी या निग्रिटो रक्त का मिश्रण भी भारत के किन्हीं भागों, विशेष रूप से दक्षिण भारत एवं अण्डमान द्वीप समूह में हुआ था। अपर्याप्त ज्ञान के कारण इस निष्कर्ष को भी अन्तिम नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी जब तक कोई दूसरे साक्ष्य अपने को सही साबित न कर ले, तब तक यह ही मान्य रहेगा।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप की जनजातीयाँ भी निग्रिटो एवं मंगोलायड मूल की मानी जाती हैं। अण्डमान में पायी जाने वाली चार प्रमुख आदिम जनजातियाँ – जारवा, सेन्टिनलीज,

ओंगी, एवं ग्रेट अण्डमानी सभी निग्रिटो मूल की मानी जाती हैं तथा इनके शारीरिक लक्षण भी निग्रिटो प्रजाति से मिलते–जुलते हैं। इसी प्रकार निकोबार द्वीप में पायी जाने वाली दो प्रमुख जनजातीयाँ– निकोबारी एवं शोम्पेन मंगोलायड मूल की हैं तथा इनमें मंगोलायड प्रजाति के गुण देखने को मिलते हैं।

भारतीय संविधान एवं अनुसूचित जनजातियाँ :

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के स्वीकृत हो जाने एवं भारत के एक लोकतंत्रिक गणराज्य बन जाने के पश्चात विविध प्रकार के जनजातीय समुदायों को स्पष्ट रूप से पहचानने एवं उन्हें सूची बद्व करने की आवश्यकता महसूस की गयी। इस प्रकार भारत के विविध पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में निवास करने वाली तथा विविध नामों जैसे – आदिवासी, आदिमजाति, वनवासी, गिरिजन, आदि से सम्बोधित की जाने वाली सभी आदिम जातियों को सूची बद्व करने का प्रयास किया गया। संविधान की धारा 342 के प्रावधानों के अर्न्तगत राष्ट्रपति ने भारतीय जनज़ातियों की प्रथम सूची जारी की और तभी से इन जनजातियों को "अनुसूचित जनजाति" (Scheduled tribes) के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। संविधान की धारा 342 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समय–समय पर अनेक प्रांतों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की जनजातियों को सूचीबद्व कर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित करने के आदेश जारी किये।[29] अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1959 में सूचीबद्व किया गया। विविध प्रान्तों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के जनजातियों को सूचीबद्व करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा अभी तक 12 अध्यादेश जारी किये गए हैं, जिससे देश की लगभग सभी जनजातियाँ सूचीबद्व हो चुकी हैं।

संविधान में अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षा, संपत्ति, अधिकार, आदि को सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किये गए हैं। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बॉटा जा सकता है – 1. सुरक्षा एवं 2. विकास।

इन संवैधानिक प्रावधानों का संक्षिप्त उल्लेख निम्न है–

1. सुरक्षा संबंधी प्रावधान :

अनुच्छेद 15 (4) : सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक हितों का विकास :

यह अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। परन्तु अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की सुरक्षा हेतु इस अनुच्छेद का खण्ड 4 एक अपवाद प्रदान करता है। यह राज्य को सामाजिक तथा शैक्षिणक रूप से पिछडे वर्ग के नागरिकों अथवा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 46 में लिखित नीति के अनुसार है। जिसके तहत राज्य सरकार को विशेष ध्यान देकर पिछडे वर्ग के लोगो की शैक्षणिक व आर्थिक हितों का विकास करना चाहिए तथा सामाजिक अन्याय से इनकी रक्षा करनी चाहिए। इस खण्ड का समावेश विशेष रूप से किया गया है, ताकी सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्ग के नागरिकों की प्रगति के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गए किसी विशेष प्रावधान को भेदमूलक मान, कानूनी न्यायालयों में चुनौती दिये जाने से रोका जा सके।[30]

अनुच्छेद 16 (4): पदों व सेवाओं में आरक्षण :

अनुच्छेद 16 के खण्ड 1 व 2 में उल्लिखित सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार के प्रति अनुच्छेद 16 (4) एक अन्य अपवाद है। अनुच्छेद 16 का खण्ड 4 केवल उन पिछडे वर्गों के नागरिकों के आरक्षण की अनुमति देता है, जिसका सरकार के विचार से सरकार की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। यह खण्ड सरकार को अपने अधीन सेवाओं में किसी भी पिछडे वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण हेतु अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियाँ व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को नौकरियों में नियुक्तियों के दावों पर प्रशासन की दक्षता के अनुरक्षण के साथ सामन्जस्य कर विचार करेगा, परन्तु अनुच्छेद 16 (4) में इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय इस आधार पर कि यह प्रशासन की कार्यक्षमता के अनुरूप नहीं है, राज्य में किसी विशेष आरक्षण अथवा कुल आरक्षण की मात्रा पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता।[31]

अनुच्छेद 14 व 16 (4) :

इस अनुच्छेद को एसा नहीं समझा जाना चाहिए जिससे ये एक–दूसरे को निरर्थक कर दें। यदि अनुच्छेद 16 (4) के तहत किये गए आरक्षण को किसी यथोचित सीमा में रखा जाता है तो अनुच्छेद 14 का कोई उलंधन नहीं होगा। परन्तु यदि आरक्षण की अधिकता है अर्थात कुल पदों का 50 प्रतिशत से अधिक, तो उन्नत वर्गों के सदस्यों को कानून के तहत बराबरी के अधिकार से वंचित करना माना जायेगा।

अनुच्छेद 15 (4) व 16 (4) :

इन दोनों अनुच्छेदों में, पिछडें वर्गो के हितों की सुरक्षा के प्रावधान हैं, परन्तु जहाँ अनुच्छेद 15 (4) सरकार को अपने सभी क्षेत्रों में पिछड़े वर्गो के प्रति सुरक्षात्मक विभेद प्रदान करने का अवसर देता है, वही अनुच्छेद 16 (4) सरकार के अधीन नौकरियों में विशेष रूप से सुरक्षात्मक विभेद का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 (4) अन्य मामलों, जैसे राज्य के शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से सम्बन्धित है।

अनुच्छेद 19 (5) :— सम्पत्ति में आदिवासियों के हितों की सुरक्षा :

भारत की सम्पूर्ण सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से विचरण एवं आवास तथा संपत्ति के अर्जन व निपटान करने के अधिकार की गारन्टी प्रत्येक नागरिक को है। परन्तु अनुच्छेद 19 (5) के तहत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार विशेष प्रतिबंध लागू कर सकती है।

अनुसूचित जनजातियाँ आर्थिक रूप से पिछडे तथा भोले–भाले निष्कपट लोग होते हैं, जिन्हें चालाक व कपटी लोग आसानी से धोखा दे देते हैं। अतः एसे कई प्रावधान हैं, जिनमें विशेष परिस्थितियों को छोड कर उनकी स्वयं की सम्पत्ति को भी वे हस्तान्तरित नहीं कर सकते। आदिवासियों के स्वयं हित में तथा उनके निजी लाभ के लिए आदिवासी क्षेत्रों या अनुसूचित क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूमने अथवा बसने या सम्पत्ति अर्जित करने के आम नागरिक के अधिकार को प्रतिबंधित करनें के लिए कानून बनाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 320 (4) :

इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 में संदर्भित किसी प्रावधान के सम्बन्ध में अथवा अनुच्छेद 335 के प्रावधानों को प्रभावी रूप दिये जाने के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से सलाह मसविरा करने की आवश्कता नहीं है।

अनुच्छेद 330,332 तथा 334 :

अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया जायेगा। अनुच्छेद 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं में अनुचूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटों का आरक्षण किया जायेगा।

अनुच्छेद 334 के अनुसार, संविधान के आरम्भ होने के 40 वर्षों की अवधि में अर्थात 1990 में इस प्रकार का आरक्षण समाप्त हो जायेगा। आरम्भ में यह संविधान के लागू होने से 10 वर्षों की अवधि के लिए था, परन्तु अनुच्छेद 334 में किये गए संशोधन के अनुसार इसे अगले 30 वर्षों के लिए, अर्थात 1990 के अन्त तक बढ़ा दिया गया है। अब यह फिर संविधान संशोधन द्वारा 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, अर्थात अब यह आरक्षण सन् 2000 के अन्त तक किया गया था लेकिन अब इसे फिर 2000 से भी आगे बढ़ा दिया गया हैं।[32]

अनुच्छेद 335 : आरक्षण की सीमाए :

अनुच्छेद 335 के अनुसार वैसे कोई सीमा नहीं है लेकिन प्रशासन की क्षमता से सामन्जस्य रखते हुए ही केन्द्र व राज्य सरकारों के तहत सेवाओं व पदों में नियुक्तियों के मामले पर

अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 338 : विशेष अधिकारी :

इस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनातियों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है। संविधान के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी सभी मामलों की जॉच करने का दायित्व विशेष अधिकारी का होगा। इन सुरक्षाओं के क्रियान्वयन के बारे में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा दिये गए निदेशानुसार नियत अन्तराल के पश्चात एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होगी। राष्ट्रपति इस प्रकार की सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष पटल पर रखवायेंगे। इस प्रकार के अधिकारी को अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आयुक्त (कमिश्नर) के रूप में नियुक्त एवं पदेन किया गया है।

अनुच्छेद 339 (1) : आयोग की नियुक्ति :

अनुच्छेद 339 (1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय तथा संविधान के आरम्भ होनें से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण पर रिपोर्ट लेने हेतु एक आयोग की नियुक्ति का आदेश दे सकते हैं। इस प्रकार एक मात्र आयोग – अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, 28 अप्रैल 1960 को नियुक्त किया गया था तथा इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1961 में पेश की थी इसके बाद अभी तक इस तरह का आयोग नियुक्त नहीं किया गया है।

हलांकि, संविधान में अनुसूचित जनजातियों कि हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाये गए हैं, किन्तु इन

पर वांछित स्तर तक अमल नहीं हो पाया है। संवैधानिक सुरक्षाओं के असंतोषजनक कार्यान्वयन आदिवासियों में असंतोष का एक प्रमुख कारण है।

2. विकास सम्बन्धी प्रावधान :

अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास संबन्धी प्रावधान मुख्यतः अनुच्छेद 275 (1) तथा 339 (2) में निहित है। संक्षेप में अनुच्छेद 275 (1) का प्रथम उपबन्ध, भारत सरकार के अनुमोंदन से कोई भी राज्य सरकार द्वारा अपने क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढावा देने अथवा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर को राज्य के अन्य क्षेत्रों के सामान्य प्रशासन स्तर तक ऊपर उठाने के उद्वेश्य से चलाई जाने वाली विकास योजना के खर्च की पूर्ति के लिए अनुदान के प्रावधान का उल्लेख करता है। इस अनुच्छेद के अनुपालन में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आवश्यक विशेष योजनाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था का प्रावधान है तथा ये योजनाए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी रूप से चलाई जानी चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं किया जाता है। बिना किसी विशेष योजनाओं के अनुदानों को राज्यों में बॉट दिया जाता है।[33]

अनुच्छेद 339 (2) और भी एक कदम आगे है। इसके तहत केन्द्रीय कार्यपालिका राज्यों को अ0ज0जा0 कल्याण सम्बन्धी निर्देश जारी कर सकती हैं। यह केन्द्रीय कार्यपालिका को, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्देश में विर्निदिष्ट ऐसी योजनाए बनाने तथा क्रियान्वित करनें सम्बन्धी दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। इसके बावजूद भी केन्द्र द्वारा प्रावधानों में प्रद्वत शाक्तियों का न तो अभी तक उपयोग किया गया है और न ही इन पर कोई दिशा–निर्देश जारी किया गया है, बल्कि संवैधानिक उत्तरदायित्व है।

जनजाति : विशिष्ट विकास वर्ग :

भारतीय जनजातियाँ युगों से ही राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग सुदूर पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में न्यूनतम मानवीय दशाओं के अभाव में विशुद्व प्राकृतिक पर्यावरण में जीवन यापन करती रहीं हैं। राष्ट्र की मुख्य विकास धारा से बिलकुल दूर ये जनजातियाँ राष्ट्र के आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का माखौल उड़ाती रहीं हैं। देश के विकास का स्तर चाहे जितना ऊँचा हो जाये लेकिन कोई मानव समुदाय उससे अछूता और अलग रह जाता है तो ऐसा विकास पूर्ण नहीं माना जा सकता है। अतः मानव समाज के सभी वर्गो को विकास की प्रमुख धारा से जोड़ना ही मानवतावादी संपोषणीय विकास का परम लक्ष्य है।[34] पाण्ड़ेय[35] के अनुसार भारतीय जनजातियों की मुख्य समस्या उनके पृथक आदिम जीवन शैली एवं मुख्य धारा के अलगाव से जुडी रही हैं। अतः वे देश के विकास प्रक्रिया हेतु एक अलग वर्ग का निर्माण करते हैं। गुहा के कथनानुसार पूर्ण अलगाव कभी प्रगति ऐवं विकास को जन्म नहीं देता, बल्कि उससे स्थिरता एवं विनाश ही होता है। यदि मानव इतिहास को देखें तो सभ्यता का विकास सदैव विविध मानव वर्गो के मध्य आदान–प्रदान एवं सम्पर्क से जुडा रहा है और यही मानव प्रगति में सर्वाधिक प्रेरक तत्व रहा है। इसीलिए सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीयाँ विकास हेतु एक नई दृष्टि, नई शैली, एवं नई तकनीकी की मॉग करते हैं और यह वर्ग विकास हेतु एक नए वर्ग का निर्माण करता है।

इसी प्रकार शीलू आओ रिपोर्ट[36] में भी देश के जनजातियों की शताब्दियों पुरानी पीड़ा एवं समस्याओं का उल्लेख है। इसके अनुसार सदियों के सामाजिक दमन ने इन जनजातियों में एक कुण्ठा एवं हीन भावना उत्पन्न कर दिया हैं, तथा अब इन्होनें अपने पर भी विश्वास खो दिया है। इस मनोवैज्ञानिक अवरोध को दूर करनें तथा मैदानी क्षेत्रों के लोगों के समान जीवन यापन करने हेतु उनमें एक विश्वास एवं भावना पैदा करने में काफी समय लगेगा। इन जनजातियों में भी कुछ सर्वाधिक पिछडे हैं जिनकों विकास का पूर्ण लाभ देने हेतु उन्हें विकास प्रक्रिया में एक अलग वर्ग के रूप में निर्धारित करना पडेगा। नाग[37] एवं सक्सेना[38] ने मध्य भारत के विविध जनजातियों की अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अपने अध्ययनों में यह स्थापित किया है कि आज भी अधिकांश जनजातियाँ प्राथमिक व्यवसायों जैसे— शिकार, मत्स्यायन, एकत्रण, आदिम कृषि, एवं पशुचारण पर आधारित हैं। उनकी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था गतिहीन एवं आदिम जीविकोपार्जन प्रकार की है, जो उन्हें वर्ष पर्यन्त मात्र खाध पदार्थों के संकलन में ही संलग्न किये रहती है। रमैइया[39] नें वारंगल जिले की कोया जनजाति की अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अपने अध्ययन में भूमि, ऋण एवं विपणन सम्बन्धी उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है तथा उनके विकास हेतु एक अलग नियोजन नीति एवं प्रक्रिया की मॉग की है। गुजरात की जनजातीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए विमलशाह[40] ने भी कहा है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था आज भी सभी दृष्टियों से स्थिर बनी हुई है। अतः इसे मुख्य धारा में लाने हेतु एक पृथक विकास नीति जो इनके परिवेश एवं जीवन शैली के अनुकुल हों, का निर्माण आवश्यक है। डा0 मिश्र[41] के अनुसार जनजातीय जीवन एवं अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्रमुख समस्याओं में सामान्य पिछडापन, गरीबी, मुद्राविहीन अर्थव्यवस्था, न्यूनतम उत्पादन, रूढ़िवादी एवं पिछडी कार्यविधियाँ,

ऋणग्रस्तता, शोषण, आधुनिक सुविधाओं का आभाव आदि प्रमुख है, जो देश के अन्य क्षेत्रों के गैर जनजातीय समुदाय से पूर्णतः भिन्न है। अतः ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा में जोड़ने हेतु उन्हें एक पृथक वर्ग के रूप में देखना पड़ेगा साथ ही एक अलग नियोजन नीति को अपनाना पड़ेगा। हसनैन[42] के अनुसार जनजातियों की विविध समस्यों के समाधान हेतु किसी समय सीमा का निर्धारण वांछनीय नहीं है। क्योंकि इनकी समस्यायें अलग हैं तथा इन्हे समाधान भी अलग से ही चाहिए। इस समाधान को एवं विविध विकास कार्यक्रमों को ये कितनी जल्दी आत्मसात एवं स्वीकार करेंगें ये समय सीमा द्वारा नहीं आँका जा सकता। अतः इस ओर समय सीमा रहित निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है।

जनजातीय विकास :– नीतिगत विषय :

भारतीय जनजातियों के विकास के सम्बन्ध में समय समय पर मानव विज्ञानी, समाज शास्त्री, समाज सुधारक, नियोजक एवं नेतागण अपना मत प्रस्तुत करते रहे हैं। स्वतन्त्रता के पूर्व जनजातियों के विकास सम्बन्धी कोई स्पष्ट नीति तो नहीं थी, लेकिन अनेक समाज सुधारकों जैसे गॉधी जी, ठक्कर बापा, आदि ने जनजातियों के विकास हेतु तत्कालीन सरकारों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनके सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु गैर तकनीकी एवं गैर वैज्ञानिक, मानवतावादी नीति अपनाने पर बल दिया। इस हेतु अनेक बार आन्दोलन भी हुए। ठक्कर बापा ने भी एक ऐसे ही आन्दोलन की अगुवाई की थी। ब्रिटिश शासन काल से ही इसाई धर्म प्रचारक भी समय–समय पर अनेक जनजातीय क्षेत्रों–विशेष रुप से उत्तरी–पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र में धर्म प्रचार हेतु जनजातियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराते रहे। इन धर्म प्रचारकों में जनजातीयों के

सामाजिक आर्थिक उत्थान में काफी सहयोग किया। ब्रिटिश शासन काल में पर्वतीय एवं जंगली जनजातीय क्षेत्रों के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों के दोहन करने हेतु अनेक विकास कार्यक्रम जैसे सडकों का निर्माण, जलापूर्ति, प्रशासनिक संस्थायें, शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थायें आदि स्थापित किए गये। लेकिन इन सबका मूल उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के संसाधनों का शोषण करना था, न कि उनका विकास एवं उत्थान। इन क्षेत्रों में जनजातियों के विरोधी आन्दोलन के कारण उनके लिए भी कुछ सुविधाएं प्रदान कर दी जाती थी लेकिन उसके लिए कोई स्पष्ट विकास नीति नहीं थी।

लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी दृष्टिकोण में एक मौलिक परिवर्तन आया। तब तक उपलब्ध विविध जनजातियों से सम्बन्धित सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर स्वतन्त्र भारत की सरकार ने जनजातियों को एक पृथक विकास वर्ग के रुप में स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही उनके न्यूनतम मानवीय दशाओं एवं पृथकत्व के सन्दर्भ में एक नई नियोजन एवं विकास नीति के निर्माण का निर्णय लिया गया। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरु की जनजातीय लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। उन्होंने स्वतः रुचि लेकर जनजातियों के विकास हेतु एक नई विकास नीति निर्धारित करने एवं उसके सफल क्रियान्वयन करने पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आदि विविध क्षेत्रों के विकास हेतु स्पष्ट एवं प्रभावशाली कार्यक्रम बनाये जाने चाहिये। इस प्रकार पंडित नेहरु ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने जनजातीय विकास नीति को प्रथम बार एक स्वरुप देने का प्रयास किया। उन्होंने सम्पूर्ण जनजातीय विकास एवं नियोजन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित पॉच सिद्वान्त बताये जिस पर आज तक सभी सरकारें अमल करती आ रही हैं, और आज

तक ये सिद्वान्त नीतिनिदेशक तत्व के रुप में जनजातीय विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सिद्वान्त निम्नवत् हैं।

1. जनजातीय लोगो को अपनी प्रतिभा एवं प्रवृति के अनुरुप ही विकसित किया जाना चाहिए तथा उन पर किसी चीज को उपर से नहीं थोपना चाहिए। हमें सभी प्रकार से उनकी पारम्परिक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए।
2. उनकी भूमि एवं जंगलों पर जनजातियों का ही निर्विघ्न अधिकार स्थापित कराना चाहिए तथा किसी प्रकार के अतिक्रमण को प्रभावशाली ढंग से हटाने में सहयोग करना चाहिए।
3. हमें उनके प्रशासन एवं विकास हेतु उन्हीं लोगो का एक समूह बनाना चाहिए तथा उसे पूर्ण रुप से शिक्षित एवं दीक्षित करना चाहिए। इस कार्य हेतु कुछ बाहरी तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता निःसंदेह होगी, विशेष रुप से प्रारम्भ में लेकिन हमें उनके क्षेत्र में एकाएक अनेक बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं दिलाना चाहिए।
4. हमें न तो उन पर आवश्यकता से अधिक प्रशासनिक नियंत्रण रखना चाहिए और न ही विकास कार्यक्रमों की भरमार होने देनी चाहिए। इस प्रकार हमें उनके विरोध में नहीं बल्कि उनके सामाजिक एवं संस्कृतिक संस्थाओं के सहयोग से उनके विकास के लिए कार्य करना चाहिए।
5. हमें उनके क्षेत्रों में किए गये विकास कार्यक्रमों के परिणाम को सांख्यिकीय आँकड़ों एवं खर्च किए गये धन के सन्दर्भ में नहीं आँकना चाहिए, बल्कि कार्यक्रमों द्वारा विकसित हुए मानव चरित्र के गुणात्मक स्तर के सन्दर्भ में मूल्यांकन करना चाहिए।

इस प्रकार पंडित नेहरु ने जनजातीय विकास प्रक्रिया में सहानुभूति एवं मानवतावादी नीति को अपनाने पर बल दिया,

जिसका अनुसरण आज तक परवर्ती सरकारों ने किया। इसी दृष्टिकोंण का समर्थन करते हुए पाण्डेय[43] ने भी जनजातीय समस्याओं को सुलझाने हेतु बडी ही सावधानी बरतने का सुझाव दिया। उनके अनुसार निम्न तीन सूत्र हैं।

1.बिना शोषण के विकास।

2. बिना आरोपण के समन्वय।

3.बिना विनाश के सम्मेल।

पंडित नेहरु के आधार पर इन्होंने भी जनजातीय विकास लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु ऐसी सारी सावधानी बरतने का सुझाव दिया है जिससे उनके जीवन की समरसता भंग न हो।

जनजातीय विकास योजनायें :

विघार्थी[44] के अनुसार जनजातीय विकास से सम्बन्धित किसी भी प्रभावी सामरिक योजना को प्रत्यक्ष रुप से निम्नांकित कारकों पर आधारित होना चाहिए। 1.पारिस्थितिकीतंत्र 2. पारम्परिक अर्थव्यवस्था 3. अलौकिक विश्वास एवं व्यवहार 4. अभिनव प्रभाव। इन चारों आधारों पर उन्होंने भारतीय जनजातियों कों छः प्रकारों में विभाजित किया। ये हैं– 1. जंगली शिकारी प्रकार 2. आदिम पहाड़ी कृषि प्रकार 3. मैदानी कृषि प्रकार 4. सरल कारीगर प्रकार 5. चरवाहा एवं पशुपालक प्रकार 6. नगर उघोग श्रमिक प्रकार। इन छः प्रकारों के जनजातियों हेतु इन्होंने उनके कार्य एवं पर्यावरण के अनुकूल पृथक योजना बनाने पर बल दिया। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में एक रैखिक–प्रशासन वाले विकास प्राधिकरण, सम्पूर्ण विकास कार्यक्रमों की जटिलता एवं अनेकता को दूर रखने तथा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का भी सुझाव दिया। उनके अनुसार उपरोक्त नीति को अपनाने से ही जनजातीय विकास सम्भव हो सकता है।

राय वर्मन[45] ने जनजातीय विकास सम्बन्धित सामरिक योजना को मानवशास्त्री उपागम के आधार पर संचालित करनें का सुझाव दिया है। इसके अर्न्तगत उन्होने प्रमुख रुप से दो आधार निर्धारित किए। प्रथम जनजातीय विकास सम्बन्धी योजना नीति एवं द्वितीय कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रम। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत इन्होंने पॉच तत्वों – 1. जनजातीय कल्याण एवं विकास क्रियाकलापों का क्षेत्र 2. जनजातीय कल्याण एवं विकास क्रियाकलापों का राष्ट्रीय विकास योजना के साथ समन्वय 3. सरकार एवं संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका 4. स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एवं 5. जनजातीय संस्थाओं की भूमिका, को सम्मिलित किया है। इसी प्रकार द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत भी इन्होंने पॉच प्रमुख तत्वों को रखा है ये हैं– 1. न्यूनतम आवश्यकता की आपूर्ति 2. उत्पदक संसाधानों का नियंत्रण एवं प्रबन्धन 3. पर्याप्त रोजगार सृजन 4. विकास प्रक्रिया में जनसंख्या के विस्तृत सहभागिता एवं 5. राष्ट्रीय अखण्डता के सामाजिक संस्कृतिक एवं राजनैतिक पहलुओं पर बल देना इस प्रकार राय बर्मन ने उपरोक्त दसों तत्वों को जनजातीय विकास योजना का मूल एवं नीतिगत आधार बताया है। भारत में जनजातीय विकास योजना एवं कार्यक्रमों में उपरोक्त तत्वों को स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है।

स्वतंत्रता के पश्चात अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जनजातीय कल्याण एवं विकास हेतु विविध योजनायें एवं कार्यक्रम संचालित किये गये। यद्यपि ये पूर्ण रुप से जनजातीय विकास से सम्बन्धित नहीं थे, फिर भी इनमें जनजातीय कल्याण एवं विकास हेतु पर्याप्त प्रावधान किये गये थे। उदाहरणार्थ प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951), सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952), पंचायती राज कार्यक्रम (1958), आदि किसी न किसी रुप में जनजातीय विकास से जुडे रहे । साथ ही 1956 में एल्विन समिति एवं 1960 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग जिसे सामान्यतः ढ़ेबर

आयोग के नाम से जाना जाता है, ने भी जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं का गहरा अध्ययन किया और उनके कल्याण एवं विकास हेतु सरकार के समक्ष अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। इससे जनजातीय क्षेत्रों एवं लोंगो के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, लेकिन जनजातीय कल्याण एवं विकास के सम्बन्ध में सर्वप्रथम प्रभावी एवं क्रमबद्व प्रयास 1955 में विशिष्ट बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्ड (Special Multipurpose Tribal Development Blocks) के रुप में हुआ। तब से लेकर आज तक विविध योजनाओं के अन्तर्गत सरकार ने जनजातीय विकास हेतु अनेक कार्यक्रम एवं योजनायें संचालित किया है, जिसका सम्यक एवं क्रमबद्व अध्ययन निम्नलिखित चार प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

1. विशिष्ट बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्ड (Special Multipurpose Tribal Development Block.)
2. जनजातीय विकास खण्ड (Tribal Development Block.)
3. जनजातीय उप–योजना एवं समन्वित जनजातीय विकास परियोजना (Tribal Sub-Plan and Integrated Tribal Development Project.)
4. बहुउद्देशीय वृह्त समितियाँ (Large Sized Multipurpose Societies.)

1–विशिष्ट बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्ड :

इन जनजातीय विकास खण्डों की स्थापना सर्वप्रथम 1955 में हुई तथा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया को तीब्रतर करने हेतु 1956 में विविध राज्यों में 43 जनजातीय विकास खण्डों की स्थापना की गयी । यह विकास खण्ड योजना केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं सामुदायिक विकास योजना द्वारा प्रवर्तित की गयी थी तथा

इसके क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार के उपर छोड दिया गया था। यह योजना सामान्य विकास खण्ड योजना से निम्नलिखित बिन्दुओं पर भिन्न थी।[46]

1. विकास कार्यक्रमों का सघन स्वरुप।
2. आवृत क्षेत्र एवं जनसंख्या अपेक्षाकृत कम।
3. जनता का योगदान न्यूनतम मात्र अकुशल श्रमिकों तक सीमित।
4. ऋण अनुदान के रुप में।
5. कुशल एवं दीक्षित कर्मचारियोंकी नियुक्ति।

इसके अन्तर्गत अनेक केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित योजनायें संचालित की गयी, जिनका परिणाम वांछित स्तर से नीचे रहा । अतः इसे और प्रभावशाली बनाने तथा इसकी कमियों को दूर करने हेतु वेरियर एल्विन समिति की स्थापना की गयी, जिसकी संस्तुति के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर पुनः कार्य प्रारम्भ हुआ।

2– जनजातीय विकास खण्ड योजनाः

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) में प्रथम बहुउद्देशीय विकास खण्ड योजना के असफल हो जाने के बाद उसे संशोधित कर सामुदायिक विकास खण्ड योजना के आधार पर इस योजना को संचालित किया गया । इसका लक्ष्य सघन कार्यक्रमों द्वारा जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर में तीव्र सुधार ले आना था। सर्वप्रथम यह योजना एक लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, लेकिन बाद में 25 हजार की जनसंख्या एवं दो सौ वर्ग मील क्षेत्रफल वाले भागों में भी लागू की गयी। यह योजना मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उडीसा, आदि राज्यों में लगभग चार सौ चौरासी विकास खण्डों में लागू की गयी। साथ ही इसके लाभ को ग्राम्य क्षेत्रों तक पहुँचाने

तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु इस कार्यक्रम को जन प्रतिनिधियों से भी जोडा गया। इसके अलावा सरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों को जोडने तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु "विकास केन्द्रों" की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। इसके अन्तर्गत विविध कार्यक्रमों हेतु आवंटित धन में 60% आर्थिक कार्यक्रमों पर, 25% संचार व्यवस्था पर, एवं 15% सामाजिक सेवाओं पर खर्च होना था। पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए संचार कार्यक्रमों को अधिक वरियता दी गयी थी। आर्थिक कार्यक्रमों हेतु 50–75% तक सरकारी अनुदान की व्यवस्था की गयी थी। शेष भाग सम्बन्धित व्यक्ति को स्वंय लगाने का प्रावधान था। ये सभी प्रकार के विकास कार्यक्रम कृषि विकास, पशुपालन, कुटीर एवं लघु उघोग, शिक्षा तथा नारी एवं बच्चों के विकास से सम्बन्धित थे। साथ ही ये कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों द्वारा पारस्परिक सहयोग द्वारा संचालित होने थे। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत 9 प्रकार के तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत 18 प्रकार के कर्यक्रमों को सूचीबद्व कर उन्हें ऐसे विकास खण्डों में संचालित किया गया। लेकिन विघार्थी के कार्यदल की आख्या के अनुसार यह योजना भी वांछित स्तर से काफी दूर रही तथा जनजातीय क्षेत्रों एवं लोगों में अपेक्षित परिवर्तन नहीं उत्पन्न कर सके।[47]

3–जनजातीय उप–योजना एवं समन्वित जनजातीय विकास परियोजना :

पूर्ववर्ती दोनों योजनाओं के विफल हो जाने एवं वांच्छित स्तर का परिणाम न देने के कारण पॉचवीं पंचवर्षीय योजना में अलग–अलग जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं पर

ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया। सामान्यतया जनजातियों से सम्बन्धित ऐसे दो प्रकार के क्षेत्र माने गये – 1. सघन जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्र एवं 2. प्रविकीर्ण जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। इस प्रकार इन दोनों क्षेत्रों की समस्याएं अलग होने के कारण इनके लिए अलग विकास उपागम अपनाने की आवश्यकता महसूस की गयी। इसी को ध्यान में रखते हुए जनजातीय उपयोजना की संकल्पना, जो कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक उपागम है को अमल में लाया गया। उपरोक्त दो क्षेत्रों के अलावा इस उप–योजना के अन्तर्गत ऐसे जनजातीय क्षेत्रों को भी रखा गया, जहाँ पर कृषि अवस्था के पूर्व की आदिम जनजातियाॅ निवास करती थी। ऐसे क्षेत्रों को विशिष्ट वर्ग में रखा गया है।

उप–योजना के अन्तर्गत विविध प्रकार की परियोजनायें एवं कार्यक्रम विविध क्षेत्रों हेतु निर्धारित किये गये, जिन्हें समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के नाम से सम्बोधित किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत उस क्षेत्र एवं वहाँ के लोगों के विशिष्ट समस्याओं को केन्द्र में रखते हुए समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनाने एवं क्रियान्वित करने का प्रावधान भी किया गया। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे–

1. जनजातीय वर्गों के शोषण एवं प्रताडना का उन्मूलन करना।
3. उनके सामाजिक आर्थिक विकास के गति को तेज करना।
4. जनजातीय समूहों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार ले आना।
5. जनजातीय क्षेत्रों एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों के मध्य विकास असन्तुलन को न्यूनतम बनाना।

इस प्रकार जनजातीय उप–योजना, जनजातीय लोगों एवं क्षेत्रों के समग्र विकास से सम्बन्धित प्रथम सरकारी प्रयास था। इसके अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं हेतु वंचित

वित्तीय संसाधन विविध स्रोतों– 1. राज्य योजना व्यय 2. केन्द्रीय मंत्रालयों के व्यय 3. विशिष्ट केन्द्रीय सहायता एवं 4. संस्थात्मक वित्त से प्राप्त होने का प्रावधान था। इस योजना के अन्तर्गत विविध नीतिगत तत्वों में – 1. शोषण से बचाव 2. जनजातीय अर्थव्यवस्था का विकास 3. रोजगार अवसरों का सृजन 4. आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान 5. विशिष्ट वर्ग की समस्ययाएं आदि प्रमुख हैं। जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत नियोजन एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पदानुक्रम – लघु, मध्यम, एवं बृहद को स्थापित करने की योजना थी। लघुस्तर पर एक विकास खण्ड, मध्यम स्तर पर तीन से पाँच पड़ोसी विकास खण्डों को मिलाकर एवं बृहद स्तर पर एक बड़ी जनजातीय पेटी को सम्मिलित किया गया, तथा इन तीनों स्तरों पर इन स्तर के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं, समाजिक आर्थिक वाणिज्य आदि सम्बन्धी क्रिया–कलापों को स्थापित करने का भी प्रावधान था।[48] अनेक व्यवहारिक, प्रशासनिक, राजनैतिक एवं वित्तीय समस्याओं एवं अवरोधों के बावजूद विविध पंचवर्षीय योजनाओं से होते हुए अब यह उप–योजना दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रविष्ट होने जा रही है। इसके कारण जनजातीय क्षेत्रों एवं लोगों के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में काफी सुधार हुआ है। कुछ क्षेत्रों में उपरोक्त समस्याओं एवं अवरोधों के कारण वांच्छित परिणाम नहीं आये हैं। लेकिन अब उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

4. बृहद–बहुउद्देश्यीय समितियाँ :

विविध जनजातीय समूहों की अनेक आवश्यकताओं का एकमुश्त समाधान एवं आपूर्ति करने की दृष्टिकोण से देश में ऐसी सहकारी समितियों की स्थापना 1974 से की गयी है। ये समितियाँ जनजातीय विकास कार्यक्रमों के ऋण एवं विपणन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ये समितियाँ मूल रूप से जनजातीयों

से ही सम्बन्धित हैं तथा इनके निदेशक मण्डल में जनजातीय लोग ही होते हैं। सरकार समय–समय पर इनके लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराती रही है। छठवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर आजतक विविध कार्यक्रमों के अर्न्तगत अनेक योजनाए सम्मिलित की गयी हैं। ये कार्यक्रम निम्नवत् हैं–

1. सुरक्षात्मक उपाय 2. कृषि एवं वन सम्पदा सम्बन्धी कार्यक्रम 3. पशुपालन कार्यक्रम 4. सिंचाई योजनाएं 5. संचार व्यवस्था 6. विधुत आपूर्ति 7. औधेगिक विकास 8. विशिष्ट कार्यक्रम 9. पृथक लघु जनजातीय वर्गों सम्बन्धी कार्यक्रम 10. शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम 11. लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम 12. प्रशासन एवं स्वैछिच्क संस्थाओं सम्बन्धी कार्यक्रम।

इस प्रकार इन बहुउद्देश्यी समितियों ने उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

साहित्य समीक्षा :

एक विशिष्ट मानव वर्ग होने के कारण जनजातियों का अध्ययन मानवशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, नियोजको, एवं प्रशासको के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात तो अनेक विद्वानों नें देश के विविध पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में निवास करनें वाली जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में अनेक शोध एवं अध्ययन प्रस्तुत किये हैं, जिनमें कुछ मुख्य विद्वानों के योगदान का उल्लेख संक्षिप्त में किया जा रहा है।

1958 में डी0एस0नाग[49] ने सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के वैगा जनजाति की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। 1956 में एल्विन समिति एवं 1960 में अनुसूचित क्षेत्र

तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे ढ़ेबर आयोग के नाम से जाना जाता हैं, ने भी जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं का गहन अध्ययन करते हुए सरकार के समक्ष अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत किया। 1955 में सरकार द्वारा विशिष्ट बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास खण्ड योजना देश के 43 विकास खण्डों में लागू की गयी, जबकि 1961 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास खण्ड योजना संचालित की गयी। 1961 में भी भारत सरकार ने हिमांचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कोठी गाँव तथा चम्बा जिले के मंगल गाँव के संसाधनों, आय, ऋण ग्रस्तता, आदि से सम्बन्धित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक दशा का सर्वेक्षण कराया। 1964 में सक्सेना[50] ने मध्य प्रदेश की पश्चिम पहाड़ियों की जनजातियों का आर्थिक सर्वेक्षण किया। जबकि 1963 में विधार्थी[51] ने मालेर जनजाति की कृषि अर्थव्यवस्था का विशद विवरण प्रस्तुत किया। राय[52] ने 1967 में जनजातियों की अर्थव्यवस्था पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, जबकि विमल शाह[53] ने इसी वर्ष गुजरात के जनजातियों की अर्थव्यवस्था पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया।

श्रीवास्तव एवं सिंह[54] ने (1970) भारतीय जनजातियों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए कहा कि इनका विकास संचार, शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित है वर्मन एवं शर्मा[55] ने 1970 में भारतीय जनजातियों के अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि जनजातियाँ आज भी आदिम कृषि पर आधारित हैं तथा अधिकांशतः स्थानान्तरणशील कृषि किया करते हैं। आरम[56] ने 1972 में नागालैण्ड की जनजातियों तथा भाटी एवं अन्य (1972) ने नैनीताल तराई क्षेत्र के जनजातियों के जीवन स्तर एवं विकास गति पर अपना शोध प्रस्तुत किया। गोपाल[57] ने 1983 में आन्ध्र प्रदेश के बस्तर जिले की जनजातियों का अध्ययन करते हुए यह बताया कि उनमें आज भी आदिम कृषि व्यवस्था प्रचलित हैं तथा आधुनिक कृषि तकनीकी का प्रयोग नहीं के बराबर है एग्रो

एकोनामिक रिसर्च सेन्टर ने 1973 में आन्द्र प्रदेश के तिजांगी जनजाति, 1974 में राजस्थान की जावर जनजाति तथा 1975 में मध्य प्रदेश के छिंदवाडा जिले की जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित अपना बृहत विश्लेषण प्रस्तुत किया। इस सर्वेक्षण में उनके विकास से सम्बन्धित कुछ सुझाव भी दिये गए। पटेल[58] ने 1972 में मान्धा जनजाति की कृषि अर्थव्यवस्था तथा 1974 में भारतीय जनजातियों के परिवर्तनशील भूमि समस्याओं पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। राघवैइया[59] ने 1976 में आन्ध्र प्रदेश की जनजातीय क्रान्तियों से सम्बन्धित अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। चौधरी एवं भट्टाचार्या[60] ने बिहार के सिंहभूमि क्षेत्र में जनजातीय विकास अभिकरण के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों का तथ्यात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया। नायडू[61] ने उडीसा की जनजतियों के सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर बढ़ते हुए औधोगीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया, जबकि दधीचि[62] ने 1977 में भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजातियों पर अपना सामान्य अध्ययन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार चाँन्दा[63] ने उडीसा के गुनोपुर विकास खण्ड की पाँच जनजातियों की ऋणग्रस्तता पर अपना सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। त्रिपाठी[64] ने 1978 में नवपुर विकास खण्ड की जनजातियों की संस्कृति एवं रीतिरिवाजों तथा उनके न्यून जीवन स्तर एवं गरीबी पर अपना आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और उनके विकास हेतु संस्तुतियाँ प्रदान की। आप्टे[65] ने 1976 में महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के पन्द्रह गाँवों के संसाधन, रोजगार, आय, एवं संस्थात्मक प्रतिरूपों का आलोचनात्मक विविरण प्रस्तुत किया। जबकि शर्मा[66] ने 1978 में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के पाँच विकास खण्डों की जनजातियों पर विकास नियोजन के प्रभावों का मूल्यांकन किया। रायप्पा एवं ग्रोवर[67] ने 1979 में भारतीय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि इनमें

साक्षरता एवं संपत्ति दोनों अत्यन्त न्यून है तथा अधिकांशतः पारम्परिक क्रिया कलापों से ही जीवन यापन करते हैं।

1980 के दशक में जनजातीय अध्ययनों में अधिक सघनता एवं विस्तार आया। विविध विद्वानों ने भारत के अनेक क्षेत्र की जनजातियों के अनेक पहलुओं का अध्ययन लघु स्तर पर विकास नियोजन के दृष्टिकोण से किया। प्रकाश[68] ने 1980 में केरला में विना जनजातियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि ये अधिकांशतः बेरोजगार हैं, लेकिन सरकारी प्रयासों से अब इनमें दो–तीन प्रतिशत रोजगार प्राप्त किये हुए हैं। यादव एवं मिश्रा[69] ने 1980 में मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की जनजातियों के रोजगार आय एवं सम्पत्ति पर जनजातीय विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का आँकलन किया। हनुमंत एवं ग्रोवर[70] ने भी 1980 में जनगणना आँकडों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 1961 की अपेक्षा 1971 में जनशक्ति एवं सहभागिता दर सामान्य जनसंख्या एवं अनुसूचित जनसंख्या दोनों में कम थी। रमैया[71] ने 1981 में आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले के तीन विकास खण्डों के 408 जनजातीय परिवारों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 68% परिवार अभी भी ऋणग्रस्त हैं। राव[72] ने 1981 में कर्नाटक के तुमकुर जिले की जनजातियों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र में उनका हिस्सा मात्र 10% हैं, जबकि उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है इसी प्रकार देशपाण्डेय[73] ने 1982 में महाराष्ट्र के थाना जिले के 153 परिवारों का अध्ययन कर उनके उपयोग प्रतिरूप, भोजन आवश्यकता क्रिया कलाप एवं स्वास्थ्य दशाओं आदि पर विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। रंजनी[74] ने 1981 में आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना जिले की लाम्बदा जनजाति के सामाजिक आर्थिक पहलू का अध्ययन किया तथा सिंह[75] ने भी 1981 में उड़ीसा के कालाहॉड़ी जिले की जनजातियों के अध्ययन से उनके मध्य कृषि भूमि के वितरण का परीक्षण किया। हसनैन[76] ने 1983 में भारतीय

जनजातियों पर एक पूर्ण पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमें जनजातियों की संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि, प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, प्रजातीय वर्गीकरण जनजातीय समस्याए तथा उनके कल्याण एवं विकास सम्बन्धी अनेक पहलुओ पर विशद विवेचना प्रस्तुत किया गया। पती[77] ने 1984 में पाँच गाँवों के एक हजार पैतालिस घरों के अध्ययन से जनजातीय कृषकों के भूमि स्वामित्व को अत्यन्त विषम बताते हुए उनके मध्य भूमि के पुनरवितरण पर बल दिया। गुप्ता[78] ने 1984 में त्रिपुरा की जनजातियों के उपभोग प्रतिरूप के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि नीचे की 20% जनजाति में सम्पूर्ण उपभोग का 11%, जबकि ऊपर के 20% में सम्पूर्ण उपभोग का 30% है नारायण और कुमार[79] ने 1983 में जनजातीय विकास सम्बन्धी अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि विविध आर्थिक राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारणों से उन्हें विकास का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। गोरी[80] ने 1984 में मणिपुर के जनजातीय क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। बोस[81] ने 1985 में पश्चिमी बंगाल के पाँच जिलों के 10 विकसित तथा 10 पिछडे गाँवों का अध्ययन कर यह बताया कि लगभग 34% जनजातीय लोग भूमिहीन हैं, 28% के पास 1 एकड़ से कम, एवं 25% के पास 3 एकड से कम भूमि है कुन्हामन[82] 1985 में केरला के पहाड़ी जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की अर्न्तप्रदेशीय विविधता का अध्ययन किया। हनुमंत एवं मुथुरायप्पा[83] ने 1986 में कर्नाटक के 10 जिलों की जनजातीय जनसंख्या के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि इनमें अधिकांश भूमिहीन हैं। लेकिन जो भूमिधर हैं उनेक पास भी 1 एकड से कम है रायाप्पा एवं मुथुरायप्पा[84] ने 1986 में कार्नाटक के 10 जिलों के अपने जनजातीय अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि 90 प्रतिशत लोगों के पास 50 रूपये प्रति माह से कम की आय है ठाकुर[85] नें 1986 में बिहार के संथाल जनजाति के अध्ययन से यह स्थापित किया कि इनकी आय का सम्पूर्ण भाग मात्र न्यूनतम आवश्यकताओं की

पूर्ति में खर्च हो जाता है शेष कार्यों के लिए कुछ बचता ही नहीं। बोस[86] ने 1986 में केरला की जनजातियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लागू होने के पश्चात् भी जनजातियों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आया है गुप्ता[87] नें 1986 में पश्चिमी बंगाल के बीरभूमि जिले की जनजाति पर समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के प्रभाव का अध्ययन किया और कहा कि इसके अर्न्तगत सिंचाई सुविधाओं का लाभ सर्वाधिक गैर जनजातीय लोगों को हुआ है हुसैन[88] ने 1987 में आसाम के जनजातियों के सामाजिक आर्थिक दशा पर विकास प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन किया तथा बताया कि विकास कार्यक्रमों से सामाजिक आर्थिक विषमता के बढ़ने के साथ ही साथ जाति, धर्म, भाषा आदि के भेद भी काफी तीव्र हुए। स्वरूप एवं भाटी[89] ने उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के जीवन स्तर एवं विविध समस्याओं का विशद अध्ययन प्रस्तुत किया। महापात्र[90] ने 1987 में उड़ीसा के कोरापूत जिले की 373 जनजातीय गृहों के अध्ययन से यह बताया कि जनजातीय ऋणग्रस्तता आदिम जीवन सामाजिक बिखराव एवं विपणन के आभाव का परिणाम है रामामनी[91] ने 1988 में आन्ध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिले की जनजातीयों की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं एवं सम्भावनाओं का परिक्षण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विकास नियोजन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। हसनैन[92] ने 1991 में अपनी पुस्तक भारतीय मानव शास्त्र में भारतीय जनजातियों के विविध पक्षों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। जबकि मजुमदार एवं मदान[93] ने अपनी पुस्तक "सामाजिक मानव शास्त्र परिचय" में भारतीय जनजातियों के प्रजातीय, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विशुद्व विवेचन किया। इसी प्रकार एस0सी0 दूबे[94] ने 1993 में अपनी पुस्तक "मानव संस्कृति" के माध्यम से जनजातियों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। गुप्ता एवं शर्मा[95] ने 1995 में भारतीय

जनजातियों की विविध पक्षों का सम्यक विश्लेषण किया। आनन्द भूषण[96] एवं अन्य ने 1999 में भारतीय जनजातियों के विविध पक्षों पर एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया।

समस्या कथन :

वर्तमान समय में भौगोलिक अध्ययन एवं शोध में मानवतावादी दृष्टिकोण एवं उपागम अपनाने पर बल दिया जा रहा है। भारतीय जनजातीयाँ देश के सम्पूर्ण मानव जनसंख्या का एक अभिन्न अंग हैं। सम्पूर्ण देश एवं समाज के विकास के साथ जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। भारत वर्ष सदैव से ही गाँधी एवं नेहरू द्वारा प्रवर्तित पंचशील एवं अन्त्योदय के सिद्वान्त का अनुयायी रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के अनुसार भारत एवं भारत की जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं और जब तक देश के अन्तिम व्यक्ति का उत्थान नहीं हो जाता, तब तक हमारे सामाजिक आर्थिक विकास की उपलब्धि अपूर्ण रहेगी। साथ ही भारतीय दर्शन एवं चिंतन भी प्रचीन काल से मानव केन्द्रित रहा है। सम्पूर्ण भौतिक एवं अध्यात्मिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु एवं परम लक्ष्य मानव ही रहा है, अस्तु मानव का सर्वागीणं विकास ही सही अर्थों में सम्पूर्ण देश एवं समाज का विकास है, इस दृष्टिकोण से जनजातियों का अध्ययन एवं शोध अति महत्वपूर्ण है।

भूगोल विषय भी मानव केन्द्री है तथा यह धरातल का अध्ययन मानवगृह के रूप में करता है ऐसा धरातल जो निर्जन हैं एवं मानव के लिए उपयोगी नहीं है, उससे भूगोल का कोई सरोकार नहीं है मानव जिस–जिस क्षेत्र में पाया जाता है– चाहें वे ध्रुवीय वर्फाच्छादित क्षेत्र हो या पर्वतीय ढाल, जंगल अथवा नदियों के मैदान, वे सभी भौगोलिक अध्ययन हेतु उपयोगी हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले मानव महानगरीय क्षेत्रों की तरह चाहे पूर्ण विकसित हों अथवा

पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों की तरह आदिम अवस्था में हों, भूगोल दोनों के अध्ययन में समान रूचि लेता है। भूगोल में मानव शब्द का अर्थ एक मानव से नहीं, बल्कि मानव समुदाय एवं मानव समाज से होता है। अतः धरातल पर विविध क्षेत्रों में पाये जाने वाले जनजातीय समूह भौगोलिक अध्ययन एवं शोध के अभिन्न अंग हैं। इस दृष्टिकोण से भी जनजातियों का अध्ययन भूगोल में एक विशिष्ट स्थान रखता है।

विविध क्षेत्रों एवं पर्यावरण दशाओं में रहने वाले विविध मानव समूह अपनी शक्ति, चयन, ज्ञान—विज्ञान एवं तकनीकी के आधार पर अपने पर्यावरण से अनेक स्तर के समानुकूलन एवं सामान्जस्य स्थापित किये है। मानव भूगोल मानव एवं पर्यावरण के इन्हीं परिवर्तनशील सम्बन्धों के प्रादेशिक प्रतिरूप के अध्ययन एवं विश्लेषण पर ध्यान केन्द्रित करता है। मानव पर्यावरण अन्तर्सम्बन्ध का स्वरूप एवं वितरण ही मानव भूगोल का केन्द्र बिन्दु है। भारतीय जनजातीयाँ विविध पर्यावरण दशाओं वाली पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहाँ उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ एक विशिष्ट सामान्जस्य स्थापित किया है। भौगौलिक दृष्टि से जनजातीय समूह एवं उनके पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है।

वर्तमान समय में मानव के सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, आध्यात्मिक विकास पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। आज विकास का तात्पर्य मात्र आर्थिक वृद्धि ही नहीं बल्कि मानव का सर्वांगीण विकास है, जिससे उसका भौतिक एवं मानसिक दोंनो विकास हो। साथ ही उसका स्वाभिमान एवं मानवाधिकार सुरक्षित रहे। इस मानवतावादी विकास परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में भी जनजातियों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण सोपान है। सुदूर एवं दुर्गम पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में निवास करने वाली ये जनजातीयाँ सामाजिक, आर्थिक,

राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि आधारों पर पूर्ण विपन्न एवं दरिद्र हैं। नौ पंचवर्षीय योजनाओं में संचालित विविध जनजातीय विकास कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के बावजूद भी कुछ जनजातियों को छोड़ कर अधिकांश जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में आपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। जब तक इन जनजातियों की मौलिक आवश्कताओं की पूर्ति नहीं की जाती, इन्हें स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधायें नहीं प्रदान की जाती तथा इन्हें राष्ट्र की मुख्य विकास धारा से नहीं जोड़ा जाता, तब तक हमारे देश का विकास लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। इस प्रकार विकास के दृष्टिकोण से भी जनजातियों का अध्ययन एवं शोध अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाडी में स्थित भारत का एक केन्द्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर अनेक द्वीपों में कुल 6 प्रकार की जनजातियाँ बिखरी हुई हैं।
ये हैं– 1. जारवा 2. ग्रेट अण्डमानी 3. ओंगी 4. सेंटिनली 5. निकोबारी एवं 6. शोम्पेन। ये जनजातीयाँ सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर अत्यन्त पिछडी एवं एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन ये इस द्वीप समूह के सम्पूर्ण जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। अतः बंगाल की खाडी में बिखरे हुए इस द्वीप समूह की उपरोक्त जनजातीयों के जीवन एवं रहन–सहन का अध्ययन शैक्षिक एवं व्यवहारिक दोनों आधारों पर तर्कसंगत एवं समीचीन है। इसी दृष्टिकोण से शोधकर्ता ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीप के जनजातीय समुदायों के सामाजिक, आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. अण्डमान निकोबार द्वीप में पायी जाने वाली जनजातियाँ, उनके प्रजातीय प्रकारों एवं शारीरिक लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करना।

2. उनके आर्थिक आधारों, संसाधन, आखेट, कृषि, पशुपालन आदि का ज्ञान प्राप्त करना।
3. उनके सामाजिक संगठन, रीति–रीवाज, सामाजिक वर्ग एवं स्तरीकरण, सामाजिक विकास (शिक्षा एवं स्वास्थ्य), खान–पान, रहन–सहन आदि का ज्ञान प्राप्त करना।
4. जनजातीय क्षेत्रों में आधार भूत सुविधाओं के विकास, उत्पादन प्रक्रिया, विपणन सुविधा, सामाजिक अर्न्तक्रिया आदि का विश्लेषण करना।
5. सरकार द्वारा समय–समय पर संचालित एवं क्रियान्वित किए गए विकास कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
6. अण्डमान निकोबार की जनजातियों के तीव्रतर एवं संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एक समन्वित विकास योजना प्रस्तुत करना।

विधितंत्र :

मात्र निकोबारी जनजाति को छोडकर अन्य सभी जनजातियाँ आधिकांशतः आदिम अवस्था एंव अल्प संख्या में हैं, तथा विविध द्वीपों पर जंगली क्षेत्रों में बिखरी हुई हैं। इनसे सम्पर्क करने तथा उस क्षेत्र का अध्ययन करने हेतु प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त करनी होती है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये क्षेत्र बाहरी लोंगों के लिए पूर्ण निषिद्व घोषित कर दिये गयें हैं। सेन्टिनली जनजाति से तो अभी तक किसी का सम्पर्क ही नहीं हो पाया हैं। साथ ही जनजातीय क्षेत्र काफी दुर्गम पहाड़ी एवं जंगली है तथा दूर–दूर समुद्री द्वीपों में हैं। यहाँ आसानी से पहुचना कठिन है। उपरोक्त कठिनाइयों के कारण जनजातीय सुविधाओं से सम्बन्धित सूचनाएँ एवं तथ्य एकत्रित करना एक कठिन कार्य है। फिर भी शोधकर्ता ने जनजातियों के सामाजिक आर्थिक दशाओं से सम्बन्धित तथ्यों एवं

सूचनाओं के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत्रों का सहारा लिया है। प्राथमिक स्रोत्र के अर्न्तगत शोधकर्ता प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त कर अनेक द्वीपों में जनजातियों से सम्पर्क करने, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने एवं उनसे सीधी सूचना प्राप्त करने हेतु संपर्क किया। भाषा की कठिनाई एवं सम्प्रेषण अन्तराल के कारण जनजातियों से सूचना प्राप्त करना भी कठिन कार्य है। लेकिन शोधकर्ता ने कई बार उनसे सम्पर्क कर यथा शक्ति सूचनाएँ एवं तथ्य प्राप्त किये। द्वितीय स्रोत्रों के अर्न्तगत शोधकर्ता ने विविध पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओं, सांख्यिकी पत्रिकाओं, जनगणना पत्रिकाओं, जनजातीय उप–योजना एवं अनेक संबन्धित संस्थाओं से जनजातियों के सामाजिक आर्थिक दशाओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं तथ्य एकत्र करने का प्रयास किया।

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण जनजातीय समूहों के अध्ययन में किसी पूर्व स्थापित सिद्वान्त या प्रतिदर्श का उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत शोध ग्रंथ में क्षेत्र अध्ययन आधारित आनुभविक विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन की सुविधा हेतु शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध योजना को तीन भागों में विभक्त किया 1. पुस्तकालय कार्य 2. क्षेत्रीय कार्य एवं 3. प्रयोगशाला कार्य।

पुस्तकालय कार्य के अर्न्तगत शोधकर्ता ने विविध पुस्तकालयों में जनजातियों से सम्बन्धित पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रो, शोध प्रबन्धों, आख्याओं आदि का अध्ययन एवं अनुशीलन किया तथा शोध प्रबन्ध हेतु वांच्छित सामग्री एकत्र की। इस अध्ययन से शोधकर्ता को विषय के संकल्पनात्मक एवं व्यवहारिक दोनों स्वरूपों का ज्ञान प्राप्त हुआ।

क्षेत्रीय अध्ययन के अर्न्तगत शोधकर्ता ने अण्डमान निकोबार के अनेक जनजातीय द्वीपों में जाकर क्षेत्र सर्वेक्षण एवं संपर्क द्वारा सीधी जानकारी प्राप्त की। विविध सम्बन्धित संस्थाओं

एवं आधिकारियों से सम्पर्क कर जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं से सम्बन्धित सूचनाए एवं तथ्य प्राप्त किये गए।

प्रयोगशाला कार्य के अर्न्तगत शोधकर्ता ने सूचनाओं एवं आकडों का सांख्यिकीय एवं मानचित्रीय आधार पर संगठन एवं विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के आधार पर उनके सामाजिक आर्थिक दशाओं से सम्बन्धित परिणाम निकाले गए तथा उनके मानचित्रण एवं व्याख्या का प्रयास किया गया। अन्ततः शोधकर्ता ने शोधप्रबन्ध के लेखन का कार्य पूर्ण किया।

संदर्भ सूची

1. Hasnain, Nadeem, 1991: Tribal India Today, Harnam Publication's, New Delhi, P-3.
2. Mishra, B.N. 1989: Rural Development in India-Basic Issues and Dimensions, Sharada Pustak Bhawan, Allahabad, P-182
3. Mishra, B.N. 1992: Ecology of Poverty in India, Rural Environment Planning Series, vol.I, Chugh Publications, Allahabad, P-162.
4. Mishra, B.N.1994: Rural Landscape: Transformation and Change, Chugh Publications, Allahabad, P-180.
5. Dubey, S.C.1973: Social Science in Changing Society, in Ethnographic and Folk Culture Society Lucknow.
6. Hasnain, Nadeen 1991: Op.Cit. P-13.
7. Wilke, A. et. al. 1979: Tribal India: Unintentional Acculturation; Bulletin of the International Committee on Urgent Anthropological and Ethnological Research, No-21.
8. Majumdar, D.N. and Madan, T.N.1967: An Introduction to Social Anthropology; Asia Publishing House, Mumbai.
9. Nanda, S. & Prasad, R.R.2001: Encyclopaedic Profile of Indian Tribes, vol.I.
10. Naik, T.B. 1960: The Bhils, Bhartiya Adimjati Sevak Sangh, New Delhi.
11. Ehrenfels, U.R.1952: Kadar of Cochin, University of Madras, Chennai.
12. Majumdar, D.N.1944: Races and Cultures of India, Universal Publishers, Lucknow.
13. Gillin, J.and Gillin, P.,1954: Cultural Sociology Leonard Hill Books, NewYork, P-35.
14. Mair, Lucy: Introduction to Social Anthropology, Leonard Hill Books New York P.90.
15. Huntingford, G.W.B.1950: Habitat, Economy and Society, Uethuen and Co.London.

16.Rivers, W.H.R. 1906: The Social Organization, Culture Publishers, London.

17.Winick, Charles 1947:Dictionary of Anthropology, Cultures Publishers, London, P-546

18.Linton, Ralph 1950: The Study of Man, Culture Publishers, London.

19.Hoebel, E.A. 1958: Man in the Primitive World, Leonard Hill Books, Newyork, P-7.

20.Lewis, I.M. 1968:Tribal Society, in International Encyclopedia of the Social Sciences, David L.Sil(Ed.),vol.16, Macmillan, London.

21.Ramamani, V.S.1988: Tribal Economy-Problems and Prospects, Chugh Publications, Allahabad, P-2.

22.Mishra, B.N.1999.Tribal Development in India: Retrospect and Prospect, in 'Tribal'scene in Jharkhand, A.Bhushan et. al. (Eds.), Novelty and co.Patna, P.23.

23.Piddington,R.1956: An Introduction to Social Anthropology,Vol.I

24.Majumdar, D.N.1944: OP.cit.

25.Hasnain, Nadeem 1994: Bhartiya Manav Vigyan, Jawahar Publishers & Distributers, New Delhi, P-130.

26.Guha, B.S., 1938:The Racial Elements of India, Popular Prakashan, Mumbai.

27.Ibid.

28.Hasnain, Nadeem, 1994: Op.Cit.P.133.

29.Nand, S. and Prasad, R.R.2001; Op.Cit. P-XVIII.

30.Verma, R.C: Bhartiya Janjatiyam P.109.

31.Ibid; P-112.

32.Ibid; P-116.

33.Ibid; P-118.

34.Mishra, B.N.1999: Tribal Development in India: Retrospect and Prospect, in Tribal Scene in Jharkand, A. Bhushan et.al. (eds), Novelty &co., Patna, P.23.

35.Pandeya, B.N.1999: Profiles of Tribal scene in Jharkhand, Op.Cit P.14.

36.Shilu AO Committee Report, 1969: Approach to Fifth Plan (1974-79), Planning commission, New Delhi.

37.Nag, D.S.1958: Tribal Economy-An Economy study of Baiga, Bhartiya Adimjati Sevak Sangh, King's way Camp, New Delhi.

38.Saxena, R.P. 1964: Tribal Economy in Central India, Calcutta.

39.Ramaiah, P.1961: Tribal Economy in India, Light and Life Publication, Paharganj, New Delhi.

40.Shah, Vimal 1967: Tribal Economy in Gujrat, in 'Tribal Journal, vol IV, No.2, Hyderabad P.P.4-5.

41.Mishra, B. N.1999: Op.cit.P.22.

42.Hasnain, Nadeem 1991 : Op.Cit.P.195.

43.Pandeya, B.N. 1999: op.cit. P.16.

44.Vidyarthi, L.P. 1977: Tribal Cultures of India, concept Publishers, New Delhi.

45.Roy Burman, B.K.1981: Some Dimensions of Transformation of Tribal societies in India, Journal of social Research, Vol.11, No-1.

46.Hasnain, Nadeesn 1991: Op. Cit. P-209.

47.Mishra, B.N. 1999: Op. Cit. P-27.

48.Ibid. P-30.

49.Nag, D.S. 1958: Op.Cit

50.Saxena, R.P. 1964: Op. Cit.

51.Vidyarthi, L.P. 1977: Op Cit

52.Roy Burman, B.K. 1981: Op. Cit

53.Shah, Vimal, 1967: Op. Cit.

54.Srivastava, D.N. and Singh, C.B. 1970: Agricultural Development & Tribal Population in India. Indian Journal of Agricultural Economics, Vol xxv, No 344, Bombay, P.P. 161-167

55.Roy Burman, BK, and Sharma P.S., 1970: Tribal Agriculture in India. Indian Journal of Agricultural Economics vol xxv No 34, P.P. 149-155

56.Aram, M. 1972: The Emergin; Situation in Nagaland and Some Suggestion's for a National Policy. In Tribal Situation in India,

Edited by K.Suresh Singh, Indian Institute of Advanced Study, Simla. P.P. 125-129

57.Gopal R., 1983: Farm Economy kin Tribal Areas. A case study of Bastar District, yojana, vol 27, No 18, New Delhi, P.P. 27-28

58.Patel M.L. 1972: Agro-Economic survey of Tribal Mandha, Peoples Publishing Hause, Delhi.

59.Raghvaiah, V. 1976: Tribal Revolts, Andhra Rashtriya Adamjati Sevak Sangh, Nellore.

60.Chowdhry B.K. & Bhattacharjee,S. 1976: An Evaulation of Tribal Development Agency In Singhbhum, Bihar; Agro Economic Research Centre, Visva, Bharti Santiniketan P.P. 90-91

61.Naidu N.V. 1976 : Pains of Industriligation, Economic and Political weekly, vol 1, No. 23, Bombay, P.P. 830-831

62.Dadhich, C.L; 1977 : Farm Co-Operative Credn to Scheduled castes and Scheduled tribes, Economic & Political weekly, vol 12 No 13, Bombay, P- A23

63.Chanda, A.K. 1976: Chailanging of Tribal Poverty- A study of Rural Indebtedness and the credit Institutions, the Administrator, Quartly Journal of LalBahadurShastri, National Academy of Administration, Government of India, vol, xx11. No 1, P-173

64.Tripathi, J.N., 1978:A Study of Culture and custom's with refevence to Navabar Block, The Administrator: Quartly journal of Lal Bahadur Shastri; National Acedamy of Administration, vol xxxIII, No 1 Mossorie, Spring. P. 285

65.Apte, D.P. 1976: Kolaba villages, in Planning for Tribal Development Edited by Ranjeet Gupta, Ankur Publishing, New Delhi, P.176

66.Sharma, P.N. 1978 : Panning for the poor, kurukshetra, New Delhi, vol 26, No 19, P.13.

67.Royappa , P.H. & Grover, D. 1979: Employment planning for scheduled Tribs, Economic and political weekly Bombay, vol XIV, No 24, P. 1015

68.Prakash, B.A. , 1980: A Case study of South wynad Tribals, Yojana, New Delhi , vol-24 No-6, P.19-20.

69.Yadav, H. & Mishra, C.S., 1980: Impact of the Tribal Development Programmes on Employment, Madya Pradesh, Indian Journal of Aqricultural Econonics, Bombay, Vol, xxxv, No 4, P. 69.

70.Rayappa, P.H. & Grover, D., 1980: Employment Planning for Ruual Poor: The Case of Scheduled Castes and Scheduled Tribe's, Sterling Publishers, New Delhi

71.Ramaiah, P., 1881: Tribal Economy of India A Case Study of koyas of Andhra Pradesh, Light and Life Publishers, New Delhi, P. 67

72.Rao, D.V.R. 1981: Direction of Backwordnes: A Study of Toluk village and House Hold Levels in Kasnataka, Concept Publishing Company, New Delhi, P. 93.

73.Deshpande, V. 1982 : Employment Gurantee Scheme: Impact on Poverty on Bondage Among Tribals, Tilak Maharashra Vidyapeeth, Pune, P. 66

74.Ranjani, P., 1981 : Profile of Lambada Tribe, Mainstream, New Delhi Vol-xx, No.16, P.25

75.Singh, H.M., 1981 : Tribal Report-Kalahandi District Orissa, The Administrator : Quarterly Journal of Lal Bahadur Shastri Natinal Academy of Administration, Mussourie, Vol xxv1, No3, P. 443

76.Hasnain, Nadeem, 1983 : opsit.

77.Pathy, Jagnath, 1984 : Tribal Peasantry; Dyanamics of Development, InterIndia Publicators, New Delhi, P. III

78.Gupta M.D., 1984: Tribal Unrest, Economics and Political weekly, Bombay Vol, XIX, No11, P. 449,

79.Naryan S. & Kumar Vinod, 1983: Obstacles in Tribal Development, Mainstream, New Delhi, Vol xx, No11 P. 22.

80.Gori , Gulab Khan, 1984 : Changing Phazee of Tribal Area of Manipur, B.R. Publising, Delhi, P.P.51-52

81.Bose, Pradeep Kumar ; 1985; Classes and Class Relations Among Tribals of Bengal, Ajanta Publications, New Delhi, P.60.

82.Kunhaman, M., 1985 : The Tribal Economy of Kerala- An Intra-Regional Analysis, Economic and Political weekly, Bombay, Vol xx, P.466

83.Rayappa Hanumantha P. and Muthurayappa R., 1986; Backwrdness and Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India, Ashish Publishing House, New Delhi, P. 40, 42.

84.Ibid; P-75.

85.Thakur, Devender, 1986: Socio-Economic Development-of Tribes in India, Deep & Deep Publications, New Delhi, P.190.

86.Bose, S.C., 1986: Planning for Tribal Development- : Kerala's Experience, yojana, New Delhi, Vol-30, No 5,

87.Gupta, Dipankar, 1986: Tribal Development in a West Bengal District, Programme's Structure and Process, Economic and Political weekly, Bombay, Vol, XXI, No.1, P.35-45.

88.Hussain. M., 1987: Tribal Movement of Automous State in Assam, Economic Political Weekly, Bombay, Vol. XII, No32. P. 1332.

89.Swaroop, R. and Bhati J.P., 1987 : Economic Development of Tharu Tribals Kurukshetra, New Delhi, Vol 23, No.2, P.P.10-11.

90.Mahapatro, P.C., 1987 : Economic Development of Tribal India, Ashish Publising House, New Delhi, P. 280-282.

91.Rama mani, V.S., 1988: op Cit.

92.Husnain, Nadeem, 1991, op. Cit.

93.Majumdar D.N. & Madan T.N. 1992, An Introduction to Social Anthropology, Mayur Paper Backs, Noeda.

94.Dubey, S.C. 1993 : Manav Aur Sanskriti, An Anthropological & Sociological study, Rajkamal Pablications, New Delhi.

95.Gupta M.L & Sharma D.D. 1995 : Social Anthropology, Sahitya Bhavan, Agra.

96.Bhoosan Anand et.al 1999: Tribal Scene in Jharkhened, Novelty and co;Patna.

अध्याय–2

जनजातीय विकास के स्थानिक घटक अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तावना :

श्री गुप्त ने यहाँ के आदिवासियों को किरात जाति का वंशज माना है। जिसका उल्लेख वाल्मिकि रामायण में हुआ है– "अमामिना सनाशः, तत्र किरातः द्वीप वासिनः," इसकी पुष्टि राजेन्द्र प्रसाद सिंह जी ने की है। यहाँ के आदिवासियों के जाति नामावली में भी "क" शब्द का प्रधान्य दिखाई देता है– जैसे कोल, एकाकोडा, अकाकोडा, केडा आदि। इनके उच्चारण और किरात शब्द के उच्चारण में भी समानता मिलती है, और इस विचारधारा को बल मिलने लगता है कि, ये आदिवासी उसी किरात जाति के है, जिनका उल्लेख रामायण में हुआ है।

अण्डमान के आदिवासियों को रामायण काल से जोड़ने के बाद लोगों ने यह कहना शुरू किया कि अण्डमान शब्द "हनुमान" का विकृत रूप है। श्री मेक्सवेल के अनुसार यहाँ के आदिवासियों को "हनुमान" नाम से पुकारते थे, और इसका अभिप्रेत अर्थ रामायण कालीन संदर्भ से था। 18वीं शताब्दी में इन द्वीपों को "इन्दुमान" अथवा "अण्डमान" नाम से पुकारा जाने लगा। चीनी और जापानी लोगों ने "याड्गप्यान" नाम दिया, जो कालान्तर में अण्डमान की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा।

निकोबार "निक्कवरन" शब्द से बना है, जिसका अर्थ है "नंगे रहने वालों का देश"। निकोबार के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख लसिंग नामक चीनी यात्री की पुस्तक "लोजेनक" में मिलता है। "पिंकर्टनस बाँयजेज एण्ड ट्रेवेलर्स" भाग सात की पृष्ठ

संख्या 183 पर छपे अरब यात्रियों के विवरण में इस द्वीप को "लेजाबालुस" कहकर संबोधित किया गया, जिसका अभिप्राय "नंगे रहनें वाले लोगों" से है। आज भी शोम्पेन, जरवा एवं सेंटीनली जनजाति के लोग नंगे ही रहते है (प्लेट सं0 1 एवं 2)।

मार्कोपोलों ने इन द्वीपों को "नेकूवरन" तथा कर्नल मूले ने चीनी नाम "नालोकियोचेन" – नारिकेल द्वीप नाम दिया। सन् 851 ई0 से पूर्व सुलेमान सौदागर ने निकोबार द्वीप को "लेजवालु" नाम दिया था। ऐतिहासिक दृष्टि से अण्डमान का सर्वप्रथम उल्लेख टॉलमी ने किया था। इसके पश्चात् चीनी यात्री इत्सिंग ने किया। सन् 1290 ई0 में मार्कोपोलो ने इन द्वीपों से गुजरते हुए अण्डमान को बड़ा लम्बाद्वीप, और यहाँ के निवासियों को जंगली जानवरों की भाँति खूंखार एवं सर्वभक्षी की संज्ञा दी। तंजौर के एक ऐतिहासिक शिलालेख में इस द्वीप के सम्बन्ध में "टिमाई टिब्बू" नाम आया हुआ है, जिसका अर्थ अशुद्व द्वीप है। कर्नल मूले की पुस्तक मार्कोपोलो में यहाँ के आदिवासियों को राक्षस की तरह माना है तथा नारकोण्डम द्वीप के प्रज्वलित ज्वालामुखी को देखकर समीप से गुजरने वाले जलयान के ब्राह्मण कप्तान ने "नरक कुण्ड" की संज्ञा दी थी, तभी से यह द्वीप नारकोण्डम के नाम से जाना जाता हैं।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह का 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन के पहले कोई एतिहासिक महत्व नहीं था। यहाँ सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। उसके बाद डच आये। इसी बीच अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। बाद में अंग्रेजों और डचों के बीच अण्डमान के पास संघर्ष हुआ तथा अंग्रेजों ने डचों को हराकर अण्डमान द्वीप पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया।

पहली बस्ती उत्तरी अण्डमान में 1789 ई0 में बसायी गयी। अन्ततः उपनिवेश बसाने का प्रयत्न छोड़ दिया गया,

प्लेट संख्या–1

शोम्पेन आदिम जनजाति की महिलाएं

प्लेट संख्या–2

जारवा आदिम जनजाति की महिलाएं

किन्तु कैदियों को रखने के लिए इस स्थान का उपयोग होता रहा। 14 मई 1859 का दिन अण्डमान के इतिहास में "अबरडीन के युद्व" के नाम से जाना जाता है। लगभग 1150 आदिवासियों ने तीर-कमान और कुल्हाड़ियों से लैस होकर अंबरडीन और एटलाण्टा प्वाइन्ट पर आक्रमण कर दिया तथा दुश्मन को हराकर अबरडीन थाने पर तीन घण्टे कब्जा किए रखा। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद से 1942 तक ब्रिटिश सरकार ने इस स्थान को आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाले लोगों को एकांत में रखनें के लिए इस्तेमाल किया। तब इसे काला पानी कहा जाता था, क्योंकि जलयानों से दूर से देखने पर इस द्वीप के समीपवर्ती समुद्रों का पानी काला दिखाई पडता था। स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले नेताओं एवं लोंगों को प्रताड़ना हेतु यहाँ पर आजीवन कारावास हेतु रखा जाता था। इसलिए भारतीय लोग इसे स्वर्णद्वीप, शहीद द्वीप, या स्वराज्य द्वीप भी कहते थे। स्वराजद्वीप नामकरण नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा दिया गया था।[1]

15 अगस्त 1947 को ये द्वीप स्वतंत्र भारत के अंग के रुप में स्वाधीन हो गये। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने द्वीपवासियों की सभ्यता और संस्कृतियों को बचाने के उद्देश्य से 1956 में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह अधिनियम पास किया। इस अधिनियम द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोंगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी। 1 नवम्बर 1956 को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। जुलाई 1974 ई0 तक अण्डमान एवं निकोबार एक ही जिला वाला संघ क्षेत्र था। प्रशासन की दृष्टि से 11 नवम्बर 1982 के पूर्व यहाँ का प्रशासक मुख्य आयुक्त होता था, किन्तु अब यहाँ का प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा संचालित किया जा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र के विविध भौगोलिक कारकों के सम्यक एवं क्रमबद्व विश्लेषण हेतु उन्हें दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है – 1.भौतिक कारक एवं 2.सांस्कृतिक कारक।

भौतिक कारक :

इसके अन्तर्गत क्षेत्र की स्थिति, विस्तार, संरचना, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति आदि का अध्ययन किया गया है।

स्थिति एवं विस्तार :

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाडी के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। चारों ओर से समुद्र से धिरे होने तथा घनी वनस्पतियों के मध्य मानव अधिवासों से युक्त ये द्वीप अत्यन्त सुन्दर लगते हैं (प्लेट सं0 3)। यहाँ का सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य अति आकर्षक एवं मनोहारी होता है (प्लेट सं0 4 एवं 5)। इसके अन्तर्गत लगभग 556 छोटे बडे द्वीप सम्मिलित हैं, लेकिन मानव निवास एवं अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण द्वीपों की संख्या 321 हैं।[2] इनमें से 258 द्वीप अण्डमान में हैं एवं 61 द्वीप निकोबार के अन्तर्गत आते हैं, इनमें 38 द्वीप ऐसे है जिन पर मानव का निवास हैं।

अण्डमान निकोबार द्वीपों का अक्षांशीय विस्तार 6° उत्तरी अक्षांश से 14° उत्तरी अक्षांश तथा 92° पूर्वी देशान्तर से 94° पूर्वी देशान्तर के मध्य है। अण्डमान द्वीपों की उत्तर दक्षिण लम्बाई 467 कि0मी0 तथा औसत चौडाई 24 किलोमीटर है, इसकी अधिकतम चौडाई 52 किलोमीटर है। निकोबार द्वीपों की उत्तर–दक्षिण लम्बाई 259 कि0मी0 तथा चौडाई 58 किमी है। इस प्रकार अण्डमान एवं निकोबार का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 6408 वर्ग किलोमीटर अण्डमान द्वीपों के अन्तर्गत तथा 1841 वर्ग किलोमीटर निकोबार द्वीपों के अन्तर्गत हैं (Fig.2.1)। ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार सर्वाधिक (8232.4 वर्ग कि0मी0) हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रफल मात्र 16.6

Andaman &
Nicobar Islands
N
Coco (Myanmar)
Coco Channel
Land Fall
North Andaman
Interview
Narcondam
Narcondam
Middle Andaman
ANDAMAN
Barren
Ritchies
ISLANDS
Havelock
Port Blair
North Sentinel
Rutland
Duncan Passage
South Sentinel
Little Andaman
Ten Degree Channel
INDIA
BAY OF BENGAL
ANDAMAN SEA
Car Nicobar
NICOBAR
ISLANDS
Batti Malv
Tillanchon
Chaura
Kamorta
Teressa
Nancowry
Katchall
Sombrero
Channel
Little Nicobar
Scale
0 20 40 60 80 100 Kms.
Grate Nicobar
Indira Point

Fig. 2.1

वर्ग कि0मी0 है। इसकी राजधानी पोर्टब्लेयर नगर है। इसका सबसे दक्षिणी बिन्दु 6° उत्तरी अक्षांश पर स्थिति इन्दिरा प्वाइन्ट हैं, जबकि सबसे उत्तरी बिन्दु लैण्डफाल 14° उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अण्डमान का सबसे बड़ा द्वीप (1536 वर्ग कि0मी0) मध्य अण्डमान द्वीप हैं, जबकि निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप (1045 वर्ग कि0मी0) ग्रेट निकोबार है। इसी प्रकार अण्डमान का सबसे छोटा द्वीप कल्यू द्वीप (0.03 वर्ग कि0मी0) है, जबकि निकोबार का सबसे छोटा द्वीप पिलोमिलो द्वीप (1.3 वर्ग कि0मी0) है।[4]

अण्डमान–निकोबार द्वीप के उत्तर पूर्व में वर्मा, दक्षिण पूर्व में इण्डोनेशिया, पूर्व में अण्डमान सागर, एवं पश्चिम में बंगाल की खाडी स्थित है। इसे प्रशासनिक आधार पर दो जनपदों, चार उपभागों, सात तहसीलों एवं पाँच विकास खण्डों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर एक नगर महापालिका, एक जिला परिषद तथा 15 पुलिस थानें है। यहाँ की प्रशासनिक इकाइयाँ सारणी संख्या 2.1 अ, ब, एवं स में स्पष्ट रुप से दी गयी है।

सारणी संख्या 2.1 (अ)

उप–भाग, तहसील, राजस्व एवं जनगणना ग्रामों की संख्या

	उप–भाग	उपभाग में सम्मिलित तहसीले	राजस्व गाँव (संख्या)	जनगणना गाँव (संख्या1991)
1	मायाबन्दर	1. डिगलीपुर	30	42
		2. मायाबन्दर	26	71
		3. रंगत	42	75
2	दक्षिणी अण्डमान	4. पोर्टब्लेयर	46	87
		5. फरारगंज	53	80
3	कार निकोबार	6. कारनिकोबार	–	16
4	नानकौरी	7.नानकौरी	7	176
	योग–		204	547

स्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 2.1 (ब)

प्रदेशवार ग्रामपंचायतें, पंचायत समितियाँ एवं जिला परिषद

क्षेत्र (प्रदेश)	ग्रामपंचायत	पंचायत समिति	जिला परिशद
डिगलीपुर	13	01	–
मायाबन्दर	08	01	–
रंगत	14	01	–
पोर्टब्लेयर	10	01	01
फरारगंज	15	01	–
लिटिल अण्डमान	04	01	–
कैम्पबेल बे	03	01	–
योग	67	07	1

स्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 2.1 (स)

समुदायिक विकास खण्ड

क्रम0 सं0	समुदायिक विकास खण्ड के नाम	अधिकार क्षेत्र	मुख्यालय
1	दक्षिण अण्डमान	पोर्टब्लेयर एवं फरारगंज तहसील	फरारगंज
2	मध्य अण्डमान	रंगत एवं मायाबन्दर तहसील	रंगत
3	उत्तरी अण्डमान	डिगलीपुर तहसील	डिगलीपुर
4	कार निकोबार	कार निकोबार तहसील	मलक्का
5	नानकौरी	नानकौरी तहसील एवं ग्रेटनिकोबार द्वीप	कर्मोटा

स्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

प्लेट संख्या–3

पोर्टब्लेयर नगर का हवाई चित्र

प्लेट संख्या–4

पोर्टब्लेयर में सूर्योदय का दृश्य

संरचना :

प्लेट विवर्तनिकी सिद्वान्त के अनुसार भारतीय प्लेट अति प्राचीन काल में गोंडवाना लैंण्ड का अभिन्न अंग थी। अफीका, मालागासी, दक्षिण अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया एवं अण्टार्कटिका सभी गोडवाना लैण्ड के ही भाग थे। 200 मिलियन वर्ष पूर्व भूगर्भिक शक्तियों के कारण गोडवाना लैण्ड में विखण्डन हो गया तथा उपरोक्त सभी भूभाग एक दूसरे से पृथक होकर अलग–अलग दिशाओं में प्रवाहित होने लगे। भारतीय प्लेट 12 सेमी0 प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई लद्दाख के पास यूरेशियायी प्लेट से टकराई। भारतीय प्लेट के उत्तरी प्रवाह एवं उत्तर में स्थित अंगारा लैण्ड के अवरोध के कारण इन दोनों भूखण्डों के मध्य स्थित टैथिस सागर का मालवा उत्थित होकर मोड़ों में परिवर्तित होने लगा, जिससे एक लम्बे समयान्तराल में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। लद्दाख के पास यूरेशियाई प्लेट से टकराने के पश्चात भारतीय प्लेट के प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व हो गयी तथा प्रवाह गति धीमी होकर 5.5 सेमी0 प्रतिवर्ष हो गयी। इसी विवर्तनिक घटना के कारण ही पूर्वी हिमालय की श्रेणीयों जैसे – नागा की पहाड़ियों, गारो, खासी, जयन्तियाँ की पहाड़ियाँ, मिजोरम की पहाड़ियाँ, वर्मा का अराकानयोमा पर्वत आदि निर्मित हुए। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह को भी बंगाल की खाडी में इन्हीं पर्वतश्रेणीयों का विस्तार माना जाता है। खाडी के जल के अन्दर ही अन्दर ये श्रेणीयाँ उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियाँ से सम्बद्व हैं तथा दक्षिण की ओर इण्डोनेशियाई श्रेणियों में मिल जाती हैं। इस श्रृखला की ऊँची श्रेणियाँ जल के ऊपर द्वीपों के रूप में दिखाई पड़ती है, जबकि निचली श्रेणियाँ जल मग्न है। इन ऊँची श्रेणियों को दीर्ध काल से ज्वार–भाटा एवं समुद्री लहरें अनवरत रूप से अपरदित करती रहीं। परिणामस्वरूप धीरे–धीरे ये श्रेणियाँ द्वीपों के रूप

में परिवर्तित हो गयी। पर्वतश्रेणियों के उच्च भाग इन सभी द्वीपों के मध्य भागों या किनारों पर आज भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार संरचनात्मक दृष्टि से अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह हिमालय श्रृखला के ही दक्षिणी एवं पूर्वी विस्तार है, जो इन श्रेणियों में पायें जाने वाली अवसादी चट्टानों, बलुआ पत्थर, उनकी संरचना एवं स्थिति से स्पष्ट होता है।

यद्यपि यह भू भाग हिमालय पर्वत श्रृखला का विस्तार है तथा इसमें अवसादी बालुका पत्थर चट्टानों की प्रधानता है। फिर भी यहाँ पर आग्नेय चट्टानों का भी विस्तार है। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र का भारतीय प्लेट के विनाशात्मक किनारे पर स्थित होना एवं प्लेट के अवतलन से उत्पन्न ज्वालामुखी क्रियाओं एवं ज्वालामुखी उद्‌गारों का होना माना जाता है। इन द्वीपों के नारकोण्डम एवं बैरन द्वीप आज भी क्रियाशील ज्वालामुखी क्रियाओं के क्षेत्र माने जाते है। इसका प्रमाण 10 अप्रैल 1991 को बैरनद्वीप पर धटित हुआ ज्वालामुखी उद्‌गार एवं समय–समय पर आने वाले भूकम्प के झटके, जिनमें हाल ही में 15 सितम्बर 2002 को आया भूकम्पीय झटका (रिक्टर स्केल पर 5.3) मुख्य है।

इस प्रकार अण्डमान निकोबार के द्वीपों में मुख्य रुप से दो ही प्रकार की चट्‌टानें – आग्नेय एवं अवसादी मिलती है। आग्नेय शैलों का विस्तार लगभग सभी द्वीपों में है, लेकिन अण्डमान द्वीपों के सर्पिल धातुक श्रेणी की अधिकांश चट्‌टानें आग्नेय ही है। अण्डमान में निकोबार की अपेक्षा आग्नेय चट्‌टानों का विस्तार अधिक है। सैडल पीक, रटलैंण्ड द्वीप (काला पहाड़), सिंक द्वीप, नारकोण्डम द्वीप, बैरन द्वीप, उत्तरी एवं मध्य अण्डमान आदि में आग्नेय शैले पायी जाती है (Fig. 2.2)।

अवसादी शैलों में प्रमुखतया बालुकापत्थर है, जो अण्डमान एवं निकोबार दोनों क्षेत्रों में पायी जाती है। अण्डमान के

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 2.2 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 2.2 (B)

पहाड़ी क्षेत्रों एंव घाटियों में इनका सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है। निकोबार क्षेत्र में ये चट्टानें रेत की मोटी परत से ढ़की है, लेकिन अन्दर–अन्दर पूरे द्वीप पर इनका विस्तार है। बालुकापत्थर के अलावा लाल–पीला जैस्पर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर आदि भी कई स्थानों पर पाये जाते है।

इस क्षेत्र में उथले एवं गर्म समुद्री जल की पर्याप्त उपलब्धता तथा निमज्जित द्वीपों द्वारा प्रस्तुत किये गए आधार के कारण अनेक क्षेंत्रों में विस्तृत प्रवाल चट्टानों का भी निर्माण हुआ है तथा नए–नए क्षेत्रों में इनका विकास अब भी हो रहा है। इन प्रवाल भित्तियों में पश्चिमी प्रवाल, मध्यवर्ती प्रवाल, दक्षिणी प्रवाल, जॉली प्रवाल आदि मुख्य है। अण्डमान एवं निकाबार के संरचनात्मक विशेषता मानचित्र संख्या 2.2 में प्रदर्शित है।

उच्चावच :

यद्यपि अण्डमान और निकोबार स्वयं ही पर्वतश्रेणियों के भाग है, लेकिन दीर्घ कालीन अपरदनात्मक क्रियाओं के कारण अब इनका स्वरूप तटीय एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में मैदानी भी हो गया है, जिसके कारण ऊँचाई–निचाई में स्पष्ट भेद दिखाई पड़ता है। अण्डमान की पर्वतमालाये श्रृखलाबद्व नहीं है, बीच–बीच में विखण्डित होकर आगे पुनः मिल जाती है, जिससे घाटियों एवं बेसिनों का निर्माण हुआ है। तटीय भागों में समुद्री लहरों के अपरदन के कारण खाड़ियाँ बन गयी हैं। अधिकांश पहाड़ियाँ पश्चिमी एवं पूर्वी किनारों पर मिलती हैं, और वे अण्डमान द्वीपों तक ही सीमित हैं। निकोबार द्वीप मध्यवर्ती भाग में हल्के ऊँचे हैं, लेकिन सामान्यतया सभी द्वीप समतल ही हैं। अतः उच्चावच का प्रखर रूप अण्डमान में ही मिलता है। अण्डमान की सबसे ऊँची श्रेणी सैडल पीक 732 मी0 ऊँची है तथा उत्तरी अण्डमान

में स्थित है। जबकि निकोबार की सबसे ऊँची श्रेणी माउन्ट थूलियर 642 मी0 ऊँचा है तथा ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है।

अण्डमान द्वीपों के उच्चावच का परास 232 मी0 से 732 मी0 तक हैं। इसका अध्ययन निम्नवत् है (Fig. 2.3)।

पश्चिमी तटीय श्रेणी :

यह दक्षिण अण्डमान से चलती है और इन्टरव्यू द्वीप तक जाकर समाप्त होती है। यह श्रेणी अण्डमान की अन्य श्रेणियों में सबसे कम ऊँची है। इस श्रेणी की ऊँचाई 244 मी0 तक है।

पश्चिमी तटीय श्रेणी सीधे दक्षिण पश्चिमी मानसून के ठीक सामने आ जाती है, जिससे पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। चौलुंगा श्रेणी रेन्जर द्वीप तक चली जाती है। यह श्रेणी सम्पूर्ण अण्डमान में सबसे ऊँची श्रेणी है। यह मध्य अण्डमान और दक्षिण अण्डमान के बीचों–बीच से गुजरती है। इसके दोनों तरफ समान्तर खाडियाँ हैं। आगे यह श्रेणी मध्य अण्डमान के पश्चिमी तट से होती हुई रेंजर द्वीप में समाप्त हो जाती हैं। इस श्रेणी की सबसे मुख्य चोटी दक्षिण से उत्तर में है, जो माउंट फोर्ड के नाम से प्रसिद्व है। इस चोटी की ऊँचाई 431 मी0 है। इसका स्थानीय नाम काला पहाड़ भी है। इसके बाद चौलुंगा श्रेणी आती है। इस श्रेणी में सबसे ऊँची चोटी कैडल है जो 322 मी0 ऊँची है। यह दक्षिण अण्डमान में स्थित है।[4]

पूर्वी तटीय श्रेणियाँ :

मउंट हैरिएट की पर्वत श्रेणी उत्तर में फैली हुई है। यह श्रेणी बाराटांग और मध्य अण्डमान से होती हुई उत्तर अण्डमान के पश्चिमी तट तक चली जाती है। माउण्ट हैरिएट की श्रेणी दक्षिणी अण्डमान से आरम्भ होती हैं (Fig. 2.3)। इस श्रेणी का सबसे ऊँचा भाग 365 मी0 है। बाराटाग और मध्यअण्डमान में इस श्रेणी की

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 2.3 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 2.3 (B)

ऊँचाई कम हो जाती है। यहाँ सबसे ऊँची चोटी 213 मी0 है। उत्तर अण्डमान में इसकी ऊँचाई बढ़ जाती है और वहाँ हडसन चोटी की ऊँचाई 338 मी0 है। उत्तर और मध्य अण्डमान के पूर्वी तट के साथ–साथ अण्डमान की सर्वोच्च श्रेणियाँ जाती है। इसके बाद चौलुंगा श्रेणी का स्थान आता है।

उत्तर अण्डमान की मुख्य चोटी "सैडल" है जो 732 मी0 ऊँची है। इससे छोटी दूसरी "जिरेमिकू" है जिसकी ऊँचाई 683 मी0 है। ये दोनों चोटियाँ उत्तर अण्डमान की सबसे ऊँची चोटियाँ गिनी जाती हैं। मध्य अण्डमान का मुख्य पर्वत "डायनोलो" है, इसकी ऊँचाई 512 मी0 है। इसके अतिरिक्त इस भाग में अनेक छोटी–छोटी चोटियाँ हैं, जो 305 मी0 से अधिक ऊँचाई की है (Fig. 2.3)।

दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य का भाग ढ़लवा है, तथा उनके बीच में समान्तर खाड़ियों व समान्तर नदियों की घाटियाँ हैं। दक्षिण अण्डमान के पश्चिमी तटीय श्रेणियों तथा चौलुंगा की श्रेणियों के मध्य रीच और डालरेम्पल रीच है। मध्य अण्डमान और इन्टरव्यू तथा मध्य अण्डमान और उत्तर अण्डमान के बीच में बुचानन पासेज, इन्टरव्यू पासेज और आस्टिन हारबर हैं। चौलुंगा श्रेणियों तथा उसकी श्रृंखला और माउंट हैरियट की श्रेणियाँ तथा उसकी श्रृखलाओं के बीच स्कूल बे निवेशिका विस्तार लिए हुए है। यहाँ इन श्रेणियों के दोनों ओर से झरने और नाले बहते रहते हैं।[5]

बाराटांग पर्वतमालाओं और चौलुंगा श्रेणियों तथा उसकी श्रृखलाओं के बीच में अमितला डायट पासेज है। उत्तर अण्डमान में नीधम रीच, यरातिलजिग, मेलागी खाडी, लुखलरीवध बोल्यो और अर्द खाडी इत्यादि हैं। उत्तर और मध्य अण्डमान की पूर्व–पश्चिमी पर्वतमालाओं के बीच में और उत्तर में हैरिएट की श्रेणियों के बीच में ब्लैर बे, कलपोंग बे, कालरा बे, फागो बे इत्यादि हैं।

जलराशियाँ :

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की जलराशियों में खाडियाँ, चैनेल्स, जलडमरुमध्य एवं नदियाँ मुख्य हैं।

अध्ययन क्षेत्र के मुख्य खाडियों में हडसन खाडी एवं मैकफर्सन खाडी उत्तरी अण्डमान के पश्चिम में, तथा कैंडल खाडी पूर्व में स्थित है। मध्य अण्डमान के पश्चिम में रंगत खाडी तथा उत्तर–पूर्व में सीवर्ट खाडी मुख्य है। दक्षिणी अण्डमान के पश्चिम में बिलाप खाडी तथा पूर्व में नैपियर खाडी है। जबकि दक्षिणी अण्डमान के दक्षिणी–पूर्व में हटबे खाडी स्थित है। रंगनाथन एवं कैम्पबेल खाडियाँ ग्रेटनिकोबार के पूर्व में स्थित हैं। इन खाडियों की गहराई 700 मी0 से 1500 मी0 के मध्य हैं (Fig. 2.4)।

अण्डमान निकोबार द्वीप एक दूसरे से अलग स्थित हैं तथा उनके मध्य में लम्बे समुद्री भाग स्थित हैं। इन्हीं को चैनल कहते हैं। कोको चैनल लैण्डफाल द्वीप तथा वर्मा के कोको द्वीप के मध्य स्थित है। इसकी गहराई 1000 मी0 है। डंकन पैसेज लधु अण्डमान एवं रटलैण्ड के मध्य 11° उत्तरी अक्षांश के सहारे स्थित है। इसकी गहराई 800 मी0 है। 10° चैनल अण्डमान और निकोबार द्वीपों के मध्य 10° अक्षांश के सहारे स्थित है, इसकी गहराई 732 मी0 है। साम्ब्रेरो चैनल नानकौरी एवं लिटिल निकोबार के मध्य स्थित है, इसकी गहराई 1240 मी0 है। सेन्ट जार्ज चैनल लिटिल निकोबार एवं ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है गहराई 1300 मी0 है, जबकि चैनल ग्रेटनिकोबार से इण्डोंनेशिया के सुमात्रा द्वीप तक विस्तृत हैं तथा इसकी गहराई 1300 से 1500 के मध्य है (Fig. 2.4)।

अण्डमान–निकोबार में विविध द्वीपों के मध्य समुद्र की अत्यन्त पतली बाहें स्थित हैं, जिन्हें जलडमरुमध्य कहते है। होम्फ्रे जलडमरुमध्य, मध्य एवं दक्षिणी अण्डमान के बीच, सोन

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS

प्लेट संख्या–5

पोर्टब्लेयर में सूर्यास्त का दृश्य

प्लेट संख्या–6

निकोबार द्वीप का जंगली क्षेत्र

जलडमरुमध्य, रटलैण्ट एवं दक्षिणी अण्डमान के मध्य तथा अण्डमान जलडमरुमध्य दक्षिणी अण्डमान के उत्तरी–पूर्वी भाग में स्थित है (Fig. 2.4)।

अण्डमान निकोबार के बड़े द्वीपों में कुछ छोटी–छोटी नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं, जिनकी लम्बाई 20 से 50 कि0मी0 के मध्य है। इनमें उत्तरी अण्डमान की कलपांग एवं बेटापुर नदियाँ, मध्य अण्डमान की ब्रोमलुमटा नदी, तथा ग्रेटनिकोबार की गलाथिया, आलेक्सेण्ड्रिया एवं डगमर नदियाँ प्रमुख हैं। ये मीठे जल की नदियाँ हैं जो मध्यवर्ती भागों में जलापूर्ति करती हैं। नदियों के क्षेत्र में जनसंख्या अधिवास एवं कृषि का घनत्व अधिक हैं (Fig. 2.4)।

जलवायु :

भूमध्य रेखा के समीप स्थित होने एवं चारों ओर से उष्णकटिबंधीय समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है।[6] तापमान एवं आर्द्रता वर्षपर्यन्त संतुलित एवं सामान्य स्थिति में होते हैं। गर्म समुद्रों से आने वाली पवनों से प्राप्त वर्षा के कारण शीतलता भी बनी रहती है। वर्षा वर्ष पर्यन्त (नवम्बर से जनवरी छोड़कर) बनी रहती है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने से सभी द्वीपों पर सघन वन भी पाये जाते हैं। अण्डमान निकोबार द्वीप के जलवायु तत्वों का संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् हैं।

तापमान :

यहाँ पर औसत मासिक अधिकतम तापमान 29.8° सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22.8° सेल्सियस होता है। वार्षिक तापान्तर 6–7° सेल्सियस होता हैं। यहाँ के वार्षिक तापमान का प्रतिरुप सारणी संख्या 2.2 अ एवं रेखाचित्र संख्या 2.5 A में स्पष्ट हैं। सर्वाधिक गर्म माह मार्च एवं अप्रैल (31° सेल्सियस) होते हैं, तथा

सर्वाधिक ठण्डा माह दिसम्बर एवं जनवरी (22.2° से0) होते हैं। इस प्रकार वर्ष पर्यन्त तापमान में अन्तर अत्यल्प होता हैं,[7] जिससे यह क्षेत्र गर्म बना रहता हैं।

सारणी संख्या 2.2 अ

तापमान–पोर्टब्लेयर (0 से0)

महीना	औसत मासिक अधिकतम तापमान	औसत मासिक न्यूनतम तापमान
	2001	2001
जनवरी	29.8	22.1
फरवरी	30.7	22.8
मार्च	31.8	22.0
अप्रैल	30.7	23.2
मई	30.0	23.4
जून	29.3	23.0
जुलाई	29.2	23.2
अगस्त	29.0	23.1
सितम्बर	29.5	22.9
अक्टूबर	29.4	22.5
नवम्बर	29.6	22.6
दिसम्बर	29.1	22.4
औसत तापमान	29.8	22.8

स्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन पोर्टब्लेयर।

वर्षा :

यह क्षेत्र गर्म होने के साथ ही साथ ग्रीष्म कालीन एवं शीतकालीन दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर वर्ष पर्यन्त आर्द्रता अधिक बनी रहती है। यहाँ औसत सापेक्ष आर्द्रता 79.5% है। पवनगति मई से अगस्त तक अधिक (14 किमी0 / घण्टा) होती है, जबकि नवम्बर से जनवरी तक मध्यम (7 किमी0 / घण्टा) होती है (सारणी संख्या 2.2 ब)। परिणाम स्वरुप यहाँ पर वर्षा की मात्रा लगभग 3180 मि0मी0 है तथा कुल वर्षा दिनों की संख्या 192 है। वर्षा की सर्वाधिक मात्रा वर्ष के छः महीनों मई से अक्टूबर के मध्य प्राप्त होती है। न्यूनतम वर्षा का समय जनवरी, फरवरी एवं मार्च होता है (Fig 2.5 B)। वर्षा की मात्रा में वार्षिक परिवर्तन रेखाचित्र संख्या 2.6 में स्पष्ट हैं। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मायाबन्दर है, जहाँ पर 3173 मि0मी0 वर्षा प्राप्त होती है। पोर्टब्लेयर में वर्षा की मात्रा 2811.5 मि0मी0 है। सारणी संख्या 2.3 में विविध स्थलों के वर्ष 2000 में प्राप्त वर्षा की मात्रा प्रदर्शित है। इस प्रकार यहाँ पर तापमान में तो वार्षिक तापान्तर बहुत कम है, लेकिन वर्षा में मौसमी विषमता अपेक्षाकृत अधिक हैं। इसलिए मौसम ऊष्णआर्द्र बना रहता हैं, जैसा कि हीदर ग्राफ (Fig 2-5B) में स्पष्ट है।

यह क्षेत्र उष्ण होने के कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का क्षेत्र है। बंगाल की खाडी में ये चक्रवात उत्पन्न होकर भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र तथा अण्डमान एवं निकोबार क्षेत्रों में तूफान, झंझावात, तड़ितविधुत एवं प्रलयंकारी वर्षा प्रदान करते हैं। इन तूफानों एवं झंझावातों को टाइफून कहते है तथा इनके आने पर जनजीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है।

Temperature-PortBlair (in °c)
Temperature (° c)
35
30
25
20
15
10
5
0
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
29.8
30.7
31.8
30.7
30
29.3
29.2
29
29.5
29.4
29.6
29.1
22.1
22.8
22
23.2
23.4
23
23.2
23.1
22.9
22.5
22.6
22.4
mean monthly maximum temperature
mean monthly minimum temperature

Fig - 2.5A

Hyther Graph of Port Blair
30
25
20
15
10
5
0
Mar.
Feb.
Jan.
Nov.
Dec.
May
Jun.
Apr.
Sep.
Jul.
Aug.
Oct.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Mean Monthly Rainfall (In cms.)

Fig. 2.5 (B)

Actual Rainfall in Port Blair
Rainfall (mm)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3368.4
3473.1
2795.8
2811.5
2975
1997
1998
1999
2000
2001

Fig - 2.6

सारणी संख्या 2.2 ब

औसत मासिक पवनगति एवं औसत मासिक सापेक्षिक आर्द्रता–पोर्टब्लेयर

महीना	औसत पवनगति (किमी0/घन्टा)	औसत सापेक्ष आर्द्रता 2001	
	2001	8-30 hrs	17-30 hrs
जनवरी	5.1	74	77
फरवरी	4.0	75	78
मार्च	4.2	71	72
अप्रैल	6.9	82	86
मई	10.0	83	85
जून	N.A.	82	83
जुलाई	13.9	83	85
अगस्त	N.A.	83	86
सितम्बर	N.A.	84	86
अक्टूबर	N.A.	83	87
नवम्बर	4.9	80	83
दिसम्बर	7.2	71	76
औसत	7.0	79	82

सारणी संख्या – 2.3

विभिन्न स्थानों की वर्षा (मि0मी0)

स्थान	वर्शं 2001
मायाबन्दर	3177.1
लोंगद्वीप	N.A.
पार्टब्लेयर	2975.0
हटबे	3196.6
कार निकोबार	2576.5
नानकौरी	1813.1
कोण्डूल	2428.6

N.A. ज्ञात नहीं

स्रोत :– आर्थिक एवं संख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार

वनस्पति :

यहाँ का समशीतोष्ण तापमान, उच्च आर्द्रता एवं पर्याप्त वर्षा पौधों के विकास में सहायक सिद्व होती हैं। इसलिए इन द्वीपों में वनस्पति की प्रचुरता है (प्लेट 678)। द्वीपों में शायद ही कोई ऐसा वृक्ष मिलेगा, जिसके ऊपर परजीवी पौधे एवं लताएं न पनप रहे हों (प्लेट सं0 8)। यहाँ के वन सदाबहार प्रकार के मिश्रित वन हैं।[8] जिनमें अनेक प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर कुल 7171 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, जो सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 86 प्रतिशत है। इसमें 5638 वर्ग किमी0 वनक्षेत्र अण्डमान द्वीप समूह में तथा 1533 वर्ग कि0मी0 निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। सम्पूर्ण वन क्षेत्र (7171 वर्ग कि0मी0) में 2929 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर आरक्षित वन हैं, तथा शेष 4242 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर संरक्षित वन हैं। यहाँ के वनों से प्रति वर्ष लगभग 85 हजार घन मीटर इमारती लकडी निकाली जाती है, जिसमें से अधिकांश बाहरी देशों को निर्यात होती है तथा शेष देश के घरेलू कामों में खपत होती है। इन वनों से वन विभाग को लगभग तीन हजार लाख रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के वन सदाबहार, सघन एवं मिश्रित (प्लेट संख्या 9 एवं 10) होने के बावजूद भी अनेक उत्पादों के माध्यम से स्थानीय एवं देश की आय में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। यहाँ के जंगलों में पाये जाने वाली महत्वपूर्ण वनस्पतियों का संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है।

प्रमुख वृक्षों के प्रकार :

इन द्वीपों के वनों में 200 से भी अधिक वृक्षों की किस्में पायी जाती हैं, जिसमें मात्र 44 प्रकार के वृक्षों को उपयोग में लाया जाता है तथा लगभग 29 प्रकार की किस्मों को औद्योगिक उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर पायी जाने वाली मुख्य वृक्षों में गर्जन, पैडाक, मैग्रूव, सागौन, बेंत एवं बाँस, नारियल एवं सुपाडी,

प्लेट संख्या–7

जारवा आदिम जनजाति का पुरुष

प्लेट संख्या–8

घने जंगल एवं लताएं

मारबल बुड, चुई, काजू, बादाम आदि है। गर्जन का वृक्ष अत्यन्त कठोर लकडी वाला होता है। न ये जल्दी सड़ता है और न ही दीमक लगते हैं। इसलिये इसकी लकड़ी इमारती होती है तथा ये रेल की पटरी, जलयान, नौकाये, आदि बनाने तथा फर्नीचर निर्माण के कार्य में आता है। पड़ाक वृक्ष भी गर्जन की तरह ही कठोर एवं इमारती लकड़ी वाला होता है, तथा यह भी रेल पटरियाँ, जलयानों एवं औद्योगिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों वृक्षों का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे इनकी कटायी भी तेजी से हो रही है। गर्जन एवं पडाक उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, एवं लिटिल अण्डमान, ग्रेट निकाबार, एवं कार निकोबार में बहुतायत से तथा अन्य द्वीपों में छिटपुट रुप से मिलता है। मैग्रूव भी उपरोक्त द्वीपों के तटीय भागों में स्थित है तथा इसे स्थानीय भाषा में "खाड़ी बल्ली" कहते है। यह नौकाओं के निर्माण, गृह निर्माण एवं जलाने आदि के काम आता है। इससे तटीय क्षेत्रों का कटाव भी रुकता है। सागौन उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी अण्डमान में छोटे–छोटे क्षेत्रों में मिलता है। निकोबार के द्वीपों में यह नही पाया जाता है (Fig 2.7A&B)। सागौन भी इमारती लकड़ी वाला वृक्ष है तथा इसकी लकड़ी का उपयोग भी औद्योगिक एवं इमारती लकड़ी के रूप में होता है। बेंत एवं बाँस मिले–जुले रूप में अण्डमान एवं निकाबार के सभी द्वीपों में पाये जाते हैं। इनका उपयोग आवासीय कार्यों, घरेलू कार्यों, सजावटी सामानों, कुर्सियों आदि के बनाने में किया जाता है। नारियल एवं सुपाड़ी के वृक्ष (प्लेट सं0 6) भी सभी द्वीपों पर प्राप्त होते हैं। इन वृक्षों के फल भारतीय मुख्य स्थल एवं विदेशों को भी भेजे जाते हैं। काजू एवं बादाम के झाड़ मध्य अण्डमान, ग्रेट निकोबार एवं कचाल द्वीप में पाया जाता हैं।

इसके अलावा यहाँ पर अन्य वृझ जैसे चुई, लकुच, कोको, चुगलम, मारबलवुड, खाया, थिंगन, थुबेगी, तुंगपेगी, दीदू आदि वृक्ष भी मिले जुले रुप में अण्डमान–निकोबार के अनेक द्वीपों में

प्लेट संख्या–9

सधन वन एवं एक जारवा बालिका

प्लेट संख्या–10

शिकार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जारवा बच्चे

पाये जाते हैं। लेकिन इनका उपयोग छोटे घरेलू कार्यों तक ही सीमित हैं। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के वनों में पाये जाने वाले प्रमुख वक्षों का स्थानिक वितरण मानचित्र संख्या 2.7 A एवं B में प्रदर्शित हैं।

मिट्टी :

अण्डमान एवं निकोबार की मिट्टी मुलायम और गहरी बलुई है, जो कि अच्छी संगठित दोमट मिट्टी है। यह ज्यादातर घाटियों में पायी जाती है। पहाडी क्षेत्रों में कठोर चट्टानों की मिट्टियाँ पायी जाती हैं, जो माइका और बालू द्वारा निर्मित है। कुछ क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी भी पायी जाती है। पार्किन्सन (1923) ने यहाँ की मिट्टीयों को पाँच भागों में विभक्त किया है जो निम्न हैं–

1. समुद्र के महाद्वीपीय मग्नतट के किनारे वाले भाग में हल्की दोमट मिट्टी पायी जाती है। यह उत्तरी अण्डमान के डिगली एवं सीतानगर, मध्य अण्डमान के उत्तरी पश्चिमी भागों एवं दक्षिणी अण्डमान के बम्बूफ्लाट, स्ट्रेवटगंज, विम्बर्लीगंज, छोलदारी, एनीकेट आदि स्थानों पर मुख्य रुप से पायी जाती है। लिटिल अण्डमान में भी यह मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है (Fig. 2.8 A & B)। निकोबार के द्वीपों में यह मिट्टी कारनिकोबार के कुछ भागों एवं ग्रेटनिकोबार में पाये जाते हैं। समुद्र के ज्वार–भाटे के कारण मिट्टी का अपरदन और निक्षेपण होता रहता है। यह क्षेत्र मैंग्रोव वन के अर्न्तगत आता है।
2. समुद्र तट से दूर घाटियों की मिट्टी बलुई दोमट गहरी उपजाऊ होती है। अत : यह सदाबहार वनों का क्षेत्र है। यह मिट्टी अण्डमान के सभी द्वीपों में तथा निकोबार जिले के कुछ द्वीपों में पायी जाती है, जिससे इसी क्षेत्र में कृषि की गहनता है।
3. निम्न उबड–खाबड मैदान, जहाँ मिट्टी बालू की चट्टान से बनी होती है। यहाँ अधिकांशतः छोटे–छोटे पौधे और झॉडियाँ पायी जाती हैं। यह मिट्टी अण्डमान द्वीप के उत्तरी भाग, लिटिल अण्डमान के हटबे

ANDAMAN ISLANDS

NICOBAR ISLANDS

क्षेत्र एवं हरमिन्दर बे का क्षेत्र तथा निकोबार के कारनिकोबार में प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं (Fig. 2.8 A & B)।

4. पहाड़ियों में पीली भूरी मिट्टी पायी जाती है। यह उत्तरी, मध्य, दक्षिणी एवं लधु अण्डमान तथा निकोबार के नानकौरी, कचाल, ट्रिंकेट आदि द्वीपों में पायी जाती है। इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाये जाते हैं।
5. ऊँची और नुकीलीदार पहाडियाँ जैसे सैडलपीक और माउन्ट फोर्ड पर लाल भूरी उपजाऊ मिट्टी पायी जाती है। और भीतर की ओर एक बडी घुमावदार चट्टान होती हैं, जिसके चारों ओर घनी झाडियाँ, बांस, बेत और छोटी ऊँचाई के कठोर लकड़ी के वृक्ष पाये जाते हैं।

सांस्कृतिक कारक :

संस्कृतिक कारकों में जनसंख्या, कृषि, उधोग, परिवहन आदि मुख्य हैं, जिनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है।

जनसंख्या :

वर्तमान समय में अण्डमान–निकोबार द्वीपों की कुल जनसंख्या 356265 व्यक्ति हैं, जो भारतीय मुख्य स्थल की एक जिले की जनसंख्या से भी कम है। स्वतंत्रता के पूर्व अण्डमान निकोबार की जनसंख्या बहुत कम थी तथा उसका विकास भी काफी धीमा था (सारणी संख्या 2.4)। 1901 में यहाँ की कुल जनसंख्या मात्र 24649 व्यक्ति थी, जिसमें अण्डमान द्वीप की जनसंख्या 18138 तथा निकोगार द्वीप की जनसंख्या 6511 थी। 1931–41 के दशक तक यह जनसंख्या बढ़कर 33767 हो गयी। लेकिन 1941–51 के दशक में अण्डमान निकोबार जनसंख्या में –8.28% की गिरावट आयी, जिससे यहाँ की जनसंख्या घटकर 30971 व्यक्ति हो गयी (सारणी संख्या 2.4 एवं Fig-2.9)। इसका मुख्य कारण अगस्त 1947 में स्वातंत्रता के पश्चात यहाँ के जेल से छूटे कैदियों का अपने जन्मस्थान की ओर प्रवास करना

ANDAMAN ISLANDS

NICOBAR ISLANDS

था। लेकिन स्वातंत्रता के पश्चात् सरकार ने अण्डमान निकोबार द्वीपों में बसने हेतु लोगों को आकर्षित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की। परिणामस्वरुप 1951 के पश्चात तीव्र गति से जनसंख्या का विकास हुआ है। 1971 के बाग्लादेश युद्ध के पश्चात हजारों बाग्लादेशी शरणार्थी यहाँ पर आकर बस गए। साथ ही भारतीय मुख्य स्थल से बंगाली, पंजाबी एवं अन्य जातियों के लोग भी व्यवसाय हेतु इन द्वीपों पर पहुँचने लगे। परिणामस्वरूप 1951 से 2001 तक जनसंख्या लगभग साढ़ेदस गुनी बढ़कर 2001 में 356265 व्यक्ति हो गयी, जिसमें 308497 व्यक्ति अण्डमान में तथा 47768 व्यक्ति निकोबार के द्वीपों में है। सर्वाधिक दशाब्दिक वृद्वि 1951 से 1961 के मध्य 105.2% रही। 1961–71 के बीच 81.17% तथा 1971–81 के मध्य लगभग 64% रही। 1991–2001 के मध्य दशाब्दिक वृद्वि मात्र 21.4% रही। इसका कारण उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सरकार ने इन द्वीपों के जंगली एवं आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के प्रवेश एवं प्रवास पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया (सारणी 2.4, Fig 2.9)। अण्डमान निकोबार की राजधानी पोर्टब्लेयर इस क्षेत्र का एक मात्र नगर है। इसकी जनसंख्या में भी पिछले 50 वर्षों में तीव्र वृद्वि हुई है (Fig2.10)। वर्तमान समय में इसकी जनसंख्या 114985 व्यक्ति है।

सारणी संख्या – 2.4

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपों की जनसंख्या

जनगणना वर्श	अण्डमान	निकोबार	योग	दशकीय वद्दि (प्रतिशत में)
1901	18138	6511	24649	–
1911	17641	8818	26459	(+) 7.34
1921	17814	9272	27086	(+) 2.37
1931	19223	10240	29463	(+) 8.78

Population of A & N Islands Since 1901
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Population
24649
26459
27086
29463
33768
30971
63548
115133
188741
280661
356265
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
Census Years

Population of Port Blair Town
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Population
7789
14075
26128
49634
74955
114985
1951
1961
1971
1981
1991
2001
Census Years

Fig - 2.10

1941	21316	12452	33768	(+) 14.61
1951	18962	12009	30971	(–) 8.28
1961	48985	14563	63548	(+) 105.19
1971	93468	21665	115133	(+) 81.17
1981	158287	30454	188741	(+) 63.93
1991	241453	39208	280661	(+) 48.70
2001	308497	47768	356265	(+) 21.4

स्रोत :– आर्थिक एवं संख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

जहाँ तक जनसंख्या के वितरण का प्रश्न है, अधिकांश जनसंख्या उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी अण्डमान मे केन्द्रित है। इसके बाद लिटिल अण्डमान, ग्रेटनिकोबार, एवं कारनिकोबार में भी जनसंख्या का मध्यम वितरण है। शेष द्वीपों में जनसंख्या छिट–पुट रुप में पायी जाती हैं। अध्ययन क्षेत्र के सात तहसीलों में सर्वाधिक जनसंख्या (166138 व्यक्ति) पोर्टब्लेयर तहसील में पायी जाती है। 47467 व्यक्ति के साथ फरारगंज तहसील दूसरे स्थान पर तथा 40294 व्यक्ति के साथ रंगत तहसील तीसरे स्थान पर है (सारणी संख्या 2.5)। इस प्रकार उपरोक्त तीनों तहसीलों में इस क्षेत्र की दो तिहाई जनसंख्या निवास करती है। शेष एक तिहाई जनसंख्या अन्य चार तहसीलों में वितरित हैं। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व उत्तरी, मध्य, एवं दक्षिणी अण्डमान के पूर्वी भागों, लिटिल अण्डमान एवं निकोबार के पूर्वी भागों नदी घाटियों आदि में पाया जाता हैं (Fig 2.11 A & B)। पश्चिमी भागों में जंगली एवं आदिवासी क्षेत्र होने के कारण लोगों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध है। अतः इन क्षेत्रों एवं पहाडी क्षेत्रों में जनसंख्या का न्यून धनत्व है। यहाँ पर 1901 में जनसंख्या घनत्व मात्र 3 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 था, जो पचास वर्षो में बढ़कर मात्र 4 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 हुआ। लेकिन अगले पचास वर्षों में (2001 तक) जनसंख्या

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 2.11 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 2.11 (B)

घनत्व में तीव्र वृद्धि हुई और यह वर्तमान समय में 43 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 (Fig 2.12) है। सर्वाधिक घनत्व (150 व्यक्ति/वर्ग किमी0) वाली तहसील कारनिकोबार है, 61 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0 के साथ पार्टब्लेयर तहसील दूसरे स्थान पर है, जबकि फरारगंज तहसील तीसरे स्थान पर (36 व्यक्ति/वर्गकि0मी0) है। अण्डमान जिले का औसत घनत्व 40 व्यक्ति/वर्गकिमी0 तथा निकोबार जिले का घनत्व 28 व्यक्ति/वर्गकि0मी0 है।

सारणी संख्या 2.5

तहसीलवार जनसंख्या (संख्या में)

तहसील	**कुल जनसंख्या**	
	1991	**2001**
डिगलीपुर	23734	28774
मायाबन्दर	21570	26190
रंगत	33368	40298
पोर्टब्लेयर	123504	166138
फरारगंज	39277	47467
कारनिकोबार	19336	23326
नानकौरी	19872	24072
योग	280661	356265

स्रोत :– आर्थिक एवं संख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

वर्तमान समय में इस क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या 32340 व्यक्ति है। जो सम्पूर्ण जनसंख्या का मात्र 9% है। जबकि 1991 में यह सम्पूर्ण जनसंख्या का 9.8% (26770 व्यक्ति) थी। जनजातीय जनसंख्या में लगभग 98% से भी अधिक निकोबारी जनजाति के लोग है। शेष 2% से भी कम में अन्य पाँच प्रकार की जनजातियाँ

Density Population of A & N Islands
Density (Persons per Sq.Km.)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
3
3
3
4
4
4
8
14
23
34
43
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
Census Years

Fig - 2.12

है। वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र का लिंगानुपात 846 पुरुष/प्रति हजार महिला पर है। 1991 में यह मात्र 818 था। सर्वाधिक लिंगानुपात 902 पुरुष कार निकोबार तहसील का है, दूसरे स्थान (856 पुरुष) पर मायाबन्दर एवं तृतीय स्थान (854 पुरूष) पर डिगलीपुर एवं फरारगंज तहसीलें हैं।

वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र की कुल साक्षरता दर 81.18% है, जिसमें पुरुष साक्षर 86.7% एवं महिला साक्षर 75.3% है। पिछले दशक में साक्षरता दर क्रमशः 73.02%, 78.9%,एवं 65.46% थी। जनजातियों की जनसंख्या में कुल साक्षरता लगभग 50% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 58% एवं महिला साक्षरता 42% है। यह साक्षरता दर मात्र निकोबारी जनजाति पर लागू होती है। अन्य जातियों की साक्षरता दर नगण्य है।

अधिवास तंत्र :

अण्डमान निकोबार में मुख्यतः तीन प्रकार के अधिवास मिलते है—1.सघन अधिवास, 2.विरल अधिवास एवं 3. अत्यन्त विखरे अधिवास। सघन अधिवास अधिकांशतः पोर्टब्लेयर, डिगलीपुर, रंगत, मायाबन्दर, कैम्पबेल बे, हटबे, आदि में पाये जाते हैं। विरल अधिवास अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों एवं निकोबार द्वीपों में पाये जाते है,जबकि अत्यन्त बिखरे अधिवास जंगली क्षेत्रों में आदिवासियों की झुग्गी झोपडियों के हैं, जो एक दूसरे से काफी दूर बसे हैं। निर्माण सामग्री एवं बनावट के आधार पर अधिवासों को पुनः तीन भागों में बाँटा जा सकता है— 1. लकडी के आवास 2.बजरी कांक्रीट के आवास 3.जनजातीय झुग्गी झोपडियाँ (प्लेट संख्या 11)। जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर लकडी पर्याप्त मात्रा में एवं सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाती थी। अतः अधिकांश पुराने आवास लकड़ियों द्वारा ही निर्मित हैं। 1970 के दशक से तीव्र विकास प्रक्रिया के कारण कांक्रीट के मकानों

प्लेट संख्या–11

कारनिकोबार द्वीप स्थित निकोबारी झोपड़ी

प्लेट संख्या–12

ओंगी बहुउद्देशीय सहकारी समिति

की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे लकड़ी निर्मित मकानों की संख्या कम हो गयी। लेकिन वर्तमान समय में इमारती लकड़ियों से आज भी टिकाऊ और खूबसूरत एपार्टमेन्ट, होटल एवं रेस्टोरेन्ट बनाये जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय लोग लकड़ियों के मकान बनाते है। ये मकान ग्राम्य क्षेत्रों में तो एक तलीय तथा नगरीय क्षेत्रों में दो तलीय हुआ करते है।

बजरी कांक्रीट के मकान सर्वप्रथम सरकारी भवनों के रुप में प्रारम्भ हुए। लेकिन अब उच्च आर्य वर्ग के लोग भी कांक्रीट के मकान बनवा रहे हैं (प्लेट सेख्या 12)। ऐसे मकान अधिकांशतः पोर्टब्लेयर, रंगत, डिगलीपुर, आदि में पाये जाते हैं। ये अधिकांशतः दो तलीय हैं। लेकिन कहीं-कहीं पर तीन तलीय भी मिलते है। इन मकानों की रचना आधुनिक शिल्प एवं भवन निर्माण कला के आधार पर हो रही है। तीसरे प्रकार के अधिवास जनजातीय झुग्गी झोपडियाँ हैं, जो अधिकांशतः बेत, बॉस एवं घास-फूस से बने हाते हैं (प्लेट संख्या 11एवं 13)। ये जंगलों में बिखरे हुए पाये जाते है।

अण्डमान निकोबार में कुल जनगणना ग्रामों की संख्या 547 है, जिनका तहसीलवार वितरण एवं प्रति ग्राम औसत जनसंख्या निम्नलिखित सारणी संख्या 2.6 में प्रदर्शित हैं।

सारणी संख्या – 2.6

तहसीलवार जनगणना : ग्राम एवं औसत जनसंख्या (1991 जनगणना के अनुसार संख्या में)

तहसील	जनगणना ग्राम	औसत जनसंख्या प्रति ग्राम
डिगलीपुर	42	565
मायाबन्दर	71	304
रंगत	75	445
पोर्टब्लेयर	87	558
फरारगंज	80	491
कारनिकोबार	16	1208
नानकौवरी	176	113
योग	547	376

कृषि :

18वीं शताब्दी तक अण्डमान एवं निकोबार द्वीप जंगली एवं वीरान थे, तथा यहाँ के लोग अनाजों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। ये कन्दमूल, फल, मछली, एवं जंगली जानवरों का शिकार कर जीवन निर्वाह करते थे (प्लेट संख्या 14 एवं 15)। 1898 में बन्दी शिविर की स्थापना के साथ कैदियों द्वारा यहाँ के जंगल साफ कराये गए, तथा उन्हीं के द्वारा 724 एकड भूमि पर कृषि कार्य प्रारम्भ किया गया।[9] कैदियों की संख्या में तेजी से वृद्धि के कारण उनके भोजन पर, जो भारतीय मुख्य भूमि से मगाया जाता था, अधिक खर्च आने लगा। अतः सरकार ने उन्हे पोर्ट ब्लेयर के बाहर कृषि योग्य भूमि प्रदान कर कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया। ऐसे कैदियो की संख्या लगभग 7000 थी, जिन्होने लगभग 4500 एकड भूमि को कृषि योग्य बनाया। 12000 एकड भूमि पर धान एवं तरकारियाँ उत्पन्न की गयी। 1894–95 में 22,306 एकड भूमि में जंगल साफ कराया गया। उसमें से 10,140 एकड भूमि चाय, कहवा और कोको पैदा करने के लिए तथा 4,425 एकड भूमि नारियलों के बागान और तरकारियाँ लगाने के लिए सुरक्षित रखी गयी। 5,715 एकड भूमि कृषि के लिए कैदियों में वितरित की गयी। कैदियों ने 585 एकड में चाय पैदा की और उस वर्ष 1,21,641 पौड़ चाय का उत्पादन हुआ। 50 एकड भूमि में कहवा, कुछ क्षेत्र में कोको और कुछ में सुपारियों के बगान कैदियों ने लगाये।[10]

स्वतंत्र कालोनी धोषित होने के बाद बर्मा के करेंन लोगों को इन द्वीपों में बसाया गया। करेन बर्मा के प्रसिद्ध कृषकों में गिने जाते है। सर्वप्रथम उन्हें उत्तर अण्डमान के साउंड तथा स्टेवर्ट क्षेत्रों में बसाया गया। लेकिन कृषि के क्षेत्रों में प्रशासन ने कोई ध्यान नही दिया। इसलिए ये क्षेत्र कृषि में पिछडे रहे। 1942 में जापानियों द्वारा इन द्वीपों पर अधिकार करने के पश्चात् इस क्षेत्र को

प्लेट संख्या–13

जारवा अर्धनिर्मित झोपड़ी

प्लेट संख्या–14

जारवा द्वारा एकत्रित भोज्य सामाग्री

कृषि में स्वावलम्बी बनाने हेतु कैदियों को कठिन परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया गया तथा कृषि उपज बढ़ाने हेतु नए बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे इन द्वीपों में कृषि की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन जापानी सेनाओं के इस द्वीप से हटने के बाद कृषि आन्दोलन भी लगभग समाप्त हो गया। इस क्षेत्र में कृषि कांति वास्तव में स्वतंत्रता के पश्चात प्रारम्भ हुई, जब इस क्षेत्र को कृषि में स्वावलम्बी बनाने हेतु पूर्वी बंगाल, लंका और बर्मा के विस्थापितों को यहाँ पुनरवास प्रदान किया गया। तब से आज तक इन द्वीपों के कृषि में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। वर्तमान समय में अण्डमान एवं निकोबार द्वीपों के भूमि उपयोग तथा क्रियाशील भूमि स्वामित्व की संख्या एवं आकार निम्न सारणियों में स्पष्ट है (सारणी संख्या 7 अ,ब एवं स)।

सारणी संख्या – 2.7 (अ)

अण्डमान जनपद का भूमि उपयोग (**1997–98**)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

अण्डमान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	640800.0000
संपूर्ण प्रतिवेदित क्षेत्र	59765.7865
कृषि हेतु अनुपलब्ध क्षेत्र	17132.5675
परती भूमि के अलावा अन्य अकृषित क्षेत्र	24668.3850
परती भूमि	3715.3700
सकल फसली क्षेत्र	14949.5340
शुद्व बोया गया क्षेत्र	14249.4640
एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	700.0700

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

सारणी संख्या –2.7 (ब)

अण्डमान जनपद में क्रियाशील जोतों की संख्या, क्षेत्रफल एवं औसत आकार

आकार वर्ग	जोतो की संख्या	जोतो का क्षेत्रफल (हे0)	औसत आकार (हे0)
सीमांत	2421	913.0	0.38
लघु	2423	3434.0	1.42
अर्ध मध्यम	3332	8183.0	2.46
मध्यम	1838	7770.0	4.23
बृहत	57	3564.0	62.52
योग	10071	23864.0	2.37

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

सारणी संख्या –2.7 (स)

निकोबार जनपद में क्रियाशील जोतों की संख्या, क्षेत्रफल एवं औसत आकार

आकार वर्ग	जोतो की संख्या	भूमि इकाई क्षेत्रफल (हे0)	औसत आकार (हे0)
सीमांत	7	3.0	0.43
लघु	1	1.0	1.00
अर्ध मध्यम	11	27.0	2.45
मध्यम	281	1358.0	4.83
बृहत	11	1271.0	115.54
योग	311	2660.0	8.55

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

प्लेट संख्या–15

शहद का सेवन करती एक जारवा महिला

प्लेट संख्या–16

एक निकोबारी गाँव (हरमिंदरबे)

मुख्य फसलें :

अण्डमान–निकोबार द्वीपों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें चावल, गन्ना, केला, पपीता, टैपीओका, दालें एवं नारियल मुख्य हैं। इसके साथ रबर, रेडआयल पाम, सब्जियाँ, संतरे एवं विविध प्रकार के मसाले भी पाये जाते हैं। धान की कृषि उत्तरी, मध्य, दक्षिण एवं लघु अण्डमान में बहुतायत से की जाती है, जहाँ पर बंगालियों की जनसंख्या अधिक पायी जाती है। 1997–98 में धान के अन्तर्गत 12456 एकड क्षेत्र था, जो 1999–2000 में घटकर 12231 हेक्टेयर रह गया। इसी प्रकार चावल के उत्पादन में भी थोड़ी गिरावट आयी है, जैसा कि सारणी संख्या 2.8 अ से स्पष्ट है। चावल के क्षेत्र में ही गन्ने की भी कृषि होती है। गन्ने के क्षेत्रफल में भी 1997–98 (266 हेक्टेयर) की अपेक्षा 1999–2000 में गिरावट (188 हेक्टेयर) आयी है। यही स्थिति गन्ने के उत्पादन में भी रही है (सारणी संख्या 2.8 अ)। केला, पपीता एवं अनन्नास की कृषि अधिकांशतः ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, एवं लघु अण्डमान में की जाती है। केला एवं पपीता के क्षेत्र में 1997–98 की अपेक्षा 1999–2000 में वृद्धि हुई है। यही स्थिति इन फसलों के उत्पादन में भी रही है (सारणी संख्या 2.8 अ)। नारियल अधिकांशतः कारनिकोबार, तरेसा, कचाल, नानकौरी, लघुनिकोबार आदि में बहुतायत से पाया जाता है तथा लिटिल अण्डमान, मध्य अण्डमान एवं उत्तरी अण्डमान में भी नारियल के बागान देखने का मिलते हैं (Fig 2.13 A & B एवं प्लेट संख्या 6,16 एवं 17)। नारियल का क्षेत्रफल एवं उत्पादन सारणी संख्या 2.8 अ में प्रदर्शित है। रबी फसल मे कुछ दालें भी उगाई जाती हैं, जिनका क्षेत्रफल एवं उत्पादन 97–98 में काफी अधिक था। लेकिन अन्य फसलों के विस्तार के कारण 1999–2000 में इसका क्षेत्रफल एवं उत्पादन काफी घट गया। इस प्रकार रबर के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में भी पिछले सालों की अपेक्षा

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 2.13 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 2.13 (B)

गिरावट आयी है (सारणी संख्या 2.8 ब)। रेडआँयल पाम का क्षेत्रफल तो लगभग वही है, जो लिटिल अण्डमान तक सीमित है। लेकिन इसके उत्पादन में काफी कमी आयी है (सारणी संख्या 2.8 स)।

सारणी संख्या – 2.8 अ

अण्डमान एवं निकोबार के विभिन्न फसलों का उत्पादन एवं क्षेत्रफल

	1998–1999		1999–2001	
	क्षेत्रफल(हे0)	उत्पादन (मि.ट.)	क्षेत्रफल (हे0)	उत्पादन (मि.ट.)
धान	12163	30000	12231	26249
केला	1612	9952	1597	11532
मीठा आलू	150	237	143	283
टेपीओका (केवड़ी)	415	3520	385	3270
प्पीता	153	1482	154	1500
चेस्टनट	872	239	872	288
गन्ना	190	4750	188	4700
रबी की दाले	2400	1650	700	493
नारियल	24746	8.60	24747	87.50

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

सारणी संख्या – 2.8 (ब)

रबर का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

वर्ष	क्षेत्रफल (हे0)	उत्पादन(मि0ट0)
1994–95	973.90	995
1995–96	954.20	842
1996–97	954.20	629
1997–98	918.00	865
1998–99	918.00	759

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

प्लेट संख्या–17

नारियल बागानों में कार्यरत निकोबारी

प्लेट संख्या–18

पोर्टब्लेयर स्थित चाथम आरा मिल

सारणी संख्या – 2.8 (स)

रेड आयल पाम का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

वर्ष	क्षेत्रफल (हे0)	तेल उत्पादन (मि0ट0)
1994–95	1593	1745
1995–96	1593	1544
1996–97	1593	1426
1997–98	1593	1700
1998–99	1593	1204

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

उपरोक्त फसलों के अलावा यहाँ पर कहवा एवं चाय की भी बागानी कृषि जाती है। धन्नी खाड़ी में कहवा के जो बागान लगाये गए हैं उसके काफी उत्साह वर्धक परिणाम निकले हैं। अब अन्य स्थानों पर भी ये बागान लगाए जा रहे है। 1994–95 में चाय की प्रारम्भिक कृषि के उत्साह वर्धक उत्पादन को देखते हुए इसे अण्डमान निकोबार के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किए जाने की योजना बनायी गयी है। इस समय चाय के बागान भी कई हेक्टेयर भूमि पर लगाये जा चुके हैं। द्वीपों में शोल बे की समानान्तर घाटी, कालाटांग, राइटम्यों क्षेत्र आदि में चाय के बागान हैं। भविष्य में यहाँ पर चाय के भारी उत्पादन की संभावना है।

सरकार ने कृषि विकास प्रक्रिया को तीव्रतर करने एवं क्षेत्र की खाद्य सामाग्री की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनेक कार्यक्रम योजनाये एवं प्रोत्साहन दे रही है। यत्र–तत्र सिचाई हेतु डीजल चालित इंजन तालाबों, नालों एवं झरनों नदियों आदि में लगाए जा रहे हैं तथा कृषको को इस हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस प्रकार की सिचाई व्यवस्था छोलदारी, रामकृष्ण ग्राम,

सुभाषग्राम आदि में की गयी है। कृषि उपज बढ़ाने हेतु कृषकों को सुधरे हुए बीज, विविध प्रकार के रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक भी प्रदान किये जा रहें हैं, जिनका उल्लेख सारणी संख्या 2.9 अ,ब एवं स, में स्पष्ट है। लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में खाधान्नों की कमी बनी हुई है, जिससे प्रमुख खाधान्नों जैसे चावल, गेहूँ, चीनी, आदि का आयात किया जा रहा है (Fig.2.14)। इनका वितरण विविध तहसीलों में स्थित सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा किया जा रहा है (सारणी संख्या 2.10)।

सारणी संख्या – 2.9 (अ)

बीजों का वितरण

वर्ष	धान बीज (मि0ट0)	सब्जी के बीज (कि0ग्रा0)
1994–95	39	7850
1995–96	46	7750
1996–97	44.4	9600
1997–98	60	10000
1998–99	22	6900

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

सारणी संख्या – 2.9 (ब)

कीटनाशकों का वितरण

वर्ष	सूखे प्रकार के (मि0ट0)	तरल प्रकार के (लीटर)
1994–95	63	3097
1995–96	50	3820
1996–97	76	3720
1997–98	48	3791
1998–99	118	5619

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

Import of Rice, Wheat & Sugar by Supply Department
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
(In Metric Tonnes)
22000
7222
3171
29000
8400
3550
24679
7122
3326
23138
7705
3283
27188
8619
3223
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
Rice
Wheat
Sugar

Fig - 2.14

सारणी संख्या – 2.9 (स)

उर्वरकों का वितरण (मि0ट0)

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश
1994–95	240	96	250
1995–96	226	113	64
1996–97	219	156	47
1997–98	226	107	58
1998–99	248	153	78

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

सारणी संख्या – 2.10

जनपद/तहसीलवार सस्ते गल्ले की दुकानें

क्षेत्र/प्रदेश	1999–2000	2000–2001
1– अण्डमान जनपद		
डिगलीपुर	7	9
मायाबन्दर	16	16
रंगत	56	56
पोर्टब्लेयर	191	196
फरारगंज	67	67
योग	337	347
2– निकोबार जनपद		
कारनिकोबार	15	15
नानकौरी	40	51
कैम्पबेल बे	12	13
योग	67	79

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर।

उद्योग :

अण्डमान–निकोबार द्वीप में विविध प्रकार की औद्योगिक उपयोग की इमारती लकड़ियाँ, रबड़, नारियल, रेड आयल पाम, विविध प्रकार के कन्दमूल फल आदि, विविध प्रकार की कृषि उत्पाद जैसे गन्ना, आलू, केला, चाय, कहवा, आदि तथा समुद्रों में पायी जाने वाली अनेक बहुमूल्य वस्तुयें जैसे शंख, टरबों, रंगबिरंगी सीपियाँ, कौड़ियाँ, प्रवाल आदि सुगमता से उपलब्ध है। ये सभी वस्तुएं अण्डमान–निकोबार द्वीपों में कुटीर, लघु एवं मध्यम स्तर के औद्योगीकरण हेतु सशक्त आधार प्रस्तुत करते हैं। इसके सम्यक उपयोग एवं दोहन से एक ठोस विनिर्माण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस क्षेत्र में औद्योगिक संभावनाओं को तलाशने में एवं औद्योगिक विकास को तीव्र करने हेतु अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाए हैं, जिनका लाभ धीरे–धीरे क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। यहाँ के वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अबाध शोषण न हो, तथा पर्यावरण संतुलन भंग न हो, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सरकार ने समय–समय पर अनेक सीमाएँ एवं प्रतिबंध भी लगाती रही है। वर्तमान समय में अण्डमान–निकोबार द्वीपों में विविध स्तर की औद्योगिक इकाइयों का विकास एवं उनकी संख्या निम्नलिखित सारणी में (सारणी संख्या 2.11) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों में लगभग साढ़े पाँच हजार व्यक्ति रोजगार प्राप्त किये हुए हैं।

सारणी संख्या – 2.11

अण्डमान एवं निकोबार में औद्योगिक इकाइयों की संख्या

प्रकार	1995	1996	1997	1998	1999
बृहत/मध्यम पैमाने के उद्योग	05	05	05	05	05
लघु पैमाने के उद्योग	1119	1175	1216	1266	1316

Industries
N
Coco (Myanmar)
Coco Channel
Land Fall
North Andaman
Interview
Narcondam
Middle Andaman
ANDAMAN
Barren
Kadamtala
Ritchies
ISLANDS
Bambooflat
Chatham Saw Mil
Port Blair
North Sentinel
Junglighat Saw Mil
Rutland
Gara Charama Industrial Estate
Duncan Passage
South Sentinel
Little Andaman
Ten Degree Channel
BAY OF BENGAL
ANDAMAN SEA
NICOBAR
ISLANDS
Car Nicobar
Batti Malv
Tillanchon
Chaura
Kamorta
Teressa
Nancowry
Katchall
Sombrero Channel
Little Nicobar
Scale
0 20 40 60 80 100 Kms.
Campbel Bay Industrial Estate

Fig. 2.15

औद्योगिक केन्द्र	10	11	11	15	15
औद्योगिक क्षेत्र	01	01	04	06	06

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

यहाँ पर पाये जाने वाले विविध औद्योगिक इकाइयों में लकड़ी आधारित, कृषि आधारित, समुद्री वस्तु आधारित, खाद्य पदार्थ आधारित, रसायन आधारित, एवं अभियांत्रिकी आधारित उद्योग प्रमुख हैं। इसके अलावा चमड़े वस्त्र, नारियल जूट आदि सम्बन्धी उद्योग भी पाये जाते हैं।

वन आधारित उद्योग :

वनों से प्राप्त विविध प्रकार की लकड़ियों से अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ जैसे प्लाइवुड, दियासलाई की तीलियाँ एवं डिब्बे, वेनियर, फर्नीचर, लकड़ी के बोबिन, तखत, खिलौने आदि विविध स्थानों पर चल रही हैं (Fig 2.15)। यहाँ पर वर्तमान समय में 6 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गए हैं, जिनमें अनेक प्रकार के लकड़ी आधारित उद्योग लगाए गए हैं। लकड़ी आधारित उद्योगों की कुल संख्या 271 है, जिसमें सर्वाधिक 201 दक्षिणी अण्डमान में तथा सबसे कम 4 निकोबार द्वीप में है। इन औघोगिक इकाइयों में चाथम आरा मिल, भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मिल है (प्लेट सं0 18)। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर या जंगली घाट आरामिल, अण्डमान टिम्बर इण्डस्ट्रीज, जय श्री टिम्बर प्रोडक्ट, वेस्ट इण्डिया मैच कम्पनी (विमको) आदि भी प्रमुख हैं। ये इकाइयाँ लकड़ी की चिराई कर विविध कार्यों जैसे भवन निर्माण, फर्नीचर, बोट एवं जलयान निर्माण आदि हेतु सामग्री तैयार करती हैं, जिन्हें कलकत्ता एवं मद्रास भेजा

जाता है। अण्डमान टिम्बर इण्डस्ट्रीज में बनी प्लाईवुड विशेष रूप से कलकत्ता भेजी जाती है। लेकिन लकड़ी के कटाई एवं चिराई से जनजातीय जंगली क्षेत्र प्रभावित हो रहे थे, अतः सरकार ने कुछ कारखानों को बन्द कर दिया तथा आगे कारखानों के लगाने पर रोक लगा दी।

बागान आधारित उधोगों में नारियल, सुपाड़ी, रबड़, रेड पाम आयल, नारियल जूट से निर्मित सामग्री रबड़ के जूते एवं चप्पल सम्बन्धी इकाइयाँ आदि अनेक क्षेत्रों में संचालित हैं।

कृषि आधारित उ़द्योग :

इन द्वीपों में धान, दालों और तिलहन की खेती लगभग 15 हजार हेक्टेयर भूमि पर होती है, जिससे चावल एवं दाल बनाने की छोटी इकाइयाँ संचालित हैं। उत्तरी एवं मध्य अण्डमान में गन्ने से गुड़ बनाने का कार्य भी विकसित हो रहा है। यहाँ पर अदरक, हल्दी, जिमीकन्द, रतालू, कचालू, और अनेक अन्य प्रकार के कन्दमूल के अतिरिक्त काली मिर्च, लौंग, जायफल, चाय, काफी, आदि का उत्पादन भी धीरे–धीरे विकसित हो रहा है। जिससे यहाँ पर मसाले पीसने एवं तेल निकालने जैसे उद्योग भी लगने लगे हैं।

इसके अलावा द्वीपों में मिलने वाले जानवरों जैसे सुअर, मुर्गी, एवं अन्य पशुओं से आधारित उद्योग भी विकसित होने की संभावना है। वर्तमान समय में कुल कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयाँ की संख्या 120 है, जिसमें 85 दक्षिणी अण्डमान में तथा सबसे कम 9 उत्तरी अण्डमान में पायी जाती है (सारणी संख्या 2.12)।

सारणी संख्या – 2.12

क्षेत्रवार लघुउद्योग इकाईयाँ (संख्या) 1999–2000

		दक्षिणी अण्डमान	मध्य अण्डमान	उत्तरी अण्डमान	निकोबार द्वीप	योग
1	लकड़ी आधारित	201	32	34	4	271
2	एग्रो आधारित	85	15	9	11	120
3	समुद्र आधारित	48	3	3	3	57
4	खाद्यान्न आधारित	61	12	10	8	91
5	खनिज आधारित	57	4	3	–	64
6	रसायन आधारित	38	–	–	–	38
7	तकनीकी आधारित	251	8	6	2	267
8	चमड़ा आधारित	6	–	–	–	6
9	टेक्साटाइल आधारित	79	3	3	1	86
10	नारियल छिलका आधारित	2	–	–	–	2
11	अन्य	208	27	24	5	264
	योग	1036	104	92	34	1266

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर।

समुद्र आधारित उद्योग :

यहाँ के समुद्रों में विविध प्रकार की मछलियाँ एवं अन्य वस्तुयें प्राप्त होती हैं। अतः यहाँ पर मत्स्य उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। मछलियाँ पकड़ने उनके भण्डारण करने, शीतालय बनवाने एवं उनके पैकिंग करने हेतु अनेक औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं। साथ ही समुद्र की वस्तुओं जैसे शंख, टरबो, सीपियों, कौडियों एवं प्रवालों से अनेक प्रकार के आकर्षक सजावटी एवं श्रृंगार के सामान जैसे–विविध प्रकार के शंख, सीपियों की मालायें, झालर, बटन, बकल, टेबललैम्प, विविध प्रकार के डिब्बे, आभूषण आदि बनाने की कई

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 2.16 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 2.16 (B)

इकाइयाँ चल रही हैं। वर्तमान समय में समुद्री वस्तुओं पर आधारित कुल 57 इकाइयाँ संचालित है, जो विविध द्वीपों में वितरित हैं। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ आधारित 91 इकाइयाँ, रसायन आधारित 38 इकाइयाँ, अभियांत्रिकी सम्बन्धी 267 इकाइयाँ तथा कलावस्तु सम्बन्धी 86 इकाईयाँ इन द्वीपों में वितरित हैं (सारणी संख्या 2.12)।

परिवहन :

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह तक भारतीय मुख्य भूमि से आने जाने हेतु प्रमुख रूप से दो प्रकार के परिवहन साधन उपलब्ध हैं–(1) वायुयान एवं (2) जलयान। अण्डमान निकाबार द्वीपों तक जाने–आने के लिए प्रतिदिन इन्डियन एयर लाइन्स एवं जेट एयरवेज की दो–दो उड़ानें हैं। जबकि चेन्नई से पोर्टब्लेयर जाने के लिए एवं वापस लौटने हेतु सप्ताह में दो जलयान सेवायें अण्डमान–निकोबार प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं। कलकत्ते से जलयान सेवा का संचालन भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड करता है। पोर्ट ब्लेयर से विशाखापट्टनम के लिए भी जलयान सेवा उपलब्ध है।

अण्डमान–निकोबार द्वीपों में आन्तरिक परिवहन हेतु विविध प्रकार की सड़के एवं नौका सेवाएं उपलब्ध हैं। अण्डमान निकाबार की सबसे बड़ी सडक अण्डमान ट्रंक रोड है, जिसकी लम्बाई 333 कि0मी0 है। अण्डमान निकोबार में प्रमुख रूप से तीन प्रकार की सड़के पायी जाती है, जिनका स्पष्ट प्रदर्शन सारणी संख्या 2. 13 एवं मानचित्र संख्या 2.16 अ एवं ब में किया गया है। प्रदेशवार मुख्य सड़कों का वितरण सारणी संख्या 2.14 में प्रदर्शित है। विविध द्वीपों में आने जाने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा नौकायात्रा की सेवाएं प्रदान की गयी हैं जो विविध नौका धाटों(जेट्टी) से संचालित होती हैं(प्लेट संख्या 2.19)।

नौका यातायात (वेहिकल फेरी) चाथम से बम्बूफ्लाट

प्लेट संख्या–20

स्ट्रेट द्वीप स्थित ग्रेटअण्डमानी जनजाति

सारणी संख्या – 2.13

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपों में सड़को की लम्बाई (कि0मी0 में)

वर्ष	पक्की सड़के	अन्य	सड़के निर्माणाधीन
1994–95	870	34	54
1995–96	902	36	27
1996–97	1000	28	22
1997–98	1034	28	20
1998–99	1078	28	24

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999.

सारणी संख्या – 2.14

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपों की मुख्य सड़के (कि0मी0 में)

1998–99

दक्षिण अण्डमान	ट्रंक सड़के	110
	पोर्टब्लेयर मुख्यालय की सड़के	114
	अन्य सड़के (पोर्टब्लेयर से बाहर)	180
हैवलाक	अन्य सड़क	14
बराटांग	ट्रंक सड़के	22
	अन्य सड़क	7
मध्य अण्डमान	ट्रंक सड़के	122
	अन्य सड़क	96
उत्तर अण्डमान	ट्रंक सड़के	79
	अन्य सड़क	85
लिटिल अण्डमान	अन्य सड़क	26
	ट्रंक सड़के	22
कार निकोबार	अन्य सड़क	58
कचाल	अन्य सड़क	26
कमोर्टा	अन्य सड़क	8
ग्रेटनिकोबार	अन्य सड़क	4
	ट्रंक सड़के	94
नील द्वीप	अन्य सड़क	9
तरेसा	टन्य सड़क	2

स्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर 1999.

संदर्भ सूची

1. Singh, R.P. 1982 : Andaman & Nicobar Islands, Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.
2. Ibid.
3. Basic Statistic 1998-99 : Directorate of Economics and Statistics, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair.
4. Singh, R.P. 1982 : op.cit.
5. I bid.
6. Spate O.H.K. et.al. 1984 : India & Pakistan-A. Genaral and Regional Geography, M.M. Publishers, New Delhi P. 52.
7. Critchfield, H.J. 1979: General cimatology, Prentice Hall of India, New Delhi, P. 161.
8. India 1998, - A Refrence Annual, Publication's Divisions, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, New Delhi, P.4.
9. Singh, R.P. 1982 : op.cit. P.54.
10. I bid. P.55.

अध्याय–3

अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख जनजातीय वर्ग

प्रस्तावना :

भारतीय मुख्य भूमि से दूर होने तथा चारों ओर से समुद्रों से घिरा होने के कारण अण्डमान–निकोबार द्वीप दीर्घ काल तक रहस्य बने रहे तथा इनके सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नही थी। इन क्षेत्रों के अध्ययन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने ही अनेक प्रयास किये, जिससे इस क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधनो, धरातल, जलवायु, मानव वर्ग आदि के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ के मूलनिवासी पाषाण कालीन आदिवासी जनजातियाँ पूर्ण–रूपेण हिंसक एवं आदिम अवस्था में थी। अनेक बार के प्रयासों के पश्चात् कुछ जनजातीय वर्गो से सम्पर्क स्थापित करने में सफलता मिली। लेकिन इसके लिए अनेक लोगों को अपनी जान से हाँथ धोना पड़ा तथा अनेक जनजातीय व्यक्तियों की भी हत्यायें हुई । तब से लेकर आज तक इन जनजातीय वर्गो की पहचान, खान–पान, रहन–सहन, प्रजातीय विशेषताओं आदि के बारे में अनेक जनगणनाओं एवं समय–समय पर संचालित अनेक सम्पर्क कार्यक्रमो के माध्यम से काफी जानकारी प्राप्त कर ली गयी है। प्रस्तुत अध्याय में अण्डमान निकोबार की प्रमुख जनजातीय वर्गो से सम्बन्धित तथ्यो जैसे–जनजातीय प्रकार, प्रजातीय वर्ग, जनसंख्या, रोजगार, अधिवास आदि का सम्यक विश्लेषण एवं विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख जनजातीय वर्ग :

1883 में हुई जनगणना के अनुसार उस समय अण्डमान द्वीप में 12 प्रकार की जनजातियाँ–चेरियार, कोरा, टाम्बो, यैरे,

कैडी, जुबाई, कोल, पोजीगयाब, बलावा, जारवा, विया, एवं ओंगी की पहचान की गयी थी। उस समय इनकी कुल संख्या 4800 व्यक्ति के लगभग थी। इसी समय निकोबार द्वीप में कुल जनजातीय जनसंख्या 5942 व्यक्ति आँकी गयी थी।[1] जिनमें निकोबारी एवं शोम्पेन जनजातियाँ प्रमुख थी। अण्डमान की बारह जनजातियों में अधिकांश अब लुप्त हो गयी है। लेकिन कुछ बची हुई हैं, जिनकी संख्या काफी कम हैं।

पोर्टब्लेयर नगर के बाहर छोलदारी क्षेत्र के लाल पहाड़ में स्थित "किचेन मिडेन" टीले की खुदाई से इन जनजातियों के रहन–सहन एवं खान–पान के सम्बन्ध में अनेक जानकारियाँ मिली हैं। यहाँ की खुदाई से प्राप्त मोलस्क प्राणियों के खोल, सुअर की अस्थियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों से ये पता चलता है, कि इन जनजातियों की बस्तियाँ स्थायी थी, तथा ये अपने खान–पान एवं रहन–सहन हेतु अनेक प्रकार के जंगली एवं सामुद्रिक वस्तुओं एवं जीव–जन्तुओं का प्रयोग करते थे।

अण्डमान निकोबार की जनजातियों में अधिकांश आज भी पाषाण युगीन प्राकृतिक स्थिति में जीवन–यापन कर रही हैं। वे घने जंगलो के बीच ही अपने रहने खाने का प्रबन्ध, शिकार आदि के द्वारा कर लेते हैं तथा सभ्य समाज की वस्तुओं से काफी दूर हैं। इनमें से मात्र निकोबारी जनजाति के लोग ही अब सीधे सभ्य समाज के सम्पर्क में आकर शिक्षित एवं सभ्य होने लगे हैं। कुछ ग्रेट अण्डमानियों का भी धीरे–धीरे संस्कारीकरण हो रहा है और वे भी वस्त्र एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करना शुरू कर दिये हैं। शेष जनजातीय वर्ग अभी भी आदिम स्थिति में हैं। अण्डमान निकोबार द्वीप के प्रमुख जनजातीय वर्ग निम्न रेखा चित्र में प्रदर्शित हैं।

इन जनजातीय वर्गों का संक्षिप्त परिचय निम्नवत हैं।

1– ग्रेट अण्डमानी :

निग्रिटो मूल की यह जनजाति प्राचीन काल में अण्डमान द्वीपों में पायी जाती थी। लेकिन वर्तमान में यह अण्डमान के एक छोटे द्वीप स्ट्रेट द्वीप में केन्द्रित हैं। प्रारम्भ में इसके दस वर्ग थे[2] जिनमें अकाकारी, अकाकोई, अकाकोरा, अकाबो, अकाजेरू, अकाकेडी, ओकोजुवाई, एपुशिकवर, अकरबाली, एवं अकाबी, प्रमुख थे है लेकिन इनमे से अधिकांश आज लुप्त हो गयी हैं। प्रारम्भ में ये भी हिंसक थे तथा गैर जनजातीय लोगों को मार डालते थे, लेकिन अनेक बार के प्रशासनिक आक्रमण के कारण ये धीरे–धीरे शांत होने लगे (प्लेट संख्या 20)।

इस जनजातीय वर्ग से 1885 में मैन ने, 1893 में मोल्सवर्थ ने, 1928 में एकस्टेड ने एवं 1954 में सरकार ने सम्पर्क साधा। जिससे धीरे–धीरे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी। इसी जनजाति ने अंग्रेजो से अबरडीन का युद्व लडा था, जिसमें अनेक जनजातीय लोग मारे गये थे।[3] 1868 के निमोनिया, 1876 के साइफिलीस, 1877 के चेचक, एवं 1892 के एन्फुलयुएंजा के आक्रमण ने इनकी संख्या को और भी कम कर दिया। सरकार के प्रशासन विभाग द्वारा इन्हे खाने के सामान, शराब, तम्बाकू, अफीम आदि दी जाने लगी, जिससे धीरे–धीरे ये बाहरी सभ्यता के सम्पर्क में आने लगे। अण्डमान

आदिम जनजाति विकास समिति,पोर्टब्लेयर अब इनकी पूर्ण देखभाल करती है।

2– जारवा :

नेग्रिटो प्रजाति की यह जनजाति पाषाण कालीन जीवन व्यतीत करती है तथा यह मध्य एवं दक्षिणी अण्डमान में उत्तर में पोर्टऐसन एवं दक्षिण में कार्टस की खाड़ी के बीच, एवं बाराटाग के पश्चिमी भाग में केन्द्रित हैं। इनके विषय में सर्वाधिक मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि जारवा लिटल अण्डमान के आँगी लोगों के ही एक भाग हैं, जो बहुत पहले अण्डमान मे आ गए थे। ये लोग दक्षिणी, मध्य एवं उत्तर अण्डमान के पश्चिमी भाग में रहते हैं। वर्ष 1970 के दौरान प्रथम बस्ती की स्थापना के समय जारवा के साथ प्रथम सम्पर्क हुआ था।[4] यह जनजाति लडाकू तथा हिंसक हैं। सभ्य लोगों के साथ इनका व्यवहार अमैत्रिपूर्ण है। खाद्य या लोहे की तलाश में ये सभ्य बस्तियों पर जानलेवा आक्रमण करते हैं। सभ्य बस्तियों पर आक्रमण करने से कितने लोगों को काल कवलित होना पड़ा, इसकी संख्या ज्ञात नही है। दक्षिणी अण्डमान के पश्चिमी वनों मे रहने वाले लोग हमेशा इनके प्रति सशंकित रहते हैं।

जारवा आदिवासियों को सभ्य बनाने के लिए वर्षो से प्रयास किये जा रहे हैं। फरवरी 1974 एवं मार्च 1989 में दो प्रशासनिक दलों ने इनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया तथा इन्हे नारियल, केला, अमरूद, पपीते एवं अन्य सामान खाने हेतु दिये गए। 1985 एवं 1990 में सरकार ने इनसे सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी हैं। आज भी ये शिकारी एवं बंजारी अवस्था में हैं (प्लेट संख्या 2 एवं 7) तथा जीवजन्तुओं के शिकार एवं वनोत्पाद पर निर्भर करते है। ये आग सुरक्षित रखते है, क्योकि इन्हे आग उत्पन्न करना नहीं आता। ये लोग

प्लेट संख्या–21

एक ओंगी परिवार

प्लेट संख्या–22

नारियल की ढुलाई हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली गाड़ी

अधिकांशतः नंगे ही होते है तथा महिलाएं पेड़ की छाल एवं पत्तियाँ पहना करती हैं।

अब प्रशासनिक तंत्र एवं अण्डमान अदिम जनजाति विकास समिति के माध्यम से इन्हे वर्तमान सभ्यता एवं तकनीकी उपकरणों से परिचित कराया जा रहा है, जिससे धीरे–धीरे इनका एक वर्ग गैर जनजातीय लोगों के सम्पर्क में आने लगा है।

3– ओंगी :

नेग्रिटो प्रजाति वाली यह जनजाति आदिकाल से लिटिल अण्डमान में निवास करती रही हैं। यहाँ पर हुई खुदाई से पता चला है कि ये कम से कम 5000 वर्ष प्राचीन पाषाण काल की सभ्यता को सजोएं हुए हैं। खुदाई में प्राप्त जानवरों की हड्डिया एवं मिट्टी के बर्तनों के टुकडे ये प्रमाण है, कि ओंगी प्राचीन काल से विविध वनोत्पादों, सुअर, मछली एवं केकडे के शिकार आदि पर जीवन व्यतीत करते थे (प्लेट संख्या 21)। शिकार हेतु धनुष एवं बाण तथा जीविकोपार्जन हेतु अनेक प्रकार के मिट्टी एवं पत्थरों के पात्र भी इकट्ठा कर लेते थे। ये भी मूलतः शिकारी एवं हिंसक ही थे तथा गैर जनजातीय एवं बाहरी लोगों को मार डालते थे। अप्रैल 1867 में इन लोगों ने ब्रिटिश जहाज के कप्तान एवं सात नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कालान्तर में अंग्रेजो के आक्रमण द्वारा ये काफी संख्या में मारे गए तथा 1885 में इन लोगों ने अंग्रेजो के सामने समर्पण कर उनसे संन्धि कर ली। इनके बारे में वान एक्सटेड ने 1928 में, गुहा ने 1954 में तथा चटर्जी ने 1955 में एवं मित्रा ने 1962 में इनकी खोज की। आज भी ओगी अधिकांशतः आदिम अवस्था में ही है, तथा शिकार एवं कन्दमूल फल के एकत्रण पर ही अपना जीवन यापन करते हैं।

4– सेंटिनली :

सेन्टिनली वर्तमान समय में उत्तरी सेन्टिनल द्वीप में केन्द्रित हैं। ये भी विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं पाषाण कालीन नेग्रिटो मूल की जनजातियों में एक मानी जाती हैं। कुछ लोग इन्हें भी ओंगी एवं जारवा की एक शाखा मानते हैं, जिनमें एक पृथक द्वीप में सीमित होने एवं पर्यावरण दशाओं में परिर्वतन के कारण कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित हो गए तथा इन्होनें अपनी विशिष्ट पहचान बना ली। ये हिंसक एवं शिकारी है तथा धनुष–बाण द्वारा सुअर, मछली आदि का शिकार करते हैं। बाहरी दुनिया से इनका कोई सम्पर्क नहीं हैं। तथा प्रशासन के प्रयासों के बावजूद आज भी इनसे कोई सम्पर्क नहीं हो पाया है। अतः इनके बारे में विशेष एवं तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त नही हैं।

5– निकोबारी :

मौलिक रूप से निकोबारी जनजाति मंगोलायड प्रजाति से सम्बन्धित है तथा ये विशेष रूप से कार निकोबार द्वीप में केन्द्रित हैं। गांगुली ने 1976 में, इनके अनेक कबीलों की खोज की। यहाँ इनकी जनसंख्या 60% से भी अधिक है। इसके अलावा ये अन्य द्वीपों जैसे –लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार कचाल, कमोर्टा, चौरा, तरासा, नानकौरी, ट्रिकेट, कोण्डूल, पिलोमिलो, बामपोका आदि द्वीपों में पाये जाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षित होने के पश्चात ये अब सरकारी नौकरियों मे पहुच गए हैं तथा अण्डमान द्वीपों में भी पाये जाते हैं। लेकिन अभी अण्डमान में इनकी संख्या अपेक्षकृत बहुत कम है। प्राचीन काल में तो ये भी हिंसक, शिकारी एवं नंगे रहने वाले अदिवासी थे। लेकिन अंग्रेजों एवं इसाई धर्म प्रचारको के सम्पर्क में आने के बाद पिछले 40–50 वर्षों मे ये धीरे–धीरे बाहरी लोगों के सम्पर्क में आकर वर्तमान युग की चीजों से परिचित होने लगे हैं (प्लेट संख्या 22)। इस

दिशा में इन द्वीपों में निजी व्यापार चलाने वाले गुजराती मुसलमान व्यापरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन लोगों ने यहाँ पर अपना व्यापार स्थापित करने हेतु निकोबारियों को कपड़े पहनने, खाने-पीने, एवं घरेलू उपयोग के विविध वस्तुओं के उपयोग करने, हिन्दी भाषा सीखने तथा बाहरी लोंगों से अच्छे सम्बन्ध बनाने हेतु काफी सहयोग किया। यद्वपि निकोबारी लोग भी सुअर का मांस, मछली आदि काफी पसन्द करते है साथ ही पैण्डीनस वृक्ष के फल, कन्दमूल आदि भी इनके मुख्य भोजन है। लेकिन इसाई धर्म प्रचारकों एवं गुजराती व्यापारियों ने इन्हे खाने एवं पहनने के आधुनिक सामग्रियाँ भी उपलब्ध कराई है और अब ये आधुनिक सभ्यता के अधिकांश चीजों से परिचित होने लगे हैं। बोली, भाषा, व्यवहार, सम्बन्ध, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, रीति-रिवाज, ईश्वरी आस्था, आर्थिक प्रणाली, कला-कौशल आदि में भी ये धीरे-धीरे दक्ष होने लगे हैं। इनमें से अनेक मध्यम एवं डिग्री स्तर की शिक्षायें भी प्राप्त की हैं तथा अण्डमान निकोबार द्वीप में विविध सरकारी कार्यालयों में अनेक पदों पर कार्यरत हैं। शिक्षित एवं रोजगार प्राप्त परिवारों के बच्चे तथा उनके सम्पर्क में आने वाले परिवार भी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब ये सचेष्ट हो गए हैं। खेल-कूद जैसे फुटबाल, बालीबाल, नौका-चालन, धावन, आदि खेलों में निकोबारी लडके एवं लडकियाँ अर्न्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तरो पर सामान्य रूप से भाग ले रहे हैं। इस प्रकार इनमें शिक्षा, धर्म, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, आदि के सम्बन्ध में भी तेजी से जागृति उत्पन्न हो रही है। अतः इन्हे अब आदिवासी न कहकर मात्र जनजाति कहना ही उचित होगा ।

6- शोम्पेन :

यह भी मंगोलायड प्रजाति की आदिम जनजाति है, जो विशेषतः ग्रेट निकोबार द्वीप में केन्द्रित हैं। अग्रवाल ने

1967में, गांगुली ने 1976 में तथा गोपालकृष्ण ने 1986 में इनके अनेक समुदाय की खोज की। इसके दो वर्ग हैं (1) मावा शोम्पेन तथा (2) हिंसक शोम्पेन। मावा शोम्पेन तटीय प्रदेशों के पास नदी घाटियों में केन्द्रित हैं, जबकि हिंसक शोम्पेन गलाथिया एवं अलेक्जेन्ड्रियाँ नदी घाटियों के जंगली क्षेत्रो में हैं। हिंसक शोम्पेन पहले मावा शोम्पेन पर प्रायः हमले किया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये हिंसक घटनाये अब बन्द हो गयी हैं। मावा शोम्पेन भी अब धीरे–धीरे सुदृढ़ एवं तेज होने लगे हैं। शोम्पेन भी बंजारा, शिकारी, एवं एकत्रण द्वारा जीवन यापन करने वाले अदिवासी जनजाति हैं (प्लेट संख्या 1)। भाले एवं कुत्तों की सहायता से सुअर, घडियाल, बन्दर, चमगादड, साँप, आदि का शिकार करते हैं। साथ ही ये जंगली वृक्षो जैसे पैण्डीनस, कोलोकैसिया, नीबू, मिर्च, केला, टैपीओका, आदि का भी संग्रह एवं एकत्रण भोजन हेतु करते हैं। इनकी संस्कृति प्रायः "प्रयोग करो एवं फेको" प्रकार की है, जो एक बंजारो की जीवन शैली है।[5] निकोबारियों के सम्पर्क में आने से इनमें भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तथा ये भी बाहरी लोगों के सम्पर्क में आने लगे हैं। यद्वपि इनमे से अधिकांश आज भी नंगे रहते हैं।

प्रजातीय विशेषताए :

अण्डमान निकोबार द्वीप की 6 प्रकार की जनजातियों के प्रमुख शारीरिक विशेषताओं का संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत हैं।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति मूलतः नेग्रिटो प्रजाति से सम्बन्धित हैं। इनका वर्ण गहरा काला, तथा इनके बाल उलझे घुघराले से लेकर जटिल ऊँनी प्रकार के होते हैं। इनके बालों की लम्बाई अधिक नहीं होती। लेकिन बाल घने होते हैं। इनके शरीर पर बालो की मात्रा अत्यल्प होती है तथा ये नाटे एवं गठीले शरीर वाले

होते हैं।[6] इनकी लम्बाई 146–151 सेमी0, कपालीय सूचकांक 8.1– 8.3 सेमी0, तथा नासिका सूचकांक 7.1–9.3 सेमी0 तक होती है (सारणी संख्या 3.1) ।

जारवा आदिवासी जनजाति भी नेग्रिटो मूल की है ये भी काले वर्ण के, जटिल ऊनी बाल वाले एवं नाटे कद के होते है। इनकी लम्बाई, कपालीय एवं नासिका सूचकांक भी अण्डमानी के समान ही होते है (सारणी 3.1) ।

ओंगी जनजाति भी नेग्रिटो मूल की है, जिसके शारीरिक लक्षण जरवा और ग्रेट अण्डमानी के समान ही हैं। काला वर्ण, ऊनी बाल, गठीला एवं नाटा शरीर तथा कपालीय एवं नासिका सूचकांक सभी कुछ नेग्रिटो प्रजाति के समान ही है (सारणी संख्या 3.1)। सेन्टिनली आदिम जनजाति के लोग भी मूलत: नेग्रिटो प्रजाति के ही समान हैं, जिनकी शारीरिक विशेषताए सारणी संख्या 3.1 में प्रदर्शित हैं।

सारणी संख्या–3.1

जनजातियों के प्रमुख तीन शारीरिक लक्षण

	पुरुष			महिला		
जनजाति	लम्बाई	कपालिक सूचकांक	नासिका सूचकांक	लम्बाई	कपालिक सूचकांक	नासिका सूचकांक
ग्रेट–अण्डमानी	1481.70	82.00	88.60	1385.40	81.95	90.21
ओंगी	1482.80	83.50	77.05	1383.04	83.10	75.00
जारवा	1550.30	83.74	80.95	1468.80	79.41	85.60
सेंटीनली	–	–	–	–	–	–
निकोबारी	1586.54	79.51	78.24	1484.77	81.51	77.62
शोम्पेन	1581.00	79.52	74.52	1480.00	80.79	74.47

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 3.1 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 3.1 (B)

निकोबारी जनजाति के लोग मूलतः मंगोलायड प्रजाति के वंशज है, जिनका शारीरिक गुण गोरा एवं पीला तथा शरीर एवं चेहरा अधिकांशतः बाल रहित होता है। इनके बाल भूरे से काले रंग के लम्बे एवं रेशमी होते हैं।[7] इनकी लम्बाई 156 से 163 सेमी0, कपालीय सूचकांक 7.4 से 8.6 सेमी0 तथा नासिका सूचकांक 6.9 से 8.8 सेमी0 के मध्य है (सारणी संख्या 3.1) । ये भी नाटे एवं गठीले बदन के होते हैं।

शोम्पेन जनजाति भी मंगोलायड प्रजाति से सम्बन्धित हैं इसका भी शारीरिक वर्ण गोरा एवं पीला, बाल भूरे से हल्का काला, शरीर बाल रहित एवं कद छोटा होता है। ये एक आदिम जनजाति है, जिनका शारीरिक लक्षण सारणी संख्या 3.1 में प्रदर्शित हैं।

जनजातीय जनसंख्या : विकास :

वर्तमान समय में अण्डमान एवं निकाबार द्वीप समूह की सम्पूर्ण जनजातीय जनसंख्या 32340 व्यक्ति (जनगणना 2001) है, जिसमें लगभग 97.8% (31581 व्यक्ति) निकोबारी जनजाति है तथा शेष 2.2% में अन्य पाँच आदिम जनजातियाँ–ग्रेट अण्डमानी, जारवा, ओंगी, सेंटिनली एवं शोम्पेन सम्मिलित हैं। लेकिन समपूर्ण जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 9.54 है (सारणी 3.2 एवं Fig 3.2)। सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या में जनजातीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 12.77% है, जबकि नगरीय जनजातीय जनसंख्या मात्र 0.67% हैं।[8]

1901 में अण्डमान एवं निकोबार की कुल जनजातीय जनसंख्या 8172 व्यक्ति थी। जो 65 वर्षों (1965) में लगभग दो गुनी हो गयी तथा मात्र अगले 35 वर्षों में ही तीव्रता के साथ बढ़कर 2001 में पुनः दो गुनी (32340 व्यक्ति) हो गयी । इसी प्रकार निकोबारी जनजाति जो 1901 में मात्र 5962 व्यक्ति थी, वो 50 वर्षो मे

(1951) लगभग दो गुनी (11902 व्यक्ति) हो गयी तथा अगले 50 वर्षो मे (2001) लगभग तीन गुनी (31581 व्यक्ति) हो गयी (सारणी संख्या 3.2 एवं Fig 3.2)। लेकिन अन्य पाँच आदिम जनजातियों की संख्या में 1901 से 1971 तक तेजी के साथ गिरावट आयी। जिसका मुख्य कारण मलेरिया, साइफिलीस, चेचक आदि जैसी बिमारियों का प्रकोप रहा। लेकिन उसके पश्चात् सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक संरक्षण एवं सुविधाओं के कारण इनकी जनसंख्या में भी धीरे–धीरे विकास हो रहा है (सारणी 3.2 एवं Fig-3.2)। वर्तमान समय में इन पाँचो आदिम जनजातियों की कुल संख्या मात्र 759 व्यक्ति है जिसमें सर्वाधिक 247 व्यक्ति शोम्पेन हैं, 242 व्यक्ति जारवा है, तथा सबसे कम ग्रेट अण्डमानी 43 व्यक्ति हैं।[9]

सारणी संख्या–3.2 अ

जनजातीय एवं गैर जनजातीय जनसंख्या का संपूर्ण जनसंख्या से प्रतिशत

	1981			1991		
	कुल जनसंख्या	जनजातीय जनसंख्या	गैर जनजातीय जनसंख्या	कुल जनसंख्या	जनजातीय जनसंख्या	गैर जनजातीय जनसंख्या
योग	100.00	11.85	88.15	100.00	9.54	90.46
ग्रामीण	100.00	15.88	84.12	100.00	12.77	87.23
नगरीय	100.00	0.55	99.45	100.00	0.67	99.23

स्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

Growth of Tribal Population
Tribal Population (In 000.)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
Total Tribal Population
Nicobari Population

Fig - 3.2A

Growth of Primitive Tribes
Total Primitive Tribal Population (00.)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
G.Andamanese
Jarwa
Onge
Sentinelese
Shompen

Fig - 3.2 B

Tribal Population to Total Population (In %)

■ Tribal Population □ Total Population

Fig - 3.2 C

सारणी संख्या 3.2 (ब)
अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय जनसंख्या

जनसंख्या वितरण							
वर्ष	कुल ज0 जनसंख्या	ग्रेट अण्डमानी	जारवा	ओंगी	सेंटिनली	शोम्पेन	निकोबारी
1901	8172	605	468	672	117	348	5962
1911	9683	455	114	631	117	375	7991
1921	9193	209	114	346	117	375	8032
1931	10249	90	70	250	50	200	9589
1941	10650	40	56	170	50	110	10230
1951	12195	23	50	150	50	20	11902
1961	14472	19	300	129	50	71	13903
1971	18459	24	275	112	82	92	17874
1981	22630	26	200	97	100	223	21984
1991	26770	36	200	98	100	214	26122
2001	32340	43	242	110	117	247	31581

स्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

वितरण :

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों का वितरण अनेक द्वीपों में हैं। ग्रेट अण्डमानी मुख्यतः स्ट्रेट द्वीप में केन्द्रित है (Fig-3.1)। चूंकि इनकी संख्या मात्र 43 व्यक्ति ही है, अतः इस छोटे से द्वीप पर जंगलों के मध्य ये सीमित हैं। साथ ही ये अपना द्वीप छोड़कर बाहर नही जाना चाहते।

जारवा जनजाति आदिम पाषाण कालीन जनजाति है, जो मध्य एवं दक्षिणी अण्डमान के पश्चिमी तटीय जंगली भागों में उत्तर में पोर्टऐसन से दक्षिण में कार्टेज की खाड़ी के बीच बाराटांग के पश्चिमी भागों में केन्द्रित हैं। इनके अनेक जत्थे ज़ंगलो के विविध भागों में केन्द्रित हैं (Fig-3.1)।

ओंगी जनजाति के लोग लिटिल अण्डमान में केन्द्रित हैं। इनके मुख्य रूप से दो समूह है जो (1) डिगांगक्रीक में तथा (2) साउथबे में केन्द्रित हैं। यहाँ के जंगली भागों में ये जनजातियाँ विविध झोपडियों में केन्द्रित हैं।

सेंटिनली जनजाति वर्तमान समय में मात्र उत्तरी सेन्टिनली द्वीप में केन्द्रित हैं। यह सर्वाधिक प्राचीन पाषाण कालीन नेग्रिटो मूल की जनजाति है, जिससे अभी तक कोई सम्पर्क नहीं हो पाया है। अतः इसके रहन सहन के बारे में पर्याप्त जानकारी नही हैं।

निकोबारी जनजाति मंगोलायड मूल की है तथा इसका सर्वाधिक केन्द्रीकरण कार निकोबार द्वीप में है। इसके अलावा ये अन्य द्वीपों जैसे– लिटिल निकोबार, कचाल, कमोर्टा, चौरा, तराशा, नानकौरी, ट्रिंकेट, कोण्डूल, पिलोमिलो एवं बामपोका में भी पायी जाती हैं। चूँकि ये धीरे–धीरे सभ्य एवं शिक्षित होने लगे है तथा कुछ सरकारी नौकरियो में भी आ गए हैं, अतः धीरे–धीरे इनका वितरण अन्य द्वीपो में भी हो रहा है (Fig-3.1B)।

शोम्पेन आदिम जनजाति भी मंगोलायड मूल की है, तथा यह ग्रेट निकोबार द्वीप में केन्द्रित हैं। मावा शोम्पेन तटीय क्षेत्रों के पास नदी घाटियों में तथा हिंसक शोम्पेन गलाथिया एवं अलेक्जेंड्रिया नदियों की घाटियों के जंगली क्षेत्रो में केन्द्रित है (Fig-3.1B)।

जहाँ तक उपरोक्त जनजातियों के विविध क्षेत्रो मे घनत्व का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में कोई सरकारी या प्रशासनिक तथ्यात्मक एवं विश्वसनीय सूचना प्राप्त नही हैं। साथ ही इन जनजातियों की संख्या इतनी कम है, तथा ये विविध द्वीपों के जंगली

क्षेत्रो में इतने विरल रूप में बिखरी हुई हैं कि इनके घनत्व का परिगणन करना कठिन कार्य है।

संरचनाः

जनसंख्या की संरचना में मुख्यतः आयु लिंग संरचना एवं ग्राम्य–नगर जनसंख्या अनुपात सम्मिलित हैं। जहाँ तक अण्डमान निकोबार द्वीप की सामान्य जनसंख्या के आयु लिंग संरचना का प्रश्न है, उसमें 20 वर्ष तक की आयुवर्ग में लगभग 43.4% पुरूष एवं 49.6% महिलाए है, जबकि 20–40 वर्ष के आयु वर्ग में यह संख्या क्रमश : 35.2% एवं 35.2% हैं। शेष जनसंख्या 40 वर्ष से उपर की आयु वर्ग में हैं। 60 वर्ष के उपर की जनसंख्या में पुरूष 4.2% तथा महिलाए 3.5% है।

उपरोक्त सामान्य आयु लिंग संरचना से यदि आदिम जनजातियों की आयुलिंग संरचना की तुलना की जाय तो काफी अन्तर मिलता हैं। जैसा कि सरणी संख्या 3.3 एवं Fig-3.3 उसे स्पष्ट हैं।

सारणी संख्या 3.3

आयु–लिंग संरचना : आदिम जनजातियाँ

आयु–वर्ग	पुरुष %	महिला %
0–4	8.27	7.32
5–9	15.79	22.76
10–14	21.80	17.89
15–34	33.08	32.52
35–44	11.28	14.63
45 >	9.77	4.88

स्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

आदिम जनजातियों में सामान्यतया दस वर्ष तक की आयु में 24% पुरूष एवं 30% महिलाए सम्मिलित हैं। सर्वाधिक जनसंख्या 15 से 34 आयु वर्ग में है। जबकि न्यूनतम 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग में है जैसा कि सारणी 3.3 एवं Fig-3.3 से स्पष्ट हैं। निकोबारी जनजाति की आयु लिंग संरचना अन्य आदिम जनजातियों से इस आधार पर भिन्न है कि इनमें बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक तथा मध्यवर्ती आयु वर्गों में न्यूनाधिक रूप में समान जनसंख्या मिलती है। ऊपरी आयु वर्ग में जनसंख्या कम है (Fig-3.3)।

जहाँ तक जनजातीय जनसंख्या के ग्राम्य नगर अनुपात का सम्बन्ध है, उसमें 98.50% ग्रामीण जनसंख्या है तथा शेष 1.5% नगरीय जनसंख्या है। ग्राम्य जनजातीय जनसंख्या विविध द्वीपों में फैली हुई है। जबकि नगरीय जनजातीय जनसंख्या मात्र 502 है, जो दक्षिण अणडमान में स्थित अण्डमान निकोबार की राजधानी पोर्टब्लेयर में केन्द्रित हैं। विविध द्वीपों में जनजातीय जनसंख्या का ग्राम्य एवं नगरीय भाग सारणी संख्या 3.4 में प्रदर्शित हैं।

सारणी संख्या–3.4

सामुदायिक विकास खण्डों में जनजातियों की जनसंख्या, नगरीय एवं कस्बा आवास के अनुसार 1991

प्रदेश / जिला / नगर	योग, ग्रामीण, नगरीय	जनजातीय जनसंख्या
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	योग	26770
	ग्रामीण	26268
	नगरीय	502
अण्डमान	योग	1917
	ग्रामीण	1415
	नगरीय	502
उत्तरी अण्डमान विकास खण्ड	योग	5
	ग्रामीण	5

	नगरीय	–
मध्य अण्डमान विकास खण्ड	योग	115
	ग्रामीण	115
	नगरीय	–
दक्षिणी अण्डमान विकास खण्ड	योग	1295
	ग्रामीण	1295
	नगरीय	–
कुल नगरीय		502
पोर्टब्लेयर		502
निकोबार	योग	24853
	ग्रामीण	24853
	नगरीय	–
कारनिकोबार विकास खण्ड	योग	15781
	ग्रामीण	15781
	नगरीय	–
नानकौरी विकास खण्ड	योग	9072
	ग्रामीण	9072
	नगरीय	–
योग नगरीय		–

स्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

साक्षरता :

अण्डमान निकोबार द्वीप की सम्पूर्ण जनसंख्या की सामान्य साक्षरता दर 81.18% है, जिसमें पुरूष साक्षरता 86.4% तथा महिला साक्षरता 75.3% हैं।[10] यहाँ की जनजातियों में मात्र निकोबारी जनजाति ही पिछले 30–40 वर्ष के सरकारी प्रयासों के बाद कुछ शिक्षित हो पायी हैं। शेष अन्य पाँच जनजातियाँ आज भी पाषाण कालीन आदिम जीवन व्यतीत कर रही हैं। सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद भी अभी बाहरी सभ्यता एवं संस्कृति से उनका सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका है। सेन्टिनली आदिम जनजाति से तो अभी तक

Population Pyramid of Nicobari Tribes

Fig.3.3 (A)

Population Pyramid of Primitive Tribes

Fig.3.3 (B)

कोई सम्पर्क नहीं स्थापित हो सका है। अतः इन पाँच आदिम जनजातयों में साक्षरता दर शून्य ही है। स्ट्रेट द्वीप ग्रेट अण्डमानियों के लिए, ग्रेट निकोबार में शोम्पेन के लिए, डिगांकक्रीक एवं साउथ बे में ओंगियों के लिए, उन्हे साक्षर बनाने हेतु एक–एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गयी है। उनमे एक–एक अध्यापक की नियुक्ति भी की गयी है। इन विद्यालयों में साक्षरता हेतु उन्हे आकर्षित करने के लिए दोपहर का भोजन भी प्रदान किया जाता है। फिर भी, वे भोजन प्राप्त करने तो पहुचते हैं लेकिन बाद में चले जाते हैं। अतः साक्षरता के क्षेत्र में अभी तक इनमें कोई सफलता नही मिली है। निकोबारियों की साक्षरता दर लगभग 50% है। जिसमें 58% पुरूष एवं 42% महिला साक्षर हैं। निकोबारी जनजाति क्षेत्रो में अनेक शिक्षण संस्थाये कार्यरत हैं तथा अन्य द्वीपों में स्थित कालेजों में भी इनके स्थान आरक्षित है, जिसका लाभ इन्हे प्राप्त हो रहा है। अतः इनकी साक्षरता दर में अगले वर्षो में तीव्र वृद्दि की संभावना हैं।

रोजगार :

अण्डमान निकोबार की जनजातियों मे मात्र निकोबारी जनजाति सभ्य, शिक्षित एवं संस्कृत हो रही है। अतः विविध सरकारी एवं निजी क्षेत्रो में रोजगार प्राप्त करने हेतु मात्र यही लोग ही अर्ह हैं। अन्य पाँच आदिम जनजातियाँ असभ्य एवं अशिक्षित हैं। साथ ही बाहरी लोगों एवं सभ्यता से उनका कोई सीधा सम्पर्क नही है। अतः न तो वे रोजगार की आवश्यकता महसूस करते हैं, और न ही उनके पास इसके लिए अर्हता ही है। शोधकर्ता ने इस हेतु ओंगी जनजाति क्षेत्र डिगांगक्रीक में श्री पाल्यन जी, जो प्लान्टेशन अधिकारी है, से सम्पर्क किया । उन्होने शोधकर्ता को यह बताया कि ओंगियों से प्लान्टेशन एवं नारियल के तोड़ने, एकत्र करने, आदि में काम लिया जात है। इस हेतु उन्हे कुछ शराब एवं खाद्य सामाग्री दी जाती है तथा

काम करने वालो के खाते में प्रति नारियल रु0 2.50 पैसे की दर से सरकार द्वारा जमा किया जाता है। कुछ ओंगियों के खाते में तो 40 से 60 हजार रूपये तक जमा हो गए हैं। इस धनराशि से सरकार उनके व्यक्तिगत विकास हेतु विविध प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार ग्रेट अण्डमानियों से भी प्लान्टेशन में कार्य लिया जाता है तथा इसके बदले में उन्हे मुर्गियां, सुअर आदि प्रदान किये गए हैं। अन्य तीन आदिम जनजातियाँ ऐसे कार्यो से भी दूर हैं। इस प्रकार पाँच आदिम जनजातियों में रोजगार दर शून्य हैं।

जो भी रोजगार सम्बन्धी सूचना एवं तथ्य प्राप्त हैं, वे सभी निकोबारियों से सम्बन्धित हैं। निकोबारियों के रोजगार हेतु पोर्टब्लेयर, कारनिकोबार एवं कैम्पबेलबे में तीन रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए हैं , जिनमें शिक्षित रोजगार चाहने वाले निकोबारियों का पंजीकरण होता है तथा उनके शिक्षा के अनुरूप विविध नौकरियों में उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाती है। अभी तक पोर्टब्लेयर कार्यालय में 252 निकोबारियों का पंजीयन हुआ है, जिसमें 163 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। कार निकोबार कार्यालय में अभी तक 798 व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ है, जिसमें मात्र 40 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। कैम्पबेलबे कार्यालय में यह संख्या क्रमशः 173 एवं 18 व्यक्ति है। उपरोक्त तीनों कार्यालयो में 1994–1995 से 2000 तक पंजीकृत एवं रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या सारणी संख्या 3.5 में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है।

सारणी संख्या–3.5

जनजातियों का वार्षिक पंजीकरण एवं नियुक्तियाँ (संख्या)

वर्ष	पोर्टब्लेयर		कारनिकोबार		कैम्पबेलबे	
	पंजीकरण	नियुक्ति	पंजीकरण	नियुक्ति	पंजीकरण	नियुक्ति
1994–95	27	20	93	19	2	–
95–96	51	33	214	–	95	5
96–97	40	18	76	–	48	5
97–98	24	31	137	–	–	–
98–99	58	15	146	–	–	–
99–2000	52	12	132	21	28	8
योग	252	129	798	40	173	18

स्रोतः– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

अधिवास तंत्र :

अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियों के अधिवास अधिकांशतः झोपड़ियों वाले हैं, जो बाँस, बेंत, नारियल, कटहल एवं अन्य पेड़ो की लकड़ी तथा पत्तियों से बने होते हैं। जंगलो में इनके आवास बिखरे हुए ही मिलते है। लेकिन कही–कही पर झोपड़ियो के पुंज भी दिखाई पड़ते हैं। अतः इनके अधिवास अधिकांशतः बिना आकार के बिखरे हुए ही होते है। फिर भी इन जनजातियों के अधिवासीय तंत्र का संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है।

प्रकार एवं प्रतिरूप :

निकोबारी जनजाति के अलावा अन्य जनजातियों के अधिवास अस्थायी एवं अर्धस्थायी ही होते हैं। निकोबारी धीरे–धीरे शिक्षित एवं सभ्य होने लगे है, इसलिए अब वे स्थायी आवास

बनाने लगें है, लेकिन इन अवासो में अधिकांशतः झोपड़ियाँ ही है (Fig-3.4)। सरकार ने भी इन्हे लकड़ियो एवं सीमेंन्ट निर्मित आवास प्रदान किये हैं, जिसका ये भरपूर उपयोग करते हैं। रोजगार प्राप्त निकोबारी अब अपने से अच्छी लकड़ी सीमेन्ट एवं कंक्रीट के आवास बनाने लगे हैं। निकोबारियों के गाँव अधिकांशतः कार निकोबार, कचाल, ट्रिंकेट, नानकौरी, लिटिल निकोबार, कोण्डूल, तरेशा, आदि द्वीपो में केन्द्रित हैं तथा ये गुन्छित अधिवासीय प्रतिरूप प्रदर्शित करते हैं। ग्रेट निकोबार में इनके 12 गाँव हैं– पुलोबन्द, पिलोकुंजी, कोपेनहीट, कोशिनटूथ, कोई, पिलोमानी, पाटाटिया, कोकीआव, पिकोपुका, इनहिनलाय, पिलोमाहा, और चिंगाई यह मुख्य है। इन गाँवो का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर हैं[11]। कारनिकोबार के मुख्य गाँव, सवाई, टीटाप, तमालू, मूस, परका आदि हैं। गावों में इनके आवास सघन एवं पास–पास होते हैं। एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी के बीच लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी होती है। कार निकोबार में प्रत्येक गाँव में एक सामूहिक भवन भी होता है, जिसे स्थानीय भाषा में "अल्पनाम" कहते हैं। इसे सामूहिक कार्यो जैसे–उत्सव, सभा, नाच–गाने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। "कुनसेनरो" इनका प्रमुख त्योहार हैं। इस समय ये सामूहिक भोजन, शराब आदि का प्रयोग कर भरपूर आनन्द उठाते हैं। इनका एक विशेष घर भी होता है, जो 10–11 फिट ऊँचा होता है, इसका प्रयोग मछली, नारियल, लकड़ी, पत्ती आदि रखने हेतु किया जाता है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति के अधिवास झोपडियों वाले होते हैं। जो गोलाकार होते है, ये आवास अधिकांशतः समुद्र के पास एवं जमीन पर ही बनाये जाते हैं। इससे समुद्री जीवजन्तुओ को पकड़ने, रोशनी एवं हवा प्राप्त करने में आसानी होती है। इनके आवास भी अस्थायी एवं अर्धस्थायी होते हैं। कई झोपडियाँ साथ में अर्धचन्द्राकार रूप में दिखाई पड़ती हैं, जो गुन्छित आवासीय

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 3.4 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 3.4 (B)

प्रतिरूप प्रदर्शित करते हैं। ऐसा एक गुन्छित आवासीय प्रतिरूप स्ट्रेट द्वीप में देखा गया है (Fig-3.4)।

ओंगी जनजाति के आवास डिगांगक्रीक, जैक्सन क्रीक और साउथबे में पाये जाते हैं (Fig-3.4A)। ओंगी के आवास भी झोपड़ियों वाले हैं। डिगांगक्रीक में 1976–77 में सरकार द्वारा 26 लकडी की झोपड़ियाँ बनायी गयी तथा ओंगियों को इसे प्रदान किया गया। लेकिन ओंगी लोग वर्षा काल के अलावा अन्य मौसमों मे अपने ही झोपड़ियो मे रहना पसन्द करते हैं। ओंगी लोग अस्थायी झोपड़ी को स्थानीय भाषा में "कोराली" तथा सामुदायिक झोपड़ी को "बेयरा" कहते हैं। इसके अलावा सरकार ने भी इस क्षेत्र में इनके लिए कम्यूनिटी हाल, औषधालय, पावरहाउस, तथा ओंगी बहुउद्‌देश्यीय सहकारी समिति एवं, अण्डमान आदिम विकास समिति के कर्मचारियों हेतु भी आवास बनवाए हैं। साउथबे क्षेत्र में भी ओंगियो की झोपडियाँ एक साथ मिलती हैं। ये झोपडियाँ भी स्थानीय पदार्थो से निर्मित हैं। 1980 में सरकार द्वारा इन्हे पाँच लकड़ी के आवास प्रदान किये गए। लेकिन उसमें केवल एक ही घर तीन अविवाहित ओंगियों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। शेष चार लकड़ी के आवास खाली पड़े हैं। एक जगह स्थित होने के कारण इन झोपड़ी समूहो को गुंच्छित प्रतिरूप ही कहा जा सकता है।

जारवा जनजाति के आवास भी झोपड़ी वाले एवं अस्थायी होते हैं। ये अपने आवास को "चड्‌डा" कहते हैं। पारिवारिक झोपड़ी को "तुतमी चड्‌डा" तथा अविवाहित स्त्री झोपडी की "थोरकॉगों चड्‌डा" कहते है।[12] इनकी झोपड़ियॉ दक्षिणी एवं मध्य अण्डमान के लकदा, लुगटा, फोलबे, एवं यादिता मे समुद्र के किनारे देखने को मिलती हैं (Fig 3.4A) । ये झोपड़ियाँ छोटी एवं मध्यम आकार की होती हैं। लाकदा एवं लुगटा में छोटे आकार की झोपड़ियाँ

(लम्बाई 1.2 मी0, चौ0 1.2,मी0,एवं ऊचाई 1.2 मी0) तथा फोलबे एवं यादिता में मध्यम आकार की झोपड़ियॉ (लम्बाई 2.4 मी0,एवं चौडाई 1.5 मी0 ऊचाई 1.2 मी0) पायी जाती हैं। 1788 में एक यात्रा के दौरान चोतालिक बांगबे में 18 झोपड़ियॉ पायी गयी, जिनका मुख्य द्वार समुद्र की ओर ही था तथा उनके बीच में 3 मी0 की दूरी थी। इस प्रकार ये झोपड़ियॉ भी एक साथ होने के कारण गुन्छित प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं। सामुदायिक झोपड़ियॉ फोलबे एवं यादिता में पायी जाती हैं। ये सामूहिक कार्यो हेतु प्रयोग की जाती हैं, इनमे जारवा लोग जानवरों के कंकाल, मांस एवं चमडे लटकाये रहते हैं। इन झोपड़ियों का अर्धव्यास 12 मी0 तथा बीच में उनकी ऊँचाई 6–7 मी0 होती हैं। सुअर का मांस आदि रखने के लिए 1.5 मी0 की ऊँचाई पर एक पटरा बना होता है।

सेंटिनली जनजाति पूर्ण आदिम, पाषाण कालीन खूंखार एवं हिंसक जनजाति हैं। अनेक सरकारी प्रयासों के बावजूद भी आज तक इनसे सम्पर्क नहीं किया जा सका है। अप्रैल 1967 में सरकारी अधिकारियों ने इनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया। लेकिन उन्हे देखकर ये लोग जंगल में भाग गए। फिर भी इस यात्रा में अधिकारियों ने जंगल में एक दूसरे से सटी हुई इस जनजाति की 18 झोपड़ियाँ देखीं । झोपड़ियों के बगल में कोई दीवार नही थी और न ही ही फर्श बना था, जैसा कि प्रायः अन्य जनजातियों की झोपड़ियो मे नही पाया गया । इन झोपड़ियों की लम्बाई 2.25 मी0, चौड़ाई 1.5 मी0, तथा ऊँचाई 2.25 मी0 थी।[13] झोपड़ियों में धनुष–बाण एवं लकड़ी आदि के पात्र भी रखे हुए थे तथा आग भी प्रज्वलित की गयी थी। उत्तरी सेन्टिनल की इन 18 झोपड़ियों को भी गुंच्छित प्रतिरूप ही कहा जा सकता है (Fig 3.4A) ।

शोम्पेन जनजाति ग्रेटनिकोबार में केन्द्रित हैं, तथा इनके आवास भी झोपड़ियो वाले है, जो अधिकांशतः

अलेक्जेण्ड्रिया एवं गलाथिया नदी घाटियों मे पायी जाती हैं। इनके बस्तियों का कोई निश्चित आकार नही होता । शोम्पेन अपनी झोपड़ियाँ अधिकांशतः पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों पर पहाड़ी ढ़ालो एवं घाटियों में बनाना पसन्द करते हैं। इनकी झोपड़ियॉ उतनी अच्छी नही होती जितनी अन्य जनजातियों की होती है। इनकी छोटी, मध्यम एवं बड़े आकार की झोपड़ियाँ होती हैं। बड़ी झोपड़ियों की लम्बाई 8–10 फिट, चौड़ाई 7–8 फिट, तथा ऊँचाई 10–12 फिट तक होती है। शोम्पेन अपनी झोपड़ियों तथा उसके अन्य भागों को अलग–अलग नाम दिये हैं जैसे– झोपड़ी को "कचाम", दरवाजा को "कनाऊ", फर्श को "अफरा", सीढ़ी को "अगनियॉ", छत के बीच के खम्भे को "अकीब", सामने के खम्भे को "अकाग", छत को "तवाफ" तथा खाना रखने की जगह को "आदा" कहते हैं। गलाथिया एवं अलेक्जेण्ड्रिया नदी घाटियों में इनके गुन्छित रूप ही देखने को मिलते हैं(Fig-3.4B)) ।

गृह प्रकार एवं पदार्थ :

निकोबारियों के घर लकड़ी निर्मित झोपड़ी वाले होते है (प्लेट संख्या 11), जिनका आकार छोटे से लेकर बड़ा तक होता है। प्रमुख रूप से ये झोपड़े नारियल, सुपाड़ी, कटहल आदि की लकड़ियों के खम्भों एवं बीम से बने होते हैं। इन झोपड़ियों में दरवाजे एवं खिड़कियाँ भी होती हैं। एक झोपड़े में सामान्यतः एक परिवार ही रहता है। झोपड़ी के बनाने का कार्य अधिकांशतः पुरूष द्वारा ही सम्पादित होता है तथा ये झोपड़ियाँ इस तरह बनायी जाती है, जिससे 15–20 वर्ष तक चल सके। छत लट्ठों, घास–फूस तथा पत्तियों से इतनी मजबूत बनाई जाती है कि उससे पानी नहीं रिस पाता। इनके घर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं (1) मापती तुएत (2) तालिको (3) पतीयागनिलो (4) पतीकुपा।

"मापती तुएत" सबसे प्रमुख घर होता है, जो दोस्त एवं अतिथियों तथा उत्सव मनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे साफ–सुथरा रखा जाता है। इसमें खाना पकाना तथा सोना निषेध है। "तालिको" में खाना पकाया जाता है इसकी छत वक्राकार होती है तथा नारियल एवं ललांग की पत्तियों से बनी होती हैं। "पतीयांग निलो" ऐसी झोपड़ी होती है जो बच्चों को जन्म देने तथा उनके पालन–पोषण हेतु प्रयोग की जाती है। ये मुख्य बस्ती से थोड़ी दूरी पर होती है। "पतीकुपा" आवास का प्रयोग अन्तिम संस्कार के समय शवों को रखने के लिए किया जाता है। शव को नहलाना, वस्त्र पहनाना, लेप लगाना आदि इसी में किया जाता है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति के आवास भी झोपड़ी वाले ही है, जो अधिकांशतः बेत, बाँस एवं लकड़ी के लट्ठों तथा ताड़ की पत्तियों द्वारा बने होते हैं। इनकी छत बेत एवं ताड़ की अच्छी पत्तियों से निर्मित होती है, जो जमीन तक लटकती रहती है, जिससे दीवार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । झोपड़ी के फर्श के चारों ओर एक फिट की ऊँचाई तक बाँस या वृक्षों की शाखाओं द्वारा घेर दिया जाता है। छत ढ़लान वाली होती है, जिससे बारिस का पानी सीधे निकल जाये । अब सरकार द्वारा इन्हे लकड़ी से निर्मित एसबेस्टस सीट के छतों वाली आवास प्रदान कर रही है। लेकिन अभी ये अपने झोपड़ी में रहना पसन्द करते हैं। इनकी झोपड़ियों में अंधेरा रहता है, क्योंकि इसमें एक छोटे दरवाजे के अलावा खिडकी, झरोखा आदि नहीं होता। इस झोपड़ी में खाना बनाने, सोने एवं सामान रखने सभी का काम होता हैं।

ओंगी जनजाति लिटिल अण्डमान के डिगांगक्रीक एवं साउथबे में केन्द्रित हैं। ये अपनी झोपड़ी बाँस, बेंत, कटहल, नारियल आदि के लकड़ियो एवं लट्ठों से बनाते है तथा छत,

बाँस एवं वृक्षों की पत्तियों एवं टहनियों से बनायी जाती हैं। इनके फर्श बाँस एवं बेंत के बने होते हैं। इन झोपड़ियों में एक कमरा तथा सामने एक बरामदा होता है, जिसमे ये खाने, सोने एवं सामान रखने का कार्य करते हैं। अब इन्हे सरकार द्वारा कुछ लकड़ी की झोपड़ियाँ प्रदान की गयी है (प्लेट संख्या 23)। लेकिन ये वर्षात को छोड़कर अन्य मौसमों में मात्र अपनी झोपड़ी में ही रहना पसन्द करते हैं।

जरवा जनजाति की झोपड़ियाँ चार लकड़ी के खम्भों पर टिकी होती है, दो खम्भे आगे और दो पीछे होते हैं, जो उपर एक दूसरे से बंधे होते हैं। इन खम्भो से बाँस या अन्य लकड़ी के बीम बधे होते हैं तथा इनकी छत सलाई वृक्ष की पत्तियों से बनी होती है (प्लेट संख्या 24) यह इतनी मोटी होती है कि इसमें जल्दी पानी नही रिस पाता। झोपड़ी के आगे पूरा स्थान खुला रहता है। इन झोपडियों के आकार छोटे से बड़े तक होते हैं। एक झोपड़ी में केवल एक ही परिवार रहता है तथा उसमे खाने, सोने एवं सामान रखने का कार्य किया जाता है। झोपड़ी से 5 मी0 की दूरी पर एक लकड़ी की टोकरी रखी रहती है जिसमें शहद रखकर सलाई की पत्ती से ढ़क दिया जाता है। सरकार ने इन्हें भी सामुदायिक झोपड़िया प्रदान की है, जिसमें ये सामूहिक कार्य करते है तथा मछली सुअर मांस चमड़े आदि टागते हैं। ये झोपड़ियाँ लकड़ी से एवं इनकी छत एसबेस्टस सीट से निर्मित होती है।

सेन्टिनली जनजाति की झोपड़ियाँ 1967 में उत्तरी सेन्टिनल द्वीप पर पायी गयीं। ये झोपडियाँ वृक्षों के नीचे बाँस एवं बेत के लट्ठोंएवं घास–फूस तथा पत्तियों से बनी हुई थी। इन झोपड़ियाँ के चारों किनारों पर चार खम्भें थे जो ऊपर से एक दूसरे से बंधे थे, तथा छत पत्तियों द्वारा ढालदार बना हुआ था। इन झोपड़ियों में न तो कोई दीवार और न तो कोई फर्श थे। इन

प्लेट संख्या–23

सरकार द्वारा ओंगियों को प्रदान किये गए आवास

प्लेट संख्या–24

जारवाओं द्वारा निर्मित की जा रही झोपड़ी

झोपड़ियो के चारो कोनों पर आग जल रही थी, जो शायद जहरीले कीड़ो, साँप आदि से सुरक्षा हेतु रखी गयी थी। इन झोपडियों में रखे हुए सामानो को देखने से स्पष्ट हो रहा था कि इनमें खाने, सोने एवं वस्तुओं के रखने का भी काम होता था। शिकार हेतु रखे धनुष–बाण भी झोपड़ियो में देखे गये।[14]

शोम्पेन जनजाति की झोपड़ियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं– सामान्य प्रकार की झोपडी जिसके चारो ओर दीवार नही होती, छत घासों एवं पत्तियों से निर्मित होती है, जो जमीन तक लटकती रहती है। दूसरे प्रकार की झोपड़ी में बगल की दीवार होती है लेकिन आगे पीछे की नही होती। जबकि तीसरे प्रकार की झोपड़ी में छत, चारो दीवारें एवं दरवाजा भी होता है। प्रथम एवं दूसरे प्रकार की झोपड़ियों के अगले भाग में रहने, पिछले भाग में पालतू जानवरों को रखने तथा आगे के शेष बचे भाग में खाना बनाने का कार्य किया जाता है। खाना बनाने के स्थान पर 10–15 सेमी0 मोटी मिट्टी की परत बिछी होती है। तीसरे प्रकार की झोपड़ी में लगभग सभी प्रकार का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इनकी भी झोपड़ी स्थानीय जंगलों में उपलब्ध लकड़ी के खम्भों, लट्ठो, वृक्षो की पत्तियों एवं घास–फूस द्वारा बनी होती हैं। छत ढालदार होती है, जिससे पानी अन्दर नही रिसता । कुछ खम्भे झोपड़ी के बाहर, झोपड़ी को सुदृढ़ बनाने हेतु लगे होते हैं जिससे कि वह गिरे नहीं।

संदर्भ सूची

1. Basic statistic, 1998-99 : Directrate of Economics and Statistics, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair.
2. Chacraborty, D.K. 1990: The Great Andamanese, Sea Gull Books, Calcutta.
3. Ibid.
4. Jayant, S.1990: The Jarwa, Sea Gull Books, Calcutta.
5. Rizvi, S.N.H. 1990 : The Shompen, Sea Gull Books, Calcutta.
6. Chacraborty D.K. 1990: op.cit.
7. Justine, A. 1990:The Nicobarese, Sea Gull Books, Calcutta.
8. Basic Statistic 1998-99. op.cit.
9. Ibid.
10. Census 2001.
11. Nandan, A.P. 1993: Nicobari of Great Nicobar, Gyan Publishing House, New Delhi.
12. Jarwa Report, Second Phase 2002, Andman Adim Janjati Vikas Samiti, Port Blair.
13. Pandit, T.N. 1990 : The Sentinelese, Sea Gull Books, Culcutta.
14. Ibid.

अध्याय–4

सामाजिक संरचना एवं सुविधाओं का विकास

प्रस्तावना :

समाज के विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों को शासित करने वाले सामाजिक सम्बन्ध–सूत्र अत्यन्त जटिल होते हैं। प्रत्येक मानव समाज अनेक सामाजिक समूहों में विभक्त होता है। इन समूहों में विभाजित व्यक्तियों के पारस्परिक सामाजिक सम्बन्ध सुनिश्चित श्रेणियों में बटे और परम्पराओं से नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक सामाजिक ढ़ाचा अनेक संस्थानों तथा समितियों से गुँथा रहता है। ऐसी प्रत्येक संस्था या समिति अपने व्यवहार–प्रकारों और विचार तथा मनोवृत्तियों के सम्बन्धित संकुलो से आवृत रहती हैं। कुछ संस्थाओं और समितियों की सदस्यता एच्छिक होती हैं, अन्य की अनिवार्य।

संसार के विभिन्न समाजों की रचना का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक संरचना कतिपय आधारभूत कारकों पर निर्मित होती हैं। इनमे से अधिक महत्वपूर्ण कारक हैः– यौन भेद, सम्बन्ध, स्थान, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, व्यवसाय और ऐच्छिक समितियाँ। पूर्व संस्कृतियों के संदर्भ में हमे दो और कारक जोड़ने पड़ेगें यथाः– जादू–धर्म, के क्षेत्र में विशेषज्ञता और टोटमबाद।[1]

आदिम समाजों में सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन को समझने से पूर्व इन दोनो के अर्थ को समझना होगा। समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है। अनेक प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध मिलकर ही समाज को बनाते हैं। समाज मे सभी सामाजिक सम्बन्ध समान महत्व के नहीं होते और इसलिए किसी भी

समाज के अध्ययन के लिए सभी सम्बन्धों का अध्ययन नही किया जाता। जो सम्बन्ध स्थायी हैं, वे ही अधिक महत्वपूर्ण हैं तथा उन्ही का अध्ययन किसी भी समाज को समझने के लिए आवश्यक है। जो सम्बन्ध बार–बार दोहराये जाते हैं और स्थायी हैं, वे ही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं।[2] मजूमदार एवं मदान ने सामाजिक संरचना को पारिभाषित करते हुए लिखा है :– पुनरावृत्तीय सामाजिक सम्बन्धों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है।[3] इस परिभाषा में भी इस भाषा पर जोर दिया गया है कि जो सामाजिक सम्बन्ध बार–बार दोहराये जाते है और तुलनात्मक रूप से स्थायी हैं, वे समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। भारतीय सामाजिक संरचना का सामान्य स्वरूप निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या 4.1

भारतीय सामाजिक संरचना का समान्य स्वरुप

व्यक्ति यदि चाहे तो एक या अधिक ऐच्छिक समूहो का भी सदस्य बन सकता है :

कुछ समाजो में इन समितियों की सदस्यता प्रायः अनिवार्य रहती है। कई समाजों में कुछ वर्गों के लोग स्वतः ही इनके सदस्य हो जाते हैं। अन्य समाजों में लोगों को इनके सदस्य बनने केलिए कुछ योग्यता परीक्षण देने होते हैं।[4]

उपरोक्त सामाजिक संरचना के स्वरूप के अर्न्तगत ही भारत के विविध क्षेत्रो में निवास करने वाली अल्प संख्यक आदिम जनजातियाँ भी आती हैं। इनकी सामाजिक संरचना मे भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बहुसंख्यक एवं सभ्य मानव समुदायों के सामाजिक संरचना स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। क्योकि मानव की अपने वर्ग एवं समाज से सम्बन्धित मूल भावनाएं एवं विचार किसी न किसी रूप में समान ही होते हैं। विविध जनजातियों के सामाजिक संरचना में जो भी परिवर्तन मिलते हैं, वे मूलतः पर्यावरणीय दशाओं के परिवर्तन के कारण हैं। प्रस्तुत अध्याय में अण्डमान–निकोबार की जनजातियों के सामाजिक संरचना एवं सुविधाओं का विवरण एवं विवेचना प्रस्तुत किया गया है।

परिवार :

परिवार एक आधारभूत सामाजिक समूह है। इस संस्था के कार्यो का विस्तृत समूह विभिन्न समाजो में भिन्न–भिन्न प्रकार का होता है। फिर भी इसके मूलभूत कार्य सभी जगह समान हैं। काम के स्वाभाविक वृत्ति को लक्ष्य में रखकर ये यौन सम्बन्ध एवं

सन्तानोत्पत्ति की क्रियाओं का नियमन करता है। यह भावनात्मक घनिष्ठता का वातावरण तैयार करता है तथा शिशु के समुचित पोषण तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि देता है। परिवार में स्त्री एवं पुरूष दोनो को सदस्यता प्राप्त होती है। उनमें कम से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन सम्बन्धों की सामाजिक स्वीकृत रहती है, और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। भारतीय जनजातियों में पारिवारिक संरचना में विविधता मिलती है, क्योंकि उनके रीतिरिवाज और नियम भी अलग–अलग हैं।[5] भारत की जनजातियों में रचना और संगठन की दृष्टि से परिवार का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, जो निम्न सारणी में स्पष्ट है।

सारणी संख्या 4.2

जनजातियों में रचना और संगठन की दृष्टि से परिवार का वर्गीकरण

1–	(1) निवास	(क) पितृ स्थानीय परिवार
		(ख) मातृस्थानीय परिवार
		(ग) पितृ/मातृ स्थानीय परिवार
		(घ) नव स्थानीय परिवार
		(च) मामा स्थानीय परिवार
	(2) अधिकार	(क) पैत्रिक परिवार
		(ख) मातृक परिवार
	(3) उत्तराधिकार	(क) पितृमार्गीय परिवार
		(ख) मातृमार्गीय परिवार
	(4) वंश–नाम	(क) पितृ नामी परिवार
		(ख) मातृनामी परिवार
		(ग) उभयवादी परिवार

2– वैवाहिक रचना और गठन

(ग) मूल परिवार

(घ) संयुक्त परिवार

(ङ) विस्तारित परिवार

स्ट्रेट द्वीप में पायी जाने वाली ग्रेट अण्डमानी जनजाति सरल एवं विस्तृत दोनो प्रकार के परिवारों का मिला–जुला स्वरूप प्रस्तुत करता है। ग्रेट अण्डमानी परिवार में सामान्यतया पति पत्नि एवं बच्चे एक साथ एक झोपड़े में रहते हैं। बच्चे वयस्क हो जाने पर या शादी के पश्चात् अपना अलग परिवार बसा सकते है। कभी–कभी इनके परिवारों में पति–पत्नी एवं बच्चों के अलावा नाना, मामा एवं बुआ आदि भी रह सकते हैं। लेकिन ऐसे परिवार बहुत कम हैं।

दक्षिणी एवं मध्य अण्डमान में निवास करने वाली जारवा जनजाति अपने को "आंग" तथा बाहरी लोगों को "इनेन" शब्दों द्वारा सम्बोधित करती है। वर्मा एवं अन्य देशों के लोगो को ये "इनेनथा" एवं "थोड़ी–इतूल" शब्दों से सम्बोधित करते हैं। परिवार इनकी मूल सामाजिक इकाई है, जिसमें मुख्यतः पति–पत्नी, छोटे बच्चे सम्मिलित होते हैं। वयस्क पुत्र–पुत्रियाँ अपने माँ बाप से अलग निवास कर सकते हैं। मुख्यतः जारवा में तीन प्रकर के परिवार मिलते है

(1) बिना बच्चों के पति–पत्नी (2) छोटे बच्चों सहित पति पत्नी एवं (3) पुनर्विवाहित पति पत्नियों के साथ पूर्व विवाह के बच्चे।

लिटिल अण्डमान मे निवास करने वाली ओंगी जनजाति भी सरल परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इनके कई बैन्ड या ग्रुप हो सकते हैं। एक बैन्ड मे कई परिवार होते हैं। ये अभी भी पाषाण कालीन आदिम जीवन व्यतीत करते हैं। इनके परिवार में पति–पत्नी एवं बच्चे सम्मिलित होते हैं।

उत्तरी सेन्टिनल द्वीप के निवासी सेन्टिनली जनजाति की पारिवारिक संरचना के सम्बन्ध मे अभी तक कोई विश्वसनीय एवं तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योकि वे अभी भी पाषाण कालीन हिंसक एवं खूखांर अवस्था में हैं तथा अनेक सरकारी एवं प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका है।

निकोबार द्वीपों मे रहने वाले निकोबारी जनजाति की पारिवारिक संरचना विस्तृत प्रकार की है, क्योंकि ये अधिकांशतः सभ्य एवं शिक्षित होने लगे हैं। अतः इनके परिवार में माता पिता एवं बच्चों के अलावा, पिता के माता–पिता या माता के माता पिता, पिता अथवा माता की बहन या भाई आदि भी रह सकते हैं। परिवार का आकार सामान्यतः चार से आठ है, लेकिन कभी–कभी लम्बे परिवार (12 व्यक्ति) भी पाये जाते हैं। इनकी प्रथम या बच्चों की पीढ़ी को "कुओं" व दूसरी या पिता की पीढ़ी को "यॉंग", तीसरी या बाबा की पीढ़ी को "योम", चौथी पीढ़ी को "कालवी", पाँचवी को "मुवांगों", छठवीं को "किनगुवांगो", सातवीं को "क्विनचिरो" तथा आठवीं पीढ़ी के पूर्वजों को "माँक" कहा जाता है।

ग्रेट निकोबार निवासी शोम्पेन लोगों की सामाजिक संरचना की प्राथमिक इकाई परिवार ही है। यह एक सामान्य प्रकार का परिवार होता है, जिसमें पति–पत्नी एवं बिन व्याहे बच्चे होते हैं। ये सभी एक ही झोपडी में रहते हैं। लेकिन विवाहित एवं वयस्क हो जाने पर बच्चे अलग रहने लगते हैं। शोम्पेन कई समुदायों में रहते हैं। एक समुदाय मे 6–8 परिवार होता है, जिसमें 20–25 सदस्य होते हैं। सभी समुदाय मिलकर समाज का निर्माण करते हैं।

अण्डमान निकोबार की उपरोक्त सभी जनजातियाँ पैतृक, पितृनामी, पितृमार्गी, एवं पितृस्थानीय होती हैं। परिवार के सभी सदस्य पिता के घर पर ही रहते हैं तथा परिवार का मुखिया पिता या अन्य बुजुर्ग पुरूष होता है।

विवाह :

एस0 सी0 दुबे[6] के अनुसार यौन सम्बन्धों को स्थिर करने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिए विवाह की संस्था का जन्म हुआ है। यौन सम्बन्ध मात्र को ही विवाह का उद्‌देश्य मानना गलत होगा, क्योंकि कई यौन सम्बन्ध विवाह में परिणित नहीं होते। विश्व की अन्य जनजातियों की तरह भारतीय जनजातियों में भी विवाह के अनेक रूप प्रचलित हैं। अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियों में भी विवाह पद्वति न्यूनाधिक रूप में समान पायी जाती है।

ग्रेट अण्डमानी जनजातियों में विवाहित पुरूष या नारी को अविवाहित लोगों से श्रेष्ठ माना जाता है। अतः कोई अविवाहित नहीं रहना चाहता। एक अण्डमानी अपनी बहन, चचेरी बहन, अपने पिता की बहन, माता की बहन, भाई एवं बहन की लड़कियों से विवाह नहीं कर सकता। साथ ही एक ही नाम के लड़के–लड़कियों

का आपस में विवाह नहीं हो सकता। लेकिन अब कुछ लोग इस नियम के विपरीत विवाह कर लिए है। ग्रेट अण्डमानियों के विवाह आयु एवं आयु अनुसार प्रजनन दर सारणी 4.3 अ एवं ब में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या–4.3 (अ)

ग्रेट अण्डमानियों में विवाह की आयु

आयुवर्ग	पुरुष	%	महिला	%
10–15	–	–	3	27.3
16–20	2	18.2	4	36.4
21–25	3	27.3	2	18.2
26–30	3	27.3	–	–
31–35	1	9.1	1	9.1
36–40	–	–	–	–
41–>	2	18.2	1	9.1
	11		11	

स्रोतः– दि ग्रेट अण्डमानी, चक्रवर्ती, डी0के0, सी गल बुक्स,कलकत्ता।

सारणी संख्या–4.3 ब

आयुवार जननता एवं बहुप्रसवता–ग्रेटअण्डमानी

आयु वर्ग	संख्या (म0)	कुल जन्म संख्या	जिवित शिशु संख्या	नारियों की औ0 जननता	माताओं की औ0 जननत	औ0 बहु प्रसवता नारी	औ0 बहु प्रसवता माता
0–20	1	–	–	–	–	–	–
21–44	4	14	10	3.5	4.7	2.5	5.3
45>	3	7	5	2.3	3.5	1.7	2.5
	8	21	15	2.6	4.2	1.9	3.3

स्रोतः– दि ग्रेट अण्डमानी, चक्रवर्ती, डी0के0, सी गल बुक्स,कलकत्ता।

जारवा विशुद्व रूप से एकल विवाही होते हैं। जब लड़के–लड़कियाँ एक या दो वर्ष के हो जाते हैं, तब उनके माता पिता विवाह हेतु बात–चीत करते हैं। विवाह निश्चित होने पर भावी बहू या तो अपने माता पिता के साथ या तो अपने भावी ससुर या फिर दुल्हे के साथ रह सकती है। जब ये दोनों वयस्क हो जाते हैं, तो लड़के को "लेपा" एवं लड़की को "ओपी" कहते है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वयस्क होने पर वे आपस में विवाह कर लें। अपना दूसरा साथी भी ढूंढ़ सकते हैं। यदि भावी दूल्हे या दूल्हन में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो विधवा या विधुर का विवाह तब तक नहीं होता, जब तक वह वयस्क न हो जाय। वयस्क होने पर उसके पिता पुनः विवाह निश्चित करते हैं तथा विवाह उत्सव में माता एवं पिता दोनों तरफ के सम्बन्धी उत्सव में सम्मिलित होते हैं। यद्यपि विवाह की आयु निश्चित नहीं है, फिर भी लड़के को 17–18 वर्ष एवं लड़की को 14–15 वर्ष में विवाह योग्य माना जाता है। विधवा एवं विधुर विवाह की स्वीकृति है।[7]

ओंगी समाज में एक विवाह की पद्वति ही प्रचलित है। ये अपने सगे सम्बन्धी या अपने बैन्ड के किसी भी लड़की से विवाह नहीं कर सकते। चचेरे सम्बन्धों में विवाह कर सकते हैं। दूसरा विवाह जीवन साथी (पति या पत्नी) के मरणोपरान्त ही होता है। विधवा एवं विधुर विवाह के कारण अन्य वयस्क लड़के एवं लड़कियों की विवाह में परेशानियाँ आ रही हैं, क्योकि इनकी जनसंख्या कम है। शादी के पूर्व सामूहिक झोपड़ी में "तानागिरू" नाम का एक उत्सव होता है, जिसमें सगे सम्बन्धियों के समक्ष एक बुजुर्ग के आदेश पर लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है तथा अपने बिस्तर पर ले जाता है। इस प्रकार विवाह सुनिश्चित हो जाता है।[8]

ओगियों की विवाह स्थिति एवं विवाह आयु, सम्बन्धी सूचनाएं निम्नलिखित सारणी संख्या 4.4 अ एवं ब में प्रदर्शित हैं।

सारणी संख्या–4.4 अ

ओंगियों में वैवाहिक स्तर (प्रतिशत में)

आयु वर्ग	पुरूष		महिला		अविवाहित	
	विवाहित	विधवा	विवाहित	विधवा	पुरूष	महिला
0–20	34.69	–	–	6.12	13.27	15.38
21–40	43.88	23.47	–	17.35	3.06	–
41–>	21.43	10.20	–	11.22	–	–
	100.00	33.67	–	34.63	16.33	15.31

सारणी संख्या–4.4 ब

ओंगियों में विवाह की आयु

आयुवर्ग	पुरुष	%	महिला	%
10–15	–	–	6	18.2
16–20	6	18.2	14	42.4
21–25	10	30.3	8	24.2
26–30	8	24.2	4	12.1
31–35	5	15.1	1	3.0
36–40	1	3.0	–	–
41–>	3	9.1	1	3.0
	33		34	

स्रोतः– आइलैण्ड कल्चर ऑफ इंडिया, रेड्डी जी0पी0 एवं सुदर्शन वी0, पेज नं0– 52।

सेन्टिनली जनजाति से अभी तक सीधा सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका है। अतः उनके वैवाहिक सम्बन्ध एवं नियमों का ज्ञान नहीं हो सका है।

निकोबारी जनजाति अब सभ्य एवं शिक्षित हो गयी है। अतः विवाह सम्बन्धी उसके रीति रिवाज हिन्दू प्रथाओं से कुछ मिलतें जुलते हैं। इनमें एक विवाह की प्रथा है। दूसरा विवाह तभी कर सकते हैं, जब जीवन साथी (पति या पत्नी) की मृत्यु हो जाय। विधवा या विधुर अपने अनुसार अपने जीवन साथी का चयन कर सकते हैं। सामान्यतः विवाह की आयु लड़कियो के लिए 15 वर्ष तथा लड़को के लिए 16–17 वर्ष है। विधुर विवाह 35–40 वर्ष तक मान्य है। इनमें बाल विवाह की भी प्रथा नहीं है। जब लड़की विवाह योग्य हो जाती है, तो उसके माता पिता द्वीप के मित्र गणों, परिजनो, प्रधानों, सम्बन्धियों आदि को बुलाते हैं तथा वे सब उपहार सहित लड़की के घर आते हैं। उस दिन लड़की एवं लड़की की माँ अपने को साज सवाँर कर रखते हैं। बाद में इन दोनों के बाल काट दिये जाते हैं। उस दिन अतिथियों को कुछ खाने को नहीं मिलता। लेकिन दूसरे दिन विवाह उत्सव होता है, जिसे "विगैच" कहते हैं। इसमे सभी सगे–सम्बन्धी, मित्रगण सम्मिलित होते हैं। लड़के के पिता तथा सगे सम्बन्धी भी आते हैं। लड़की का पिता लड़के को कुछ काम जैसे–नौका बनाना, नारियल फोड़ना, झोपड़ी बनाना, लोकगीत गाना आदि देकर उसकी परीक्षा लेता है। काम सम्पन्न कर देने पर लड़के–लड़की की शादी हो जाती है।[9] विवाह लड़के के गुण को देखकर किया जाता है तथा दहेज प्रथा बिलकुल नहीं है। अब इनमें प्रेम विवाह की भी प्रथा शुरू हो गयी है, जिसे स्थानीय भाषा मे "मिहिनोस" कहते हैं। भारतीय मुख्य भूमि से कुछ गुजराती व्यापारी आकर यहाँ के लड़कियों से विवाह कर लिए हैं। इसे निषेध नहीं माना जाता। एक उत्सव में गाँव के बुजुर्गो के समक्ष

विवाह को सम्पन्न कर दिया जाता है तथा लड़का–लड़की पति–पत्नी (कोच–कैथ) बन जाते हैं।

शोम्पेन जनजाति में तीन प्रकार का विवाह होता है – (1) गोंद द्वारा विवाह (2) व्यवस्थित विवाह एवं (3) बलात विवाह। प्रथम दो प्रकार के विवाह तो सामान्य हैं, तीसरा विवाह बहुत कम देखने को मिलता है। प्रथम दो में उत्सव मनाये जाते हैं, जबकि तीसरे में नहीं। प्रथम प्रकार के विवाह में पिता अपनी छोटी लड़की को एक युवा लड़के को दे देता है। लड़का उसे पाल पोषकर बड़ा करता है। लड़की के वयस्क होने पर लड़का लड़की के पिता के घर जाकर उसके सगे सम्बन्धियों को आमंत्रित करता है। शादी का उत्सव आधिकांशतः पूर्णिमा के दिन रखा जाता है, जिसमें दोनों तरफ के लोग सम्मिलित होते हैं। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से उपहार स्वरूप सुअर प्राप्त करते हैं, जिससे विवाह पक्का हो जाता है। इस उत्सव में सभी के लिए खान–पान एवं खुशी मनाने का पूर्ण अवसर मिलता है। दूसरे प्रकार का विवाह भी लगभग इसी तरह का है। लेकिन अन्तर यह है कि जब लड़की वयस्क हो जाती है, तभी विवाह होता है। तीसरे प्रकार के विवाह में कोई लड़का किसी दूसरे बैण्ड की लड़की को छुपकर उठा ले आता है, तथा उससे अपने बैण्ड के समक्ष विवाह करता है।[10] यद्यपि शोम्पेन में एक विवाह प्रथा ही प्रचलित है। लेकिन कुछ हद तक बहुविवाह प्रथा भी देखी जाती है। शोम्पेन में विवाह के बाद भी दूसरे स्त्रियों या पुरूषों से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना आम बात है। 20 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने अपनी माँ से ही शादी कर लिया और उसके साथ पूरा जीवन बिताया।

नातेदारी :

सेन्टिनली जनजाति के अलावा लगभग अन्य सभी जनजातियों में किसी न किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था

प्रचलित है। सामान्य रहन–सहन, खान–पान, परिवार, विवाह, सामूहिक उत्सव त्योहार आदि से सम्बन्धित नियम एवं परम्परायें हैं, जिसका पालन सभी करते हैं। इस प्रकार सभी एक दूसरे से किसी न किसी सम्बन्ध, नातेदारी या सामाजिक बन्धन से बधें हैं। इनमें जो सम्बन्ध विवाह एवं जन्म प्रथा से सम्बन्धित है, वे ही नातेदारी की श्रेणी मे आते हैं। अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों में जैविक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की नातेदारियाँ प्रचलित हैं। जैविक नातेदारी में माता–पिता, भाई–बहन, पुत्र–पुत्री, आदि सम्मिलित हैं, जबकि सामाजिक सम्बन्धों में बड़े पिता, बाबा, चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना–नानी मामा–मामी, फुफा–बुआ आदि सम्बन्ध भी पाये जाते है। चाहे निकोबारी एवं शोम्पेन हो, और चाहे अण्डमानी या जारवा, ये नातेदारियाँ सभी में देखी जाती हैं। सभ्य एवं शिक्षित होने के कारण निकोबारी जनजाति में नातेदारी प्रथा का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है। सेन्टिनली जनजाति से सम्पर्क न होने के कारण उनकी नातेदारी प्रथा के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। अण्डमान निकोबार की जनजातियाँ अपने सम्बन्धों एवं नातेदरियों को अपनी स्थानीय भाषा में अलग–अलग नामों से सम्बोधित करते हैं।

भाषा :

अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियों की भाषा को उनके मूल प्रजातीय आधार एवं क्षेत्रीय आधार पर दो वर्गो में रखा जाता है (1) अण्डमान वर्ग की भाषा एवं (2) निकोबार वर्ग की भाषा। अण्डमान द्वीपों में चार प्रकार की आदिम जनजातियाँ निवास करती हैं, ग्रेट अण्डमानी, जारवा, ओंगी, सेन्टिनली। इसीलिए इन जनजातियों की भाषा को उनके नाम के आधार पर ही पहचाना जाता है। इनकी भाषाओं में रहन–सहन एवं पर्यावरण के कारण काफी अन्तर है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति की भाषा अण्डमानी है, जिसकी कोई लिपि नहीं है एवं इन लोगों द्वारा परम्परा के आधार पर बोली जाती है। इनमें कुछ हिन्दी एवं अन्य भाषाओं के शब्द भी दूसरे लोगों के सम्पर्क द्वारा मिलते जा रहे हैं। ओगी जनजाति की भाषा ओंगी के नाम से जानी जाती है। यह जनजाति भी धीरे–धीरे बाहरी लोगों के सम्पर्क में आ रही है। अतः इस पर भी हिन्दी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ओंगी अपनी भाषा एवं हिन्दी के शब्दो का उच्चारण नाक द्वारा या गला दबाकर करते हैं, जिससे यह भाषा अनुनांसिक जैसी है। कहीं–कहीं जीभ के ऊपर अधिक दबाव डालकर शब्दो का उच्चारण करना इनकी विशेषता है।

सेन्टिनली जनजाति से सम्पर्क न होने के कारण सेन्टिनली भाषा के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। इसी प्रकार जारवा जनजाति भी काफी आदिम और हिंसक है। अतः उनकी बोली–भाषा को समझने में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। फिर भी प्रशासनिक प्रयास के कारण जारवा के जिस वर्ग से सम्पर्क हो सका है, उससे ओंगी हिन्दी बोली में जारवा के बोली के शब्दों का पता लगा हैं। जारवा बोली पर हिन्दी बोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है जैसे –इता = यह, इओं = यहाँ, मैला = मै, मिलाले = मित्र आदि।

निकोबार वर्ग की बोलियों को डा0 भोलानाथ तिवारी ने आस्ट्रिक भाषा परिवार के अर्न्तगत रखा है। कुछ विद्वान इसे मानखमेर भाषा के अर्न्तगत रखते है, क्योंकि इन बोलियों पर मलय, जावानीज आदि भाषाओं के प्रभाव के साथ–साथ आर्य एवं द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। निकोबारी भाषा को 6 भागों में –कार निकोबारी, चौरा, नानकौरी, लिटिल निकोबारी, कोण्डूली, ग्रेट निकोबारी में विभाजित किया जाता है। आवर इण्डिया पब्लीकेशन,

मद्रास, द्वारा प्रकाशित "लैंग्वेजेज" मे निकोबारी का उल्लेख है। यह मूलतः कारनिकोबारी ही है। जिसे रोमन लिपि में लिखने का प्रयास किया गया है। अण्डमान–निकोबार के शिक्षा निदेशालय ने नागरी लिपि में दों निकोबारी प्राइमर तैयार किया है। कारनिकोबारी, कारनिकोबारियों की बोली है। चौरा तरेशा, बम्पोका के आदिवासी चौरा बोली बोलते हैं। नानकौरी बोली में नानकौरी, कर्मोटा, ट्रिंकेट एवं कचाल द्वीप की जनजातियाँ आती हैं। पिलोमिलो एवं लिटिल निकोबार की जनजातियाँ लिटिल निकोबारी बोली बोलते हैं। कोण्डूली द्वीप की जनजाति कोण्डूली बोली बोलती हैं। इन बोलियों में बहुत अन्तर नहीं मिलता। जो अन्तर है, वह अलग–अलग द्वीपों में रहने के कारण है। अतः ये मूलतः एक ही मालूम पड़ती हैं।

ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति की बोली को भाषा विदो ने शोम्पेनी नाम दिया है। डा0 राम कृपाल तिवारी[11] ने शोम्पेनी हिन्दी बोली के नाम से इनके कुछ शब्दों का संग्रह भी किया है। इनके अनुसार शोम्पेनी पर संस्कृत का प्रभाव मिलता है जैसे– "डीहा" संस्कृत के जीहवा एवं हिन्दी के जीभ का समानार्थी है। "पूई" या "पू" संस्कृत के "पय", जिसका अर्थ पानी या दूध है के समान है। "कवांग" संस्कृत के कपाट एवं हिन्दी के किवाड़ का समानार्थी है। शोम्पेनी सूर्य को "खिग" कहते हैं, जो संस्कृत के खग अर्थात आकाश में विचरण करने वाला का समानार्थी है। इसी प्रकार इस भाषा के "कउ" एवं "कल्पंग" तमिल भाषा के क्रमशः "कई" एवं "कल्प" से मिलते–जुलते हैं। शोम्पेनी पर हिन्दी का स्पष्ट प्रभाव है। जो सभ्य समाज के संसर्ग का प्रमाण है। हिन्दी में लोई का अर्थ उत्तरीय होता है, जबकि शोम्पेन लोई का प्रयोग कपड़े के अर्थ में करते हैं।

कार निकोबारी की बोली को छोड़कर अन्य जनजातीय बोली की अपनी कोई लिपि नहीं है। रोमन या देवनागरी

लिपि में इनको अंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। लिपि बद्व हो जाने पर इन बोलियों के अध्ययन से अण्डमान निकोबार द्वीप की आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति का विशद विश्लेषण संभव हो सकेगा।

धार्मिक मान्यताए :

आदिम, असभ्य एवं अशिक्षित होने के कारण अण्डमान–निकोबार की जनजातियों में कोई स्थापित धार्मिक मान्यता, विश्वास, दर्शन, एवं कर्मकाण्ड नहीं पाया जाता। निकोबारी जनजाति ही ऐसी है, जो कुछ शिक्षित और सभ्य हो रही हैं। अतः उसमें इसाई धर्म प्रचारकों के कारण चर्च आदि के प्रति कुछ विश्वास धीरे–धीरे उत्पन्न हो रहा है। इनमें से कुछ हिन्दू धर्मावलम्बी भी हो गए हैं। लेकिन ये दोनो धार्मिक मान्यताए मात्र ऊपरी है। अन्दर से आज भी ये भूत–प्रेत, जादू–टोना, अन्धविश्वास आदि में विश्वास करते हैं। 1688 से लेकर आज तक अनेक इसाई धर्म प्रचारक निकोबारियों में इसाई धर्म को मानने एवं उसमें आस्था रखने के अनेक प्रयास किये। अन्ततोगत्वा सोलोमन नामक एक इसाई धर्म प्रचारक ने इन्हें इसाई धर्म सिखाने तथा उनके जीवन को कुछ संयमित बनाने में सफलता पायी। वह निकोबारियों का मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, सब कुछ था। 1979 में सोलोमन के मरने के पश्चात् निकोबारियों का ही एक सदस्य जान रिचर्डसन इसाई धर्म में दीक्षित होकर उनके बीच इसाई धर्म को प्रचलित एवं प्रसारित करने में सफलता पायी। निकोबार जिले के अधिकांश (74%) निकोबारी इसाई धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन कुछ निकोबारी इस्माल धर्म एवं हिन्दू पड़ोसियों के कारण हिन्दू धर्म भी मानने लगे हैं तथा ये हिन्दुओं के त्योहार जैसे–होली, दीपावली को भी खुशी से मनाते हैं।

इसाई धर्म स्वीकार करने के बाद भी ये अपने पारम्परिक रीति–रिवाजों तथा मान्यताओं को न भूल सके तथा उनकी

दिनचर्या में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ निर्धारित दिनों में गिरजाघर जाने के अलावा शेष समय ये अपने रीति रिवाजों, जादू–टोना एवं भूत–प्रेतों की पूजा में ही संलग्न रहते हैं। ये अपने द्वीपों पर सर्वत्र भूत का अधिकार मानते हैं। मरणोपरान्त प्रत्येक पुरूष या महिला भूत बन जाता है, तथा इनमें से कुछ मनुष्यों को परेशान करते हैं तथा कुछ उनकी सहायता करते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। मुख्य भूमि के मरे हुए लोग भी यहाँ पर भूत बनकर आ सकते है। इसीलिए ये गर्भवती महिलाओं को एकांत स्थान या जंगलों में नहीं जाने देते। बड़े–बड़े तूफान, प्राकृतिक आपदाये, सभी भूतो एवं शैतानों की देन मानी जाती है। भूत को मनाने के लिए नारियल के ऊपर एवं नीचे का भाग काटकर झोपड़ी के सामने रख दिया जाता है तथा वहीं पर दो मुर्गों का बलिदान किया जाता है जिसमें एक को समुद्र में फेक देते हैं तथा दूसरे को खुद प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चैट–मैट नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, जिसमें भूतों–प्रेतों की स्थायी उपस्थिति मानी जाती है। यहाँ किसी गर्भवती महिला एवं बच्चों को नही जाने दिया जाता है। यहाँ पर रखे काले पत्थर को निकोबारी लोग जीवित मानते हैं और यदि इसके आस–पास शोर किया जाय तो उसमें स्थित भूत लोगों में बुखार एवं खून की उल्टी की बिमारी पैदाकर देता है और वो मर जाता है। तमाम प्रकार की बिमारियों का कारण भूतों–प्रेतों का कोप माना जाता है, जिसे ओझा द्वारा विविध प्रकार की चढ़ौतियाँ एवं मनौतियाँ करवा कर शांत किया जाता है। ये लोग चन्द्रमा को विश्व की धुरी मानते है। इसीलिए चन्द्रग्रहण होने पर ये दुखी होते हैं तथा घड़े बाल्टी आदि का ढ़क्कन खोलकर रखते है तथा जंगलों से मेढ़क पकड़कर अनके मुंह खोल देते हैं, जिससे कि चन्द्रमा ग्रहण से मुक्त हो जाये।

शोम्पेन भी चन्द्रमा को सभी देवो से ऊपर तथा पृथ्वी एवं ब्रम्हाण्ड का निर्माता मानते हैं। ब्रम्हाण्ड के चारों ओर घूमते रहने से चन्द्रमा सभी की बाते सुन लेता है तथा गलत करने वाले शोम्पेन को तूफान, भारी वर्षा आदि द्वारा परेशान करता है। इससे बचने के कई उपाय भी इनके पास हैं। शोम्पेन भूत एवं शैतान की भी सत्ता को मानते हैं तथा बिमारियों को उसकी नाराजगी का परिणाम मानते हैं। इनमे "सोमानी" एक धार्मिक आदमी होता है, जो इन्हे भूत एवं शैतानों के कोप से छुटकारा दिलाता है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति आग एवं भूत–प्रेतों की पूजा करती है। आग जलाकर भूत–प्रेतो से रक्षा की जाती है। बिमारियों, तूफानों एवं आपदाओं को भूत–प्रेतो की नाराजगी का परिणाम माना जाता है। ग्रेट अण्डमानियों में विशेष रूप से बच्चों की मौत को शैतान का कोप माना जाता है। इसे शान्त करने के लिए अग्नि एवं अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। इनके अनुसार पूरा संसार पूजा पर टिका हुआ है।

ओंगी लोग जीवन–मरण पर कुछ विश्वास करते हैं। इनका विश्वास है कि "ओनोकोबोई किवीस" ब्रम्हाण्ड का देवता है, जो ओंगियों के नए जन्म के लिए एक दूत भेजता है। वह दूत किसी मधुमक्खी के छत्ते या वृक्ष पर रहता है। इसीलिए ओंगी पुरूष एवं महिलाएं मधुमक्खी के छत्ते को सीधा खा जाते हैं। गर्भवती महिलायें मधुमखी के छत्ते को पेड़ के सबसे ऊपर टांगकर "किवीस" की पूजा अर्चना करती हैं, जिससे उनका बच्चा जीवित और स्वस्थ रहे।

जरवा जनजाति के लोग चन्द्रमा को ब्रम्हाण्ड का देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। भूत प्रेतों में भी इनका विश्वास है। बिमारियाँ, आपदायें, तूफान, मत्यु आदि सभी चन्द्रमा अथवा भूत–प्रेतों की नाराजगी के परिणाम होते हैं। अतः उन्हें शान्त कराने

हेतु पूजा अर्चना की जाती है। मधुमक्खी के छत्ते में ये भी देव दूत का निवास मानते हैं, जो अच्छा पुनर्जन्म देता है। इसीलिए ये भी छत्ते को सीधा खा जाते है। ये हिरन का शिकार नहीं करते क्योकि वे इसे चन्द्रमा का वाहन मानते हैं।

सेन्टिनली जनजाति घोर हिंसक आदिम एवं असभ्य है जिससे अभी तक उनसे कोई सम्पर्क नहीं हो सका है। अतः उनकी धार्मिक मान्यता एवं विश्वास के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उत्सव एवं मनोरंजन :

अण्डमान निकोबार की द्वीप की जनजातियों में उत्सव एवं मनोरंजन की भी भावनाएं देखी जाती है। ये उत्सव और मनोरंजन विशेष रूप से बच्चों के जन्म, नामकरण, विवाह, सामूहिक क्रिया–कलाप, पूजा, अर्चना आदि से सम्बन्धित होते हैं। निकोबारी जनजाति के लोग अपेक्षाकृत अधिक सभ्य एवं शिक्षित हो चुके हैं, तथा अनेक प्रकार की सरकारी नौकरियों, निजी प्रतिष्ठानों, नारियल बागानों, मछली मारने आदि कार्यों में लगे हैं। जिसके लिए इन्हें उचित पारिश्रमिक एवं पैसा भी मिलता है तथा इनकी आय अन्य की अपेक्षा काफी अच्छी है। अतः ये आधुनिक सभ्यता के मनोरंजन के अधिकांश सामान जैसे रेडियों, ट्रांजिस्टर, टेप, टेलीविजन, सिनेमा सुविधा, खेल–कूद, गाना–बजाना, आदि से सम्पन्न हैं। अतः इनके जीवन में उत्सव एवं मनोरंजन का माहौल सदैव बना रहता है। विशेष अवसरों जैसे–बच्चों के जन्म, उनके नामकरण, विवाह, सार्वजनिक क्रियाकलाप, पूजा, अर्चना सामूहिक खेलकूद एवं गाने बजाने पर ये काफी पैसा खर्च करते हैं तथा परिवार, सगे–सम्बन्धियों, मित्रों आदि के साथ खूब हसी–खुशी मनाते हैं तथा पूर्ण मनोरंजन करते हैं। बच्चे के जन्म के लिए अलग घर बनाया जाता है एवं उत्सव मनाया जाता है। बच्चों के

नामकरण हेतु इसाई लोग "बापतिस्मा" एवं मुस्लिम निकोबारी "अकैका" नाम का उत्सव करते हैं, एवं सगे–सम्बन्धियों के साथ हँसी–खुशी मनाते है। विवाह के समय ये "विगैच" नाम का उत्सव करते है, जिसमें लड़की एवं लड़के पक्ष के सगे–सम्बन्धी एकत्र होते है। जिसमें सुअर का मांस एवं अन्य भोज्य पदार्थ बनाये जाते है तथा लोकगीत, गाना बजाना एवं नाचने के मनोरंजन होते हैं। ऐसे ही मनोंजन सामूहिक क्रियाकलापों खेल–कूद आदि के समय भी किये जाते है। देवी–देवताओं एवं गिरजाघरों में भी ऐसे मनोरंजन होते है। लेकिन किसी की मृत्यु के समय इनका सम्पूर्ण समाज काफी दु:खी एवं शोकाकुल रहता है।

शोम्पेन जनजाति के लोग भी बच्चे के जन्म के समय उत्सव मनाते हैं। विवाह के समय ये पूर्णिमा के दिन सामूहिक झोपड़ी में सगे सम्बन्धियो के साथ एकत्र होते है। सुअर के मांस एवं अन्य भोज्य पदार्थों की व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है तथा सभी लोग मिल–जुल कर नाच–गाना एवं हँसी मजाक करते है। सामूहिक कार्यों जैसे खेल–कूद, पूजा–पाठ के समय भी ये काफी मनोरंजन करते हैं। किसी की मृत्यु पर ये भी शोकाकुल हो जाते हैं।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति के अधिकांश उत्सव भी बच्चों के जन्म, नामकरण, विवाह आदि से सम्बन्धित है। खेल–कूद एवं पूजा, अर्चना के समय भी ये नाच–गान करते है। सरकार के द्वारा इन्हें अनेक प्रकार के पात्र, सुविधाएं एवं खाने के सामान दिये जाते है, जिससे इनके मनोरंजन में चार चाँद लग जाता है।

ओंगी जनजाति के अधिकांश उत्सव एवं मनोरंजन सामूहिक झोपड़ी में होते है, जिसे स्थानीय भाषा में "गैबराली बेयरा" कहते हैं। यह ओंगी के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनके विविध समुदायों का नामकरण भी इनकी सामूहिक झोपड़ी

द्वारा होता है। इस झोपड़ी का आकार मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। इनके अधिकांश उत्सव बच्चों के जन्म, विवाह, सामूहिक क्रिया–कलाप, पूजा–अर्चना आदि से सम्बन्धित है। बच्चे के जन्म के समय ये परिवार एवं सगे सम्बन्धियों सहित एकत्र होकर मांस भक्षण एवं नाच–गान करते हैं। विवाह के लिए लड़के के परिवार को "तानागिरु" नाम का उत्सव आयोजित करना पड़ता है, जो अधिकांशतः सामूहिक झोपड़ी में सम्पन्न होता है। लड़के एवं लड़की को खूब सजाया जाता है। उनके चेहरों पर लेप किया जाता है तथा सीपियों एवं घोंघे से बने आभूषण पहनाये जाते हैं। इस समय मांस–मदिरा की व्यवस्था होती है। ये खा–पी करके खूब नाच गान करते हैं। इसी प्रकार का उत्सव सामूहिक खेल–कूद, पूजा, अर्चना के समय भी होता है।

जारवा जनजाति के भी अधिकांश उत्सव एवं मनोरंजन बच्चों के जन्म, विवाह, एवं सामूहिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित हैं। जन्मोत्सव सामूहिक रूप से सामूहिक झोपड़ी में या खुले मैदान में परिवार एवं सगे सम्बन्धियों के साथ मांस मदिरा एवं अन्य भोज्य पदार्थ खाकर मनाया जाता है। विवाह के समय दूल्हा (लापा) तथा दुल्हन (ओपी) के पक्ष के सगे सम्बन्धी, लड़के के पिता के घर पर एकत्र होते हैं। वहाँ पर खान–पान एवं गाने बजाने की पूर्ण व्यवस्था होती है। सभी मिलकर इस उत्सव को मनाते है। सामूहिक क्रिया कलापों जैसे खेल–कूद, पूजा–अर्चना आदि के समय भी ये ऐसे उत्सव मनाते हैं। कभी–कभी रात्रि में आग जलाकर समुदाय के सारे लोग आग के चारों ओर नाचते–गाते हैं।

सेन्टिनली जनजाति के उत्सव एवं मनोरंजन के सम्बन्ध में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं हैं।

सामाजिक एवं राजनैतिक संगठन :

अण्डमान–निकोबार की जनजातियों में निकोबारियों को छोड़कर अन्य सभी आदिम जनजातियाँ हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का संगठित और वास्तविक राजनैतिक संगठन नहीं प्राप्त होता है। निकोबारी जनजाति के लोग अपेक्षाकृत अधिक सभ्य एवं शिक्षित हैं। अतः इनमें कुछ राजनैतिक संगठन देखने को मिलता है। इनमें पारम्परिक सभ्यता एवं कानून को माननें की परम्परा है। निकोबारियों के राजनैतिक संगठन के दो मुख्य स्तम्भ हैं (1) ग्रामीण परिषद एवं (2) द्वीप परिषद। ग्रामीण परिषद में ग्राम प्रधान तथा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कप्तान होते हैं। यही मिलकर सम्पूर्ण गाँव की समस्या का समाधान करते हैं, झगड़ो का निपटारा करते है, अपराध होने पर न्याय दिलाते हैं, तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु द्वीप कप्तान के माध्यम से सरकारी अधिकारियों एवं विभागों से सम्पर्क करते हैं। द्वीप परिषद के अर्न्तगत द्वीप कप्तान, द्वीप का उपकप्तान तथा अनेक गाँवों के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कप्तान होते हैं। ये सभी मिलकर प्रदेश काउसिंल सदस्य एवं गृह मंत्रालय के सलाहकार कमेटी के सदस्य का चयन करते हैं। द्वीप परिषद ऐसे मामलों एवं समस्याओं का निपटारा करती है, जो गाँवों के कप्तानों द्वारा उसके पास लाये जाते हैं। गाँवों एवं द्वीप परिषद के कप्तानों के अधिकार लिखित तो नहीं हैं, लेकिन वे परम्परा पर आधारित हैं तथा उनके निर्णय को सभी मानते हैं। कप्तान एवं मुख्य कप्तान के पद हेतु ऐसे व्यक्ति का चुनाव होता हैं, जो अनुभवी, शक्तिशाली, जमींदार, एवं अमीर हो। ये पद पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं एवं अनुवांशिक होते हैं। अधिकारों का दुरूपयोग करने पर कप्तानों एवं उप–कप्तानों को अपने पद से जनता द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य कप्तान एवं गाँव के कप्तानों को इस कार्य हेतु कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। साथ ही परिषदों की बैठक का

कोई निश्चित समय नहीं है। किसी समस्या के आने पर बैठक बुला ली जाती है। लक्ष्मण राव नामक नानकौरी के एक प्रशासनिक आधिकारी ने यहाँ की इस्लान नामक महिला से विवाह कर लिया था, जिससे उसे लक्ष्मी नाम की एक कन्या प्राप्त हुई, बाद में इस्लान नें यहाँ के तहसीलदार मेवालाल से विवाह कर लिया तथा अधिकारी की पत्नी होनें के कारण उसें राजनैतिक तथा प्रशासनिक अधिकार मिल गया। यहाँ की जनता ने उसे रानी की उपाधि दे दी। रानी वहाँ के लोगों की सम्स्याओं का समाधान करती थी। आज भी उसकी पुत्री लक्ष्मी, रानी कहकर ही पुकारी जाती है तथा अपना वर्चस्व बनाये रखा हैं।

शोम्पेन के संगठन में नेतृत्व एक मुखिया के हाथ में होता है। जिसका चयन उसके अनुभव, आर्थिक स्थिति एवं पद को पीढी दर पीढ़ी चला सकने की सामर्थ के आधार पर होता है। शोम्पेन अनेक समुदायों में विभाजित हैं। उन सभी की देख रेख मुखिया के संरक्षण में ही होती है। मुखिया की आज्ञा एवं निर्देश का पालन सभी लोग करते हैं, तथा कोई उसके अधिकार पर प्रश्न चिन्ह नही लगाता। मुखिया ही आखेट, खाद्यान्न संग्रहण, विवाह एवं सुरक्षा सम्बन्धी मामलों का निपटारा करता है। बाहरी लोगों से सम्पर्क मात्र मुखिया ही करता है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति में भी नेतृत्व समुदाय के सबसे बुजुर्ग, अनुभवी एवं समर्थ व्यक्ति के हाथ में होता है, और वही उनका मुखिया होता है। समुदाय के अन्य लोग उसके साथ सदस्य होते हैं। शिकार, भोजन, विवाह, अन्य प्रकार की समस्याए एवं झगड़े सम्बन्धी सभी निर्णय मुखिया द्वारा ही लिया जाता है। अब ऐसे बुजुर्ग मुखिया को राजा जिसे स्थानीय भाषा में "लोंका" कहते हैं की उपाधि दे दी गयी है। लोका सर्वाधिक अनुभवी, ज्ञानी एवं सम्पन्न व्यक्ति होता है। उसे जंगल के प्रत्येक क्षेत्र, समुद्री क्षेत्रों की गहराई, नौका का

दिशा निर्धारण, मछली एवं केकड़े की सही जानकारी, पीने के पानी की उपलब्धता आदि के बारे में सही ज्ञान होता है। धनुष–बाण एवं अन्य प्रकार के सामान बनाने में उसका अच्छा अनुभव होता है। उपयुक्त पुरूष न मिलने पर महिला को भी यह पद दिया जा सकता है। इसके पूर्व ग्रेट अण्डमानियों के नेता को "इरजुम" तथा पूरे अदिवासी समूह के नेता को "अकाचपान" कहा जाता था। जो पूरे समूह का सबसे वृद्व एवं वुद्विमान व्यक्ति होता था। ओंगियों में राजनैतिक संगठन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, और न ही इनमें मुखिया का प्रावधान है। लेकिन कही–कही छोटे समूहों में मुखिया मिलता है, जो अपने समूह के सदस्यों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का बराबर ध्यान रखता है। आपस में लड़ाई–झगड़ा होने पर वह समझौते कराता है। ओंगी लोग मुखिया की बात एवं निर्देश को मानते हैं। लेकिन मुखिया अपने आदेश को किसी पर थोप नही सकता। इस प्रकार ओंगी अपने सामान्य जीवन में स्वतंत्र होते हैं। ओंगियों मे विशेष कार्य में निपुण होने पर भी उसे मुखिया कहा जाता है, जैसे– "ओकाली" झोपड़ी बनाने में, "केतोराई" डोंगी बनाने में, "कांजों" लोहे का समान बनाने में एवं "कुबेरा" धार्मिक कार्यों में सिद्वस्त होता है तथा इन्हे भी मुखिया की संज्ञा दी जाती है।

जारवा जनजाति में भी नेतृत्व समूह के मुखिया के हाथ में होता है, जो उस समूह का सबसे अधिक अनुभवी ज्ञानी एवं शक्तिशाली व्यक्ति होता है। उसे जंगलो एवं समुद्री क्षेत्रों का अच्छा ज्ञान होता है। आदिवासी समूहो से सम्बन्धित सभी समस्याओं, झगड़ों आदि का निपटारा वही करता है। साथ ही समूह की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। जारवा में कोई औपचारिक राजनैतिक संगठन नही पाया जाता, और न ही इनके नियम एवं

परम्परायें लिखित हैं। मुखिया अपने अनुभव के आधार पर ही समूह को संचालित करता है।

सेन्टिनली जनजाति से सम्पर्क न होने के कारण राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों से सम्बन्धित कोई जानकारी नही है।

स्वास्थ्य सुविधाए :

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप चारों ओर समुद्रों से घिरे होने तथा वर्ष के 6 महीनें में वर्षा प्राप्त करने के कारण काफी आर्द्र रहते हैं। आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ घने जंगल भी पाये जाते हैं, जो जलवायु को और अधिक आर्द्र बनाने मे सहयोग करते हैं। साथ ही यहाँ पर रहने वाली आदिम जनजातियों अधिकांशतः जंगली उत्पादों, सामुद्रिक जीवों, एवं जंगली जानवरों द्वारा भोजन प्राप्त करती हैं, और वह भी वर्ष पर्यन्त पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। सरकार की आपूर्ति विभाग द्वारा यदा-कदा इन्हे कुछ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वह भी पर्याप्त नहीं होती। अतः इनमे विशेष रूप से दो प्रकार की बिमारियां पायी जाती हैं- (1) जलवायु जन्य जैसे -मलेरिया, फाइलेरिया, डायरिया आदि तथा (2) पोषण के अभाव से उत्पन्न जैसे-उदर विकार, क्षयरोग, एनीमिया, आदि। सिर दर्द एवं बुखार जैसी बिमारियाँ अन्य बिमारियों के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। एक बार तो यहाँ मस्तिष्क ज्वर भी बड़ी तेजी के साथ फैला जिसे यहाँ पायी जाने वाली एक बन्दर की जाति से जोड़ा गया, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ इसकी पुष्टि नहीं कर पाये। इन बिमारियों के अलावा पीलिया तथा सेंहुआ जैसा रोग भी यहाँ पाया जाता है इन बिमारीयों के समाधान के लिए नियुक्त चिकित्सक इन क्षेत्रों से दूर स्थानीय बजारों में निवास करते हैं, जिससे इन जनजातियों कों स्वास्थ्य सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। यधपि यहाँ पर स्वास्थ्य

सुविधाएं प्रभूत मात्रा में हैं, जैसा कि निम्न सारणी संख्या 4.5 अ एवं ब से स्पष्ट हैं।

सारणी संख्या–4.5 (अ)

अण्डमान एवं निकोबार में चिकित्सा सुविधाएं

वर्ष	अस्प–ताल	समु0 स्वा0 केन्द्र	प्रा0 स्वा0 केन्द्र	नगरीय स्वा0 केन्द्र	उप–केन्द्र	डिस्पे–सरी	बिस्तर उपलब्ध
96–97	3	4	17	5	96	2	937
97–98	3	4	17	5	96	2	947
98–99	3	4	17	5	96	2	947
99–00	3	4	17	5	98	3	947
00–01	3	4	18	5	100	3	957

स्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान–निकोबार, प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या–4.5 (ब)

स्वास्थ्य कर्मचारी

वर्ग	96–97	97–98	98–99	99–00	00–01
डॉक्टर	98	98	98	111	111
नर्स	410	410	413	307	307
मिडवाइफ				154	154
कम्पाउण्डर	93	93	108	117	117
मलेरिया/फाइ – लेरिया इन्सपेक्टर	32	32	30	33	33
टीका लगाने वाले	9	9	9	9	9
स्वास्थ्य परीक्षक	32	32	32	32	32
अन्य	–	1444	1444	1481	1485

स्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान–निकोबार, प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

उपरोक्त समस्याओं के कारण यहाँ के सभ्य एवं शिक्षित निकोबरी जनजाति एवं अन्य निवासियों के बच्चों को भारतीय मुख्य भूमि भेजकर विविध मेडिकल कालेजों में एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री दिलवायी गयी, तथा उन्हे यहाँ चिकित्सीय सेवा में नियुक्त किया गया (प्लेट संख्या 25)। साथ ही अब यहाँ पर अनेक प्राइवेट क्लीनिक भी खुल गए हैं, जो इन द्वीपों में चिकित्सीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आकस्मिक मरीजों को ले जाने हेतु मोटर बोट एवं हेलीकाप्टर की भी व्यवस्था की गयी है। यहाँ पर विविध द्वीपों में पीने के पानी की समस्या है, जिससे पीलिया रोग भी काफी सामान्य होने लगा है।

जारवा, ओंगी, ग्रेट अण्डमानी, शोम्पेनी एवं सैन्टिनली आदिम जनजातियाँ अपनी झोपड़ियों के चारो ओर बचे हुए मांस एवं हड्डी, मछली एवं अन्य सामग्री फेकते रहते हैं, जिससे आस–पास का वातावरण प्रदूषित रहता हैं तथा अनेक प्रकार के वायरस एवं बैक्टीरिया उन पर विकसित होते रहते हैं, जो श्वास, जल, भोजन आदि के माध्यम से शरीर में संक्रमित होकर अनेक प्रकार की बिमारियाँ उत्पन्न करते रहते हैं। जारवा ओंगी एवं ग्रेट अण्डमानी में चेचक, टेपवर्म, आदि की बिमारियाँ इन्ही के कारण उत्पन्न होती हैं। पेट की भी अनेक प्रकार की बिमारियाँ इन्हीं गंदगियों के कारण होती है, लेकिन इन जनजातियों के लोग भूत–प्रेत और जादू टोने के चक्कर में न तो किसी अस्पताल जाते हैं और न तो किसी चिकित्सक को दिखाते हैं, जिससे इनकी मृत्यु भी होती रहती है। निम्नलिखित सारणी में (सारणी सं0 4.6 अ,ब,स) जारवा एवं ओंगी जनजाति के मृत्यु के विविध कारण स्पष्ट रुप से प्रदर्शित किये गए है।

सारणी संख्या 4.6 (अ)

क्षेत्रवार जारवा जनजाति के मृत्यु के कारण (प्रतिशत में)

क्षेत्र	पित्त ज्वर	पेटदर्द के साथ कय	जलने से	मातृ मृत्यु	जानवरों के काटने से	दुर्घटना	सुअर का मांस अटकने से	लड़ाई
तिरुर	6.6	–	–	–	–	–	–	–
जिरकाटाँग	22.6	4	–	1.3	1.3	1.3	1.3	2.6
कदमतला	52	1.3	2.6	–	2.6	–	–	–
योग	81.3	5.3	2.6	1.3	4	1.3	1.3	2.6

स्रोत :– जारवा रिर्पोट, अप्रैल–मई 2002, अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 4.6 (ब)

क्षेत्र एवं लिंगवार मृत्युदर (प्रतिशत में)

क्षेत्र	नवजात		शिशु		बच्चे		प्रौढ़	
	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0
तिरुर	1	40	40	–	–	–	–	–
जिरकाटाँग			4.7	4.7	14.2	4.7	38	33.3
कदमतला	10.2	10.2	10.2	8.1	14.2	18.3	14.2	14.2
योग	8	9.3	10.6	6.6	13.3	13.3	20	18.6

स्रोत :– जारवा रिर्पोट, अप्रैल–मई 2002, अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 4.6 (स)

आयुवार ओंगी जनजाति के मृत्यु के कारण

आयु वर्ग	पुरुष	महिला	कारण
< 1 वर्ष	1	–	पेचिस
5–10 वर्ष	–	1	पेचिस
25–40 वर्ष	3	1	1पुरुष कैंसर से, 2पुरुष समुद्री दुर्घटना में, 1महिला गर्भावस्था के समय
> 40 वर्ष	9	6	1पुरुष हाँथी द्वारा, 3पुरुष क्षय रोग 3पुरुष मलेरिया, 1पुरुष दुर्घाटना 1पुरुष वृद्वावस्था के कारण 4महिला वृद्वावस्था के कारण 1महिला बच्चा पैदा होने के बाद 1महिला क्षय रोग
योग	13	8	

स्रोत :– जारवा रिर्पोट, अप्रैल–मई 2002, अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति, पोर्टब्लेयर।

"शमान" शोम्पेनो का पारम्परिक डाक्टर है, जो इन्हे स्थानीय रूप से उपलब्ध जडी–बूटियों से ठीक करता है। इन औषधिओं को एथिनों मेडिसिन कहते हैं। सेन्टिनली जनजाति से सम्पर्क न होने के कारण उसकी बिमारियों एवं कुपोषण के बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है।

निकोबारी जनजाति के लोग शिक्षित एवं सभ्य होने के कारण विविध द्वीपों में अवस्थापित सरकारी चिकित्सीय सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करते हैं। (Fig-4.1 A & B). साथ ही पोषण, रहन–सहन, सफाई, आदि के आधार पर वे अन्य जनजातियों

प्लेट संख्या–25

ओंगियों हेतु डिगांगक्रीक में निर्मित स्वास्थ्य केन्द्र

प्लेट संख्या–26

डिगांगक्रीक का प्रायमरी विद्यालय एवं वहाँ नियुक्त अध्यापक

की अपेक्षा काफी बेहतर स्थिति में हैं। अतः उनमें ये बिमारियाँ अधिक नही पायी जाती। अधिक अवरोधक क्षमता, आर्थिक सम्पन्नता एवं सभ्यता के कारण ये चिकित्सीय सुविधाओं का पूरा लाभ भी ले सकते हैं।

आर्युविज्ञान संस्थान नई दिल्ली के कुछ चिकित्सा अधिकारी पोर्ट ब्लेयर स्थित जी0बी0 पन्त अस्पताल के चिकित्सको के साथ मिलकर आदिम जनजातियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है, तथा उनके स्वस्थ्य, पोषण एवं बिमारी सम्बन्धी सभी आंकड़े कम्प्यूटर में क्रमबद्व रूप से अभिलेखित कर लिए हैं। उसी के आधार पर निदेशक स्वस्थ्य सेवा, एवं अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति के सचिव को इनके सम्बन्ध में हेल्थकार्ड बनाकार प्रेषित किए गए हैं। जब भी किसी जनजातीय व्यक्ति को कोई बिमारी होती हैं, तो कम्प्यूटर में निहित उसकी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी के आधार पर उपरोक्त अधिकायियों को दवाएं एवं इलाज बता दिया जाता है और वे इन दवाइयों को इन व्यक्तियों को पहुचाने का कार्य करते हैं।

शिक्षा सुविधाएं :

तीसरे अध्याय में अण्डमान निकोबार द्वीपों एवं वहाँ के जनजातीय जनसंख्या के साक्षरता दर का विशद विवेचन किया जा चुका है। अण्डमान निकोबार द्वीप में शिक्षण संस्थाओं, पंजीकृत विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या क्षेत्रबार निम्नलिखित सारणी संख्या 4.7 एवं (Fig.4.2) में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हैं।

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 4.1 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 4.1 (B)

सारणी संख्या –4.7

क्षेत्रवार शिक्षण संस्थाओं, नामांकन एवं अध्यापकों की संख्या

जोन	1998–99			1999–2000		
	विघलय	नामांकन	शिक्षक	विघलय	नामांकन	शिक्षक
डिगलीपुर	51	9264	421	53	9145	437
मायाबन्दर	37	5625	299	39	5584	305
रंगत	54	10938	585	56	10938	588
पोर्टब्लेयर (मुख्यालय)	44	37177	1198	45	27123	1228
द0 अण्डमान (ग्रामीण)	52	15197	786	55	15444	786
विमर्लीगंज	36	9237	501	40	8868	524
कारनिकोबार	27	4840	232	24	4946	229
नानकौरी	34	3094	170	39	3098	176
कैम्पबेलबे	12	1836	104	10	1856	101
योग	347	87208	4296	316	87002	4384

स्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान–निकोबार, प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

इन शिक्षण सुविधाओं का लाभ मात्र निकोबारी जनजाति को ही मिल पाता है। अन्य पाँचो जनजातियाँ पूर्णरूप से आदिम एवं असभ्य हैं। अतः उनकी साक्षरता दर शून्य है। ओंगी जनजाति को शिक्षित करने हेतु डिगांगक्रीक एवं साउथबे में एक–एक स्कूल खोला गया है तथा उसमें अध्यापक की नियुक्ति भी हुई है (प्लेट संख्या 26)। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ को दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। लेकिन ओंगी के बच्चे मात्र भोजन के समय ही वहाँ आते हैं। अन्य समय में वे जंगल में खेलते रहते हैं, जिससे अभी तक उनकी साक्षरता दर शून्य ही है। जारवा जनजाति को शिक्षित करने हेतु कदमतला, तिरूर एवं जिरगाटान मे भी अध्यापक नियुक्त हैं (प्लेट संख्या 26)। लेकिन वहाँ का परिणाम भी शून्य ही है। अण्डमानी जनजाति को शिक्षित करने हेतु स्ट्रेट द्वीप में तथा शोम्पेनों को शिक्षित

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 4.2 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 4.2 (B)

करने हेतु शोम्पेन हट में स्कूल की स्थापना की गयी है तथा उसमें भी अध्यापक नियुक्त हैं। ओंगियों की तरह यहाँ भी बच्चे पढ़ाई हेतु नहीं आते, जिससे इनमे भी साक्षरता दर शून्य है। सेंन्टिनली आदिमजनजाति के सम्बन्ध में अभी तक कोई सम्पर्क स्थापित न होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं हो पाया है। वे आज भी हिंसक एवं खूखांर हैं।

निकोबारी जनजाति की साक्षरता दर लगभग 50% हैं तथा इनकी साक्षरता दर एवं शिक्षितों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैं, जैसा कि निम्नलिखित सारणी 4.8 से स्पष्ट हैं।

सारणी संख्या–4.8

जनजातीय विद्यार्थियों का नामांकन (सं0)

शिक्षा स्तर	लड़के		लड़कियाँ		योग	
	98–99	99–00	98–99	99–00	98–99	99–00
पूर्वप्राथमिक	124	81	116	90	240	171
प्राथमिक	1828	1836	1534	1538	3362	3374
न्यूनतम मा0	775	876	787	815	1562	1691
माध्यमिक	377	411	427	482	804	893
उच्चतर मा0	106	104	95	88	201	192
टी.टी.आई.	3	4	1	7	4	11
पोलीटेक्निक	19	17	1	2	20	19
बी.एड.	2	4	4	7	6	11
कॉलेज	28	23	18	23	46	46
आई.टी.आई.	2	5	2	1	4	6
स्वदेशी	134	134	113	113	247	247
आश्रम	45	60	–	–	45	60
योग	3443	3555	3098	3166	6541	6721

स्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान–निकोबार, प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हैं कि निकोबारी जनजाति के बच्चे पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर कालेज, पाली टेकनिक एवं आई0टी0आई0 तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तथा उनमें पिछले वर्षो में काफी वृद्धि भी हुई हैं । इसको देखते हुए अगले दस वर्षो में इनकी साक्षरता दर 60% से 65% तक होने की संभावना है। सभ्य एवं शिक्षित होने के कारण ही ये अनेक सरकारी नौकरियों एवं निजी प्रतिष्ठानों में अण्डमान–निकोबार तथा भारतीय मुख्यभूमि में भी कार्य कर रहे हैं।

संदर्भ सूची

1. Dubey, S.C. 1995 : Manav Aur Sanskriti, Rajkamal Prakashan, New Delhi, P.101.
2. Gupta, M.L. & Sharma, D.D. 1995 : Social Anthropology, Sahitya Bhawan, Agra, P.73.
3. Majumdar, D.N. & Madan, T.N. 1967 : An Introduction to Social Anthropology, Asia Publishing House, Mumbai, P.32.
4. Dubey, S.C. 1995 : op.cit. P.102.
5. Hasnain, Nadeem 1991 : Tribal India Today, Harnam Publications, New Delhi, P.41.
6. Dubey, S.C. 1995 : op.cit. P.109.
7. Jarwa Report, Second Phase 2002, Andaman Adim Janjati Vikas Samit, Port Blair, P.12.
8. Basu, B.K. 1990 : The Onge, Sea Gull Books, Culcutta.
9. Justine, A. 1990 : The Nicobarese, Sea Gull Books, Culcutta.
10. Rizvi, S.N.H. 1990 : The Shompen, Sea Gull Books, Culcutta.
11. Tiwari, R.K. 1984 : Shompen Hindi Sabdawali, Andman & Nicobar Administration, PortBlair.

अध्याय–5

आर्थिक संरचना एवं सुविधाए

प्रस्तावनाः

यद्यपि अण्डमान निकोबार द्वीप समूह अच्छी जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जंगली उत्पाद, समुद्री जीव–जन्तुओं एवं वस्तुओं आदि में काफी सम्पन्न है। उपरोक्त सभी इस द्वीपीय क्षेत्र को संपन्न एवं संसाधान युक्त बनाते हैं। इन संसाधानों पर आधारित अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप यहां पर आदि काल से ही होते रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सरकार ने अपने अनेक विभागों के माध्यम से विविध पंचवर्षीय योजनाओं में अपेक्षित मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर यहाँ पर आर्थिक क्रिया–कलापों का एक विस्तृत आधार विकसित करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम भी अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते है। परिणामस्वरूप अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह संपोषणीय विकास प्रक्रिया की परिधि में धीरे–धीरे आने लगा है। फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है।

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनजातियाँ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किये गए इतने प्रयासों के बावजूद भी अभी तक न्यूनाधिक रूप में आदिम अवस्था में ही बनी हुई है। इन विकास प्रयासों का लाभ निकोबारी जनजाति को अवश्य प्राप्त हुआ है, जो अब शिक्षित एवं सभ्य होने लगी हैं। लेकिन अन्य पाँच जनजातियाँ अभी भी पाषाण कालीन आदिम अवस्था में ही हैं। अनेक सरकारी प्रयासों के कारण इनमें से कुछ लोग अब बाहरी लोगों एवं सभ्यता से थोड़ा–थोड़ा सम्पर्क करने लगे हैं। अधिकांश जनजातिय लोग आज भी बाहरी लोगों से दूर भागते हैं। इस प्रकार ये आदिम

जनजातियाँ अण्डमान–निकोबार द्वीप के प्रगतिशील आर्थिक विकास के समक्ष एक तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। गहराई से अध्ययन करने पर ये आदिम जनजातीय समुदाय अनेक समस्याओं एवं कठिनाइयों से ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। इनकी न तो कोई औपचारिक अर्थव्यवस्था है, और न ही कोई सामाजिक एवं राजनैतिक तंत्र। फिर भी सामूहिक जीवन यापन हेतु इन्होंने परम्परागत आधार पर कुछ मान्यताएं स्थापित कर लीं हैं, जिनका कोई औपचारिक एवं संस्थात्मक रूप नहीं है।[1] अतः जब तक इन आदिम जनजातियों को वर्तमान सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा से नही जोड़ा जाता, तब–तक इस क्षेत्र का विकास अधूरा रहेगा। शोधकर्ता द्वारा विविध श्रोतों एवं सीधे संपर्क एवं साक्षात्कार से इनकी आर्थिक संरचना के सम्बन्ध मे जो सूचनाएं एवं तथ्य संकलित किए हैं उनका क्रमवद्ध विवरण एवं विश्लेषण निम्नवत है।

संसाधान आधार :

अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियों के संसाधन आधार को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता हैं– (1) वन आधारित संसाधन एवं (2) समुद्री संसाधन। वन आधारित संसाधनों में पड़ाक, गरजन, चुई, बाँस, बेत, एरेका, टांगपींग, धूप, धानी आदि लकड़ी वाले वृक्ष; पैन्डीनस, नारियल, केला, पपीता, आम, नीबू, अमरूद, अन्नास आदि फल वाले वृक्ष; टयूबरर्स, जिमीकन्द स्वीटपोटैटो आदि कन्दमूल वाले पौधे तथा अनेक प्रकार की घासें, लताएं, फूल एवं पत्तियाँ मुख्य हैं। पड़ाक एवं गरजन से नावों का निर्माण, चुई एवं बाँस से धनुष एवं तीर का निर्माण, बांस, बेंत एरेका एवं तांगपींग से तीर एवं बास्केट का निर्माण, तथा धूप एवं धानी की सूखी पत्तियों से टार्च का निर्माण किया जाता है। सभी फल वाले वृक्षों से भोज्य पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं, और ये सभी वृक्ष इनके लिए बड़े महत्व के हैं।[2] बाँस, बेत, लकड़ियों के खम्भे एवं सलाई पत्ती एवं

घास फूस से ये अपनी झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। वृक्षों की छालें एवं पत्तियाँ वस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं।

इन वनीय उत्पादों के अलावा जंगलों में पाये जाने वाले अनेक प्रकार के जानवर जैसे– सुअर, बन्दर, मानीटर लिजार्ड, चमगादड़, साँप, अजगर, मेगापॉड, आदि भी इनके मुख्य संसाधन हैं, जिसका उपयोग यें भोज्य पदार्थों के रूप में ही करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जनजातीय जंगली क्षेत्रों में सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों के अलावा अन्य बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त जंगली संसाधनों पर इन्हीं जनजातियों का ही अधिकार है। इन संसाधनों के उपयोग एवं शोषण हेतु इन्हे कोई रोक–टोक नही है। यद्यपि सरकार इन संसाधानों के संरक्षण तथा आदिम जनजातियों को सभ्य एवं शिक्षित करने हेतु सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से इन्हें अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री पहुचाने का प्रयास कर रही है। चूंकि ये सीधे सम्पर्क मे आने से भागते हैं, अतः इसका प्रभाव अभी बहुत ही कम है।

अण्डमान–निकोबार द्वीप की आदिम जनजातियों का दूसरा प्रमुख संसाधन आधार समुद्री जीवों एवं वस्तुओं से सम्बन्धित हैं। समुद्री जीवों जैसे–विविध प्रकार की मछलियाँ, कछुए, केकड़े, मगरमच्छ, आदि का उपयोग ये भोज्य पदार्थ के रूप मे करते हैं। अन्य वस्तुएं जैसे विविध प्रकार की सीपियों, टरबो, घोंघे, शंख, मूगें आदि का प्रयोग विविध प्रकार के सजावटी सामानों, आभूषणों, हस्तकला वस्तुओं, आदि के निर्माण में करते हैं।[3]

आर्थिक क्रियाकलापः

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों के प्रमुख आर्थिक क्रिया–कलापो का स्पष्ट विवेचन निम्नवत है।

शिकार :

यद्यपि निकोबारी जनजाति के लोग अब शिक्षित और सभ्य होने लगें हैं फिर भी, कचाल, ट्रिंकेट, चौरा आदि द्वीपों में रहने वाले निकोबारी लोग आज भी अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर हैं। ग्रेट निकोबार में ये लोग कुत्तों की सहायता से जंगली सुअर का शिकार करते हैं। शिकार पर जाने के पूर्व वे एक तरह के जादू–टोने की क्रिया करते हैं, जिससे शिकार में सफलता मिले। सुअर के शिकार हेतु ये लोग अपने साथ धनुष एवं तीर तथा भाला एवं दॉव लेकर चलते है, जिन्हे निकोबारी भाषा में क्रमशः "उमतोम", एवं "ईत" कहते हैं।[4] इसके अलावा ये "इगुआना" (लिजार्ड) साँप, अजगर, चूहा आदि का भी शिकार करते हैं। ये अपने शिकार को भूनकर खाते हैं।

शोम्पेनी जनजाति के लोग ग्रेट निकोबार में केन्द्रित हैं। वहाँ इनका मुख्य शिकार जंगली सुअर हैं। यह इनके भोजन का प्रमुख अंग हैं। इसका शिकार ये कुत्तों की सहायता से भाले द्वारा करते हैं। ये विशेषतः काले कुत्ते का प्रयोग करते हैं, जो जंगल में आसानी से न दिखाई पड़े और सुअर को आसानी से पकड़ सके । ये लोग कुत्ते अधिकांशतः निकोबारियों से प्राप्त करते हैं। ये लोग सुअर के बच्चों का शिकार नहीं करते तथा उन्हे प्रौढ़ होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे भविष्य में अधिक मांस प्राप्त हो सके[5]। कुछ शोम्पेनी लोग अब सुअर पालने भी लगे हैं। ये सुअर को भून एवं उबाल कर खाते हैं। इसके अलावा शोम्पेन मानीटर लिजार्ड, चमगादड़, मेगापॉड पक्षी एवं उसके अण्डे, बन्दर आदि का शिकार करते हैं। मेगापॉड पक्षी एवं उसके अण्डे अधिकांशतः नदी क्रीक के क्षेत्र में पाये जाते हैं। लिजार्ड के शिकार में भी कुत्ते इनकी सहायता करते हैं। साँप एवं अजगर का शिकार ये भाले से करते हैं तथा इन्हें भी भून एवं उबाल कर खाते हैं।

जारवा जनजाति के लोग यादिता एवं फोलबे क्षेत्र में शिकार हेतु पाँच–छह परिवारों के समूह में निकलते हैं। ये लोग अधिकांशतः सुअर का ही शिकार करते हैं।[6] ये शिकार में कुत्तों का प्रयोग नहीं करते। इनका दूसरा मुख्य शिकार मानीटर लिजार्ड है। ये लोग पक्षियो एवं हिरन का शिकार नहीं करतें। शिकार मे ये लोग अधिकांशतः धनुष एवं तीर का प्रयोग करते हैं (प्लेट संख्या 10)। धनुष चुई की लकड़ी का बना होता है। इसे स्थानीय भाषा में "आसों" (धनुष) कहते हैं। बाँस के भी धनुष बनाये जाते हैं, लेकिन ये मजबूत नहीं माने जाते। इनके तीर अधिकांशतः एरेका लकड़ी, बाँस अथवा बेंत के होते हैं। तीर का शीर्ष भाग पहले लकड़ी का होता था। लेकिन अब लोहे का बनने लगा है। लम्बे गोलाकार शीर्ष को "ओछाली तापी" तथा त्रिभुजाकार शीर्ष को "एताहो" कहा जाता है। धनुष की डोर जिसे ये "वीथो" कहते हैं, बेंत या अन्य वृक्षों की छालों से बनायी जाती हैं। इसके अलावा ये मानीटर लिजार्ड के शिकार हेतु कभी–कभी हारपून तीर, जिसे ये लोग स्थानीय भाषा में "तहोवैखोवाव" कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। इस तीर के डण्डे को "छपिताल" तथा शीर्ष भाग को "ताओतेहाली" कहते हैं। इसमें एक डोरी बंधी होती हैं, जिसे "चगोल" कहते हैं।

ओंगी जनजाति के लोग लिटिल अण्डमान के डिंगांगक्रीक तथा साउथबे में केन्द्रित हैं । इन क्षेत्रों में जंगली सुअर अच्छी संख्या में पाये जाते हैं। ओंगी लोग इनका शिकार कुत्तों की सहायता से भाले द्वारा करते हैं। ये सुअर के बच्चों एवं चिड़ियों का शिकार नहीं करते । कभी–कभी बड़े दन्ती सुअर इनके कुत्तों को ही मार डालते हैं। अतः इनके कुत्ते जब भी किसी सुअर को देख लेते हैं, तो ये लोग उन्हें शीघ्रातिशीध्र इनको मारने का प्रयास करते हैं।[7] सुअर इनका मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। अतः प्रति दिन इन्हे एक सुअर का

मिलना आवश्यक हैं। यदि सुअर बड़ा होता हैं, तो पूरे परिवार भर के लिए पर्याप्त होता हैं। अतः ये लोग अगले दिन शिकार पर नहीं जाते हैं। शोम्पेन एवं जारवा की भाँति ये भी काफी मात्रा में भोज्य पदार्थ खाते हैं। इनके भाले का दण्ड बाँस या लकड़ी का तथा शीर्श लोहे का बना होता है।

अण्डमानी जनजाति के लोग स्ट्रेट द्वीप में सीमित हैं तथा ये भी सुअर, लिजार्ड, साँप आदि का शिकार धनुष एवं तीर द्वारा करते हैं। ये अधिकांशतः मांस भून एवं उबाल कर खाते हैं।

सेन्टिनली जनजाति से सम्पर्क न होने के कारण उनके शिकार के बारे में विशेष जानकारी नहीं हैं। टी0एन0 पंडित[8] के अनुसार जारवा एवं ओंगी की तरह सेंन्टिनली भी सुअर का शिकार करते हैं। उत्तरी सेंन्टिनल द्वीप की अपनी यात्रा में उन्होने सेन्टिनली जनजाति के झोपड़ियों के पास रंगी हुई सुअरों की खोपड़ियाँ एवं उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई देखीं। साथ ही वहाँ पर दो धनुष भी देखा, जिनकी लम्बाई 1400 मि0मी0, चौड़ाई 500 मि0मी0 तथा मध्य में मोटाई 160 मि0मी0 थी। धनुष का दण्ड लकड़ी का तथा उसकी डोर मुड़ी हुई छाल से बनी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने एक तीर एवं भाला भी प्राप्त किया, जिनका दण्ड लकड़ी का बना था, जिसकी लम्बाई लगभग 153 सेमी0 एवं मोटाई ऊपर की ओर लगभग 5 सेमी0 तथा नीचे की ओर 3.3 सेमी0 थी। नीचे की ओर उसमे लोहे का नोकदार फल लगा हुआ था। ऐसा मालूम होता है कि ये तीर भाले के रूप में भी प्रयोग की जाती है। इसके अलावा लकड़ी के छाल की बनी दो कमर पेटिया भी मिलीं, जो तीर रखने के काम आती हैं। इसके अलावा अनेक नोंकों वाले लकड़ी निर्मित हारपून भाले भी प्राप्त हुए, जो एरेका लकड़ी के बने हुए थे। झोपड़ी के पास दो लगभग गोल पत्थर भी प्राप्त हुए, जिन पर लोहे के रगड़ के निशान थे, जिससे पता

चलता है कि ये इसे अपने भाले एवं तीर को तेज करने हेतु प्रयोग करते है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सेंटिनली भी जंगल में सुअर एवं अन्य बन्य जीवों का शिकार करते हैं।

समुद्री शिकार :

समुद्री शिकार के अन्तर्गत मुख्य रूप से विविध प्रकार की मछलियों, मगरमच्छ, कछुआ, केकड़ा, आदि का शिकार सम्मिलित हैं। निकोबारी जनजाति के लोग मछली के बहुत शौकीन होते हैं तथा यह इनके आर्थिक क्रिया कलापों का मुख्य भाग हैं।[9] मछली मारने हेतु पूरे परिवार एवं समूह के साथ जाते हैं। ग्रेट निकोबार में मछली मारने की पारम्परिक विधि को "न्यूलो" कहते हैं, जिसमें किन्याव पौधों के बीज को पीसकर जहर के साथ मिला दिया जाता हैं तथा उसे उथले पानी में छिड़क दिया जाता है। इससे मछलियाँ बेहोस हो जाती हैं या मर जाती हैं, जिन्हे एक डलिया (तमतू) में रख दिया जाता है। मछलियों का शिकार हारपून से भी किया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग उथले पानी में ही होता है, जब निम्न ज्वार जिसे ये "नीह" कहते हैं, होता है। "नीह" के समय ही ये हारपून द्वारा आक्टोपस का भी शिकार करते हैं। आक्टोपस का उपयोग भोजन तथा मछली पकड़ने हेतु चारे के रूप में भी होता है। उच्च ज्वार (कामेराक) के समय ये नाव (होड़ी) का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में ये अच्छे प्रकार के जालों, लाइनर, एवं हुक (कटिया) का प्रयोग करने लगें हैं। निकोबारी लोग अधिकांशतः कोको, चमक, पाठार, भेटकी– नामक मछलियों का अधिक शिकार भी करते हैं। इसके अलावा आक्टोपस, मगरमच्छ, केकड़े, कछुए, आदि का शिकार करते हैं। कछुओं एवं बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए अब बड़ी जालों का प्रयोग किया जाने लगा है। जिसे "सीन" कहते है।

शोम्पेन जनजाति के लोग उथले समुद्रों, सरिताओं तथा क्रीक में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। समुद्री किनारे वाले भागों में ये लोग भाले द्वारा ईल, कार्प आदि का शिकार करते हैं। केकड़े भी यहाँ मिल जाते हैं। प्रान (झींगा) एवं अन्य मछलियाँ क्रीक एवं सरिता में मिलती हैं। इसके अलावा सीपियों का भी शिकार किया जाता है, क्योकि उनसे भोजन के साथ–साथ तम्बाकू एवं पान में मिलाने वाला चूना भी तैयार किया जाता है। शोम्पेन कभी–कभी मगरमच्छ का शिकार क्रीकों में करतें हैं। ये उसके मुह में एक लम्बा डण्डा डाल देते हैं, जिसे वह कस कर दाँत से पकड़ लेता है और ये उसे बाहर खींच लेते हैं तथा भाले द्वारा मार डालते हैं।

जारवा जनजाति के लोग समीपवर्ती समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। मछली पकड़ने के लिए ये छोटी जाल जिसे "पोटोचेचूत" कहते हैं का प्रयोग उथले समुद्री भागों में करते हैं। गहरे पानी में जाने हेतु छोटी नाव एवं बड़ी जालों का प्रयोग करते है। मछलियों को लकड़ी, पालीथीन, या एल्यूमिनियम के बर्तन, जो इन्हे सरकार द्वारा प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हैं। उथले पानी में ये तीर–धनुष द्वारा भी मछली का शिकार करते हैं। विविध प्रकार के मछलियों के अलावा ये अनेक प्रकार की सीपियों जैसे ट्रोकस, बाइबाल, टरबो, राकऐस्टर, लाब्सटर, आदि का शिकार करते हैं।[10] 1 मी0 लम्बे लोहे के तारों द्वारा कछुओं एवं केकड़ो का शिकार भी करते हैं। सुअरों के अलावा विविध प्रकार की मछलियाँ एवं केकड़े इनका मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। साथ ही कछुए एवं उसके अण्डे भी इन्हे प्रिय हैं। अतः ये अपने पारिवारिक खपत हेतु प्रति दिन शिकार एवं मछली मारने अवश्य जाते हैं। मछली एवं अन्य शिकार को काटने हेतु ये लोग चाकू का प्रयोग करते हैं। गोठिल हो जाने पर उस चाकू को एक पत्थर, जिसे ये लोग "उलिहे" कहते हैं, पर रगड़ कर तेज किया जाता हैं।

रात्रि में मछली मारने हेतु ये धूप एवं धानी की सूखी पत्तियों से बनी टार्च का भी प्रयोग करते हैं।

ओंगी जनजाति में पुरूष एवं महिला दोनों मछली के शिकार हेतु जाते हैं। मत्स्यायन के मुख्य क्षेत्र सरिताए एवं क्रीक हैं। समुद्र, क्रीक एवं नदी में ये छोटी नौकाओं का भी प्रयोग करते हैं। पारम्परिक धनुष एवं तीर के साथ–साथ अब ये सरकार द्वारा प्रदत्त जालों, कटियों, लाइनरों, एवं कन्टेनरों का भी प्रयोग करने लगें हैं।[11] विविध प्रकार की मछलियों के साथ–साथ ये साउथ ब्रदर द्वीप तक कछुओं एवं सीपियों का भी शिकार करते हैं। कछुओं के अण्डें इन्हे बड़े प्रिय हैं। इसके अलावा इनके जाल में केकड़े भी फसते हैं, जिनका भार कभी–कभी 4 पौंड् तक होता है। समुद्री कछुए कभी–कभी 80 पौंड तक मिलते हैं। इन सबका शिकार ये रस्सी एवं हारपून की सहायता से करते हैं।

ग्रेट अण्डमानी स्ट्रेट द्वीप के आस–पास मछली, कछुए, केकड़े एवं सीपियों का शिकार करते हैं। इनके प्रमुख यंत्रों में धनुष–तीर, एवं हारपून हैं। अब ये भी सरकार द्वारा प्रदत्त जाल, कटिया, एवं कन्टेनर का प्रयोग करने लगे हैं। गहरे पानी के क्षेत्रों में रैफ्ट या छोटी डोंगी द्वारा शिकार करते हैं। चूकिं सुअर का शिकार वर्ष पर्यन्त इनके भोज्य पदार्थ की आपूर्ति नहीं कर पाता, अतः ये मछलियों एवं अन्य जंगली पदार्थों के एकत्रण से उस कमी को पूरा करते हैं।

पंडित[12] के अनुसार सेंन्टिनली जनजाति की झोपड़ियों के पास प्राप्त कई दाँतो वाले लकड़ी निर्मित हारपून, बर्छी, धनुष–तीर, भाला, पेडों की छाल से निर्मित जाल एवं लकड़ी की नौकाओं आदि से स्पष्ट है कि ये क्रीक क्षेत्रों एवं तटीय समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। मछली के साथ–साथ ये अन्य

समुद्री जीवों जैसे केकड़े, कछुए आदि को भी पकड़ते होंगे । क्योकि यहाँ पर कछुओं की खोपड़िया भी प्राप्त हुई हैं।

एकत्रण :

अण्डमान निकोबार द्वीप की अधिकांश जनजातियाँ, निकोबारी को छोड़कर आदिम अवस्था में हैं, जो शिकार एवं मछली पकड़ने के साथ–साथ विविध प्रकार के वनीय उत्पादों के एकत्रण पर भी आधारित हैं। एकत्रण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमे अधिकांशतः महिलाएं एवं दस वर्ष के ऊपर के बच्चे सम्मिलित होते हैं। एकत्रण द्वारा प्राप्त वस्तुओं से शिकार एवं मछली की आपूर्ति में कमी को पूरा किया जाता है।

निकोबारी जनजाति के लोग अब लगभग 50प्रतिशत से अधिक सभ्य एवं शिक्षित हो चुके हैं तथा शेष इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। अतः अब यह जनजाति एकत्रण वाली प्रवृति को लगभग त्याग चुकी है। संगठित आर्थिक क्षेत्र जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आदि में लग जाने के कारण अब अधिकांश लोग एकत्रण अर्थव्यवस्था से पूर्ण मुक्त हो गए हैं। निकोबारी जनजाति में एकत्रण का अवशिष्ट रूप आन्तरिक क्षेत्रों में रहने वाले निकोबारियों में मिलता है। लेकिन वे भी इसे आवश्यक दैनिक क्रिया के रूप में नहीं करते, बल्कि बागानों, कृषि क्षेत्रों या अन्य कार्यो से लौटते समय जब ये जंगल से गुजरते हैं तो मार्ग में उपलब्ध कुछ खाद्य सामग्री लेते आते हैं। इनमे मुख्य हैं पैंडिनस फल, नारियल फल, पपीता, केला, सकरकन्दी, तिनियान, कन्दमूल, ताका, आम, नारियल आदि ।

शोम्पेन जनजाति के लोग ग्रेट निकोगार द्वीप में केन्द्रित हैं। ये जंगल में शिकार से लौटते समय विविध प्रकार के फलों, कन्दमूल, पत्तियों आदि का एकत्रण कर लेते हैं। कभी–कभी जब दोपहर तक कोई सुअर या अन्य जीवों का शिकार नहीं मिल पाता तो

अपराह्न का समय ये वनोत्पादों के एकत्रण में लगाते हैं तथा शिकार की कमी को पूरा करते हैं। जंगली उत्पादों के एकत्रण का दायित्व प्रमुख रूप से महिलाओं पर है, जो समूह में सवेरे जंगल में निकल जाती हैं तथा खाने एवं अन्य उपयोग हेतु विविध प्रकार के फल–फूल, पत्तियाँ, कन्दमूल आदि का एकत्रण करती हैं। प्रमुख जंगली उत्पादों में पैडिनस फल, नारियल फल, आम, पपीता, केला, टयूबर, सकरकंदी, अनन्नास आदि हैं। पैंडिनस, नारियल, केला एवं पपीते के फल इन्हें सर्वाधिक पसंद हैं तथा इनके भोजन के मुख्य पदार्थ हैं। पुरूष शोम्पेन जंगलो से अच्छी मात्रा में शहद का एकत्रण करते हैं। ये लोग पिनांगा वृक्ष की पत्तियों को मधुमक्खी के छत्ते पर फेरते हैं तथा उसे चबाकर मधुमक्खी के छत्ते पर कई जगह थूक देते हैं। उसकी गंध से मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं तथा ये शहद निकाल लेते हैं। मधुमक्खियों के छत्ता लगाने हेतु ये जंगल में बड़े वृक्षो में दाँव से काटकर कोटरें बना देते हैं, जिसमें मधुमक्खिया शहद एकत्र करती हैं।

जारवा जनजाति अभी–भी आदि कालीन शिकारी एवं एकत्रण अवस्था में हैं। ये पूर्ण रूप से जंगली उत्पादों, जानवरों एवं समुद्री जीवों से प्राप्त भोज्य पदार्थों पर आधारित हैं। इनका स्पष्ट उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। जानवरों एवं समुद्री जीवों भर से वर्ष पर्यन्त भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। इस कमी को पूरा करने के लिए महिलाएँ एवं कभी–कभी पुरूष भी विविध प्रकार की जंगली वस्तुओं का एकत्रण करते हैं। इनमें मुख्य हैं–नारियल फल, कटहल, केला, बेंतफल, ट्यूबर (अमीना) आदि (प्लेट संख्या 28)। अरवी की तरह एक विशेष प्रकार का कन्दमूल मिलता हैं, जिसे ये "च्यूबा" कहते हैं तथा एक छोटा फल जिसे ये "ताला" कहते हैं, का भी एकत्रण करते हैं। जारवा लोग शहद को "ल्यूबा" कहते हैं। ये जंगल से शहद प्राप्त करते हैं तथा अपनी झोपड़ी के बाहर एक लकड़ी के बर्तन में

रखकर उसे सलाई की पत्ती से ढ़क देते हैं। ये लोग छत्ते सहित शहद को खाते हैं (प्लेट संख्या 15)। इसके अलावा ये लोग समुद्र तटीय स्थलीय भागों से सीपियाँ, केकड़े एवं कछुओं के अण्डों का भी एकत्रण करते हैं। (प्लेट संख्या 2)। ये भी इनके मुख्य भोज्य पदार्थ हैं।

ओंगी जनजाति की अर्थव्यवस्था में शिकार एवं मछली मारने के अलावा विविध प्रकार के जंगली वस्तुओं जैसे–कन्दमूल, फल–फूल, शहद आदि का एकत्रण भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। बोस[13] ने ओगियों द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग की जाने वाली विविध वस्तुओं की एक माह के भोजन हेतु वांछित समाग्री का अनुमान लगाया है, जो निम्न सारणी 5.1 में स्पष्ट है।

सारणी –5.1

एक माह हेतु भोजन एकत्रण–ओगीं जनजाति (पौंड में)

वस्तु	मात्रा
सुअर	1271
मछली	494
कछुआ	76
केकड़ा	48
सीपी	30.5
तिटमाला	326
सीगी	187
तीता कोरू	58
अन्य	35.1
योग	**2526.6 पौंड**

स्रोत – भारत की द्विपीय संस्कृति – रेड्डी एवं सुदर्शन, P-72

उपरोक्त मात्रा में1919.5 पौंड (76%) प्रोटीन का भाग हैं, जबकि 571 पौंड (22%) कार्बोहाइड्रेड सम्मिलित हैं। अन्य तत्वों की मात्रा 35.1 पौंड (1.4%) हैं।

यद्यपि यदि इन्हे पर्याप्त मात्रा में मांस एवं मछली मिलती रहे तो ये एकत्रण में इतनी रूचि नहीं रखते। एकत्रण का कार्य अधिकांश महिलाओं द्वारा किया जाता है। कटहल, नारियल, केला, पपीता, सकरकन्द आदि महिलाओं द्वारा एकत्र किये जाने वाले प्रमुख पदार्थ हैं। इसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्रों में कछुओं के अण्डें, केकड़े एवं सीपियाँ भी प्रमुख एकत्रण सामग्री हैं। पुरूष ओंगी जंगल से शहद का एकत्रण करते हैं। वे "टोंगी" वृक्ष की पत्तियों को रगड़कर अपने शरीर में लगा लेते हैं, जिसकी गंध से मधुमक्खियाँ भागती हैं तथा काटने पर भी शरीर में उनके विष का असर नहीं होता। इस प्रकार ओंगी लोग आसानी से लकड़ी की बाल्टी में शहद एकत्र कर लेते हैं। शहद एकत्रण का कार्य जनवरी से मध्य अप्रैल तक चलता हैं, जो वर्ष भर के लिए पर्याप्त होता है। ये लोग भी छत्ते सहित ही शहद खाते हैं।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति, जो स्ट्रेट द्वीप में सीमित हैं, में भी जंगली वस्तुओं के एकत्रण का कार्य अधिकांशतः महिलाएं ही करती हैं। एकत्रण द्वारा मांस मछली की कमी की आपूर्ति की जाती है। महिलाएं समूह में सवेरे ही जंगल में जाती हैं तथा कटहल, केला, नारियल, कन्दमूल आदि एकत्र करती हैं। तटीय क्षेत्रों में केकड़े एवं कछुओं के अण्डे यदा–कदा मिल जाते हैं। पुरूष लोग जंगल से शहद के एकत्रण का कार्य करते हैं। इस प्रकार एकत्रित वस्तुओं द्वारा भोजन की कमी को पूरा किया जाता हैं।

सेंन्टिनली जनजाति के लोग भी अन्य आदिम जनजातियों की तरह विविध प्रकार के वन्य उत्पादों का संकलन एवं

ओंगी बालको के साथ उनके अध्यापक

प्लेट संख्या–28

जारवा महिलाओं एवं बच्चो द्वारा खाद्य संग्रहण

एकत्रण करते हैं। उनकी झोंपड़ियों के पास से प्राप्त हुए फल जैसे चीकू एवं पैण्डीनस तथा लकड़ी की बाल्टी में रखी शहद इसका स्पष्ट प्रमाण हैं। इसके साथ ही वहाँ पर वनोत्पादों एकत्रण हेतु अनेक सामान जैसे वस्तुओं को रखनें के लिए बेंत की डलियाँ, फल-फूल एवं पत्तियों को तोड़ने के लिए लग्गी तथा रेजिन, जो एक वृक्ष से प्राप्त होता है, तथा जलाने के काम आता है, सभी इनकी एकत्रण अर्थ व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। अन्य जनजातियों की तरह एकत्रण का कार्य भी महिलाओं एवं बच्चों द्वारा सम्पन्न होता होगा।

लकड़ी काटना :

अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की लगभग सभी जनजातियाँ आदि काल से ही जंगली उत्पादो पर आधारित हैं। अपने आवासों एवं झोपडियों के निर्माण से लेकर शिकार करने, मछली मारने, एवं वनोत्पादों के एकत्रण हेतु वे अनेक प्रकार के यंत्रो एवं सामानों का निर्माण जंगल में पाये जाने वाले अनेक प्रकार के वृक्षों की लकड़ियों से करते हैं। झोपड़ियों में खाद्य सामाग्री रखने, शहद रखने, पानी रखने, बैठने एवं सोने हेतु, बिस्तर का निर्माण करने आदि सभी में विविध प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। लगभग सभी जनजातियाँ, चाहे वे निकोबारी हों चाहे सेन्टिनली, सभी शिकार हेतु धनुष-तीर, भाला, हारपून, आदि यंत्रों का निर्माण विविध प्रकार की लकड़ियों जैसै- एरेका, बाँस, बेत, चुई आदि का प्रयोग करते हैं। इनके निर्माण हेतु इन्हे विविध प्रकार के वृक्षों को काटना पड़ता हैं। साथ ही समुद्री जीवों जैसे- मछली, कछुए, मगरमच्छ, केकड़े आदि के शिकार करने हेतु भी इन्हें नाव, हारपून, धनुष-तीर आदि की आवश्यकता होती है।

इस हेतु भी ये जंगली वृक्षों को काटतें हैं। नाँव बनाने हेतु अधिकांशतः पड़ाक, गरजन, चुई, आदि का प्रयोग करतें

हैं। घरेलू सामानों जैसे – शहद रखने हेतु बाल्टी, डलिया, पानी के पात्र आदि के निर्माण हेतु ये जंगली वृक्षों को काटते हैं। डलिया निर्माण में बाँस एवं बेंत का प्रयोग लगभग सभी जनजातियों में सर्वाधिक होता है(प्लेट संख्या 29)। इस प्रकार अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियों द्वारा आधुनिक स्तर पर लकड़ी की कटाई एवं लागिंग नहीं की जाती, बल्कि ये अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही सीमित रूप में जंगली लकड़ी को काटते हैं। इनकी कटाई द्वारा जितने वृक्ष नष्ट होते हैं, उससे कही अधिक प्राकृतिक रूप से जंगलों में वृक्ष उत्पन्न भी होते रहतें हैं। अतः पर्यावरण संतुलन बना रहता हैं।

पशुपालनः

अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियों मे दो आदिम जनजातियाँ—जारवा एवं सेंन्टिनली, किसी भी रूप में पशुपालन नहीं करतीं। ये शिकार हेतु कुत्ते भी नही पालते और समूह में जाकर स्वयं ही शिकार करतें हैं। ये लोग अधिकांशतः जंगलों में सुअर का शिकार करते है। लेकिन उसकों पालते नहीं। इतना अवश्य हैं, कि ये सुअर के बच्चों को नही मारते, जिससे भविष्य में उन्हे ज्यादा सुअर का मांस मिल सके। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये वन्य पशुपालन करते हैं। समुद्री जीवों में ये लोग मछलियों, कछुओ, एवं केकड़ों का शिकार करते है। लेकिन उनका भी पालन नहीं करते।

अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियों में निकोबारी, शोम्पेन, ओंगी, एवं ग्रेट अण्डमानी जनजाति के लोग ही किसी न किसी रूप में पशुपालन करतें हैं। सभ्य एवं शिक्षित निकोबारी लोग गाय, बैल, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख, कुत्ता आदि पालते हैं (प्लेट संख्या 30)। जनजातीय उपयोजना के अर्न्तगत सरकार ने इन्हे गाय, बकरी एवं सुअर खरीदने हेतु अनेक प्रकार के ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गाय, बैल, बकरी खरीदने हेतु ये

लिटिल अण्डमान ओर पोर्टब्लेयर तक जाते हैं। ये लोग इन पशुओं के मांस का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए इन्हे अधिक संख्या में पालते हैं। गाय के दूध को घरेलू खपत के बाद बेंचकर पैसा प्राप्त करतें हैं। इसीलिए अब कुछ विदेशी प्रजाति के पशु भी इन्हें सरकार द्वारा दिये जा रहें हैं। मुर्गी एवं बत्तख पालन हेतु इनको सीधे चूजों की आपूर्ति की जाती है तथा उनके चारों हेतु भी वित्तीय सहायता दी जाती हैं। 2000–2001 में जनजातीय उप–योजना के अर्न्तगत इन्हे ड़ेढ़ लाख रूपये की सहायता उपरोक्त मदों मे दी गयी। शिक्षित एवं रोजगार प्राप्त निकोबारी मात्र गाय एवं बकरियाँ ही पालते हैं। जबकि पिछड़े एवं जंगली क्षेत्रों में रहने वाले निकोबारी, सूअर, मुर्गी, बतख, कुत्ता आदि मुख्य रूप से पालते हैं। ये सूअरों को एक निश्चित स्थान पर रखते हैं जिसे "नोको" कहा जाता हैं तथा इन्हे दिन में कम से कम दो बार नारियल, पैंडीनस एवं अन्य प्रकार का चारा दिया जाता हैं । सूअर इनके लिए एक प्रमुख सम्पत्ति हैं, तथा यह सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। चौरा, तरेशा, बामपोका, एवं अन्य द्वीपों में नोंको की संख्या काफी हैं। सरकार द्वारा प्रदान किए गए जानवरों एवं पक्षियों हेतु वार्षिक आधार पर चारे की व्यवस्था कराई जाती हैं। लेकिन स्वतः पाले गए जानवरों हेतु चारे की व्यवस्था ये लोग जंगल से स्वयं करते हैं। गाय एवं बकरी दूध के लिए, सुअर मांस हेतु, बत्तख एवं मुर्गी मांस एवं अण्डा दोनों हेतु पाले जाते हैं। दूध, मांस तथा अण्डें की खपत ये स्वयं करते हैं, तथा साथ ही इसे दूसरे को भी विक्रय करते हैं। यधपि निकोबारी लोग चूहा, जिसे ये "कुमित" कहते हैं, को भूनकर खाते हैं। इसके अलावा विविध प्रकार के पक्षी जैसे– "कालोह", माकूको, काबोब, आदि का भी भोजन करते हैं तथा इगुआना जिसे ये "काब" कहते हैं, का भी मांस खाते हैं।

शोम्पेन आदिम जनजाति के लोग ग्रेट निकोबार द्वीप में सीमित हैं। जहाँ ये अपने भोजन हेतु सूअर, एवं मुर्गी तथा शिकार हेतु कुत्ता पालते हैं। सूअर केवल मांस तथा मुर्गी अण्डें एवं मांस दोनों हेतु कार्य में लायी जाती हैं। सरकार द्वारा जनजातीय उपयोजना के अर्न्तगत 2001–2002 में इन्हें 30,000 रू0 की बकरियाँ भी प्रदान की गयी हैं तथा 8,000 रू0 के सूअरों एवं मुर्गियों की आपूर्ति की गयी हैं, जैसा कि सारणी संख्या 5.2 में स्पष्ट हैं।

सारणी सं0 5.2

जनजातीय उप–योजनान्तर्गत जनजातीय लोगों को दिये गये पशु 2001–2002

मद	मूल्य(लाख रू0 में)
1. अण्डमानी जनजाति को प्रदत्त मुर्गिया एवं सूअर	0.15
2. अण्डमानी जनजाति को प्रदत्त पालित मुर्गिया	(0.30+0.30) 0.60
3. ओंगी एवं शोम्पेन जनजाति को प्रदत्त बकरियाँ	0.60
4. ओंगी एवं शोम्पेन जनजति को प्रदत्त मुर्गियां एवं सूअर	0.15

स्रोतः वार्षिक आदिवासी उपयोजना 2001–2002 अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर– पृष्ठ– C–34,

ओंगी जनजाति के लोग लिटिल अण्डमान के डिगांग क्रीक एवं साउथबे में केन्द्रित हैं तथा ये भी सूअर, मुर्गी एवं

जारवा महिलाओं द्वारा एकत्रण हेतु बेंत की टोकरी का निमार्ण

प्लेट संख्या–30

निकोबारी एवं उनका प्रिय पालतू पशु

कुत्ते को पालते हैं। सूअर एवं मुर्गी मांस तथा अण्डे हेतु तथा कुत्ता शिकार हेतु पालते हैं। जनजातीय उपयोजना के अर्न्तगत सरकार ने इन जनजातियों को भी बकरी, सुअर एवं मुर्गियों की आपूर्ति की हैं (सारणी संख्या 5.2), तथा इन्हे पालने हेतु चारा भी प्रदान किया जाता हैं। ये लोग मात्र अपने भोजन के लिए ही पशु–पालन करते हैं, व्यापार हेतु नही। बोस के अनुसार ओंगी जनजाति के लोग बहुभक्षक होते हैं तथा काफी मात्रा में भोजन करते हैं। अतः सुअर का मांस इनके भोजन की प्रधान वस्तु हैं।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति के लोग भी सुअर, बत्तख, मुर्गी एवं कुत्तें को पालते हैं । सूअर, मुर्गी एवं बतख मांस एवं अण्डे हेतु तथा कुत्ता शिकार हेतु पालते हैं। जनजातीय उप–योजना के अर्न्तगत सरकार ने इन्हे भी बकरियाँ, सूअर एवं मुर्गियाँ प्रदान की हैं (सारणी 5.2) तथा इनके चारे की भी आपूर्ति की जाती हैं। धीरे–धीरे इन जनजातियों को पशुपालन में दीक्षा दी जा रही है, क्योकि उनके भोजन की आदत के अनुसार पशुओं से सीधे रूप में मांस, अण्ड़ा आदि प्राप्त हो जाता हैं। अतः ये लोग पशुपालन को कृषि की अपेक्षा सरलता से स्वीकार करते हैं। यदि सरकार द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में इन जनजातियों को शिक्षा एवं सहायता दी जाती रही तो निश्चित रूप से उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आ जायेगा। चूंकि अभी तक इनकी अर्थव्यवस्था मात्र अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थो के एकत्रण एवं संकलन तक ही सीमित हैं और इस हेतु ये वर्ष पर्यन्त सपरिवार लगे रहते हैं। यदि पशुपालन से इन्हें आसानी से खाद्य सामाग्री उपलब्ध हो जाये तो ये शेष पदार्थ जैसे– दूध, अण्डा, मांस आदि विक्रय कर कुछ धन भी अर्जित कर सकेंगे। इस दिशा में सतत प्रयास की आवश्यकता है।

कृषि :

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों में निकोबारी एवं शोम्पेन जनजाति के लोग ही कृत्रिम ढ़ंग से बीजारोपण वृक्षारोपण, साग–सब्जियाँ लगाना आदि का काम कर लेते हैं। अन्य जनजातियों में ग्रेट अण्डमानी तथा ओंगी जनजाति के लोग भी नारियल एवं पैंडीनस के वृक्षों को अपनी झोपड़ी के आस–पास लगाते हैं। जारवा एवं सेंन्टिनली जनजाति के लोग औपचारिक वृक्षारोपण एवं साग–सब्जियों की खेती से काफी दूर हैं।

निकोबारी जनजाति के लोग अपने घरेलू बगीचे में जिसे ये "मुईयोम" कहते हैं, में विविध प्रकार के रतालू, पैण्डीनस, केला, पपीता एवं गन्ना की खेती करतें हैं। ये नारियल को ,"काओ", पैण्डीनस को ,"लारोप", सुपाड़ी को "येह", तथा पान के पत्ते को "पानु" कहते हैं। इनमें से जो सभ्य एवं शिक्षित हैं, वे साग–सब्जियाँ जैसे – बैगन, बीन्स, मूली, भिण्डी, करेला, एवं अन्य पत्ती वाली सब्जियों की कृषि घरेलू पैमाने पर करतें हैं। इनमें से कुछ अन्नानास, अमरूद, नीबू, एवं आम के भी वृक्ष लगाए हुए हैं। इसके अलावा ये कटहल एवं कसूरिना तथा कई प्रकार के फूल जैसे– जीनिया, गेंदा, गुलाब, एवं कुमुदिनी के भी पौधे लगाते हैं। ये लोग सरल ढंग से बिना रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के इन पौधों की खेती करते हैं। उनकी बागवानी में सिंचाई की भी कोई बहुत भूमिका नहीं होती। वास्तव में इनकी बागवानी कृषि स्थानान्तरण प्रकार की होती हैं। जब एक खेत की उर्वरा समाप्त हो जाती है तो दूसरी जगह जंगल को काट कर एवं उन्हे जलाकर पुनः नया खेत तैयार किया जाता है तथा उनमें उपरोक्त पौधों के बीज या पौधे डाले जाते हैं। इस कार्य हेतु कई तुहेत के लोग एक दूसरे का सहयोग करतें है। इनका फसल प्रतिरूप बहुत निश्चित नही हैं। आवश्यकता अनुसार ये

पौधे बदलते रहते हैं। ये अपने खेतों की निराई लोहे से निर्मित यंत्रों जैसे– साला एवं किनरूस द्वारा करते हैं। कभी–कभी ये अपने खेत के पास एक अस्थाई झोपड़ी भी बना लेते हैं। फसलों की बुआई अक्सर जुलाई अगस्त तथा कटाई जिसे स्थानीय भाषा में "किन नीआन" कहते हैं, दिसम्बर या जनवरी में होती है। खेतों की जुताई के लिए ये लकड़ी के हल एवं बैल का प्रयोग करते हैं।

हाल ही में कुछ निकोबारी लोग घरेलू स्तर पर धान की भी बुवाई करने लगे हैं। धान का बीज इन्हे बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र से आये बिहारी लोगों से प्राप्त हुआ और उन्होने इन्हे धान लगाने की प्रेरणा दी। कचाल द्वीप में चावल की खेती शुरू हो गयी हैं।

निकोबारी लोग नारियल, पैण्डीनस एवं सुपाड़ी की भी बागवानी करते हैं। जहाँ पर ये नारियल लगाते हैं उसे ,"अंगल याँम काओं", कहते हैं। यहाँ पर पायी जाने वाली मिट्टी नारियल के लिए अति उपयुक्त होती है। नारियल की कृषि अधिकांशतः कारनिकोबार, चौरा, तेरेशा, बामपोका, कचाल, कमोर्टा, ट्रिंकेट एवं नानकौरी द्वीपों में होती हैं। छितपुट रूप से यह ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कोण्डूल तथा अण्डमान में भी पायी जाती हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा भी विविध द्वीपों में नारियल के बागान विकसित किये जा रहें हैं (Fig -5.1A & B) नारियल की रोपाई जून से अगस्त तक हो जाती हैं तथा यह 8–10 वर्ष में फल देने के लायक होता हैं। वृक्षों के मध्य की दूरी लगभग 18 फिट के लगभग रखी जाती हैं। नारियल के वृक्षों के तेज विकास के लिए उनकी जड़ो के ऊपर ऊँचाई तक मिट्टी चढाई जाती हैं तथा बगीचे को पेड़ो की लकड़ियों एवं बाँस की फट्टियों द्वारा घेर दिया जाती हैं। लेकिन अब बिना घेरे वाले बगीचे, जिन्हे "टाट किन लाँग" कहते हैं, भी प्रायः दिखाई पड़ने लगे हैं।

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 5.1 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 5.1 (B)

लेकिन इनमें सूअरों एवं अन्य पशुओं द्वारा हानि पहुँचानें का भय रहता है। अच्छे नारियल के वृक्ष से वर्ष में लगभग 50 नारियल के फल प्राप्त हो जाते हैं। विविध उपयोग वाले नारियल फलों को अलग–अलग नामों से जाना जाता है जैसे–"तोसाकुक" पूर्ण रूप से पका फल हैं जो कोपरा बनाने के काम आता है। चुओल अपेक्षाकृत कम पका होता है, लेकिन इससे तेल निकाला जाता है तथा सूअरों को खिलाया जाता है। "कफूत" चुओल से कम पका होता है तथा चावल, केला, टैपीओका को आँटे के साथ मिलाकर खाया जाता हैं। इससे कम पके फल को "ओक" कहते हैं, जो पीने के काम आता है तथा पाचन क्रिया ठीक रखता है। "कुमों" कच्चा छोटा नारियल होता हैं, जिसमें गिरी नहीं होती तथा "सेत" नारियल वृक्ष का रस हैं, जिससे ताड़ी बनायी जाती है।

निकोबारी लोग सुपाड़ी की भी खेती करते हैं। जहाँ पर सुपाड़ी का वृक्षारोपण होता है, उस क्षेत्र को "आंगल याँग येह" कहते हैं। इसकी भी बुवाई जून से अगस्त तक होती हैं तथा एक महीने मे पौध तैयार हो जाती है। समय–समय पर इसकी पीली पत्तियों की छटाई होती रहती है। यह 4–5 वर्षों में फल देने लायक हो जाता है और एक वृक्ष लगभग 30–40 वर्षों तक फल देता रहता है। फलो की तुड़ाई अधिकांशतः जनवरी से अप्रैल तक होती है। जब फल पीला पड़ जाता है तो अपने आप गिरने लगता है अथवा पुरूष लोग उसे तोड़ लेते है। महिलाए एवं बच्चे उसका छिलका निकालकर आधे से काट देते है तथा सुखाकर सुपाड़ी तैयार कर लेते हैं। पहले तो निजी व्यापारी 15–16 रूपये प्रति किलो की दर से सुपाड़ी खरीद लेते थे, लेकिन अब अण्डमान निकोबार विकास समिति के हस्तक्षेप से सुपाड़ी की अच्छी कीमत 40–45 रू0 प्रति किलो तक प्राप्त हो जाती हैं।

इसी प्रकार निकोबारी लोग पैण्डीनस के वृक्ष की भी रोपाई करते हैं, जो अधिकांशतः जुलाई–अगस्त महीने में होती हैं इसका वृक्ष 15–20 वर्षो में तैयार हो जाता है और लगभग 30 वर्षो तक फल देता रहता है। पैण्डीनस का फल निकोबारियों का प्रिय पदार्थ है तथा अन्य जनजातियों के लोग भी इसे बहुत पसन्द करते है।

शोम्पेन जनजाति के लोग अधिकांशतः वृक्ष वाटिका का ही कार्य करते हैं तथा प्रमुख रूप से पैण्डीनस, कोलोकैसिया, नीबू, केला, मिर्च, तम्बाकू, पान, टेपीओंका एवं नारियल के वृक्षों की बागवानी तैयार करते हैं। पैण्डीनस शोम्पेन का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। ये पैण्डीनस की पौध अधिकांशतः नदी घाटियों या निचले पठारी भागों में लगाते हैं, जहाँ पर इनके विकास हेतु उर्वरा मिट्टी प्राप्त होती हैं। इनकी बुवाई भी जुलाई–अगस्त में होती है तथा चार–पाँच वर्ष बाद ये फल देने लगते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के पैण्डीनस की किस्में लगाते हैं–एक किस्म मानसून के समय तथा दूसरी ग्रीष्म ऋतु के समय तैयार हो जाती हैं, जिससे इन्हे वर्ष पर्यन्त पैण्डीनस का फल खाने को मिलता रहता है। मानसून पैण्डींनस लाल रंग का होता है तथा इसकी मुख्य किस्में सैण्डी पैण्डीनस, पोल पैण्डीनस, रातन पैण्डीनस, मेगापॉड पैण्डीनस, ऐक्सपैण्डीनस, एवं क्रेब पैण्डीनस हैं। ग्रीष्म कालीन किस्म सफेद रंग की होती हैं, जिसमें मुख्य हैं बौना पैण्डीनस, मुलेट पैण्डीनस एवं मिरर पैन्डीनस। ये पैण्डीनस का बागान आपसी सहयोग से पूरे समुदाय के लिए तैयार करते हैं, जिस पर सभी का समान अधिकार होता है। लेकिन कभी–कभी अपनी झोपड़ी के पास निजी उपयोग हेतु भी पैन्डीनस का वृक्ष लगा देते हैं। इस वृक्ष में पैण्डीनस की पत्ती को एक लकड़ी द्वारा उसके जड़ से बाँध दिया जाता हैं, जिसका तात्पर्य होता है, यह निजी उपयोग के लिए है जिससे दूसरा उसके फल को नहीं तोड़ता। पैन्डीनस के फल

के पक जाने पर पुरूष एवं महिलाएं उसे तोड़ लेते हैं तथा महिलाएं छूरी से उसकी गुठली को निकाल देती हैं। उसकी गुठली को उबाल लिया जाता है और उसमें से गुदा निकाल लिया जाता है। पूरे गुदे को माड़कर एक बड़ी लोई (4–5 कि0 ग्रा0) बना ली जाता है तथा उसे झोपड़ी के अन्दर लटका दिया जाता है। यह 20–30 दिन तक खाने योग्य बनी रहती हैं। इस गुदे का उपयोग ये शहद के साथ सूअर के मांस एवं मछली खाने में करते हैं।[14]

कोलोकैसिया भी सामुदायिक बागानो मे ही लगाया जाता है। शोम्पेन लोग इसकी कन्द को उबालकर खाते है। सूअरों से बचाव के लिए इन बागानों के चारो ओर घेरा डाल दिया जाता है। हरी मिर्च की खेती ये अपनी झोपड़ियों के पास ही करते हैं। ये मिर्च को सूअर के मांस के साथ उबालकर उथवा सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। शोम्पेन लोग छोटी बाटिकाओं में नींबू की भी खेती करतें हैं तथा पानी में मिलाकर नीबू के रस को प्रतिदिन पीते हैं। इसका मुख्य कारण यह हैं कि ये सूअर का मांस एवं मछली उपलब्ध होने पर बहुत ज्यादा खा लेते हैं तथा पाचन क्रिया ठीक करने के लिए नींबू का उपयोग करते हैं। नीबू की पौध भी जुलाई अगस्त में लगायी जाती है तथा 2–3 वर्ष के अन्दर इनमें फल आने लगता है। अधिकांशतः नींबू के फल दो मौसमों–वर्षात एवं ग्रीष्म में मिलते हैं। अतः वर्ष पर्यन्त शोम्पेनों को नीबू उपलब्ध रहता है। इसके अलावा शोम्पेन नींबू को निकोबारियों को भी अन्य सामानों के बदले दे देते हैं। शोम्पेन जनजाति के लोग पान एवं तम्बाकू के भी शौकीन होते हैं। अतः ये अपनी झोपड़ी के पास पान की लताए एवं तम्बाकू के पौधे भी निजी उपयोग के लिए लगाते हैं। इन दोनों पौधों की पत्तियाँ ही काम आती हैं। अतः सावधानी पूर्वक इनकी देखरेख की जाती है। चूँकि यहाँ पर शराब उपलब्ध नहीं है और न ही ताड़ी प्राप्त होती है। अतः पान

एवं तम्बाकू इनके मुख्य शौक एवं नशा हैं। इसे ये चूने में मिलाकर खाते हैं। आगन्तुकों भी ये पान तम्बाकू भेंट करते हैं।

शोम्पेन लोग तटीय क्षेत्रों में नारियल का भी बागान तैयार किये हुए हैं। यद्यपि ये नारियल के पौध खुद तैयार नहीं करते, बल्कि ये इसे निकोबारियों एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त करतें हैं। ये धीरे–धीरे नारियल का पानी एवं उसकी गिरी का उपयोग करने लगे हैं। लेकिन अभी भी नारियल इनमें बहुत कम लोकप्रिय है। अतः नारियल के वृक्ष इनके आवासों के आस–पास छित–पुट रूप में ही दिखाई पड़ते हैं।

शोम्पेनी जनजाति के लोग यद्यपि स्वयं मधुमक्खी पालन नहीं करते। फिर भी ये शहद का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। इसके लिए ये जंगल में बड़े वृक्षों में अपने दाव से काटकर कोटरा तैयार कर देते हैं। एक दो महीने के अन्दर मधुमक्खियाँ इन कोटरों को अपने निवास का उपयुक्त स्थल बना लेती हैं तथा यहाँ पर शहद के छत्ते निर्मित कर लेती हैं। जब छत्ता शहद से भर जाता है, तो शोम्पेनी लोग पेनांगा वृक्ष की पत्तियों को छत्तों पर कई बार घुमाते हैं तथा पत्तियों को चबाकर उसके रस को छत्ते पर थूक देते हैं। इसकी गंध से मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं तथा ये लकड़ी की बाल्टी में शहद इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार ये पूरे वर्ष की शहद की खपत हेतु जंगलों में शहद का एकत्रण करते रहते हैं एवं वृक्षों में कोटरे बनाकर मधुमक्खी पालन में सहयोग करते रहते हैं।

ओंगी एवं ग्रेट अण्डमानी जनजाति के लोग क्रमशः लिटिल अण्डमान एवं स्ट्रेट द्वीप में केन्द्रित हैं। ये लोग अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति एवं अण्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा संरक्षित नारियल के बागानों में मजदूरों के रूप में काम करते हैं। लिटिल अण्डमान में ओंगी जनजाति के लोगों से नारियल के

बागानों में काम लेने वाली एवं उन्हे शोषण से सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था ओंगी बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति हैं (प्लेट संख्या 12)

इसी प्रकार स्ट्रेट द्वीप में ग्रेट अण्डमानी जनजाति के लिए भी एक बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति बनायी गयी हैं। ये समितियाँ लिटिल अण्डमान एवं स्ट्रेट द्वीपों में ओंगी एवं ग्रेट अण्डमानी जनजातियों से नारियल के बागानों में वृक्षारोपण, खुदाई, वृक्षो पर मिट्टी चढ़ाना, पीली पत्तियों एवं फलों की तुड़ाई, ढुलाई, कटाई आदि कार्यों में काम लेते हैं तथा इसके बदले इन्हे खाद्य सामाग्री वस्त्र आदि प्रदान किये जाते हैं। साथ ही प्रति व्यक्ति रू0 2.50 प्रति नारियल की दर से इनके खाते में इन समितियों द्वारा जमा किया जाता है। इस प्रकार अभी तक इनके खातों में 40–50 हजार रूपये जमा हो चुके हैं। लेकिन इन्हें मुद्रा की जानकारी कम होने से अभी ये इन पैसों के उपयोग से वंचित हैं। शिक्षित एवं सभ्य हो जाने पर सरकार इन्हें यह मुद्रा वापस कर देगी या इनके व्यक्तिगत खर्च जैसे आवास, वस्त्र आदि में खर्च करेगी। इन नारियल बागानों में काम करते रहने से अब इन्हे भी नारियल के पौधे लगाने एवं देख–भाल करने की जानकारी प्राप्त हो गयी है। अतः मुख्य भोजन होने के कारण अब ये भी नारियल एवं पैन्डीनस के वृक्ष अपनी झोपड़ी के आस–पास लगाने लगे हैं। इसके अलावा ये अन्य किसी प्रकार की कृषि या फसल उगाना नही जानते।

जारवा जनजाति एवं सेन्टिनली जनजाति के लोग अभी–भी शिकारी एवं एकत्रण जैसी पाषाण कालीन आदिम स्थिति में हैं। अतः इन्हे बागवानी एवं फसल उगाने जैसे कार्यों की बिल्कुल जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा जारवा जनजाति के लोंगो को वृक्षारोपण सिखाने हेतु कई बार नारियल की पौध प्रदान की गयी। लेकिन उन लोगों ने इसका न तो रोपण किया और नही उससे कोई

लाभ प्राप्त किया। सेंन्टिनली जनजाति के लोग भी पूर्ण आदिम अवस्था में हैं जिनसे अभी तक कोई सम्पर्क नही हो सका है। अतः वे भी कृषि एवं बागवानी जैसे कार्यों से काफी दूर हैं।

उद्योग एवं व्यापार:

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों में सर्वाधिक सभ्य एवं शिक्षित निकोबारी जनजाति के लोग ही हैं। सरकारी प्रयास एवं निकोबारी जनजाति के सम्पर्क में रहने के कारण कुछ शोम्पेन भी बाहरी लोगों से सम्पर्क कर कुछ सुधरने लगे हैं। ओंगी एवं अण्डमानी जनजाति के लोग नारियल के बागानों में विविध प्रकार के कार्य करते हुए थोड़ा बहुत सुधरनें लगें हैं। लेकिन जारवा एवं सेन्टिनली जनजाति के लोग आज भी शिकार एवं एकत्रण जैसी आदिम अवस्थाओं में ही हैं। अतः इन जनजातियों में वर्तमान उ़द्योगों को लगाने एवं चलाने हेतु न तो शिक्षा–दीक्षा एवं ज्ञान हैं और न ही इनके पास पूँजी, तकनीकी, संसाधन आदि हैं। इस प्रकार इनके उद्योंग एवं व्यापार का विश्लेषण वर्तमान अद्यौगिक एवं व्यापारिक परिदृश्य के संदर्भ में न होकर पिछड़ी आदिम जनजातीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया गया है।

अण्डमान–निकोबार द्वीप में अनेक प्रकार के वृक्ष, फल, फूल, कन्द–मूल जंगली जानवर, समुद्री जीव अनेक प्रकार की समुद्री वस्तुएं आदि पायी जाती हैं। इनके आधार पर कुछ जनजातीय समूहों ने विविध प्रकार की वस्तुओं को निर्मित करनें में कुशलता प्राप्त की हैं। ये वस्तुएं विविध उपयोग की हैं तथा अण्डमान निकोबार द्वीप में आने वाले पर्यटक भी इनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अतः इन वस्तुओं के निर्माण एवं विपणन हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ है। निकोबारी जनजाति सभ्य एवं शिक्षित होने के कारण अब धीरे–धीरे इसका लाभ लेने लगी हैं। शिक्षा–दीक्षा एवं जागृति के अभाव के कारण

अन्य जनजातियाँ अत्यन्त पिछड़ी एवं आदिम अवस्था में हैं। अतः उनमें इन कार्यों का कोई स्वरूप प्राप्त नहीं होता।[15]

अण्डमान–निकोबार द्वीपों में नारियल वृक्ष के विकास हेतु उपयुक्तम दशाये उपलब्ध हैं। परिणामस्वरूप यह यहाँ बड़े पैमाने पर उगाया जा सकता है और इसके लिए सतत् प्रयास भी चल रहा है। निकोबारी लोग अपने नारियल बागान तैयार कर रहें हैं तथा सरकार भी अपने बागानों के माध्यम से इस उद्योग हेतु उन्हें प्रेरित कर रही है। निकोबारी जनजाति के लोगों द्वारा नारियल की कृषि अच्छें स्तर पर की जाती है, जिससे नारियल के विविध उत्पादों के विक्रय से इनमें कुछ उद्यमिता विकसित हो रही है। नारियल की पत्तियों, फलों, गिरी, आदि के विक्रय द्वारा इन्हे अच्छा पैसा मिल जाता है। पत्तियों से झाड़ू एवं चटाई, नारियल के जूट से गद्दे, डोरी चटाई एवं फुटरेस्ट, कच्चे नारियल फल से पेय एवं सूअरों का चारा तथा उसकी गिरी से तेल एवं औषधि निर्माण आदि औद्योगिक कार्य सम्पादित किये जाते हैं। धीरे–धीरे इन वस्तुओं का उपयोग राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ता जा रहा हैं। परिणाम स्वरूप नारियल की कृषि में विस्तार की संभावना बढ़ती जा रही है। इसीलिए निकोबारी लोग भी नारियल की कृषि की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ सर्वाधिक नारियल कार निकोबार, ट्रिंकेट, कचाल, आदि द्वीपों में होता है। ग्रेट निकोबार एवं अण्डमान द्वीपों में भी नारियल उगाया जाने लगा है। यहाँ से नारियल के व्यापार का पूरा संचालन इलोन हिलेन लिमिटेड (E.H.L.) निकोबार द्वारा होता है। यह संस्था गुजराती व्यापारी जाडवेट द्वारा यहाँ स्थापित की गयी थी । यहाँ से नारियल सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यापार इसी संस्था द्वारा सम्पादित होता है।

निकोबारियों का दूसरा उद्यम सुपाड़ी का विक्रय है। इनके पास सुपाड़ी के भी बागान हैं जिनका सम्पूर्ण संचालन

एवं विक्रय उपरोक्त संस्था द्वारा ही होता है। सुपाड़ी की गिरी 40–45 रूपया प्रति किग्रा0 की दर से बिकती है, जो इन्हे अच्छा पैसा दे देती हैं। यहाँ से भारी मात्रा में सुपारी का निर्यात किया जाता है।

निकोबारी लोग अपने घरेलू खपत के अलावा भी अब इन्जन चालित नावों एवं अच्छी जालो एवं लाइनर द्वारा समुद्री क्षेत्र में विविध प्रकार की मछलियाँ प्रभूत मात्रा में पकड़ते हैं। भारत मुख्य भूमि में इनकी अच्छी माँग है। अतः निकोबारी लोग इन मछलियों का निर्यात एवं विक्रय कर अच्छा पैसा कमाते है। निर्यात होने वाली मुख्य मछलियों में सार्डीन, एचोवीज, बैराकुडा मीन, डोराव, मैकरेल, बाँगड़ा, टुनी मुलेट, सिल्वर, बेली, शार्क, झींगा, कानेक्स, हिल्सा आदि हैं।

निकोबारी लोग विविध प्रकार की इमारती लकड़ियों–पैडाक, गर्जन, चुई आदि से नौकाओं का भी निर्माण करते हैं। कचाल द्वीप के लोग नौका निर्माण में कुशल माने जाते हैं। इसके बाद कारनिकोबार, चौरा एवं कोंकुल द्वीप के लोग भी अच्छी नौकाएं बनाते हैं। ये अब दूसरे लोगों को भी नौकाए बेचते हैं। इनकी नौकाए मुख्यतः तीन प्रयोजनों के लिए होती हैं[16] जो निम्न हैं– (1) मछलियाँ पकड़ने के लिए (2) अन्तरद्विपीय यातायात के लिए एवं (3) नौका दौड़ के लिए। निकोबारी जनजाति के लोग अस्त्र कला में भी कुशल हैं। आदि काल से ही इन लोगों में अस्त्रों का प्रयोग होता रहा हैं। ये विविध प्रकार के अस्त्र लोहे से तैयार करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक एवं भयंकर प्रकार के अस्त्र जैसे धनुष–तीर, भाला, हारपून आदि बनाते हैं तथा अन्य जनजातियों एवं लोगों को भी विक्रय करते हैं।

चौरा द्वीप में विविध प्रयोजनों हेतु चौडे मुह वाले अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाये जाते हैं। ये बर्तन 9–10 इंच से लेकर 27–28 इंच तक होते हैं। ये चावल एवं मांस पकाने,

मछलियाँ बनानें, पानी गरम करनें एवं अण्डे रखने एवं उबालने, साग–भाजी बनाने आदि के काम आते हैं। निकोबारी एवं अन्य द्वीपों के लोग भी जाकर वहाँ से बर्तन खरीदतें हैं, जिससे इन्हें अच्छी आय हो जाती हैं। इसके अलावा निकोबारी लोग अनेक प्रकार की घरेलू वस्तुए जैसे– कुर्सियां, मेंज, चारपाई, डलिया, टोकरियाँ, चटाइयाँ तथा अनेक कला वस्तुए विशेष रूप से समुद्री शंखों एवं कौडियों से बनाते हैं। इनमें शंख, माला, आभूषण, झालर, टेबल लैम्प आदि मुख्य हैं। इसके अलावा निकोबारी जनजाति के लोग शिक्षित एवं सभ्य होने के कारण अनेक सरकारी नौकरियों जैसे–अध्यापक, डाक्टर, कम्पाउण्डर, ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार आदि के रूप में लग गए हैं, तथा धीरे–धीरे अण्डमान–निकोबार के प्रत्येक भाग एवं भारत मुख्य भूमि में भी जाने लगे हैं। इन्हें भारतीय सेना में प्रवेश पाने की भी सुविधा प्राप्त है। इसके अलावा ये नाई, धोबी, मोची, बढ़ई, दर्जी अदि का भी कार्य करते हैं और उससे भी इनकी आय होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि निकोबारी जनजाति के लोगों में उद्यमिता एवं व्यापार की प्रवृति धीरे–धीरे विकसित हो रही हैं, जिससे उनके क्रिया कलाप का भी विविधीकरण एवं विस्तार हो रहा है।

शोम्पेन जनजाति के लोगों में उद्यमिता का आभाव हैं। यद्यपि ये भी विविध प्रकार के कार्य जैसे–पैण्डीनस, कोलोकैसिया, नीबू, मिर्च, पान, एवं तम्बाकू के वृक्ष एवं पौधे लगाते हैं। साथ ही विविध प्रकार के जानवरों एवं समुद्री जीवों का शिकार तथा जंगलो से शहद का एकत्रण करतें हैं। लेकिन शिक्षा एवं जानकारी के आभाव के कारण इनमें उद्यमिता एवं व्यापार की प्रवृति विकसित नहीं हो सकी है। भोजन प्राप्त कर लेने के बाद ये आत्म केन्द्रित हो जाते हैं और बाहरी दुनिया से सम्पर्क नही रखना चाहते। इसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था मात्र इनके भोज्य पदार्थों की आपूर्ति तक ही सीमित

है। घरेलू खपत से अधिक यदि कोई वस्तु उपलब्ध है, तो ये निकोबारी जनजाति से किसी अन्य वस्तु के लिए बदल लेते है। इस तरह इनकी वस्तु–विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था है। ये निकोबारियों को पैडीनस के फल, नीबू, एवं शहद देते है तथा इसके बदले उनसे अस्त्र, कुत्ते, दाँव, तम्बाकू, ताड़ी आदि प्राप्त करते हैं।

ओंगी जनजाति के लोग भी पूर्णतया आदिम स्थिति में हैं तथा अशिक्षित एवं असभ्य हैं। अतः इनमें भी उद्यमिता एवं व्यापारिक प्रवृति का आभाव हैं लेकिन ये लोग अपने विविध प्रयोजनों हेतु अस्त्रों, यंत्रों, पात्रों एवं नावों का स्वयं ही निर्माण करते हैं। इनकी नावें अच्छी, ठोस, लम्बी एवं गहरे समुद्रो में जाने लायक होती हैं। कारीगरी की दृष्टि से भी ये अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन अभी तक ओगियों की किसी भी वस्तु का व्यापारिक महत्व नही है और न ही इनका किसी प्रकार का विनिमय होता है।

इसके अलावा ग्रेट अण्डमानी, जारवा एवं सेंटिनली जनजाति के लोग भी आदिम एवं असभ्य हैं, जिससे उनमें भी उद्यमिता एवं व्यापार का आभाव है। ये लोग भी अपने जरूरत की लगभग सभी वस्तुए जैसे–अस्त्र, पात्र, झोपड़ी आदि स्वयं ही निर्मित करते हैं। लेकिन इनमें से किसी का आर्थिक एवं व्यापारिक महत्व नही है। सरकार, स्थानीय प्रशासन, विविध प्रकार की समितियाँ एवं स्वैच्छिक संगठन विविध द्वीपों पर अपने कार्यालय स्थापित किये हैं तथा उपरोक्त पाँचों आदिम जनजातियों को वर्तमान विश्व की वस्तुओं, रहन–सहन, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, प्रतियोगिता आदि से परिचित कराने हेतु सतत् संलग्न एवं प्रयत्नशील हैं। लेकिन अभी तक इस दिशा में इन्हें कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नही हुई है। फिर भी यदि ये प्रयास ईमानदारी से लगातार जारी रहे , तो निसंदेह अगले दस वर्षो में इस दिशा में सफलता प्राप्त हो सकती है।

संदर्भ सूची

1. Mishra, B.N. & Shukla V. 1999 : Tribal Development in India : Retrospect and Prospect, in The Tribal Scene in Jharkhand.
2. Ibid. P.25.
3. Ibid. P.25.
4. Justin, A. 1990 : The Nicobarese, Sea Gull Books, Culcutta, P.80.
5. Awaradi, S.A. 1990 : Master Plan, Andaman & Nicobar Administration. P.58.
6. Sarkar, J. 1990 : The Jarwa, Sea Gull Books, Colcutta, P.21.
7. Bose, S. 1984 : Economy of the Onge of Little Andman in Island Culture of India, Reddy, G.P. & Sudarsan, V. P.64.
8. Pandit, T.N. 1990 : The Sentinelese, Sea Gull Books, Culcutta, P.P.18-20.
9. Nandan, A.P. 1993 : The Nicobarese of Great Nicobar, Gyan Publishing House, New Delhi, P.38.
10. Sarkar, J. 1990 : The Jarwa, op.cit. P.23.
11. Bose, S. 1984 : Island Culture of India, op.cit. P.65.
12. Pandit, T.N. 1990 : The Sentinelese, Sea Gull Books, Culcutta, P.P.18-20.
13. Bose, S. 1984 : Island Culture of India, op.cit. P.72.
14. Awaradi, S.A. 1990 : Master Plan, op.cit. P.54.
15. Mishra, B.N. & Shukla, V. 1999 : op.cit. P.25.
16. Singh, R.P. 1982 : Andman & Nicobar Islands, Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi, P.116.

अध्याय –6

जनजातीय विकास : विवरण एवं समस्यायें

प्रस्तावना :

हजारों वर्षों तक विविध प्रकार की भारतीय जनजातियाँ, देश के अनेक पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों की आधुनिक सभ्यता एवं चमक–दमक से दूर पूर्ण पृथकता में ही जीवन यापन करती रही है।[1] भौतिक एवं सांस्कृतिक पृथकता में ही जनजातीय जनसंख्या एवं संस्कृति का विकास हुआ। यद्यपि इनकी संस्कृति में कोई गुणात्मक विकास नहीं हुआ। फिर भी इन्होंने अपने समाज एवं संस्कृति को बाहरी आक्रमण से बचाये रखा। गुहा के अनुसार[2] पूर्ण पृथकता में कभी प्रगति एवं विकास नहीं हो सका बल्कि इससे स्थिरता एवं विनाश ही हुआ है चाहे वे जानवर रहे हों अथवा मानव। मानव समाज का इतिहास यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि विश्व में सर्वत्र सभ्यताओं का निर्माण विविध वर्ग के लोगों के आपसी संपर्क एवं अन्तर्क्रिया द्वारा हो सका है और यही सभ्यता की प्रगति हेतु प्रमुख संचालक शक्ति रही है। प्रारम्भ में कुछ इसाई धर्म प्रचारकों, हिन्दू समाज के लोगों एवं व्यापारियों के माध्यम से विविध क्षेत्रों में जनजातियों से सम्पर्क होना प्रारम्भ हुआ। लेकिन आदिम जनजातियाँ अब भी बाहरी लोंगों के सम्पर्क से दूर थी। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार के प्रयासों से विविध क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु प्रयास प्रारम्भ हुआ। परिणामस्वरूप भारतीय मुख्य भूमि तथा अंण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम संचालित किए गए। विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से मानवशास्त्रियों , प्रशासकों, समाजसुधारकों, एवं धर्मप्रचारकों का प्रवेश जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ने लगा। साथ ही अनेक विकास कार्यों जैसे – सड़क निर्माण, प्राथमिक विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र आदि से सम्बन्धित अधिकारियों एवं संस्थाओं की स्थायी स्थापना भी इन क्षेत्रों में कर दी गयी। प्रारम्भ में ऐसा प्रतीत हुआ कि इन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय

मुख्य भूमि एवं अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास में आशातीत सफलता मिलेगी। लेकिन लगभग 50 वर्षों के विकास कार्यों पश्चात् उन्हे कुछ शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं, खाने–पीने की सामग्री, कपड़े एवं बर्तन आदि तो प्राप्त हो गए हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या में निरन्तर ह्रास, पारिवारिक विघटन, नई बिमारियों के प्रकोप, सांस्कृतिक विशिष्टता का विनाश, अवरोधक क्षमता का ह्रास, आदि जैसी नई समस्याए उत्पन्न होने लगी हैं, जो हमें अपनें विकास कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करने हेतु विवश करती हैं।[3] प्रस्तुत अध्याय में अण्डमान–निकोबार की जनजातियों के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का विवरण खण्ड–अ में तथा उनकी प्रमुख समस्याओं का विवेचन खण्ड–ब में किया गया है।

विकास उपागम :

अनेक मानवशास्त्रियों, नियोजकों, प्रशासकों, एवं समाजशास्त्रियों ने जनजातीय समस्याओं को विविध दृष्टिकोणों एवं संदर्भ में देखनें का प्रयास किया है। इन दृष्टिकोणों एवं उपागमों को निम्नलिखित पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(1) यथा स्थिति एवं पुनरूत्थानवाद उपागम।

(2) पृथकतावाद एवं परिरक्षण उपागम।

(3) स्वांगीकरण एवं समन्वयन उपागम।

(4) विकास उपागम।

(5) सामाजिक अभियांत्रिकी उपागम।

प्रथम उपागम के अर्न्तगत इस तथ्य पर बल दिया जाता है, कि जनजातियों से बाहरी लोगों के सम्पर्क को प्रतिबन्धित कर दिया जाय, तथा जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को भी बन्द किया जाय। इससे विविध प्रकार की जनजातियों की यथास्थिति बनी रहेगी, उनकी सांस्कृतिक पहचान यथावत रहेगी तथा वे अपने पर्यावरण में मुक्त रूप से अपने आप ही विकसित होते रहेंगे। इस उपागम की अनेक आलोचनाएं हुई हैं। क्योंकि आज की

विकसित होती हुई मानव सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में जनजातीय मानव वर्ग को विकास प्रक्रिया में उसके हिस्से से वंचित करना महान अपराध होगा।

दूसरा उपागम भी पहले के ही समान है तथा यह भी जनजातियों के भौतिक एवं सांस्कृतिक पृथकत्व को परिरक्षित करनें पर बल देता है। वेरियर एल्विन[4] ने इसे "नेशनल पार्क सिद्वान्त" कहा है, जो उन्होंने वैगा एवं गोंड़ जनजातियों के सन्दर्भ में प्रस्तावित किया था। इसके अनुसार जनजातीय क्षेत्रों को जीव–जन्तुओं के अभयारण्य के समान चारो ओर से घेर देना चाहिए तथा बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्ण रूप से बन्द कर देना चाहिए, जिससे वे अपनें क्षेत्र एवं पर्यावरण में पूर्ण स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता के साथ विचरण कर सकें। इसकी भी आलोचना अनेक विद्वानो ने की है।

तीसरे उपागम को काफी लोगों ने स्वीकार किया और इस उपागम का शुभारम्भ स्वतंत्रता के पश्चात् मानवतावादी विकास नीति के अर्न्तगत किया गया। इसके अर्न्तगत भारतीय जनजातियों की समस्याओं को भौतिक एवं सांस्कृतिक पृथकता का परिणाम माना जाता है। अतः उसका समाधान करनें हेतु विविध जनजातीय वर्गों एवं समूहों को निकटवर्ती गैर जनजातीय समूहों से सम्पर्क स्थापित करनें एवं उनसे आदान–प्रदान का व्यवहार स्थापित करनें के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे–धीरे विविध जनजातीय वर्ग अपने निकटवर्ती गैर जनजातीय मानव समुदायों से घुल–मिल जायेंगे एवं उनमें समन्वय स्थापित हो जायेगा, जिससे कालान्तर में जनजातियों को भी वर्तमान आर्थिक–सामाजिक विकास का लाभ मिल सकेगा।[5] भारत मुख्य भूमि की अनेक जनजातियों एवं अण्डमान–निकोबार द्वीप की कुछ जनजातियों के सम्बन्ध में यह प्रयास हुआ। लेकिन अब इसके लाभ कम एवं हानि ज्यादा दिखाई पड़ रही है। क्योंकि गैर जनजातीय लोग इनका सामाजिक–आर्थिक शोषण करने लगें हैं।

चौथा विकास उपागम जनजातियों को देश की मुख्य विकास धारा से जोड़ने पर बल देता है। इसके अर्न्तगत जनजातियों को सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया से जोड़ने हेतु जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का समुचित प्रावधान करना आवश्यक है।[6] एतदर्थ इन क्षेत्रों में अल्पकालिक एवं

दीर्घकालिक नियोजन द्वारा मार्गों का निर्माण, विद्यालय एवं कालेज, अस्पताल, लोक संस्थाएँ, छोटा बाजार आदि की स्थापना करना उपयुक्त एवं लाभकरी कदम माना गया है। लेकिन जिन जनजातीय क्षेत्रों में ये सुविधाएं प्रदान की गयी हैं, उन जनजातियों को न तो इसका लाभ ही मिल सका है और न ही उनकी समस्याओं का समाधान ही हुआ हैं। बल्कि इससे कुछ नई समस्याए उत्पन्न हो गयी है।

सामाजिक अभियांत्रिकी उपागम के अर्न्तगत जनजातीय क्षेत्रों हेतु उनकी सामाजिक–राजनैतिक इच्छाओं की संतुष्टि एवं विकास तथा उनके सामाजिक उन्नयन हेतु ऐसे संतुलित कार्यक्रमों के निर्माण पर बल दिया जाता है, जिससे कि उस क्षेत्र के जनजातीय एवं गैर जनजातीय दोनों मानव वर्गों का सम्यक विकास हो तथा उन दोनों में कोई विरोधाभास या प्रतियोगिता न विकसित हो।

खण्ड –अ

जनजातीय विकास विवरण :

भारतीय जनजातियों के विकास हेतु स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक प्रयास किए गए, जिनमें मुख्य हैं–(1) विशेष बहुउद्वेश्यीय जनजातीय विकास खण्ड (2) जनजातीय विकास खण्ड (3) जनजातीय उपयोजना एवं (4) वृहद–स्तरीय बहुउद्वेश्यीय समितियाँ। अण्डमान–निकोबार द्वीपों में विविध जनजातियों के विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन जनजातीय उप–योजना द्वारा सम्पादित होता है। भारत सरकार ने आदिम जनजातियों के कल्याण हेतु पोर्टब्लेयर में एक स्वायत्तशासी संस्था, जिसे अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति कहतें हैं, की स्थापना किया है। इस प्रकार अण्डमान एवं निकोबार द्वीप की जनजातियों से सम्बन्धित विकास कार्यक्रमों एवं कल्याण योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन, जनजातीय उप–योजना एवं अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा किया जाता है। इन दोनों संस्थाओं द्वारा किए गए विकास कार्यक्रमों का संक्षिप्त मूल्यांकन निम्न है।

(1) जनजातीय उप–योजना :

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में विविध जनजातीय क्षेत्रों एवं वर्गों की विशिष्ट समस्याओं पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया । घनी आबादी एवं विरल आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं में अन्तर होने के कारण उनके लिए अलग प्रकार की योजना बनाने का सुझाव दिया गया और इसी के अर्न्तगत पाँचवी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप–योजना को संचालित किया गया। इसके अर्न्तगत 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों तथा विरल जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों हेतु योजना लक्ष्यों एवं योजना नीतियों में वांछित परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया। आदिम जनजाति वाले क्षेत्रों को विशिष्ट वर्ग में रखा गया तथा इनके लिए अलग प्रकार की योजना का प्रावधान किया गया है। उप–योजना के अर्न्तगत प्रत्येक राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में विविध प्रकार की अनेक परियोजनाएं संचालित की गयी। इन सभी को संयुक्त रूप से समन्वित जनजातीय परियोजना की संज्ञा दी गयी।[7] जनजातीय उप–योजना के दो दीर्घकालिक उद्‌देश्य थे – (1) जनजातीय क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों के विकास स्तर के अन्तराल को धीरे–धीरे न्यूनतम करना तथा (2) जनजातीय समुदायों के जीवन में गुणात्मक सुधार करना।

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की आदिम जनजातियों वाले क्षेत्रों को विशिष्ट वर्ग में रखा गया तथा छठवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक विविध क्षेत्रों से सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु समय–समय पर राज्य योजना व्यय से जनजातीय उपयोजना हेतु भी धन आवंटित किया गया। जनजातीय उप–योजना के दो प्रमुख कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए –(1) सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्रों का सामाजिक–आर्थिक विकास तथा (2) जनजातीय परिवारों का विकास। उपरोक्त के संदर्भ में नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में अण्डमान–निकोबार के सम्पूर्ण योजना व्यय (रू0 153500 लाख) में से रू0 21364.5 लाख (13.9%) जनजातीय उप–योजना के अर्न्तगत विविध परियोजनाओं हेतु निर्धारित किया गया। वर्ष 2001–2002 हेतु निर्धारित इस केन्द्रशासित प्रदेश के

सम्पूर्ण योजना व्यय (रू0 3700 लाख) का 7.2% (रू0 204.4 लाख) वार्षिक जनजातीय उप–योजना 2001–2002 हेतु निर्धारित किया गया। इसी प्रकार जनजातीय विकास हेतु वार्षिक उप–योजना 2001–2002 के अर्न्तगत भारत सरकार के विशिष्ट केन्द्रीय सहायता कोष से रू0 77.23 लाख अवन्टित किया गया।[8] इस कोष से नवीं पंचवर्षीय योजना काल मे जनजातीय उप–योजना हेतु लगभग रू0 497 लाख आवन्टित किया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में जनजातीय उप–योजना के अर्न्तगत विविध परियोजनाओं में निर्धारित किये गए वित्तीय व्यय का स्पष्ट विवरण सारणी संख्या 6.1 में प्रदर्शित है। इस सारणी में वर्ष 2001–2002 का वित्तीय लक्ष्य भी दिया गया है।

सारणी संख्या 6.1

वित्तीय व्ययः नवीं पंचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (1997–2002) हेतु प्रस्ताव

विकास कार्यक्रम	नवीं योजना 1997–2002 हेतु प्रस्ताव	वर्षिक जनजातीय उपयोजना 2001–2002 वास्तविक खर्च						
	सम्पूर्ण राज्य योजना व्यय	जनजातीय उपयोजना का अंश	%	विशिष्ट केन्द्रीय सहायता	सम्पूर्ण राज्य योजना व्यय	जनजातीय उपयोजना का अंश	%	विशिष्ट केन्द्रीय सहायता
कृषि एवं सम्बन्धित सेवाए फसल कृषि	450.00				181.00			–
मृदा एवं जल संरक्षण	116.00	150.00	12.71	33.50	175.00	25.00	7.02	7.00
पशुपालन	3880.00	311.49	13.08	20.85	335.00	53.85	16.07	2.50
दुग्ध विकास	900.00							–
मत्स्यायन	2160.05	327.88	15.17		360.00	31.30	8.69	–
वन एवं जीव जन्तु	6099.95	325.30	5.33		1190.00	57.13	4.80	–
सहकारिता	595.00	166.00	28.90		190.00	45.00	23.68	–
योग (1)	13765.00	1280.67	9.30	54.35	2431.00	212.28	8.37	9.50
ऊर्जा	15000.00	479.620	3.10		3317.00	603.34	18.18	–
ग्राम्य एवं लघुस्तरीय उद्योंग	3800	209.30	5.50	5.00	800.00	14.15	1.76	1.00

परिवहन बन्दरगाह एवं प्रकाश स्तम्भ	4100.00	402.87	9.82		900.00	112.75	12.52	–
जल परिवहन	39315.00	12643.50	32.15		4800.00	464.00	9.66	–
सड़क एवं पुल	7980.00	400.00	5.01		5675.00	185.00	3.25	–
नागरिक उड्डयन	2821.00				1900.00			–
सड़क परिवहन	820.00	95.00	11.58		292.00	40.00	14.04	–
	55036.00	13541.37	24.60		13567.00	802.75		–

स्रोत :– नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति :

इस स्वायत्तशासी संस्था की स्थापना भारत सरकार द्वारा अण्डमान निकोबार द्वीप की आदिम जनजातियों के विकास हेतु की गयी थी। यह संस्था सीधे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा इसका केन्द्रीय कार्यालय पोर्टब्लेयर में स्थित है। जहाँ से यह आदिम जनजातियों से सम्बन्धित विविध कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, संचालन एवं निरीक्षण करती है। इस संस्था के अर्न्तगत नवीं पंचवर्षीय योजना काल (1997–2002) में जनजातीय विकास हेतु रू0 496.95 लाख आवंटित किया गया, जिसमें वर्ष 2000–2001 हेतु रू0 82.4 लाख, तथा वर्ष 2001–2002 हेतु रूपया 113 लाख निर्धारित किया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना का इस संस्था द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय व्यय पाँच आदिम जनजातियों– शोम्पेन, ओंगी, ग्रेट अण्डमानी, जारवा एवं सेंटिनली के विकास से सम्बन्धित विविध परियोजनाओं पर किया जाना था। इस संस्था के वित्तीय व्यय के विविध जनजातियों एवं विविध क्रियाकलापों हेतु धन के आवंटन का विवरण सारणी संख्या 6.2 में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक वित्तीय व्यय रू0 138 लाख का लक्ष्य ओंगी जनजाति के कल्याणार्थ, तथा सबसे कम (रू0 58.4 लाख) जारवा एवं सेन्टिनली आदिम जनजाति के कल्याणार्थ निर्धारित किया गया। इसी प्रकार निर्माण कार्य हेतु रू0 33 लाख, स्थापना हेतु 32.4 लाख तथा अन्य कार्यो हेतु रू0 39 लाख के व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

सारणी संख्या 6.2

अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा जनजातियों के विकास हेतु धन आवन्टन का विवरण

क्र0 सं0	परियोजना	9वीं योजना 1997–2002	वर्षिक योजना 2000–2001	वर्षिक योजना 01–02			
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य		खर्च	
1–	शोम्पेनों के लिए कल्याण कार्यक्रम	84.05	10.05	17.00	A	प्रतिष्ठान	32.40
2–	ओंगी के लिए कल्याण कार्यक्रम	138.00	24.50	25.95	B	इमारत	33.00
3–	ग्रेट अण्डमानियों के लिए कल्याण कार्यक्रम	83.40	14.10	13.25	C	अनुदान	00.00
4–	जारवा एवं सेन्टिनली के लिए कल्याण कार्यक्रम	58.40	13.05	31.60	D	मशीन एवं फर्नीचर	8.50
5–	ए0ए0 जे0वी0 एस0 के रख रखाव पर खर्च	133.10	21.15	25.20	E	अन्य	39.10
	योग	496.95	82.85	113.00			

स्रोत : नवी पंचवर्षीय आदिवासी उपन्योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

जनजातियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख क्रिया कलाप :

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों के विकास हेतु जनजातीय उप–योजना एवं अंण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति के अर्न्तगत अनेक प्रकार के सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख कार्यो का संक्षिप्त उल्लेख निम्न है।

1. पुनर्वास कार्यक्रम :

अण्डमान–निकोबार द्वीप की विविध जनजातियों के संतुलित विकास हेतु प्रशासन ने विविध जनजातीय समूहों को अपने मूल क्षेत्रों से दूर किसी दूसरें जंगली एवं पर्वतीय प्रदेशों में फिर से बसाने का कार्यक्रम संचालित किया। इसका मुख्य उद्देश्य पड़ोसी विभिन्न जनजातियों को एक दूसरे से पृथक करना तथा उनके मुक्त विकास हेतु एक अलग एवं मुक्त क्षेत्र प्रदान करना था,

जिससे पड़ोसी जनजातियों में संघर्ष एवं झगड़े न हों तथा उन्हे अलग–अलग क्षेत्रों में जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके। इस नीति के क्रियान्वयन के रूप में ग्रेट अण्डमानी जनजाति को दक्षिण अण्डमान से विस्थापित कर स्ट्रेट द्वीप पर पुनर्वासित किया गया तथा ओंगी जनजाति के लोगों को लिटिल अण्डमान में दो वर्गों में विभाजित कर डिगांगक्रीक एवं साउथ बे क्षेत्रों में बसाया गया। इसी प्रकार कुछ पिछड़े निकोबारियों को निकोबार द्वीप से हटाकर लिटल अण्डमान के हरमिंदर बे क्षेत्र में बसाया गया। इस प्रकार ये जनजातियाँ नए क्षेत्रों एवं पर्यावरण में जीवन निर्वाह हेतु कठिनाई महसूस कर रही हैं। श्रीवास्तव[9] के अनुसार स्ट्रेट द्वीप में ग्रेट अण्डमानी जनजाति आज तक भी बदली हुई परिस्थिति एवं पर्यावरण से अपने को पूर्ण समायोजित नही कर पायी है तथा उस पर प्रशासकों द्वारा एक परजीवी जीवन शैली अनावश्यक रूप से थोपी जा रही है। अपने मूल स्थान को छोड़ने तथा नए क्षेत्र में प्रवेश करने से उन्हे खान–पान सम्बन्धी विविध प्रकार के जीव–जन्तुओं एवं वनोत्पादों की पूरी जानकारी भी नहीं हो पा रही हैं, जिससे उनके भरण पोषण में भी कठिनाई होती है साथ ही नए क्षेत्रों में वे नई विमारियों एवं संकटों का सामना भी करते है। टामस हेडलैण्ड[10] के अनुसार आदिम जनजातियों को अपने मूल क्षेत्र से विस्थापित करना मानवाधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौमिक घोषणा 1997 की धारा 17 का उल्लंघन है। इस प्रकार का कोई भी प्रयास मानवाधिकार का हनन माना जाता है तथा इससे आदिम जनजातियों के पूर्ण विनाश का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

2. उत्संस्करण कार्यक्रम :

जनजातीय उप–योजना एवं अण्डमान जनजातीय विकास समिति के अर्न्तगत विविध जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उन्हे अनेक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभ्य एवं सुसंस्कृत बनानें का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वे देश की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इस हेतु उन्हे स्थायी जीवन शैली, स्थायी कृषि, पशुपालन, शिक्षा आदि सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम प्रदान किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करनें

हेतु अनेक संस्थाए जैसे – प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक झोपड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, आदिबसेरा, बहुउद्देश्यीय सहकारी–समितियाँ आदि अनेक जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित की जा रही हैं। जनजातियों के परिष्करण परिवर्तन एवं उन्हें सभ्य बनाने के ये तरीके बहुत दिनों से अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी है। बल्कि इसके विपरीत इन कार्यक्रमों नें जनजातीय लोंगों कों सुस्त एवं किंकर्तव्यविमूढ़ बना दिया है। वे न तो पुरानी जीवनशैली छोड़ पा रहे हैं और न तो नई जीवन शैली अपना पा रहें हैं।

3. वनीकरण कार्यक्रम :

जनजातीय क्षेत्र विविध प्रकार की इमारती लकड़ियों एवं अनेक प्रकार के मूल्यवान वनोत्पादों से सम्पन्न हैं, जिसका विस्तृत विवेचन अध्ययाय–2 में किया जा चुका है। इन संसाधानों का दोहन एवं उपयोग करनें हेतु सरकार नें परिपक्व इमारती लकड़ियों को काटनें एवं अन्य वनोत्पादों का शोषण करने हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये हैं। अनेक स्थानों पर कई आरा मिलें स्थापित की गयी हैं। दूसरी ओर जंगली क्षेत्रों में इमारती लकड़ियों के उत्पादन हेतु नए क्षेत्रों को आरक्षित कर उनमें वनीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन क्रिया–कलापों के कारण प्रशासनिक एवं वन विभाग के अधिकारियों एवं अन्य बाहरी लोगों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश हो रहा है, जिससे उनके स्वतंत्र जीवन एवं रहन–सहन पर भारी दबाव पड़ रहा है तथा उनकी जीवन शैली भी बाहरी लोगों के संम्पर्क के माध्यम से विनष्ट हो रही है। बाहरी लोग उन्हे देते कम हैं, लेकिन उनका शोषण अधिक करतें हैं। जारवा, शोम्पेन, ग्रेट अण्डमानी, ओंगी, जनजातियाँ इससें काफी प्रभावित हुई हैं।[11]

4. आधारभूत सुविधाओं का प्रसार :

जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु जनजातीय क्षेत्रों में अनेक आधारभूत सुविधाओं जैसे–सड़क, उर्जागृह, पाठशाला, एवं अन्य प्रकार के निर्माण कराये जा रहें हैं। इनके द्वारा भी जनजातीय वर्गो एवं क्षेत्रों का जीवन एवं अस्मिता खतरें में है। जनजातीय लोग इसे अपने जीवन में

अनावश्यक बाधा एवं समस्या के रूप में देखतें हैं, और यही कारण है कि वे इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संघर्ष करतें हैं, इन क्रियाकलापों का विरोध करतें हैं तथा कभी–कभी उन्हे मार भी डालते हैं। जारवा आदिम जनजाति के क्षेत्र में अंण्डमान ट्रंक रोड के निर्माण से ऐसी समस्या उत्पन्न हो गयी हैं, तथा जारवा लोगों नें अभी तक 65 लोंगों की हत्या कर डाली है। ये लोग अधिकांशतः पूर्णिमा की रात्रि में बाहरी लोंगों के ऊपर आक्रमण कर उन्हे मार डालते हैं तथा उनके सामानों को लूट ले जाते हैं। इसीलिए शेखर सिंह आयोग की संस्तुतियों के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अण्डमान–निकोबार प्रशासन को अण्डमान ट्रंक रोड को बंद करने का निर्देश दिया है। यद्यपि अभी इस पर कार्य नहीं प्रारम्भ हुआ हैं।[12] यही स्थिति सेंटिनली जनजाति की भी है और यही कारण है कि अभी भी उनसे कोई संम्पर्क नहीं हो सका।

5. जीवनशैली सुधार कार्यक्रम :

विविध जनजातियों के रहन–सहन, खान–पान, वस्त्र, घरेलू सामान, आदि की आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। इसके अर्न्तगत उन्हें मासिक आधार पर विविध प्रकार की वस्तुएं जैसे– पावरोटी, विस्कुट, चावल, चीनी, नमक, मसाला, माचिस, तेल, चाय, काफी, वस्त्र, साबुन, तम्बाकू, गुटका, शराब आदि सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदान कि ये जाते हैं। इसका उद्देश्य उनके सम्पूर्ण जीवन–शैली को सुधारना है। लेकिन इसका उनके उपर विरोधी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि इस प्रकार के भोजन से न तो उन्हे उतनी मात्रा में पोषण मिल पाता हैं, जितना सुअर, मछली आदि के मांस से मिलता था, और न ही उनमें पहले जैसी क्रियाशीलता ही दिखाई पड़ती है। उपहार स्वरूप दी गयी वस्तुओं पर धीरे–धीरे आश्रित होने के कारण इनकी क्रियाशीलता एवं अवरोधक क्षमता धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही हैं, ये सुस्त होते जा रहें हैं तथा अपनें दैनिक शिकार एवं एकत्रण प्रक्रिया से उदासीन होने लगें हैं। साथ ही ये लोग अनेक बिमारियों के शिकार भी होनें लगें हैं। इस प्रकार जनजातियों को बैठाकर भोजन प्रदान करनें वाली योजनाए उनका भला कम कर रहीं हैं तथा उनका

विनाश ज्यादा। जनजातियों में विविध प्रकार की नशीली वस्तुओं के प्रयोग नें भी उन्हे धीरे–धीरे अक्षम बनाना शुरू कर दिया हैं।[13]

6. आर्थिक सुधार कार्यक्रम :

जनजातियों के आदिम एवं जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, संगठित एवं क्रमबद्व अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करनें हेतु जनजातीय उप–योजना एवं अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति के अर्न्तगत अनेक आर्थिक कार्यक्रम, जो उद्यान एवं सागसब्जी की कृषि, चावल की कृषि, पशुपालन एवं रोजगार से सम्बन्धित हैं, चलाए जा रहें हैं। इन कार्यक्रमों को औपचारिक आर्थिक स्वरूप प्रदान करनें हेतु इन जनजातियों को वस्तु–विनिमय के स्थान पर मुद्रा आधारित विनिमय को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निकोबारी जनजाति तो पूर्ण रूप से मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था के अर्न्तगत आ चुकी है, तथा अपने सारे क्रिया–कलाप मुद्रा आधारित विनिमय के माध्यम से करती है। सम्भवतः इसीलिए इस जनजाति ने कृषि, पशुपालन, शिक्षा, रोजगार आदि में काफी प्रगति कर ली है। परिणमस्वरूप इनकी आय में काफी वृद्वि हो गयी है तथा ये आधुनिक जीवन शैली को तेजी से अपनाने लगें हैं। इसके अलावा ग्रेट–अण्डमानी, ओंगी एवं शोम्पेन जनजातियों के लोगों को भी मुद्रा आधारित विनिमय से परिचित कराया जा रहा है। इनमें कुछ जैसे– ग्रेट अण्डमानी एवं शोम्पेन, निकोबारियों एवं अन्य बाहरी लोगों से मुद्रा लेकर अपने विविध सामान विक्रय करने लगें हैं। लेकिन अधिकांश आज भी इससे अनभिज्ञ हैं। जारवा एवं सेन्टिनली जनजाति हिंसक एवं शिकारी होनें के कारण अभी मुद्रा से परिचित नहीं हो सकी हैं। लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा विनिमय के प्रवेश से कोई लाभ दिखाई नही पड़ता, क्योंकि न तो इनके पास इतने उत्पादन एवं वस्तुएं हैं, जिसका विक्रय कर ये अच्छी मात्रा में मुद्रा अर्जित कर सकें और न ही ये इतनें शिक्षित एवं सभ्य हैं कि ये आपस में मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके। मुद्रा के सहारे बाहरी व्यापारी एवं अधिकारी मात्र इनका शोषण करते हैं। अतः जब तक ये शिक्षित एवं सभ्य नहीं हो

जाते तथा स्वयं विनिमय प्रक्रिया में मुद्रा के महत्व को नही समझनें लगते तब तक यह उनके लिए हानिकारक अधिक, और लाभकारी कम है।

7. पर्यटन प्रोत्साहन कार्यक्रम :

अण्डमान–निकोबार द्वीप अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, आकर्षक दृश्यावली एवं संसाधनों के कारण पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण रहें हैं। इन द्वीपों की इस भौगोलिक विशेषता को आर्थिक रूप से उत्पादक बनाने के लिए, तथा इस क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु वांच्छित धन अर्जित करनें के लिए भारत सरकार एवं स्थानीय प्रशासन यहाँ पर पर्यटन उद्योंग के विकास को प्रोत्साहित कर रहा हैं, परिणामस्वरूप यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही हैं। बाहरी पर्यटकों के जनजातीय क्षेत्रों में आबाध रूप से प्रवेश देने के कारण विविध जनजातीय वर्ग के मुक्त जीवन पर दबाव पड़ रहा है। साथ ही वे बाहरी लोगों से बचने के लिए आन्तरिक जंगली क्षेत्रों में सिमटते जा रहें हैं। इसके कारण उनके शिकार एवं वनोत्पादों के एकत्रण का क्षेत्र भी सीमित होता जा रहा हैं। इसके अलावा पर्यटको के माध्यम से ही बाहरी शिकारी एवं शिकारचोर भी जनजातीय क्षेत्रों में प्रविष्ट होकर जानवरों का शिकार कर लेतें हैं, जिससे जनजातियों का भोजन भी अनिश्चित एवं सीमित हो रहा हैं तथा उनका जीवन निर्वाह भी संकट में पड़ गया है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अण्डमान निकोबार द्वीप में विविध जनजातीय वर्गो के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु प्रशासन द्वारा विविध योजनाओं के अर्न्तगत जो भी कार्यक्रम संचालित किए जा रहें हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, त्रुटिपूर्ण नीतियों पर आधारित हैं, अविचारित एवं असमन्वित हैं तथा मानवतावादी दृष्टिकोण से रहित और मूल एवं अन्तिम उद्देश्यों के विपरीत हैं।

नवीं पंचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (1997–2002) में परिवार आधारित कार्यक्रमों के अर्न्तगत निकोबारी जनजाति के लोगों को विविध

क्रियाकलापों जैसे–सुअर पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, मत्स्यपालन, चारा आपूर्ति, तथा बढ़ई गीरी, लोहार गीरी, नाँव आदि बनाने सम्बन्धी यंत्र हेतु विविध मदों के अर्न्तगत वित्तीय सहायता प्रदान की गयी जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी 6.3 में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या 6.3 (अ)

नवी पंचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (1997–2000)

क्र0 सं0	कार्यक्षेत्र	धन प्रवाह	केन्द्र पोषित योजना		विशिष्ट केन्द्रीय सहायता		
		व्यय (लाख रू0 में)	जनजातीय परिवारों की संख्या	व्यय (लाख रू0में)	जनजातीय परिवारों की संख्या	व्यय (लाख रू0 में)	जनजातीय परिवारो की संख्या
1–	आइ0 आर0 डी0 पी0	–	–	27.00	450	–	–
2–	ग्रामीण विकास	–	–	–	–	199.25	5434
3–	पशुपालन	2.36	205	–	–	20.85	485
4–	मत्स्यायन	42.00	300	–	–	–	–
5–	ग्राम्य एवं लघुस्तरीय उद्योग	–	–	–	–	5.00	150
		44.36	505	27.00	450	225.10	6119

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या–6.3 ब

सहायता हेतु प्रस्तावित परिवारों की संख्या

क्र0 सं0	**कार्यक्षेत्र**	**नवीं पंचवर्षीय योजना 1997–2002**			**वार्षिक योजना 2001–2000**
1	आई0 आर0 डी0 पी0	27.00	450	–	80
2	ग्रामीण विकास	199.25	5484	37.73	1299
3	पशुपालन	23.21	690	2.10	90
4	मत्यस्यायन	42.00	300	7.45	135
5	ग्राम्य एवं लघुस्तरीय उद्योग	5.00	150	1.00	25
		296.46	7074	48.26	1629

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन पोर्टब्लेयर।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विविध मदों के अर्न्तगत वित्तीय आवन्टन, असंतुलित एवं अविचारित हैं। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में उपलब्धि, लक्ष्य से काफी दूर है। सारणी संख्या 6.3 ब में विविध मदों के अर्न्तगत लाभान्वित पारिवारों की संख्या दी गयी है, जो निकोबारी जनजाति की जनसंख्या के संदर्भ में अत्यल्प है।

अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा शोम्पेन जनजाति के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु नवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओ हेतु आवंटित वित्तीय संसाधनों का विवरण सारणी संख्या 6.4 अ एवं ब में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या 6.4 (अ)

शोम्पेनों के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु निर्धारित व्यय विवरण

	गैर आवर्ती		**वार्षिक योजना (2001–2002) (लाख रू0में)**
1	कर्मचारी आवास एवं अन्य इमारतों का रख रखाव		2.00
2	कृषि कार्य हेतु भूमिं का विकास		0.20
3	फर्नीचर एवं इन्जन डोगी का रख रखाव		0.30
4	आवर्ती		0.50
5	मेडिकल आफीसर इन्चार्ज	1	1.20
6	जनजातीय विकास अधिकारी	1	1.10
7	पलान्टेशन इन्चार्ज	1	–
8	जीप ड्राइवर	1	0.90
9	ग्रुप डी स्टाफ	4	2.00
10	अन्य		0.60

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 6.4 (ब)

शोम्पेनों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण

		1997–2002	2001–2002
1	विनिमय कार्यक्रम के अर्न्तगत चावल, वस्त्र, एवं अन्य सामानों का अनुमानित मूल्य	3.75	2.50
2	शोम्पेन हेतु आवश्यक सामानों की आपूर्ति	2.00	0.80
3	नई जीप की खरीद एवं रख रखाव	2.50	3.50
4	मत्स्यायन यंत्र की आपूर्ति	1.50	0.10
5	नारियल एवं अन्य वृक्षों का रोपड़ एवं रख–रखाव	2.50	0.30
6	विद्युत सुधार	–	1.00
		13.75	8.20

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी को देखने से स्पष्ट है कि सर्वाधिक व्यय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, आवास, फर्नीचर, गाड़ी, बिजली एवं जलापूर्ति आदि पर दिखाया गया हैं, जिसका जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही दिखाई पड़ता।

ओंगी जनजाति जो लिटिल अण्डमान के डिगांगक्रीक और साउथबे में केन्द्रित हैं, उसके सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु संचालित विविध मदों में निर्धारित वित्तीय व्यय सारणी संख्या 6.5 अ एवं ब में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या 6.5 (अ)

सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु निर्धारित ओंगियों के व्यय विवरण

गैर आवर्ती		**वार्षिक योजना (2001–2002) (लाख रू0 में)**
1 कर्मचारी आवास एवं अन्य इमारतों का रख–रखाव		5.00
2 ओंगी झोपड़ियों का निर्माण एवं रख–रखाव		5.00
योग		10.00
आवर्ती	**संख्या**	
3 मेडिकल आफीसर इन्चार्ज	1	1.20
4 सामाजिक कार्यकर्ता	1	1.30
5 प्लान्टेशन इन्चार्ज	1	0.95

6 ग्रुप डी स्टाफ	5	3.40
7 अन्य		0.50
योग		7.35
कुल योग		17.35

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 6.5 (ब)

ओंगियों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण

	1997–2002	2001–2002
1– अन्न एवं वस्त्र की आपूर्ति	20.00	6.10
2– भर्ती ओंगियों हेतु पोषण युक्त भोजन आपूर्ति	1.25	0.50
3– इन्जन डोंगी का रख–रखाव	3.00	0.10
4– ओंगी हेतु मत्स्यायन एवं कृषि यंत्र तथा व्यवसायिक शिक्षा केन्द्र	5.00	0.10
5– ओंगियों हेतु बकरी की आपूर्ति	2.50	–
6– बागानों का रख–रखाव तथा अधिवासों के पास फल एवं छायादार वृक्षारोपण	10.00	1.00
7– कार्यालय सामान	0.50	–
8– खोपरा सुखाने वाले यंत्र की आपूर्ति	1.50	–
9– शिक्षा एवं मनोरंजन का प्रावधान	5.00	0.30
10– जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार	–	0.50
	48.75	8.60

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से भी यही प्रतीत होता हैं कि सर्वाधिक विनिवेश (रू0 17.35 लाख) अधिकारियों के वेतन, सुविधाओं, अवस्थापनों एवं कार्यालयों के रख–रखाव पर करनें का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जनजातियों के वस्त्र एवं भोजन की आपूर्ति पर 20 लाख, कृषि एवं मछली पकड़ने के यंत्रों पर 5 लाख, बागानों के रख रखाव पर 10 लाख, तथा

शिक्षा एवं मनोरंजन पर 5 लाख के व्यय का प्रावधान है। यह व्यय विवरण किसी भी रूप में सुविचारित एवं संतुलित नही लगता और न ही ओंगी जनजाति के संपोषणीय विकास हेतु उचित एवं पर्याप्त मालूम पड़ता है।

स्ट्रेट द्वीप पर रहनें वाली ग्रेट अण्डमानी आदिम जनजाति हेतु प्रस्तावित व्यय विवरण (सारणी संख्या 6.6 अ एवं ब) से भी न्यूनाधिक रूप में यही निष्कर्ष निकलता है। इन्हे भी भोज्य पदार्थो, वस्त्र, यंत्र आदि की आपूर्ति हेतु सर्वाधिक व्यय दिखाया गया है, जो न तो इनके सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था को ही सुदृढ़ कर पायेगा अैर न ही इन्हे संपोषणीय विकास हेतु प्रेरित करेगा। इसके विपरीत यह इन्हे अक्रियाशील एवं अकर्मण्य बना देगा, जैसा कि शोधकर्ता ने क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान इनसे बातचीत के माध्यम से अनुभव किया।

सारणी संख्या 6.6 (अ)

ग्रेट अण्डमानियों के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु निर्धारित व्यय विवरण

क्र0 सं0	गैर आवर्ती		वार्षिक योजना (2001–2002) (लाख रू0 में)
1	जनजातियों के झोपड़ियों एवं अन्य इमारतों का रख–रखाव		1.00
2	ग्रेड अण्डमानियों के लिए दो अतिरिक्त आवासों का निर्माण		5.00
	योग		6.00
	आवर्ती	**संख्या**	
3	समाजिक कार्यकर्ता	1	1.25
4	ग्रुप डी स्टाफ	1	0.50
5	अन्य		0.25
	योग		2.00
	कुलयोग		8.00

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 6.6 (ब)

ग्रेट अण्डमानियों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण

क्र0 सं0		1997–2002	2001–2002
1	अन्न एवं वस्त्र की आपूर्ति	10.00	2.50
2	अस्पताल में भर्ती अण्डमानियों के लिए पोषण युक्त भोजन आपूर्ति	2.50	0.50
3	मत्यायन एवं कृषि यंत्र का प्रावधान	2.50	0.10
4	बागानों का रख–रखाव	5.00	0.75
5	कार्यालय सामान	0.50	–
6	शिक्षा एवं मनोरंजन का प्रावधान	1.50	0.40
7	ग्रेट अण्डमानियों को रोजगार एवं कार्य दिलाना	2.50	–
8	जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार	–	1.00
		24.50	5.25

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

इसी प्रकार जारवा एवं सेन्टिनली जनजातियों हेतु भी नवी पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत विविध मदों में अतर्कसंगत एवं असंतुलित व्यय का प्रावधान किया गया है, जो सारणी संख्या 6.7 अ एवं ब में प्रदर्शित है। सारणी से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण व्यय इन दोनों जनजातियों से सम्पर्क स्थापित करनें, अधिकारियों के वेतन आदि पर ही दिखाया गया है, जो बहुत उचित एवं तर्कसंगत प्रतीत नही होता।

सारणी संख्या 6.7 (अ)

जारवा एवं सेंन्टिनलियों के विकास का व्यय विवरण

क्र0 सं0	गैर आवर्ती		वर्षिक योजना (2001–2002)
1	एक टाइप 3 और दो टाइप 1 आवास एवं गोदाम का निर्माण		12.00
	योग		12.00 लाख रू0

	आवर्ती	संख्या	
2	जनजातीय विकास अधिकारी	1	1.10
3	प्लान्टेशन इन्चार्ज	1	1.00
4	ग्रुप डी स्टाफ	1	0.50
5	अन्य		0.20
	योग		2.80
	कुल योग		14.80

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 6.7 (ब)

जारवा एवं सेंटिनलियों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण

क्र0 सं0		1997–2002	2001–2002
1	सम्पर्क यात्रा का आयोजन तथा पोषण युक्त भोजन एवं उपहारों की आपूर्ति	10.00	8.00
2	जारवा भाषा सम्बन्धी अध्ययन का संयोजन	7.00	2.00
3	जारवा क्षेत्र में विरल बागान लगाना	2.00	0.30
4	जारवा स्वास्थ्य सेवा	–	6.30
5	गड़ियों का रख–रखाव	–	0.50
		21.00	16.80

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

इसी प्रकार सारणी संख्या 6.8 अ एवं ब में नवीं योजना में जनजातीय विकास के अर्न्तगत किये जाने वाले विविध कार्यक्रमों हेतु वांच्छित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं, कार्यालय के रख–रखाव, जल एवं बिजली आपूर्ति, कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं अन्य कार्यालय यंत्रों के व्यय का विवरण दिया गया हैं।

सारणी संख्या 6.8(अ)

जनजातीय विकास के अर्न्तगत विविध कार्यक्रमों हेतु व्यय विवरण

क्र0 सं0	गैर आवर्ती		वार्षिक योजना 01–02 (लाख रू0 में)
1	आदि बसेरा का रख–रखाव तथा अतिरिक्त कमरा का निर्माण		2.00
2	नई जीप, वैन का रख–रखाव तथा खरीद		4.00
3	कार्यालय सामानों, फर्नीचर, कम्प्यूटर की खरीद		1.00
	योग		7.00
	आवर्ती	संख्या	
4	एक्जीक्यूटिव सेकरेटरी (डेयुटशन)	1	1.20
5	विशिष्ट सहायक	1	1.25
6	एकाउन्टेन्ट	1	1.25
7	लिपिक के साथ स्ओरकीपर	1	0.75
8	डाटा संप्रेषण आपरेटर	1	0.75
9	जीप ड्राइवर	1	0.85
10	ग्रुप डी स्टाफ	5	2.50
11	सारंग	1	0.90
12	ग्रीसर / लास्कर / भण्डारी	7	4.50
13	अन्य		1.50
	योग		14.45
	कुल योग		21.45

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अंण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 6.8 (ब)

जनजातीय विकास हेतु अन्य व्यय विवरण

क्र0 सं0		1997–2002	2001–2002
1	स्टेशनरी, पुस्तको एवं अन्य सामानों की खरीद	5.00	1.00
2	जीप एवं अन्य मशीनों की मरम्मत एवं	5.00	1.00

	रख–रखाव		
3	पुस्तकों की खरीद	1.00	–
4	पौधों का अनुवंशिक अध्ययन एवं आदिम जनजातियों की प्रजातीय दवाइयाँ	6.00	–
5	उत्तसवों प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों में भागीदारी तथा अन्य सामानों की खरीद	5.00	0.75
6	जनजातीय अधिवासों में ऊर्जा खपत का भुगतान	3.00	0.50
7	आदिम जनजातियों से सम्बन्धित शोध कार्यो एवं पुस्तकों का प्रकाशन	3.00	0.50
		33.00	3.75

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

यह सम्पूर्ण धन अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति के स्वयं के विकास के लिए हैं, न कि जनजातियों के विकास के लिए। साथ ही उपरोक्त सभी व्यय विवरणों से (सारणी संख्या 6.3–6.8) यह स्पष्ट है कि अंण्डमान निकोबार की जनजातियों के विकास से सम्बन्धित नीतियों एवं वरियताओं कें निर्धारण, कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन आदि पर समुचित विचार एवं विशेषज्ञों से परामर्श नही लिया गया है। इसके अलावा जनजातीय विकास में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह कि विविध जनजातियों की संख्या एवं संस्कृति को अक्षुण बनाए रखने एवं उन्हे विकसित करनें हेतु स्वयं जनजातियों की भावनाओं को बड़े ही सावधानी पूर्वक समझना और उनके ही मनोभाव एवं आवश्यकता के अनुरूप नीति एवं कार्यक्रम बनाना। ऐसा न करनें पर इस दिशा में किए गए सारे प्रयास एवं विनिवेश निष्फल एवं अर्थहीन हो जायेंगे, तथा विकास के स्थान पर विनाश शुरू हो जायेगा जैसा कि अब अनुभव होने लगा है। सारणी संख्या 6.9, जिसमें नवी पंचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (1997–2002) में विविध जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु संचालित विविध कार्यक्रमों के लिए निर्धारित व्यय की उपलब्धियाँ प्रदर्शित की गयी हैं, के गहन अवलोकन से कुछ इसी प्रकार का निष्कर्ष निकलता है।

सारणी संख्या 6.9

भौतिक लक्ष्य : नवी जनजातीय उप–योजना (1997–2002) एवं वार्षिक योजना (2001–02) हेतु प्रस्ताव तथा उपलब्धियाँ

1997–2001

मद	इकाई	नवी योजना 97–02 लक्ष्य	उपलब्धि 97–98	उपलब्धि 98–99	उपलब्धि 99–00	उपलब्धि 00–01	वार्षिक योजना 01–02 लक्ष्य
आर्थिक सहायता प्राप्त अनु0 जन0 परिवार	संख्या	6104	1458	842	1476	755	1629
छोटे वनोत्पादों का विकास	हेक्टेयर	3.00	177	176	43.80	150	150
सामाजिक वानिकी		280	51.7	4.7	3.40	53	53
पशुपालन	संख्या	25	–	10	–	4	10
मुर्गीपालन लाभान्वित परिवार	संख्या	190	17	9	25	–	9
बतख वितरण	संख्या	25	–	–	–	5	5
सुअर वितरण	संख्या	30	–	20	33	24	23
मुर्गी आपूर्ति	संख्या	150	42	60	80	57	38
मध्यम एवं दीर्घ कालिक ऋण लाभान्वित जनजाति	संख्या	7	2	5	5	6	6
सड़क	कि0मी0	30	7.5	5	4	5	3
सामान्य शिक्षा	संख्या	5500	3362	3374	3237	3241	3300
(अ) प्राइमरी							
(ब) मिडिल	संख्या	3100	1562	1691	1790	1705	1750
(स) सेकेण्ड्री	संख्या	1500	804	893	788	830	840
(द) हायर सेकेण्ड्री	संख्या	650	201	192	184	224	230
तकनीकी शिक्षा	संख्या	26	20		–	–	–
कालेज	संख्या	–	48		–	–	–
आश्रम विद्यालय	संख्या	245	40	40	–	–	–
जलापूर्ति समस्याग्रस्त गाँव	संख्या	–	4	10	3	2	5
लोक स्वास्थ्य	संख्या						
(अ) उपकेन्द्र	संख्या	6	1	2	1	1	1

(ब) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	संख्या	1	–	1	–	–	–
(स) सामुदायिक	संख्या	1	–	–	–	–	1
(द) होमियो औषधालय	संख्या	2	–	2	–	–	–

स्रोत : नवीं पंचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

खण्ड : ब

जनजातीय विकास की समस्याए :

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ अति–प्राचीन काल से बंगाल की खाड़ी के बिखरे हुए द्वीपों के पर्वतीय एवं जंगली भागों में पृथकता में निवास करती रहीं। अपनें मौलिक क्षेत्रों में चिर काल तक रहने के कारण इन्होनें अपने पर्यावरण दशाओं एवं संसाधन आधार से पूर्ण सामन्जस्य एवं समानुकूलन स्थापित कर लिया था। इस प्रकार वे अपने–अपने क्षेत्रों में दीर्घ काल तक मुक्त रूप से खाते–पीते एवं भ्रमण करते रहें। पर्यावरण के साथ ही रहकर उन्होने अपनें सामुदायिक जीवन, रीति रिवाजों, धार्मिक क्रिया कलापों आदि का विकास भी कर लिया था। लेकिन जब से इन जनजातियों मे सुधार हेतु धर्म प्रचारकों, सरकारी विभागों, प्रशासन, एवं स्वयंसेवी संगठनों ने प्रयास शुरू किया, तब से इन जनजातीय वर्गो एवं क्षेत्रों में समस्याओं की नीव पड़ी। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार नें जनजातीय विकास हेतु विविध पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक प्रकार के सुधारवादी कार्यक्रम संचालित किए तथा पाँचवी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप–योजना संचालित किया। इसके अलावा भारत सरकार नें अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों के विकास हेतु एक स्वयात्तशासी संस्था अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति की स्थापना पोर्टब्लेयर में किया। इन संस्थाओं के माध्यम से सरकार एवं अण्डमान–निकोबार प्रशासन तथा अनेक स्वैच्छिक संगठनों नें इस क्षेत्र की जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक सुधार का बीड़ा उठाया। लेकिन जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, 55 वर्षो के योजनाबद्व कार्यक्रमों के पश्चात् भी न तो इनका पूर्ण सामाजिक–आर्थिक विकास

हो सका और न ही इनकी समस्याओं का समाधान। बल्कि अब इनकी समस्याएँ अपेक्षाकृत और बढ़ गयी हैं।

डी0 एन0 मजुमदार[14] ने सरकारी एवं वाहय प्रयासों के माध्यम से चलाए जा रहे सुधार कार्यकमों द्वारा उत्पन्न जनजातीय समस्याओं के कारणों में सरकारी नियमों, विस्थापनों, सुविधा विस्तार, शिक्षा, वाहय सम्पर्क एवं मुद्रा आधरित विनिमय को प्रमुख माना हैं। भारतीय जनजातियों के समाजिक–आर्थिक सुधार के सबसे प्रबल समर्थक ए0 वी0 ठक्कर, जिन्हे ठक्कर बापा कहा जाता है, ने मुख्य रूप से 6 जनजातीय समस्याएं –(1) अशिक्षा (2) गरीबी (3) कुस्वास्थ्य (4) अगम्यता (5) प्रशासन एवं (6) नेतृत्व का आभाव माना है। हटन[15] के अनुसार जनजातीय समस्याएं मुख्य रूप से दो कारणों सें उत्पन्न हुई हैं। ये हैं –(1) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र का प्रवेश तथा (2) जनजातियों के विकास हेतु नियोजित उपायों एवं कार्य–क्रमों का संचालन। हटन के अनुसार उपर्युक्त दोनों कारणों से जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों में मुख्यतः तीन प्रकार की समस्याए उत्पन्न हुई हैं। ये हैं– (1) जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों जैंसे–कृषक, व्यापारी, आदि के प्रवेश से जनजातीय भूमि पर अतिक्रमण (2) जीवन निर्वाह के संसाधनों का ह्रास एवं अन्य प्रकार की बुराइयाँ। तथा (3) जनजातीय संगठन का विघटन।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता हैं कि सरकार ने अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियों के विकास हेतु अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी प्रयास किए हैं उसमें सफलता कम एवं असफलता ज्यादा प्राप्त हुई हैं। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों में नए प्रकार की एवं अपेक्षाकृत अधिक भयानक सामाजिक–आर्थिक समस्याए उत्पन्न हो गयी हैं। अवराधी[16] ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीप की आदिम जनजातियों की विविध समस्याओं का उल्लेख करते हुए सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यक्रमों एवं उनके संचालन के तरीकों को इसके लिए दोषी करार दिया हैं। शोधकर्ता ने भी विविध द्वीपों में रहनें वाली जनजातियों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं तथा विकास सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण को अभिलेखित करनें का प्रयास किया है। इसके अलावा अनेक अध्यायों में किये

गए जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सम्बन्धी विश्लेषण से भी इनकी समस्याए स्पष्ट हो जाती हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शोधकर्ता ने अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियों की विविध समस्याओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करनें का प्रयास किया है, जो निम्न है।

1– विस्थापन एवं पुनर्वास :

स्वतंत्रता के पश्चात् प्रशासन ने अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों को उनके मूल स्थान से विस्थापित कर नए क्षेत्रों एवं द्वीपों में पुनरावासित करने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम के अंन्तरगत ग्रेट अण्डमानी जनजाति को दक्षिणी अण्डमान से विस्थापित कर स्ट्रेट द्वीप मे, ओंगी जनजाति को विस्थापित कर डिगांगक्रीक एवं साउथबे में तथा कुछ निकोबारी जनजाति को लिटिल अण्डमान के हरमिन्दर बे में पुनर्वासित किया गया है। इस विस्थापन के कारण सम्बन्धित जनजातियों को नए क्षेत्रों एवं पर्यावरण में सामन्जस्य स्थापित करनें में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। संसाधन आधार बदलने से भी उनका जीवन निर्वाह भी खतरें में है। इसके अलावा क्षेत्रीयता, अखण्डता, एवं संप्रभुता सम्बन्धी उनकी संकल्पना भी ध्वस्त हो गयी है, और वे अपने को पराया एवं ठगा हुआ महसूस कर रहें हैं।

2– पारिवारिक एवं सामुदायिक विखण्डन :

अपने मौलिक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों एवं द्वीपों में विस्थापन के कारण इन जनजातियों के परिवार एवं समुदाय भी नए क्षेत्रों में बिखर जाते हैं। अन्य परिवारों एवं समुदायों के साथ इनका सही तालमेंल एवं सामन्जस्य नही स्थापित हो पाता, जिससे ये भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। अनेक ग्रेट अण्डमानी एवं ओंगी परिवारो में शोधकर्ता ने यह भावना पायीं।

3– अतिक्रमण एवं शोषण :

आधारभूत सुविधाओं जैसे–सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सहकारी समितियाँ आदि तथा विस्तृत बागानों एवं कृषि विस्तार के कारण

जनजातीय क्षेत्रों में लगातार अतिक्रमण हो रहा हैं, तथा उपरोक्त क्रिया–कलापों से सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, पर्यटक आदि इन जनजातियो का शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर रहें हैं। शिकार एवं सुरक्षा हेतु रखे गए अग्नेयास्त्रों एवं विस्फोटो के माध्यम से ये जनजातियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। जिससे वे भयभीत होकर आन्तरिक जंगली क्षेत्रों में सीमित होते जा रहें हैं। कुछ जनजातियाँ प्रतिक्रिया स्वरूप इन अधिकारियों, व्यापरियों एवं पर्यटकों पर कभी–कभी हिंसक आक्रमण कर उनकों मार भी डालती हैं। जारवा एवं सेंटिनली जनजाति इसके ज्वलंन्त उदाहरण हैं। इन जनजातियों नें अपने–अपने क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों को मार कर उनका सामान लूट लिया है। आज तक जनजातियों एवं बाहरी लोगों में सामजस्य स्थापित नही हो पाया है।

4– अधिवास्य संकुचन :

जनजातीय क्षेत्रों में वाह्य अतिक्रमण के कारण उनका अधिवास्य संकुचित एवं सीमित होता जा रहा है। कृषि विस्तार, बागानों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के प्रसार के कारण उनके रहन–सहन का क्षेत्र काफी छोटा एवं सीमित होता जा रहा है, जिससे वे मुक्त रूप से भ्रमण एवं जीवन निर्वाह नही कर पा रहें हैं, और उनकी जनसंख्या में तेजी से कमी भी आ रही है। उदाहरण स्वरूप दक्षिणी एवं मध्य अण्डमान में जारवा जनजातीय क्षेत्र एवं ग्रेट निकोबार में शोम्पेन क्षेत्र काफी संकुचित एवं सीमित हो चुके हैं।

5– ह्रासोन्मुख संसाधन :

बाहरी अतिक्रमण, जंगलों की कटाई एवं शिकार के कारण जनजातियों के जीवन निर्वाह सम्बन्धी संसाधन जैसे– जंगली जानवर, समुद्री जीव एवं मछलियाँ तथा अनेक प्रकार के वनोत्पाद तेजी से नष्ट एवं लुप्त होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप इन जनजातियों के दैनिक अहार में काफी कमी आने लगी है। यद्यपि सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से इन्हे मासिक आधार पर अनेक प्रकार की खाद्य सामाग्री की आपूर्ति करती हैं, लेकिन वह

अत्यल्प है। इससे इनका पूरा भरण–पोषण नहीं हो पाता है। लगभग सभी जनजातियाँ इसका शिकार है।

6– घटती अवरोधक क्षमता एवं क्रियाशीलता :

अतिक्रमण, अधिवास्य, संकुचन एवं ह्रासोन्मुख संसाधनों के कारण जंगली जीवों, मछलियों एवं अन्य वनीय उत्पादों में तीव्रता के साथ कमी आयी है। परिणामस्वरूप इनके भोजन की मात्रा एवं पोषण तत्वों में भी तेजी से हास हुआ है। सहकारी समितियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थो जैसे– पावरोटी, विस्कुट, चाय, चावल, तम्बाकू आदि में संयुक्त रुप से इतने पोषक तत्व नहीं होते, जितने सुअर या मछली के मांस मे। अत : निरन्तर पोषक तत्वों की कमी के कारण इनकी अवरोधक क्षमता एवं क्रियाशीलता धीरे–धीरे कम होती जा रही है। अनेक ओंगी, जारवा, ग्रेट अण्डमानी, एवं शोम्पेन जनजातियों के लोग अब जंगलो एवं समुद्रो में काफी दूर एवं लम्बे समय तक शिकार करते नही देखे जाते तथा वे अपनी झोपड़ियों के पास बैठे सरकारी सहायता का इन्तजार करते रहते हैं।

7– स्वास्थ्य समस्याएं एवं बिमारियाँ :

कुपोषण एवं घटती अवरोधक क्षमता के कारण अब उनमें अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याए एवं बिमारियाँ भी उत्पन्न होनें लगी हैं। बाहरी लोंगों के बढ़ते सम्पर्क से अब उनमें नई–नई बिमारियाँ संक्रमित हो रही हैं। वर्तमान समय में ओंगी, ग्रेट अण्डमानी तथा जारवा लोंगो में अनेक पुरूष एवं महिलाएँ काफी कमजोर शिथिल एवं बिमारियो से युक्त देखे जा सकते हैं। बच्चे एवं महिलाए कुपोषण के सर्वाधिक शिकार हैं, यहाँ के जनजातियों में मलेरिया, डायरिया, एनीमिया, चेचक, क्षयरोग, स्वास सम्बन्धी बिमारी, उदर विकार, कालरा आदि प्रमुख रूप से पायी जाती हैं।

8– ह्रासोन्मुख जनसंख्या :

कुपोषण एवं अनेक प्रकार की बिमारियों के कारण यहाँ की जनजातियों में धीरे–धीरे अवरोधक क्षमता कम होती जा रही है।

परिणामस्वरूप ये शीध्र ही अनेक विमारियों के शिकार हो जाते हैं। बच्चे एवं महिलाएँ सर्वाधिक प्रभावित हैं। इससे इन जनजातियों की मृत्युदर काफी बढ़ गयी हैं, जिससे जनसंख्या में तेजी के साथ गिरावट आ रही है। लगभग सभी जनजातियों की जनसंख्या में पिछले 30–40 वर्षों में निराशाजनक गिरावट आयी है। कुछ जनजातियों जैसे–ग्रेट अण्डमानी सेंटिनली, ओंगी, एवं जारवा की जनसंख्या में पिछले 3–4 दशकों में अनेक विकास कार्यक्रमों के बावजूद काफी गिरावट आयी हैं, जो प्रशासन, मानवशात्रियों, समाजशास्त्रियों आदि के लिए चिन्ता का विषय बन गया हैं।

9– मानव प्रजातियों का विनाश :

अण्डमान निकोबार द्वीपों में प्रमुख रूप से दो मानव प्रजातियों–नेग्रिटो, एवं मंगोलायड से सम्बन्धित जनजातियाँ पायी जाती हैं। ग्रेट अण्डमानी, ओगी, जारवा, एवं सेंटिनली नेग्रिटो प्रजाति की हैं जबकि निकोबारी एवं शोम्पेन जनजाति के लोग मंगोलायड प्रजाति से सम्बन्धित हैं। उपरोक्त कारणों की वजह से ओंगी, ग्रेट अण्डमानी सेंटिनली एवं शोम्पेन जनजातियों की जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ घट रही हैं। मात्र निकोबारी जनजाति की जनसंख्या में ही वृद्वि हुई है। इसका कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक सुदृढ़ता हैं। अन्य आदिम जनजातियों की जनसंख्या इतनी कम हो गयी हैं कि उनके विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। नेग्रिटो एवं मंगोलायड प्रजाति की ये जनजातियाँ दक्षिणी–पूर्वी एशिया की एक विशिष्ट धरोहर हैं। इनकी जनसंख्या में तीव्र गिरावट के कारण इनके विनाश का खतरा उत्न्न हो गया है। यदि इन्हें सावधानी पूर्वक एक सुनियोजित ढंग से परिरक्षित न किया गया तो भारत की मानव प्रजाति सम्बन्धी यह विशिष्टता नष्ट हो जायेगी।

10– सांस्कृतिक विशिष्टता का ह्रास :

अण्डमान–निकाबार द्वीप की जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं सामाजिक संगठन है, जो सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति के मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखती है। यह उसे अनेकता एवं विविधता प्रदान

करनें में अमूल्य सहयोग करती हैं। यहाँ की आदिम जनजातियाँ आदिम पाषाणकालीन मानव सभ्यता एवं संस्कृति की अंतिम प्रतीक एवं अवशेष हैं, जिनके अध्यायन एवं शोध से मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री आधुनिक मानव के आदिम पूर्वजों एवं उनकी विविध विकास अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये जनजातियाँ मानव–ज्ञान की अमूल्य निधि हैं। यदि इन जनजातियों का विनाश होता है, तो उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता भी उन्ही के साथ समाप्त हो जायेगी। अतः भारत सरकार एवं सम्पूर्ण मानव जाति का यह दायित्व है कि विविध पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में सिमटी हुई इन विशिष्ट संस्कृतियों की सम्पूर्ण सुरक्षा करें, जिससे सम्पूर्ण मानवता की विविधता एवं विशिष्टता की रक्षा हो सके।

संदर्भ सूची

1. Husnain, N.1991: Tribal India Today, Harnam Publications, New Delhi, P. 95.
2. Guha, B.S. 1938: The Racial Elements of India, Popular Prakashan, Mumbai. P.P. 15-16.
3. Mishra, B.N. & Shukla, V. 1991:Tribal Development in India, in Tribal scene in Jharkhand, A.Bhushan et.al.(eds.) Novelty & Co. Patna, P.P. 26-27.
4. Elevin, V. 1939: the Baiga, John Murray, London, P. 82.
5. Hasnain, N. 1991: op. Cit P. 98
6. Pandeya, B.N. 1999: profiles of Tribal Population & its development strategy in the Tribal scene in Jharkhand, A.Bhushan et.al.(eds.) Novelty & Co. Patna, P. 15
7. Hasnain, N. 1991: Op. Cit. P. 211
8. Ninth Five Year Tribal Sub-Plan 1997-2002 Andaman and Nicobar Administration, Port Blair, P.1.
9. Srivastava, P.K. 1999: Tribal Development: Field-Notes Andaman Island's Kolkata, P.346.
10. Headland, T.N.1999: South East Asian Negritos, Program in Linguistics, University of Taxas, Arlington.
11. Awaradi, S.A. 1990: Non Autochthons Problem of the Jarwa, Master-Plan, Andaman & Nicobar Administration, P. 163.
12. Awaradi, S.A. 1990: Jarwa Problems of Non -Autochthons, Master-Plan A & N Administration, P. P. 151-156
13. Mishra, B.N. & Shukla, V. 1999: op.cit. P.P.25-26.
14. Majumdar, D. N. 1968:An Introduction to Social Anthropology, Asia Publishing House, Mumbai, P. 256.
15. Hutton, J.N. 1951: Scheduled Tribes in India, Macmillan, London, P.197.
16. Awardi, S.A. 1990: Master-Plan, op.cit. P.P. 260-262

अध्याय – 7

जनजातीय विकास हेतु नियोजन :

भारत एवं विश्व के अनेक बडी जनसंख्या वाली जनजातियों के विकास सम्बन्धी अनुभवों के आधार पर इन विद्वानों के विचारों को दो वर्गों में रखा जा सकता है–

(1) स्वांगीकरण संप्रदाय एवं (2) पृथक्करण सम्प्रदाय । पूर्ण रूप से पृथक जनजातीय सम्प्रदाय संभवतः अब दुर्लभ ही हैं, लेकिन अर्धपृथक जनजातीय सम्प्रदाय भारत एवं विश्व के अन्य भागों में देखनें को मिलतें हैं। इनमें अण्डमान निकोबार द्वीप की जारवा, सेंटिनली, ओंगी, आदि जनजातियाँ मुख्य हैं ।

इस विचारधारा वाले विद्वानों का मत है, कि जनजातियों को उनके मूल क्षेत्र में ही सीमित रखना चाहिये तथा वाह्य जगत से उनका कोई सम्पर्क स्थापित नहीं होंने देना चाहिये। इससे उनकी जनसंख्या एवं संस्कृति की रक्षा हो सकेगी। यह अवधारणा विविध जनजातियों के बाहरी लोंगों द्वारा किए शोषण पर आधारित है। लेकिन यह उचित एवं मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं हैं। अतः इसे अधिकांश लोंगों ने अस्वीकृत कर दिया है।

स्वांगीकरण संप्रदाय के विद्वानों का मत है कि विविध क्षेत्रों में निवास करनें वाली जनजातियों से धीरे–धीरे सामन्जस्य स्थापित कर विविध सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों द्वारा मानवतावादी उपागम के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिये। इस दिशा में भारत में विविध जनजातियों को विकसित करने हेतु अनेक सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम संचालित किए गए तथा इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोंगों का प्रवेश हुआ। बाहरी लोगों द्वारा जनजातियों का शोषण

प्रारम्भ हो गया जिससे वे भयभीत होकर आन्तरिक क्षेत्रें की ओर सिमटते गए। अनेक क्षेत्रों में जनजातीय लोगों ने बाहरी लोगों पर आक्रमण भी किये, जिससे अनेक लोग मारे गये। इसका मूलकारण विकास कार्यक्रमों में मानवतावादी दृष्टिकोण एवं संवेदनशीलता का अभाव रहा है। इसीलिए इन कार्यक्रमों से जनजातीय सम्प्रदायो को लाभ की अपेक्षा नुकसान ज्यादा हुआ ।

स्वतंत्रता के पश्चात जनजातीय विकास की दिशा का संकेत करते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें जनजातीय विकास प्रक्रिया को न तो श्रेष्ठता एवं अहंकार के साथ संचालित करना चाहिए और न ही उन्हें बल पूर्वक यह बताना चाहिए कि वे क्या करें और क्या न करें। हमें किसी भी रूप में उन्हें द्वितीय स्तर का मानव नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार तत्तकालीन गृहमंत्री पं0 गोविन्द बल्लभ पंत ने भी कहा कि जनजातियों को अपनी संस्कृति के विकास में सहयोग करना चाहिए, जिससे वे देश की सांस्कृतिक समृद्वि में अपना योगदान कर सकें। उन्हें अनावश्यक रूप से अपनी परम्पराएँ, आदतें, एवं रहन–सहन को परिवर्तित करनें हेतु प्रेरित करना अनुपयोगी सिद्व होगा। के0 एश0 सिंह ने भी पंडित नेहरू के विचारों का समर्थन करते हुए कहा है कि विकास के नाम पर जनजातीय क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उन पर बल पूर्वक शासन करना एक घातक कदम होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्हे पूर्ण पृथक एवं आदिम स्थिति में छोड़ दिया जाय। बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि जनजातीय विकास बड़ी सावधानी पूर्वक मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर सहज रूप में धीमी प्रक्रिया द्वारा संचालित होनें चाहिए, जिससे जनजाातीय लोग दूर भागनें के बजाय कार्यक्रमों से पुनः जुड़ने का मन बनायें।[1]

डा0 मिश्र[2] के अनुसार अण्डमान एवं निकोबार की जनजातियों के सुनियोजित विकास की पॉच मुख्य समस्याये हैं

---(1) मनोवैज्ञानिक भय एवं दबाव, (2) लिपिबद्ध भाषा का अभाव, (3) साक्षरता का अभाव, (4) अन्तर वैयक्तिक संप्रेषण में कठिनाई एवं (5) प्रक्रिया–प्रतिक्रिया सम्बन्ध का अभाव। उपरोक्त कारणों से जनजातीय विकास हेतु सीधा प्रयास भय एवं दवाव उत्पन्न करनें वाला हो सकता है। अतः आदिम जनजातीय क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करना ही तर्कसंगत एवं समीचीन मालूम पड़ता है। अर्थात् यह विकास प्रक्रिया जनजातीय लोगों द्वारा जनजातीय लोगों के लिए एवं जनजातीय लोगों की ही हो तथा उसमें इनकी पूर्ण लोकतान्त्रिक भागेदारी हो। यह ऐसी प्रक्रिया हो जिससे इन पर न्यूनतम मानसिक एवं सामाजिक दबाव हो तथा कार्यक्रमों में इनकी अधिकतम भागेदारी हो। विकास प्रक्रिया इतनी सावधानी पूर्वक संचालित हो, जिससे कि वे भयभीत न हों, बल्कि वे धीरे–धीरे अपनें परिवार एवं वर्ग के साथ कार्यक्रमों से जुड़ें। साथ ही उनके पर्यावरण, संसाधन, एवं समुदाय यथावत बने रहें। इस प्रकार सम्पूर्ण जनजातीय विकास प्रकिया हेतु एक पृथक एवं विशिष्ट प्रकार की नीति, जो तकनीकी कम एवं मानवतावादी ज्यादा हो, के निर्माण की आवश्यकता है।

विकास नीतिः

जनजातीय विकास के विविध पहलुओं से सम्बन्धित मुख्य नीतिगत तत्वों के निर्धारण में मानव–शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों एवं भूगोलवेत्ताओं का सहयोग न होने के कारण जनजातीय विकास सम्बन्धी समस्याओं के मानवीय पक्ष को पूर्ण रूप से नजर अन्दाज कर दिया गया। "विकास" शब्द की व्याख्या एक आर्थिक संकलपना मान कर अर्थशास्त्रीय आधार पर की गयी। अर्थशास्त्री अपना विश्लेषण कुछ निर्धारित चरों जैसे विविध वस्तुओं के उपयोग, प्रतिव्यक्ति आय वितरण, बेरोजगारी, भोज्य पदार्थो का पोषण स्तर आदि से सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर करते हैं। वे मानव विकास के

गुणात्मक पक्ष पर ध्यान नहीं देते और इसीलिए जनजातीय विकास प्रक्रिया में नौ–पंचवर्षीय योजनाओं के प्रयास के बावजूद भी संतोष–जनक सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है।

बेल्शा[3] के अनुसार विकास एक संगठित सामाजिक क्रिया कलाप है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनजातियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा उन्हें मनोवैानिक आधार पर नए कौशल, दृष्टिकोण एवं जीवनशैली को स्वीकार करनें हेतु प्रेरित करना है, जिससे कि वे अपनी आन्तरिक सुदृढ़ता मजबूत कर सकें, नई परिस्थिति हेतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं का स्वतः उपयोग कर सकें तथा नए कार्यक्रमों का उपयोग कर उच्चस्तरीय जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। इस दृष्टिकोण के आधार पर विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो लोगों के सभी आवश्यक क्षेत्रों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानवीय, का संतुलित विकास एवं प्रगति सुनिश्चित करती है। इस प्रक्रिया में स्थानीय एवं राष्ट्रीय विकास स्तरों तथा विश्व विकास परिदृश्य के सार्थक सम्बन्धों को स्थापित करनें पर भी बल देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक किसी मानव समुदाय के भौतिक पर्यावरण एवं सामाजिक–सांस्कृतिक आधारों का सम्यक ज्ञान न हो, तब तक उनके सम्बन्ध में सार्थक विकास परियोजना बनाना कठिन कार्य है।[4]

विद्यार्थी[5] के अनुसार विकास का तात्पर्य वृद्धि+परिवर्तन है। इसके अर्न्तगत भौतिक एवं मानवीय दोनों कारक सम्मिलित है। अर्थशास्त्रीय दृष्किोण की आलोचना करते हुये वे कहतें हैं कि कुछ सांख्यिकीय सूचकों जैसे–वृद्वि दर, प्रतिव्यक्ति एवं राष्ट्रीय आय आदि के आधार पर जीवन की गुणवत्ता का मापन करना अपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है। मानवीय तत्वों से हीन यह यांत्रिक संकल्पना मानव समाज के विकास हेतु ग्राहय नहीं है। अतः विकास की संकल्पना के अर्न्तगत मानव समुदाय विशेष के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्यक

समावेश होना आवश्यक है। इस प्रकार समाजिक विज्ञानियों हेतु जनजातीय विकास का तात्पर्य –

(1) एक ऐसे आन्दोलन से है, जो संगठनात्मक संरचना का निर्माण कर सके,

(2) एक ऐसे कार्यक्रम से है, जो प्रत्यक्ष मानवीय क्रिया कलापों से सम्बन्धित हों,

(3) एक ऐसे विधितंत्र से है, जो प्राप्य लक्ष्यों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता हों,

(4) एक ऐसी प्रक्रिया से है जो लोगों के मात्र आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि से नहीं, बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक विकास से भी जुड़ी हो तथा,

(5) नई विकसित तकनीकियों एवं विधियों के संस्थाकरण से है जो जनजातीय समुदाय के पारम्परिक स्वरूप को विनष्ट किए बिना ही नए सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न कर सके।

भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू ने भी जनजातीय विकास एवं नियोजन नीति के सम्बन्ध में निम्नलिखित पाँच दिशा निर्देश दिये थे जो निम्न है –

(1) जनजातीय लोगों को अपनी बौद्विक क्षमता के अनुसार ही विकसित होने का अवसर देना चाहिए तथा उपर से उन पर कोई चीज थोपना नहीं चाहिए। हमें हर ढ़ंग से उनकी पारम्परिक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करनें का प्रयास करना चाहिए।

(2) भूमि एवं जंगलों पर जनजातीय अधिकार को सुरक्षित करना चाहिए।

(3) प्रशासन एवं विकास कार्यों को सम्पन्न करने हेतु हमें उन्ही लोगों की एक टीम को दीक्षित एवं तैयार करना चाहिए। प्रारम्भ में कुछ तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में बहुत अधिक बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं देना चाहिए।

(4) जनजातीय क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रमों का संचालन एवं बलात् शासन नहीं करना चाहिए। बल्कि उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के समान्जस्य में ही कार्य करना चाहिए, न कि विरोध में।
(5) हमें विकास परिणामों को व्यय किये गए धन की मात्रा से नहीं, बल्कि विकसित हुए मानव स्वरूप एवं गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए।

उपरोक्त बिन्दुओं का तात्पर्य आदिम जनजातियों को यथा स्थिति में बनाए रखना नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में इस प्रकार सहयोग करना चाहिए जिससे कि वे अपनें मूल क्षेत्र में रहते हुए अपनी जीवन शैली को विकसित कर एक संभ्रान्त नागरिक बन सकें।

शीलू आओ समिति की आख्या[6] के अनुसार शदियों की समाजिक प्रताड़ना के कारण अधिकांश जनजातियाँ हीन भावना से ग्रसित हो गयी हैं तथा अपने में भी विश्वास खो दिया है। अतः उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने एवं विकसित करनें हेतु बहुत ही सावधानी, संतुलन एवं समय की आवश्यकता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आदिम जनजातियों के विकास सम्बन्धी नीति का निर्धारण उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में तथा उनकी मनःस्थिति के अनुकूल एवं मानवतावादी होनी चाहिए, जिससे कि वे अपनें सांस्कृतिक स्वरूप की रक्षा करते हुए धीरे–धीरे नई जीवन शैली में ढ़ल सकें और राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ सकें।

विकास योजनाः

जीवधारियों की तरह मानव समुदाय भी अपने संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न अंग होते हैं। किसी क्षेत्र के भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों कारक मिलकर वहाँ का पारिस्थितिक, एवं सांस्कृतिक तंत्र निर्मित करतें हैं। पारिस्थितिक तंत्र एवं सांस्कृतिक तंत्र

के अन्तर्सबन्ध सांस्कृतिक तन्त्र के तकनीकी स्तर द्वारा निर्धारित होतें हैं। पास्थितिक तंत्र एवं आदिम मानव समुदायों के अन्तर्सम्बन्ध सीधे एवं प्रत्यक्ष होते हैं। जो स्तम्भ सातत्यता द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जबकि विकसित एवं नगरीय मानव समुदाय के संदर्भ में ये अन्तर्सम्बन्ध परोक्ष होते हैं तथा उछाल सातत्यता द्वारा ये दूसरे से सम्बन्धित होते हैं, जैसे कि निम्न रेखा चित्र में प्रदर्शित है (Fig.7.1A)। इस प्रकार आदिम मानव समुदाय परिस्थितिक तंत्र का केन्द्रीय भाग प्रदर्शित करतें हैं, जबकि सभ्य एवं नगरीय समुदाय उसका दूरवर्ती भाग हैं। अतः पारिस्थितिक तंत्र पर यदि कोई सीधा प्रभाव या परिवर्तन डाला जाता है, तो उससे सीधे आदिम जनजातियाँ प्रभावित होती हैं। लेकिन सभ्य एवं नगरीय समुदाय पर इसका सीधा प्रभाव न होकर परोक्ष प्रभाव होता है। इसलिए आदिम जनजातियों की विकास योजना बनाते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए।

इसी प्रकार पारिस्थितिक एवं सांस्कृतिक तंत्र में किया गया सीधा एवं प्रत्यक्ष परिवर्तन जनजातियों जैसे छोटे मानव समुदायों को शीघ्र एवं सर्वाधिक प्रभावित करता है, जबकि सभ्य एवं बड़े मानव समुदायों को अति विलम्ब से एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप छोटे समुदाय को अपने आस्तित्व, पहचान एवं संस्कृति को संरक्षित करनें हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष में ही ये कभी–कभी विनष्ट भी हो जाते हैं।[7] लेकिन बड़े एवं सभ्य मानव समुदाय अपने विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से सभी परिर्वतनों को आसानी से आत्मसात कर लेते हैं।

आदिम जनजातीय क्षेत्र सीमित एवं बन्द आन्तरिक क्षेत्र होते हैं, जिनका बाहय सभ्य विश्व से कोई सीधा सम्पर्क नहीं होता। इन दोनो क्षेत्रों के मध्य बड़ी जनजातियों वाला मध्यस्थ क्षेत्र, जिसे "बफरजोन" कहते हैं होता है, जैसा कि चित्र संख्या 7.1B मे प्रदर्शित किया गया है। वाह्य सभ्य जगत से प्रारम्भिक संम्पर्क, परिवर्तन

Relationships in The Eco-System

Environment

Culture

Human Group

(Primitive Communities)

Environment

Culture

Human Group

(Urban Communities)

Fig. 7.1 (A)

1- Central Tribal Zone
2- Peripheral Civilized Zone
3- Buffer/Insulator Zone

Fig. 7.1 (B)

आदि सर्वप्रथम बफरजोन में ही सम्पन्न होते हैं। बफर जोन में रहने वाली बड़ी जनजातियाँ समीपवर्ती सभ्य जगत के लोगों के संम्पर्क में आती हैं, जिससे परिवर्वन प्रक्रिया प्रारम्भ होकर बड़ी जनजातियों के माध्यम से केन्द्रीय भाग में निवास करनें वाली छोटी जनजातियों तक धीरे–धीरे पहुँचती हैं। आन्तरिक क्षेत्र में सीधा परिवर्तन बफरजोन के कारण नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह एक रोधक पेटी होती है। यदि केन्द्रीय भाग पर सीधा प्रभाव डालनें का प्रयास भी होता है, तो वह अधिकांशतः निष्फल हो जाता है। इसीलिए छोटी आदिम पृथक जनजातीय समूहों में परिवर्तन प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होती है। इस भौतिक मनोवैज्ञानिक आन्तरिक क्षेत्र में कोई भी सीधा एवं सुनियोजित परिवर्तनकारी आक्रमण, विरोधी एवं हिंसक परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है, न कि सकारात्मक परिणाम।[8] अतः जनजातीय विकास योजना में इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

छोटे एवं आदिम जनजातीय समुदायों में परिवर्तन प्रक्रिया के प्रथम अवस्था में आक्रमणकारी एवं आक्रमित दोनों संकृतियों में संघर्ष होता है जिसमें दो संभावनाऐं होती है–

(1) यह कि आक्रमित संस्कृति आक्रामक संस्कृति द्वारा पूर्ण विनष्ट कर दी जाती है, जैसा कि ग्रेट अण्डमानी जनजाति के संदर्भ में हो रहा है, तथा, (2) आक्रमित संस्कृति का आक्रामक संस्कृति में पूर्ण विलय हो जाये तथा आक्रमित संस्कृति अपनी पहचान पूर्ण रूप से खो बैठे और अन्ततोगत्वा विनष्ट हो जाये। इस प्रकार दोनों स्थितियों में छोटी आदिम जनजातीय समूह की सांस्कृतिक पहचान एवं सत्ता के लुप्त होने का खतरा बराबर बना रहता है। इस विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट है कि छोटे आदिम जनजातीय समूहों से सम्बन्धित विकास योजना मौलिक रूप से बड़े एवं सभ्य मानव समुदायों के अर्थ प्रधान औपचारिक विकास योजना से भिन्न होनी चाहिए। लेकिन अभी तक का अनुभव यह रहा है कि अण्डमान एवं निकोबार द्वीप की जनजातियों से सम्बन्धित विकास

योजनाओं को वर्तमान अर्थप्रधान औपचारिक विकास योजनाओं के समान ही संचालित एवं क्रियान्वित किया गया है, जिसके परिणाम सबके सामने हैं।

जनजातीय विकास योजनाएं अर्थ–आधारित औपचारिक तंत्र हैं, जो निश्चित विधितंत्र एवं निवेश के माध्यम से निश्चित लक्ष्य प्राप्त करनें में विश्वास करती हैं। ये औपचारिक विकास तंत्र जनजातियों से मात्र औपचारिक स्तर पर ही सम्बन्ध स्थापित करती हैं। इसलिए सम्पूर्ण विकास योजना मात्र एक कृत्रिम एवं औपचारिक क्रिया बन कर रह जाती है। इससे जनजातीय वर्गों से सहज, सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता। इन विकास योजनाओं में सारा प्रयास येन–केन प्रकारेण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तक सीमित रहता है। जनजातीय समुदाय के मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर नहीं। यही कारण है कि नौ पंचवर्षीय योजनाओं के प्रयास के बावजूद जनजातीय विकास के क्षेत्र में हमें वांच्छित सफलता नहीं मिल पायी है। अतः इस क्षेत्र में वास्तविक सफलता प्राप्त करनें तथा आदिम जनजातीय वर्गों एवं उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखनें हेतु हमें अपनें विकास योजनाओं को मानवतावादी स्वरूप देना होगा तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संतुलित एवं मानवतावादी कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे।[9]

अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों की विकास योजना नीति :

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों से सम्बन्धित मास्टर प्लान में यहाँ की पाँचो आदिम जनजातियों से सम्बन्धित योजना नीति के मुख्य कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। निकोबारी जनजाति लगभग सभी क्षेत्रो जैसे –जनसंख्या, सामाजिक संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक संगठन, रोजगार, राजनैतिक जागृति आदि मे अन्य आदिम जनजातियों से काफी विकसित एवं समृद्ध है।

अतः उसे सामान्य पंचवर्षीय योजनाओं एवं जनजातीय उप–योजनाओं दोनों के सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं से लाभ मिलता है। सभ्य एवं शिक्षित होने के कारण वे अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, तथा वाहय जगत से भी अब उनका सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया है। अतः मास्टर प्लान में उनके लिए सामान्य योजना नीति तथा अन्य आदिम जनजातियों के लिए अलग–अलग विशेष योजना नीतियाँ तैयार की गयी हैं, जिनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है।

शोम्पेन जनजाति, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में केन्द्रित है, की योजना नीति के चार मुख्य बिन्दु हैं–

(1) असंतुलित पारिस्थितिक सांस्कृतिक तंत्र को पुनरस्थापित करना।

(2) उत्संस्करण के माध्यम से उन्हें वाह्य समाज की धारा के साथ सह अस्तित्व बनाने हेतु तैयार करना।

(3) बाहरी लोगों द्वारा किए जा रहे शोषण तथा महामारियों से छुटकारा दिलवाना एवं,

(4) उत्संस्करण हेतु प्रशासन द्वारा उन्हें उचित सुविधा एवं वातारण देना।

दक्षिण एवं मध्य अण्डमान में निवास करनें वाली जारवा आदिम जनजाति के विकास योजना नीति के सात मुख्य बिन्दु हैं, जो निम्न है –

(1) जारवा क्षेत्र एवं बाहरी लोगों के क्षेत्रों के मध्य बफरजोन बनाना।

(2) बफर जोन में प्रशासनिक तंत्र स्थापित कर जारवा एवं वाहय लोगों के मध्य संघर्ष एवं हिंसा की घटनाओं को प्रभावी ढ़ंग से रोकना।

(3) अण्डमान आदिम जनजाति विकास समित के कर्मचारियों के माध्यम से जारवा जनजाति से मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना।

(4) विरल वनारोपण एवं सुअर परियोजना द्वारा जारवा क्षेत्र की पोषण क्षमता को बढ़ाना।

(5) मास्टर प्लान की अवधि में बिमारियों के प्रसार को रोकने हेतु जारवा एवं वाहय लोगों के मध्य सम्पर्क को रोकना।

(6) जारवा के स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना एवं,

(7) अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति के कर्मचारियों द्वारा जारवा की उत्संस्करण प्रक्रिया को संचालित करना तथा वाहय समाज के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित करना।

ओंगी आदिम जनजाति के लोग लिटिल अण्डमान के डिगांगक्रीक एवं साउथबे क्षेत्र में केन्द्रित हैं। इनकी विकास योजना से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु निम्न हैं –

(1) ओंगी जनसंख्या के घटाव को रोकनें एवं उसे स्थिर बनाने हेतु तीव्र स्वास्थ्य संवाओं एवं जनन आभयांत्रिकीय द्वारा उनकी मृत्यु दर को कम करना।

(2) उनके गन्दे अधिवासों को साफ–सुथरे अधिवासों में परिवर्तित कर उन्हे स्थायी जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना तथा कर्मचारियों के माध्यम से उन्हें सफाई एवं वस्त्र पहनने हेतु उत्संस्कृति करना।

(3) खैरात सामाग्री बाटने एवं पर्यटकों का उनके अद्यिवासों पर जाने पर पूर्ण पाबन्दी लगाना तथा उनके क्षेत्र की पोषण क्षमता को बढ़ाना।

(4) उन्हें शिकार, मत्स्यायन एवं एकत्रण हेतु प्रेरित करना एवं सुविधा प्रदान करना।

(5) वृक्षारोपण एवं मत्स्यायन क्रिया–कलापों को विकसित कर उनकी जीवन निर्वाह अर्थ व्यवस्था को बचत अर्थव्यवस्था मे परिवर्तित करना एवं,

(6) बाह्य समाज के साथ सहआस्तित्व बनाने हेतु ओंगियों का उत्संस्करण करना।

स्ट्रेट द्वीप में निवास करनें वाली ग्रेट अण्डमानी जनजाति की विकास योजना नीति के प्रमुख विन्दु निम्न हैं–

(1) सामाजिक–सांस्कृतिक सुधारों के माध्यम से इन्हे पूर्ववत स्थिति में ले आना। इस हेतु प्रथम अवस्था में उनमें अन्तरजातीय वैवाहिक सम्बन्ध तथा दूसरी अवस्था में ओंगी जनजाति से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करनें का प्रयास करना।

(2) खैरात वितरणतंत्र को समाप्त करना तथा वृक्षारोपण एवं मत्स्यायन को विकसित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।

(3) मदिरा एवं अफीम की नशाखोरी समाप्त करना एवं,

(4) गहन स्वास्थ्य प्रबन्धन एवं जनन अभियांत्रिकी के माध्यम से ग्रेट–अण्डमानी जनजाति की जनसंख्या में वृद्धि करना।

मास्टर प्लान में सेंटिनली जनजाति को अभी कुछ दशकों तक अपनें मूल क्षेत्र में पृथक रूप से सीमित रखनें की योजन नीति है अभी उनके जीवन में कोई व्यवधान या परिर्वतन नहीं उत्पन्न किया जायेगा।

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों हेतु विकास नियोजन :

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियाँ भारत की अन्य जनजातियों के समान ही सामाजिक रूप से शोषित, आर्थिक रूप से पिछड़ी एवं राजनैतिक रूप से वंचित हैं।

यद्यपि केन्द्र सरकार एवं स्थानीय प्रशासन उन्हे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ करनें तथा उन्हे राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने का सतत प्रयास कर रहें हैं। लेकिन अभी उन्हे नियोजित विकास का लाभ अत्यल्प ही प्राप्त हो सका है। बल्कि यह

कहा जाय कि नियोजित विकास प्रक्रिया में उनका शोषण आधिक हुआ है और मिला बहुत कम। आज भी उनकी संस्कृति को हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा उनके विकास में लगे सरकारी कर्मचारी, संस्थाएँ, व्यापारी, समितियाँ आदि उनके साथ सौतेला, शोषणकारी, उत्पीड़क एवं दमनात्मक व्यवहार करतें हैं। एक तरफ कठोर एवं दुरूह पर्यावरण दशाएं, अगम्यता एवं पृथकता, तथा दूसरी ओर विकास के नाम पर होने वाले उत्पीड़न एवं शोषण ने उनकी समस्याओं एवं कष्टों को यथावत बनाए रखा है।[10] इसका एक कारण यह भी है कि अभी इन वर्गो में स्वयं के नेतृत्व का आभाव है। राजनेता एवं अधिकारी जनजातियों के विकास की दुहाई देते घूमते हैं। लेकिन यदि पिछले चार–पाँच दशकों की लम्बी जनजातीय विकास प्रकिया का विश्लेषण किया जाय, तो निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि अभी हमें लक्ष्य का शतांश भी नहीं प्राप्त हो सका है तथा जनजातियों को विकास का लाभ नहीं मिल सका है।[11] पिछले पृष्ठों में अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों से सम्बन्धित विकास नीतियों, विकास योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में निर्धारित प्रमुख कार्यों के विश्लेषण से भी स्पष्ट है कि यहाँ कि जनजातियों को विकास का लाभ बहुत कम मिल पाया है। बल्कि यूं कहा जाय कि विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में प्रविष्ट हुए प्रशासनिक आधिकारियों एवं कर्मचारियों, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं समितियों के कर्मचारियों, विशिष्ट कार्ययोजनाओं में लगे हुए कर्मचारियों, पर्यटकों आदि के द्वारा इनका उत्पीड़न, एवं शोषण अधिक हुआ है। परिणामस्वरूप इनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, तथा ये आन्तरिक जंगली क्षेत्रों में सिमटते जा रहें हैं। जिससे पाषाण युगीन इन आदिम प्रजातियों एवं इनकी संस्कृति के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि यही विकासशैली भविष्य में भी चलती रही तो यहाँ की कुछ जनजातियाँ जैसे– ओंगी, ग्रेट–अण्डमानी एवं जारवा की

बची थोड़ी जनसंख्या भी नष्ट हो जायेगी। अतः आज हमें वर्तमान विकास एवं नियोजन प्रक्रिया के गहन पुनरावलोकन तथा उनके परिवर्तन एवं संशोधन की महती आवश्यकताआ है।

वांच्छित विकास नियोजन प्रतिदर्श :

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियोंके विकास हेतु विविध पंचवर्षीय योजनाओं एवं जनजातीय उप–योजना तथा विकास खण्ड योजनाओं के अन्तर्गत जो सीधी एवं प्रत्यक्ष विकास नियोजन प्रतिदर्श अपनाया गया, वह उन पर एक घातक आक्रमण साबित हुआ। बाहरी लोंगों से एकाएक सीधा सम्पर्क हो जाने से सामान्जस्य के बजाय संघर्ष, उत्पीड़न, शोषण, एवं हिंसा आदि ने जनजातीय क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा डालीं। विविध योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत विविध संस्थाओं एवं कर्मचारियों कें माध्यम से इनके विकास हेतु विविध भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाते रहे, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक कम और नकारात्मक अधिक रहा। लेकिन किसी ने जनजातीय विकास नीति के पुनरावलोकन एवं पुनर्मूल्यांकन पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बहुत पहले ही पिछले पृष्ठों में उद्दत जनजातीय विकास नीति के सम्बन्ध में पाँच मुख्य विन्दु निर्धारित कर दिये थे। पं0 गोविन्द बल्लभ पंत ने भी उनका समर्थन किया था। नौ पंचवर्षीय योजनाओं के अथक प्रयासों के बावजूद जनजातीय विकास के सम्बन्ध में आज जो परिणाम सामनें आये हैं, वे चिन्ताजनक हैं। इसका मूल कारण हमारी त्रुटिपूर्ण जनजातीय विकास नीति रही है। यदि भारत सरकार एवं स्थानीय प्रशासन सीधी एवं आक्रामक विकास नीति को न अपना कर पं0 नेहरू एवं पंत द्वारा सुझाये गए सिद्वान्तो के आधार पर विकास कार्यक्रम तैयार किये होते, तो संभवतः आज ऐसे नकारात्मक परिणाम देखने को न मिलते। उपरोक्त दोनों राजनेताओं ने जनजातीय

विकास प्रक्रिया को पूर्ण लोकतांत्रिक, सरल मानवतावादी बताते हुए शायद इसी तथ्य की ओर संकेत किया था, कि जनजातीय विकास नियोजन प्रक्रिया जनजातीय लोंगो द्वारा जनजातीय लोंगों के लिए जनजातीय लोगों की होनी चाहिए तथा इसे प्रत्यक्ष एवं आक्रामक न होकर परोक्ष एवं मानवतावादी होनी चाहिए। यदि इस दृष्टिकोण एवं उपागम को ध्यान में रखा गया होता तो अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों का विकास परिदृश्य बिल्कुल भिन्न होता ।

उपरोक्त तथ्यों एवं पं0 नेहरू एवं पंत द्वारा प्रस्तुत सिद्वान्तों के आधार पर शेधकर्ता ने अण्डमान–निकोबार की जनजातियों के संतुलित विकास हेतु एक नया विकास नियोजन प्रतिदर्श विकसित किया है (Fig-7.2) जो परोक्ष एवं मानवतावादी विकासशैली पर आधरित है। विकास नियोजन प्रतिदर्श में मुख्यतः तीन विशिष्ट क्षेत्रों–संसाधन एवं पर्यावरण, सामाजिक पुनरूद्वार एवं आर्थिक पुनरूद्वार से सम्बन्धित विकास नीति, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्धारण की व्यवस्था है। इन तीनों क्षेत्रों से सम्बन्धित नीतियों परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्धारण विशिष्ट संस्थाओं जैसें – योजना आयोग एवं विशेषज्ञों जैसे–मानवशात्री, समाजशास्त्री, भूगोलवेत्ता आदि के द्वारा होना चाहिए। साथ ही वरीयताओं का निर्धारण भी विशिष्ट संस्था एवं विशेषज्ञों द्वारा ही होना चाहिये। लेकिन इनका क्रियान्वयन सीधा एवं आक्रामक न होकर परोक्ष रूप से होना चाहिए, जैसा कि प्रतिदर्श में प्रदर्शित है (Fig-7.2) अर्थात् परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सर्वप्रथम विशेषज्ञ एवं दीक्षित सरकारी कर्मचारियों की एक टीम बनानी चाहिए, जो विविध जनजातीय क्षेत्रों में रहकर उन जनजातियों के कुछ विकसित मस्तिक वाले चार–पाँच युवकों की एक टीम तैयार करें, तथा उन्हें धीरे–धीरे बिना उनके मनोभावों को चोट पहुचाये, सौहार्द्र पूर्वक सम्बन्धित कार्यक्रमों के लाभ से परिचित करायें। अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम

Planning Model for The Socio-Economic Development of Primitive Tribes of Andaman and Nicobar Island

Fig. 7.2

हेतु उन्हें वास्तविक प्रयोगों, वस्तुओं एवं चित्रों के माध्यम से दीक्षित करनें का प्रयास करें। प्रदर्शन द्वारा कार्यक्रमों के लाभ को वे बेहतर ढंग से समझ सकेंगें।

अपने–अपने क्षेंत्रों में दीक्षित हुए युवकों की इन टीमों को अपने–अपने जनजातीय समुदायों में भेजकर उन्हीं के द्वारा कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लाभ का प्रचार तथा प्रसार कराना चाहिये। इस प्रकार क्रियान्वयन स्तर पर सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जनजातियों से सीधा सम्पर्क नही होना चाहिए। इससे न तो संघर्ष एवं हिंसा होगी और न ही कार्यक्रम असफल होंगे। बल्कि प्रदर्शन द्वारा अपनी ही जाति के लोंगों से कार्यक्रम के लाभ को समझ लेंने पर ये जनजातियाँ उन्हे पूर्ण रूप से क्रियान्वित करेंगी तथा उन्हें उसका पूरा लाभ मिलेगा जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है (Fig- 72)। परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रारम्भ हो जाने पर उनके समन्वयन, नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु भी एक संस्था होनी चाहिए, जिसमें एक दो संबन्धित सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी तथा सभी दीक्षित टीमों के दो–दो सदस्य होनें चाहिए। इन्ही जनजातीय सदस्यों के माध्यम से ही परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का समन्वयन, नियंत्रण एवं निरीक्षण होना चाहिए तथा इन्ही के माध्यम से ही विविध परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं को सूचीवद्व करना चाहिए। इन व्यवधानों एवं समस्याओं को पृष्ठपोषण तंत्र द्वारा पुनः शीर्षविशेषज्ञ संस्थाओं को प्रेषित करना चाहिए, जिससे नीतियों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों में अपेक्षित परिवर्तन एवं संशोधन किया जा सके। इस प्रकार सम्पूर्ण विकास नियोजन प्रक्रिया जनजातीय लोंगों की सहभागिता से संचालित एवं क्रियान्वित होंगी तथा सरकारी संस्थाओ एवं अधिकारियों का कार्य नीतियों एवं कार्यक्रमों में मात्र अपेक्षित संशोधन एवं परिवर्तन करना तथा जनजातीय टीमों को उनसे परिचित करना मात्र होगा। निश्चित

रूप से यह विकास प्रतिदर्श जनजातीय समुदायों एवं क्षेत्रों के संपोषणीय संतुलित विकास को सुनिश्चित करेगा तथा जनजातीय जीवन शैली में वांछित सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन कर सकेगा। यह विकास प्रतिदर्श जनजातियों की विकास प्रक्रिया में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित कर उसमें पूर्ण मानवतावादी एवं समाजवादी आयाम जोड़ेगा । यदि इसे ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक पुनरूद्वार हेतु लागू किया जाता है, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम सकारात्मक एवं अनुकूल होंगें।

विकास नियोजन प्रतिदर्श में दिये गए तीन विशष्ट क्षेत्रों – (1) संसाधन एवं पर्यावरण (2)सामाजिक पुनरूद्वार एवं, (3) आर्थिक पूनरूद्वार से सम्बन्धित विविध समस्याओं के समाधान एवं उन्मूलन हेतु संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का संक्षिप्त उल्लेख निम्न है–

1–संसाधन एवं पर्यावरण समबन्धी नियोजन :–

इसके अन्र्तगत विविध द्वीपों में निवास करनें वाली जनजातियों के विस्थापन एवं पुनरवास ,अतिक्रिमण एवं शोषण, तथा अधिवास्य संकुचन की समस्या को रोकने एवं प्रतिबन्धित करने सम्बन्धी कार्यक्रम एवं नीतियॉ बनायी जायेगीं। अतिक्रमण एवं शोषण द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हो रहे संसाधन ह्रास पर प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने हेतु कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित होंगे। ऐसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में अतिक्रिमण, जनजातियों का शोषण, अधिवास्य की कमीं तथा बाहरी एवं जनजातीय लोंगों कें बीच संघर्ष जैसी समस्याओं का पूर्ण समाधान होगा।

2– सामाजिक पुनरूद्यार सम्बन्धी नियोजन :

इसके अर्न्तगत पारिवारिक एवं सामुदायिक विखण्डन, अवरोधक क्षमता एवं क्रियाशीलता का ह्रास, प्रजातियों एवं उनके संस्कृतियों के विनाश जैसी समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी नीतियॉ, परियोजनाएं एवं कार्यक्रम बनाये जायेंगे। संसाधन एवं पर्यावरण क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के पश्चात इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान आसान हो जायेगा, क्योंकि अधिकांश समस्याएं विस्थापन, अतिक्रमण, शोषण एवं बाहरी लोंगों के संघर्ष से सम्बन्धित है। यदि उनका प्रभावी समाधान हो जाता है, तो अन्य समस्याओं का समाधान सरल एवं सुविधाजनक हो जायेगा। इस नियोजन के अर्न्तगत जनजातियों के पोषण एवं स्वास्थ्य को सुधारने, उनके मृत्युदर को कम करने, उन्हे धीरे–धीरे साक्षर एवं शिक्षित करनें तथा उनकी संस्कृतियों को विकसित करनें सम्बन्धी कार्यक्रम भी समाविष्ट होंगे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा ।

3–आर्थिक पुनरूद्यार सम्बन्धी नियोजन :

इसके अर्न्तगत जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों को सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान करने हेतु आवश्यक नीतियाँ, परियोजनाएं एवं कार्यक्रम बनाये जायेंगे। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से वृक्षारोपण, पशुपालन, मत्स्यायन, मधुमक्खी–पालन, साग–सब्जी उत्पादन आदि से सम्बन्धित होंगे। जनजातीय टीमों को सर्व प्रथम सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि से इन क्रियाकलापों की दीक्षा दी जायेगी। इसके पश्चात् वे अपने जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों में इनका प्रचार एवं प्रसार करेगे। चूँकि अण्डमान–निकोबार की जनजातियॉ आदि काल से जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं एवं इन क्रियाकलापों से किसी न किसी रूप में परिचित हैं, अतः इन

क्रिया–कलापों में जनजातीय टीमो को प्रदर्शन विधि द्वारा दीक्षित करना सरल एवं सुविधाजनक होगा ।

उपरोक्त तीनों प्रकार के नियोजन सम्बन्धी नीतियों, परियोजनाए एवं कार्यक्रम तो उपयुक्त सरकारी संस्थाओं एवं विशेषज्ञों द्वारा बनाए जायेंगे। लेकिन उनका क्रियान्वयन एवं संचालन पूर्ण रूप से जनजातियों द्वारा ही होगा। प्रारम्भ में दीक्षित सरकारी कर्मचारी जनजातीय टीमों को दीक्षित करनें में सहयोग करेंगें। इस प्रकार सम्पूर्ण नियोजन प्रक्रिया पूर्णरूपेण परोक्ष रूप से स्वचालित, लोकतांत्रिक, जन सहभागिता पर आधारित, समन्वयवादी, मानवतावादी तथा लाभकारी एवं सकारात्मक होगी।

संदर्भ सूची–7

1. Awaradi, S.A.1990: Master Plan, Andaman & Nicobar Administration, PortBlair, P.83.
2. Mishra, B.N. and Shukla, V.1999: Tribal Development in India. Retrospect and Prospect, in The Tribal Scene in Jharkhand A.Bhushan et.al. (eds.) Novelly & Co. Patna, P.P. 34-35.
3. Belshaw, C.S. 1972 : Development: The Contribution of Authropology, International Social Science Jourual, Vol.24. New Jersey.
4. Hasnain, Nadeem, 1991 : Tribal India Today, Harnam Publications, New Delhi, P.198.
5. Vidyarthi, L.P. 1981: Tribal Development and its Administration, Concept Publishers, New Delhi.
6. Shilu Aao Committee Report 1969 : Approach to Fifth Plan- 1974 - 79, Planning Commition, New Delhi.
7. Awaradi, S.A. 1990: op.cit. P. 86
8. Ibid. P.P. 86-87.
9. Pandeya, B.N. 1999 : Profiles of Tribal Population And its Development Strategy, in The Tribal Scene in Jharkhand, A.Bhushan et.al., (eds.) Novelty & co. Patna, P. 15.
10. Sathpathi, D.P. 1999: Restive Tribes: The Indian scene, in The Tribal Scene in Jharkhand, A. Bhushan et.al. (eds.), Novelty & co. Patna, P.P. 46-47
11. Tiwari, R.K. 1999 : Tribes of India: An overview, in Tribal Scene in Jharkhand, A. Bhushan et.al. (eds.), Novelty & co. Patna, P.2.